खण्ड–513, अंक–03
सोमवार, 03 फाल्गुन, शक संवत् 1942
(22 फरवरी, 2021 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सत्रहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2021)

(खण्ड 513 में 10 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2023

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण	7-48
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	48-49
जनपद-लखनऊ में आलमबाग अन्तर्गत अवध चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद-वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत ग्राम सभईपुर के प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	50
जनपद-लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम अन्तर्गत फूलाई ओवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद-सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51
जनपद-मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	51-52
जनपद-खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	52
जनपद-अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र गजरौला अन्तर्गत विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	52
प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद-बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53
जनपद-कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत महापुरुष लकी शाह बंजारा की मूर्ति स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	53-54

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों पर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	54
जनपद-सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका अन्तर्गत अम्बाला रोड थरौली रजवाहे के पुल से चिलकाना रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55
जनपद-जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	55
जनपद-पीलीभीत के बीसलपुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	55-56
जनपद-लखनऊ अन्तर्गत बरगवां, बारा बिरवा थाना-कृष्णा नगर स्थित सेवा विहार कालोनी में लम्बित सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56
जनपद-मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र विलारी अन्तर्गत रामपुर पट्टी के सम्पर्क मार्ग एवं कर्मशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	56-57
पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की उदासीनता से गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर पक्का सेतु बनवाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57
जनपद-झांसी में गुरसराय से मोंठ तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	57-58
उत्तर प्रदेश में कसौंधन/कांदू/गौड़ जाति के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58-59
जनपद-कानपुर नगर के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम टिकरी गैरवां बांगर मजरे मकरन्दपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ	59-61
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 7वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019–2020) का 8वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	61
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 9वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	61
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 10वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	61
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 11वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 12वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया) ...	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 13वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 14वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 15वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 16वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 17वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	62
उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 18वाँ प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखा गया)	63
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 20 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	63-65
श्री बहोरन लाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 9 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	65-66
श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, सदस्य, विधान सभा की जनपद-महोबा से सम्बन्धित 7 याचिकाएँ (व्यपगत)	67

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बिजनौर से सम्बन्धित 15 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	67-69
श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 3 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	69
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 3 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	69-70
श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित 6 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	70
श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	70
श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित 9 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	71-72
श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मेरठ से सम्बन्धित 3 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	72
श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	72
श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 4 याचिकाएं (व्यपगत)	72-73
श्री तेजपाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	73
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद-झांसी से सम्बन्धित 19, जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 3 तथा जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 2 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	73-75
श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	76
श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	76
श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मिर्जापुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की गयी)	76

विषय	पृष्ठ-संख्या
श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बहराइच से सम्बन्धित 4 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	76-77
डा0 संगीता बलवन्त, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित 4 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	77
डा0 डी0सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 17 याचिकाएँ तथा जनपद-सिद्धार्थनगर व जनपद-वाराणसी से सम्बन्धित 1-1 याचिका (उपस्थित की गयी)	78-80
डा0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 2 याचिकाएँ (उपस्थित की गयीं)	80
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	80-81
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 (पुरःस्थापित) ...	81
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा (जारी) ...	81-113
श्री अजय कुमार "लल्लू", सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की गयीं)	113-114
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 (पारित) ...	114-131
उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	131-132
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित) ...	133-139
उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	139-144
उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 (पारित) ...	144-170
राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	170-174
उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 (पारित)	174-179

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सत्रहवीं विधान सभा

सोमवार, दिनांक 22 फरवरी, 2021 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-369

1. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
2. अजय कुमार, डॉ0 — इलाहाबाद
3. अजय कुमार "लल्लू", श्री — कुशीनगर
4. अजय कुमार सिंह ''अजय सिंह'', श्री — बस्ती
5. अजीत कुमार उर्फ राजू यादव, श्री — सम्भल
6. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
7. अतुल गर्ग, श्री — गाजियाबाद
8. अदिति सिंह, सुश्री — रायबरेली
9. अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
10. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
11. अनिल कुमार मौर्य, डा0 — सोनभद्र
12. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
13. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
14. अनिल सिंह, श्री — उन्नाव
15. अनीता, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
16. अनीता लोधी राजपूत, डॉ0 — बुलन्दशहर
17. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
18. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
19. अनूप प्रधान, श्री — अलीगढ़
20. अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा, श्री — प्रतापगढ़
21. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
22. अमन मणि त्रिपाठी, श्री — महाराजगंज
23. अमर सिंह, श्री — फर्रुखाबाद
24. अमर सिंह चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
25. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
26. अम्बरीश सिंह पुष्कर एडवोकेट, श्री — लखनऊ
27. अरविन्द गिरि, श्री — खीरी
28. अरुण कुमार, डॉ0 — बरेली
29. अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
30. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
31. अलका राय, श्रीमती — गाजीपुर
32. अवधेश सिंह, प्रो0 (डा0) — वाराणसी
33. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — खीरी
34. अविनाश त्रिवेदी, श्री — लखनऊ
35. असलम अली, श्री — हापुड़
36. आजाद अरिमर्दन, श्री — आजमगढ़
37. आनन्द स्वरूप शुक्ल, श्री — बलिया
38. आनन्द शुक्ला, श्री — चित्रकूट
39. आर0 के0 वर्मा, डॉ0 — प्रतापगढ़
40. आराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आशीष सिंह पटेल ''आशू'', श्री — हरदोई
43. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
44. आशुतोष टण्डन ''गोपाल जी'', श्री — लखनऊ
45. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
46. इकराम कुरैशी, हाजी — मुरादाबाद
47. इन्द्र प्रताप उर्फ खब्बू तिवारी, श्री — फैजाबाद
48. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
49. उज्जवल रमण सिंह, श्री — इलाहाबाद
50. उदयभान सिंह, चौ0 — आगरा

51. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
52. उपेन्द्र नाथ पासवान, श्री कानपुर नगर
53. उमाशंकर सिंह, श्री बलिया
54. उमेश मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
55. उषा सिरोही, श्रीमती बुलन्दशहर
56. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
57. ओमकुमार, श्री बिजनौर
58. ओम प्रकाश राजभर, श्री गाजीपुर
59. कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
60. कमल सिंह मलिक, श्री हापुड़
61. कमलेश शुक्ल, श्री देवरिया
62. कमलेश सैनी, श्रीमती बिजनौर
63. करण सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
64. कल्पनाथ पासवान, श्री आजमगढ़
65. कारिन्दा सिंह, श्री मथुरा
66. काली प्रसाद, श्री देवरिया
67. किरत सिंह, श्री सहारनपुर
68. किशन लाल राजपूत, श्री पीलीभीत
69. कुशाग्र सागर, श्री बदायूं
70. कृष्णपाल मलिक, श्री बागपत
71. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
72. केसर सिंह, श्री बरेली
73. कैलाश नाथ शुक्ल, श्री बलरामपुर
74. कैलाश नाथ सोनकर, श्री वाराणसी
75. कैलाश सिंह राजपूत, श्री कन्नौज
76. गंगा, श्री कुशीनगर
77. गरिमा सिंह, श्रीमती अमेठी
78. गिरीश चन्द्र यादव, श्री जौनपुर
79. गुलाब देवी, श्रीमती सम्भल
80. गौरव कुमार, श्री बाराबंकी
81. गौरी शंकर, श्री जालौन
82. चन्द्रपाल कुशवाहा, श्री बांदा
83. चन्द्रिका प्रसाद उपाध्याय, श्री चित्रकूट
84. चेतराम, श्री शाहजहाँपुर
85. छत्रपाल सिंह गंगवार, श्री बरेली
86. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
87. जटाशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
88. जमुना प्रसाद सरोज, डॉ0 इलाहाबाद
89. जय कुमार सिंह (जैकी), श्री फतेहपुर
90. जय देवी, श्रीमती लखनऊ
91. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
92. जवाहर लाल राजपूत, श्री झांसी
93. जितेन्द्र पाल सिंह उर्फ बिल्लू, श्री मेरठ
94. जी0 एस0 धर्मेश, डॉ0 आगरा
95. ज्ञान तिवारी, श्री सीतापुर
96. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 बरेली
97. डेनजिल जे0 गोडिन, डा0 नाम-निर्देशित
98. तजीन फातमा, डा0 रामपुर
99. तेजपाल सिंह नागर, श्री गौतमबुद्ध नगर
100. तेजेन्द्र निर्वाल, श्री शामली
101. त्रिवेणी राम, श्री गाजीपुर
102. दयाराम चौधरी, श्री बस्ती
103. दल बहादूर , श्री रायबरेली
104. दारा सिंह चौहान, श्री मऊ
105. दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे, श्री सन्तकबीर नगर
106. दिनेश खटीक, श्री मेरठ
107. दिनेश चौधरी, श्री जौनपुर
108. दीनानाथ भाष्कर, श्री भदोही
109. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
110. देवमणि द्विवेदी, श्री सुल्तानपुर
111. देवेन्द्र कुमार निम, श्री सहारनपुर
112. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री कासगंज
113. देवेन्द्र सिंह लोधी एडवोकेट, श्री बुलन्दशहर
114. धनन्जय कन्नौजिया, श्री बलिया
115. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
116. धर्मराज सिंह यादव उर्फ सुरेश यादव, श्री बाराबंकी

117. धर्म सिंह सैनी, डॉ0 सहारनपुर
118. धर्मेन्द्र कुमार सिंह शाक्य ''पप्पू भइया'', श्री बदायूं
119. धीरेन्द्र बहादूर सिंह, श्री रायबरेली
120. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
121. नईम उल हसन, श्री बिजनौर
122. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री इलाहाबाद
123. नफीस अहमद, श्री आजमगढ़
124. नरेन्द्र पाल सिंह, कुं0 जालौन
125. नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री सीतापुर
126. नरेश सैनी, श्री सहारनपुर
127. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
128. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
129. नाहिद हसन, श्री शामली
130. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
131. निर्मला संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
132. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
133. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
134. नील रतन सिंह पटेल 'नीलू', श्री वाराणसी
135. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
136. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
137. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्ध नगर
138. पक्षालिका सिंह, रानी आगरा
139. पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्री कुशीनगर
140. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
141. पिंकी सिंह यादव, श्रीमती सम्भल
142. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
143. पुरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. प्रकाश चन्द्र द्विवेदी, श्री बांदा
145. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
146. प्रतीक भुषण सिंह, श्री गोण्डा
147. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
148. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
149. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
150. प्रमोद उटवाल, श्री मुजफ्फरनगर
151. प्रवीण कुमार सिंह, श्री इलाहाबाद
152. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
153. प्रेमपाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
154. प्रेमसागर पटेल, श्री महाराजगंज
155. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
156. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महाराजगंज
157. बन्दना सिंह, श्रीमती आजमगढ़
158. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
159. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
160. बहोरन लाल मौर्य, श्री बरेली
161. बाबा गोरखनाथ, श्री फैजाबाद
162. बाबू राम पासवान, श्री पीलीभीत
163. बावन सिंह, श्री गोण्डा
164. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
165. बिहारीलाल आर्य, श्री झांसी
166. बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भइया, श्री महोबा
167. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
168. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
169. बृजेश कुमार प्रजापति, श्री बांदा
170. बैजनाथ रावत, श्री बाराबंकी
171. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
172. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
173. भगवती प्रसाद सागर, श्री कानपुर नगर
174. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
175. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
176. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
177. मनीषा अनुरागी, श्रीमती हमीरपुर
178. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
179. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
180. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
181. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
182. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज

183. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
184. मसूद अख्तर, श्री सहारनपुर
185. महबूब अली, श्री अमरोहा
186. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
187. महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सीतापुर
188. महेन्द्र सिंह खडगवंशी, श्री अमरोहा
189. महेश कुमार गोयल, श्री आगरा
190. महेश त्रिवेदी, श्री कानपुर नगर
191. माधवेन्द्र प्रताप, कुंवर हरदोई
192. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
193. मानवेन्द्र सिंह, श्री शहजहाँपुर
194. मुकुट बिहारी, श्री बहराइच
195. मुकेश चन्द्र वर्मा, श्री फिरोजाबाद
196. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
197. मो0 मुजतबा सिद्दीकी, श्री इलाहाबाद
198. मोहम्मद असलम ''राइनी'' (एडवोकेट), श्री श्रावस्ती
199. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
200. मो0 फईम इरफान, श्री मुरादाबाद
201. युवराज सिंह, श्री हमीरपुर
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेश धामा, श्री बागपत
204. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
205. रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
206. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
207. रणवेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ धुन्नी भइया, श्री फतेहपुर
208. रत्नाकर मिश्र, श्री मिर्जापुर
209. रफीक अन्सारी, श्री मेरठ
210. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
211. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
212. रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री औरैया
213. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
214. रवि कुमार सोनकर, श्री बस्ती
215. रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री भदोही
216. रवि शर्मा, श्री झांसी
217. रविन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
218. रवेन्द्रपाल सिंह, श्री अलीगढ़
219. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
220. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
221. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
222. राकेश सिंह, श्री रायबरेली
223. राकेश सिंह बघेल, श्री सन्तकबीर नगर
224. राघवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
225. राज करन कबीर, श्री बांदा
226. राजकुमार अग्रवाल, श्री हरदोई
227. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपूरी
228. राजकुमार पाल, श्री प्रतापगढ़
229. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
230. राजबाला, श्रीमती रामपुर
231. राजमणि कोल, श्री इलाहाबाद
232. राजीव तरारा, श्री अमरोहा
233. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
234. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
235. राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती, श्री प्रतापगढ़
236. राजेश कुमार मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल, श्री बरेली
237. राजेश कुमार सिंह (चुन्नू), श्री मुरादाबाद
238. राजेश गौतम, श्री सुल्तानपुर
239. राधा कृष्ण शर्मा, पं0 बदायूं
240. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ0 गोरखपुर
241. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
242. राम कृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
243. रामगोपाल पप्पू लोधी, श्री फिरोजाबाद
244. राम गोविन्द चौधरी, श्री बलिया
245. राम चन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
246. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी

247. राम नरेश रावत, श्री रायबरेली
248. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
249. राम प्रताप सिंह, श्री आगरा
250. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
251. राम फेरन पाण्डेय, श्री श्रावस्ती
252. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
253. रामानन्द बौद्ध, श्री कुशीनगर
254. राहुल प्रकाश, श्री मिर्जापुर
255. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
256. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहाँपुर
257. लकी यादव, श्री जौनपुर
258. लक्ष्मी नारायण, श्री मथुरा
259. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
260. लाल बहादुर , श्री कौशाम्बी
261. लीना तिवारी, श्रीमती जौनपुर
262. विकास गुप्ता, श्री फतेहपुर
263. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
264. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
265. विक्रमाजीत मौर्य, श्री इलाहाबाद
266. विजय कुमार कश्यप, श्री मुजफ्फरनगर
267. विजय कुमार राजभर, श्री मऊ
268. विजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
269. विनय कुमार द्विवेदी, श्री गोण्डा
270. विनय शंकर तिवारी, श्री गोरखपुर
271. विनय शाक्य, श्री औरैया
272. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
273. विनोद कुमार कटियार, श्री कानपुर देहात
274. विपिन कुमार 'डेविड', श्री एटा
275. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
276. विमलेश पासवान, डा0 गोरखपुर
277. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
278. वीर विक्रम सिंह, प्रिंस शाहजहाँपुर
279. वीरेन्द्र, श्री एटा
280. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री फैजाबाद
281. शरद कुमार अवस्थी, श्री बाराबंकी
282. शशांक वर्मा, श्री खीरी
283. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
284. शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली, श्री आजमगढ़
285. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
286. शीतल पाण्डेय, श्री गोरखपुर
287. शीतला प्रसाद ''पप्पू पटेल'', श्री कौशाम्बी
288. शुचिस्मिता मौर्या, श्रीमती मिर्जापुर
289. शैलेन्द्र यादव ललई, श्री जौनपुर
290. शैलेश कुमार सिंह ''शैलू'', श्री बलरामपुर
291. शोभा सिंह चौहान, श्रीमती फैजाबाद
292. श्याम धनी, श्री सिद्धार्थनगर
293. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
294. श्याम बिहारी लाल, डॉ0 बरेली
295. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
296. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
297. श्रीकान्त शर्मा, श्री मथुरा
298. श्रीराम चौहान, श्री सन्तकबीर नगर
299. श्रीराम सोनकर, श्री मऊ
300. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
301. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
302. संगीता चौहान, श्रीमती अमरोहा
303. संगीता बलवन्त, डा0 गाजीपुर
304. संगीता यादव, श्रीमती गोरखपुर
305. संजय कुमार, श्री कौशाम्बी
306. संजय गर्ग, श्री सहारनपुर
307. संजय प्रताप जायसवाल, श्री बस्ती
308. संजय यादव, श्री बलिया
309. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
310. संजीव कुमार, श्री सोनभद्र
311. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
312. संजीव राजा, श्री अलीगढ़

313. संजू देवी, श्रीमती — अम्बेडकरनगर
314. संदीप कुमार सिंह, श्री — अलीगढ़
315. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री — बाराबंकी
316. सतीश चन्द्र द्विवेदी, डॉ0 — सिद्धार्थनगर
317. सतीश महाना, श्री — कानपुर नगर
318. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री — कासगंज
319. सत्य प्रकाश अग्रवाल ''कैलाश डेरी वाले'', श्री — मेरठ
320. सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी उर्फ गुड्डू बाबू, डा0 — देवरिया
321. सत्यवीर त्यागी, श्री — मेरठ
322. सन्त प्रसाद, श्री — गोरखपुर
323. सरोज सोनकर, श्रीमती — बहराइच
324. सरिता भदौरिया, श्रीमती — इटावा
325. सहेन्द्र सिंह चौहान, श्री — बागपत
326. साकेन्द्र प्रताप वर्मा, श्री — बाराबंकी
327. साधना सिंह, श्रीमती — चन्दौली
328. सावित्री कठेरिया, श्रीमती — इटावा
329. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री — इलाहाबाद
330. सीताराम वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
331. सुचि, श्रीमती — बिजनौर
332. सुनीता, श्रीमती — गाजीपुर
333. सुनील कुमार शर्मा, श्री — गाजियाबाद
334. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर — फर्रुखाबाद
335. सुनील वर्मा, श्री — सीतापुर
336. सुभाष त्रिपाठी एडवोकेट, श्री — बहराइच
337. सुभाष राय, श्री — अम्बेडकरनगर
338. सुरेन्द्र नाथ सिंह, श्री — बलिया
339. सुरेन्द्र नारायण सिंह, श्री — वाराणसी
340. सुरेन्द्र मैथानी, श्री — कानपुर नगर
341. सुरेश कुमार, श्री — शामली
342. सुरेश कुमार, श्री — अमेठी
343. सुरेश कुमार खन्ना, श्री — शाहजहाँपुर
344. सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री — लखनऊ
345. सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री — लखनऊ
346. सुरेश तिवारी, श्री — देवरिया
347. सुरेश राही, श्री — सीतापुर
348. सुरेश्वर सिंह, श्री — बहराइच
349. सुशान्त सिंह, कुं0 — बिजनौर
350. सुशील कुमार शाक्य, श्री — फर्रुखाबाद
351. सुषमा पटेल, श्रीमती — जौनपुर
352. सूर्य प्रताप शाही, श्री — देवरिया
353. सूर्यभान सिंह, श्री — सुल्तानपुर
354. सोमेन्द्र तोमर, डॉ0 — मेरठ
355. सोवरन सिंह यादव, श्री — मैनपूरी
356. सोहिल अख्तर अंसारी, श्री — कानपुर नगर
357. सौरभ श्रीवास्तव, श्री — वाराणसी
358. सौरभ सिंह, श्री — खीरी
359. स्वाती सिंह, श्रीमती — लखनऊ
360. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री — कुशीनगर
361. हरगोविन्द भार्गव, डॉ0 — सीतापुर
362. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री — खीरी
363. हरिशंकर माहौर, श्री — हाथरस
364. हरीराम, श्री — सोनभद्र
365. हरेन्द्र प्रसाद सिंह, डॉ0 — जौनपुर
366. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री — इलाहाबाद
367. हाकिम लाल बिन्द, श्री — इलाहाबाद
368. हेमलता दिवाकर कुशवाहा, श्रीमती — आगरा
369. हृदय नारायण दीक्षित, श्री — उन्नाव

नोट :- मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ), उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य) तथा जल शक्ति मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह) भी सदन में उपस्थित थे।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण स्थान ग्रहण करें।

[11:00 बजे] वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण

श्री अध्यक्ष-

अब मा0 वित्त मंत्री जी वित्तीय वर्ष 2021-2022 के आय-व्ययक को प्रस्तुत करेंगे।

(मेजों की थपथपाहट के बीच)

वित्त, संसदीय कार्य एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय योगी जी की सरकार में कई फैसले ऐतिहासिक हुए। माननीय योगी जी की प्रेरणा से और आप सभी के आशीर्वाद से मान्यवर, आज यह पेपरलेस बजट वर्ष 2021-22 के लिए मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह एक ऐतिहासिक फैसला है और मैं समझता हूँ कि इस सरकार ने एक इतिहास बनाया है। यह भी इतिहास की श्रृंखला में एक कदम जुड़ेगा। इस पर मैं आप सभी की सद्भावनाएं और आशीर्वाद चाहता हूँ।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों पर मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपकी अनुमति से मैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट प्रस्तुत करता हूँ। मान्यवर, वर्ष 2020 पूरे विश्व के लिए एक अत्यन्त चुनौती भरा वर्ष रहा है।

विश्व के महाशक्ति कहे जाने वाले देशों की चिकित्सा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था कोविड-19 वैश्विक महामारी के समक्ष असहाय दिखी। भय, मृत्यु और लाचारी के उस अंधकार भरे काल में भारत के नेतृत्व और भारत की जनता ने पूरे विश्व के समक्ष अनुशासन, संयम और कर्मठता का अप्रतिम उदाहरण प्रस्तुत किया।

भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और मार्गदर्शन में जनप्रतिनिधियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मियों, पुलिस बल, सरकारी कर्मचारियों और जनसामान्य ने कोविड-19 की विभीषिका के समक्ष जिस एकजुटता और जुझारूपन का परिचय दिया, उसका वर्णन शब्दों में किया जाना सम्भव नहीं है।

यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है।

हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है।।

हमारे प्रदेश का चिकित्सा तंत्र, पुलिस कर्मी, परिवहन सेवायें, खाद्य एवं आपूर्ति सेवायें तथा अन्य सरकारी कर्मी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में इस महामारी को परास्त करने के लिये डटे रहे। संक्रमण की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्षरशः अनुपालन कराया गया।

देश की आबादी का छठा हिस्सा उत्तर प्रदेश राज्य में निवास करता है। ऐसी स्थिति में प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने की चुनौती और भी अधिक हो जाती है। प्रदेश सरकार ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुये देशव्यापी लॉकडाउन से पूर्व ही महामारी की रोकथाम एवं जरूरतमन्दों को सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्रयासों पर विचार करने हेतु मार्च, 2020 में माननीय मंत्रि-परिषद् की एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति द्वारा सम्भावित परिस्थितियों का आंकलन करते हुये जरूरतमन्दों को सहायता उपलब्ध कराये जाने की वृहद् कार्य योजना सहित अपनी रिपोर्ट लॉकडाउन से पूर्व ही प्रस्तुत कर दी गई।

कार्य योजना को मूर्त रूप प्रदान करते हुये **राज्य के श्रम विभाग में पंजीकृत लगभग 20 लाख श्रमिकों** को प्रति श्रमिक 01-01 हजार रुपये की दर से **भरण-पोषण सहायता** की दो किस्तें उपलब्ध करायी गयीं। साथ ही, शहरों में स्ट्रीट वेन्डर्स, ठेला, खोमचा, साप्ताहिक बाजार आदि के दिहाड़ी मजदूरों, कुली, पल्लेदारों का डेटाबेस तत्परता से तैयार करते हुये इन्हें भी **भरण-पोषण सहायता** समान दर पर प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, **ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से असहाय व्यक्तियों** को चिन्हित कर प्रति व्यक्ति 1000 रुपये की धनराशि भरण-पोषण सहायता के रूप में उपलब्ध करायी गयी। इसी दौरान अन्य प्रदेशों से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को मनरेगा से जोड़कर सहायता प्रदान की गयी। **कुल 54 लाख से अधिक व्यक्तियों को भरण-पोषण सहायता प्रदान की गयी।**

प्रदेश के निर्धन वर्ग के लिये **निःशुल्क राशन** की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की गयी। **मनरेगा कार्ड धारकों** को भी **निःशुल्क राशन** उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था की गयी। **पहली बार शहरी क्षेत्रों के दिहाड़ी मजदूरों के लिये** इस अवधि में लगभग 10 लाख 35 हजार नये राशन कार्ड बनाये गये।

प्रदेश के असहाय व्यक्तियों को दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन की किस्तें एडवांस में वितरित की गयीं।

कोरोना के दृष्टिगत प्रदेश में मनरेगा योजना से श्रमिकों को जोड़ते हुये उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया गया। योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 29 करोड़ 58 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। प्रदेश में वर्ष भर में 1.03 करोड़ श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया जो प्रदेश में सर्वाधिक है।

देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में परिवहन निगम द्वारा आपातकालीन संचालन कर लगभग 40 लाख प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह जनपदों तक भेजा गया। राजस्थान के जनपद कोटा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे 12 हजार से अधिक छात्र/छात्राओं तथा जनपद प्रयागराज में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे लगभग 14 हजार छात्र/छात्राओं को सकुशल उनके गृह जनपदों तक पहुँचाया गया।

कोरोना महामारी की रोकथाम एवं आम जनता को सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की 11 सदस्यीय टीम-11 का गठन किया गया जिसके द्वारा की गयी कार्यवाही की समीक्षा प्रतिदिन माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा स्वयं की जाती है। यह बैठकें अभी भी आयोजित की जा रही हैं।

मैं, इस सम्मानित सदन की ओर से अपने देश और प्रदेश के कर्मठ कोरोना योद्धाओं को नमन करता हूँ।

हार हो जाती है, जब मान लिया जाता है।

जीत तब होती है, जब ठान लिया जाता है।।

मान्यवर, यह अत्यन्त हर्ष और संतोष का विषय है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्सीन अपेक्षाकृत रूप से कम समय में तैयार कर ली। उत्तर प्रदेश में वैक्सीन के लिये कोल्ड चेन की व्यवस्था की जा चुकी है। टीकाकरण अभियान प्रारम्भ हो चुका है। आइये हम सब मिलकर इस महाभियान को सफल बनायें।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जाँच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र में 125 लैब तथा निजी क्षेत्र में 104 लैब क्रियाशील हैं। कोविड-19 टेस्टिंग क्षमता शून्य से बढ़ाकर 02 लाख प्रतिदिन की गई। कोरोना संक्रमण के मरीजों के लिये 1.50 लाख बेड एवं प्रत्येक जनपदों में आई0सी0यू0 बेडों की व्यवस्था करायी गई है।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिये पूरे देश में एक लम्बे समय तक लॉकडाउन रहा। इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हमारी राजस्व प्राप्तियाँ प्रभावित हुयीं। फिर भी, माननीय मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में हमने प्रदेश में प्रभावी वित्तीय अनुशासन लागू किया। जनता को सुविधायें एवं राहत पहुँचाने के लिये धनराशि में कमी नहीं होने दी गयी, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन का भुगतान निर्बाध बना रहा।

हमारे प्रयासों का सार्थक परिणाम है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था पुनः गति पकड़ रही है।

मान्यवर, हमारी सरकार **किसानों** के उत्थान तथा उनकी आय दोगुना किये जाने के लक्ष्य के प्रति संकल्पित है। किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दो गुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिये अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 से **आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना** क्रियान्वित की जायेगी। प्रदेश के ऐसे किसान जिनकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, के परिवारों को **मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** के अन्तर्गत 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का आच्छादन बढ़ाते हुये खातेदार एवं सहखातेदार किसानों के परिवारों के कमाऊ सदस्य तथा ऐसे भूमिहीन व्यक्ति जो पट्टे से प्राप्त भूमि पर अथवा बटाई पर खेती करते हैं, को भी पात्रता की

श्रेणी में रखा गया है। **मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना** का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा।

मानव सम्पदा के विकास के लिये आवश्यक है कि प्रदेश की **महिलाओं का सर्वांगीण उत्थान** सुनिश्चित किया जाये। **हर बालिका को स्कूली शिक्षा** हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। **कन्या सुमंगला योजना** इस क्रम में अहम भूमिका निभा रही है। **मिशन शक्ति** दृढ़तापूर्वक लागू किया जायेगा जिसके परिणामस्वरूप प्रदेश की **हर महिला को सुरक्षा** उपलब्ध होगी। पूर्व संचालित पोषण कार्यक्रम के साथ-साथ **मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना** वित्तीय वर्ष 2021-2022 से क्रियान्वित की जायेगी, जिसके माध्यम से महिलाओं एवं बच्चों को बेहतर पोषण उपलब्ध हो सकेगा। हमारी सरकार का लक्ष्य **हर बच्चे को सुपोषण** उपलब्ध कराना है। ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि एवं संवर्धन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 से **महिला सामर्थ्य योजना** के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी।

प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये जो प्रयास किये गये हैं उनसे अब **उद्यमियों द्वारा प्रदेश में उद्यम लगाना सरल** हो गया है। राज्य सरकार ने कोरोना महामारी कालखण्ड के उपरान्त पिछड़े क्षेत्रों के लिये **त्वरित निवेश प्रोत्साहन नीति-2020** घोषित की। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पूर्वांचल, मध्यांचल और बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में नई औद्योगिक इकाइयों को फास्ट ट्रैक मोड में आकर्षक प्रोत्साहन प्रदान किये जा रहे हैं। कोविड-19 के कारण इन्हीं क्षेत्रों में अधिकतर प्रवासी मजदूरों व कामगारों की वापसी हुई है।

पिछली सरकारों के कार्यकाल में प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों पर सरकारी क्षेत्र की बड़े मूल्य की परिसम्पत्तियाँ निष्प्रयोज्य हो गयीं। हमारी सरकार ने इस स्थिति का संज्ञान लेते हुये ऐसी निष्प्रयोज्य समझी जाने वाली परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पी0पी0पी0 मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु सम्प्रति **उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी** की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों का जीर्णोद्धार किया जायेगा।

प्रदेश के **युवाओं** को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना **"मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना"** प्रारम्भ की गयी है।

हमारी सरकार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गयी है जिसके फलस्वरूप प्रदेश में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है और जनसामान्य में सुरक्षा की भावना बलवती हुयी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिये व्यापक कार्यक्रम चलाये गये हैं। प्रदेश को अपराधियों, गुण्डों और आतताइयों से मुक्त किये जाने का हमारा दृढ़ संकल्प है। हमारा यह संकल्प है कि **हर जुल्मी जेल की सलाखों के पीछे** होगा। हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि **महान क्रान्तिकारी एवं शहीद ठाकुर रोशन सिंह** के बलिदान की पुनीत स्मृति में प्रदेश के प्रत्येक जनपद में **पुलिस आवासों का नामकरण** उनके नाम पर किया जायेगा।

जनसाधारण के जीवन स्तर में सुधार लाये जाने की दिशा में हमारी सरकार अनवरत् कार्य कर रही है। प्रदेश में **"ईज ऑफ लिविंग"** का लक्ष्य प्राप्त किया जाना हमारे विभिन्न कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु है। **हर घर जल, हर घर बिजली, हर गाँव में सड़क, हर क्षेत्र में बैंकिंग** सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

प्रदेश के सभी जनपदों में प्रत्येक परिवार को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने हेतु **वित्तीय समावेशन कार्यक्रम** तथा **प्रधानमंत्री जन धन योजना** के अन्तर्गत दिनाँक 31 जनवरी, 2021 तक 07 करोड़ 02 लाख बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा 05 करोड़ 12 लाख खातों के रुपे डेबिट कार्ड निर्गत किये जा चुके हैं। वर्तमान में **प्रदेश के सभी जनपदों में 19,038 बैंक शाखाओं एवं 64,172 बैंक मित्रों, इस प्रकार कुल 83,210 बैंकिंग केन्द्रों के माध्यम से बैंकिंग सेवायें प्रदान की जा रही हैं**। इसके अतिरिक्त, प्रदेश की समस्त 58,000 पंचायतों में **बिजनेस करेस्पॉण्डेण्ट सखी** को चयनित एवं प्रशिक्षित कर तैनात करने की योजना चलायी जा रही है।

मान्यवर, हमारी सरकार का वित्तीय वर्ष **2017-2018 का बजट "किसानों"** को, **2018-2019 का बजट "औद्योगिक विकास"** को, **2019-2020 का बजट "महिलाओं के सशक्तिकरण"** को तथा **2020-2021 का बजट "युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अवस्थापना तथा त्वरित न्याय"** को समर्पित था। वित्तीय वर्ष **2021-2022 के बजट का केन्द्र बिन्दु प्रदेश के समग्र एवं समावेशी विकास द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गो का "स्वावलम्बन से सशक्तिकरण"** है।

आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश

भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा देश के चहुमुखी विकास हेतु आत्मनिर्भर भारत का जो विजन दिया गया है, उसे मूर्तरूप देने में उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान होगा। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार **आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश** के विकास मंत्र पर कार्य कर रही है। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की अवधारणा के चार स्तम्भ होंगे-अवस्थापना विकास, जनस्वास्थ्य, मानव सम्पदा एवं सामाजिक-सांस्कृतिक विकास तथा कृषि एवं सम्बद्ध क्रिया-कलापों का विकास।

हमारी सरकार प्रदेश में **जनस्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षा, स्वदेशी को बढ़ावा, स्वावलम्बन तथा शक्तिकरण** पर केन्द्रित योजनाओं और कार्यक्रमों को गति प्रदान करते हुये आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को प्राप्त करेगी।

हमारे इन प्रयासों का उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों को स्वरोजगार के अवसर एवं सुविधायें उपलब्ध कराते हुये उन्हें आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाया जाना है। मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से सभी माननीय सदस्यों का आह्वान करता हूँ कि आइये हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश को **"स्वस्थ, सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश"** बनायें।

हमारी सरकार प्रदेश के **किसानों, महिलाओं, युवाओं, उद्यमियों** तथा श्रमिकों की समस्याओं के प्रति जागरूक एवं संवेदनशील है। महिलाओं तथा युवाओं के लिए रोजगार तथा

स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, किसानों की आय को दोगुना करने और प्रदेश को उद्योगों एवं उद्यमियों के लिए आकर्षक निवेश गन्तव्य बनाने की दिशा में हमारी सरकार अपने कार्यकाल के प्रारम्भ से कार्य कर रही है। इसके सार्थक परिणाम सामने आये हैं।

सुरक्षित उत्तर प्रदेश

सभ्य समाज के सर्वांगीण विकास के लिये सुदृढ़ कानून व्यवस्था तथा समाज के सभी वर्गों में सुरक्षा की भावना का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी सरकार ने अपने कार्यकाल के प्रारम्भ से ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने के लिये विशेष अभियान चलाये हैं। कुख्यात अपराधियों, भू-माफियाओं तथा खनन माफियाओं आदि के विरुद्ध कठोर कार्रवाही की गयी है। महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु एन्टी रोमियो स्क्वाड का गठन कर अनवरत् अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस बल का आधुनिकीकरण हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में है।

- फोरेन्सिक साइंस, आचार विज्ञान, तकनीक और प्रबन्धन के क्षेत्र में अभिनव शिक्षा प्रशिक्षण में आवश्यक तकनीकों की विशेषज्ञता उत्पन्न करने एवं प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के उद्देश्य से लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस और फोरेन्सिक साइंस इन्स्टीट्यूट की स्थापना की गयी है।
- नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के दौरान प्रदेश में क्षतिग्रस्त राजकीय सम्पत्तियों की क्षति करने वाले दोषी व्यक्तियों से 23 लाख 36 हजार रुपये की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में की गयी।
- आपराधिक कृत्य से अर्जित की गयी सम्पत्तियों में से लगभग 1000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की अवैध सम्पत्तियों पर सरकारी जमीन अवमुक्त कराने/ध्वस्तीकरण/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी तथा इनके लगभग 150 से अधिक शस्त्र लाइसेन्स के निरस्तीकरण की कार्रवाई भी की गयी।
- प्रदेश में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और सुदृढ़ बनाये रखने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है जिस पर ससम्मान उनकी शिकायतों का निराकरण कराया जा रहा है।

मान्यवर, विभागवार प्रमुख योजनाओं का उल्लेख करने के पूर्व मैं किसानों, महिलाओं तथा युवाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण को समर्पित कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहूँगा-

किसान

किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त किये जाने हेतु किसानों को उन्नत तकनीक, प्रशिक्षण एवं मुफ्त पानी उपलब्ध कराया जा रहा है तथा उन्हें

सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रमों से आच्छादित किया गया है। हमने यह सुनिश्चित कराया है कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य समय से एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ डी0बी0टी0 के माध्यम से प्राप्त हो।

- हमारी सरकार द्वारा गन्ना किसानों को लगभग 1 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के रिकार्ड गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित कराया गया है।
- यह धनराशि पिछली सरकारों के 03 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 53,367 करोड़ रुपये से 69,633 करोड़ रुपये अधिक तथा 05 वर्षों के सम्मिलित गन्ना मूल्य भुगतान 95,215 करोड़ रुपये से 27,785 करोड़ रुपये अधिक है।
- **रबी विपणन वर्ष 2020-2021** की अवधि में कोविड-19 महामारी के अन्तर्गत देशव्यापी लॉकडाउन से उपजी विषम परिस्थितियों के बाद भी प्रदेश में 5896 गेहूँ क्रय केन्द्र स्थापित कर 35 लाख 76 हजार मीट्रिक टन गेहूँ क्रय किया गया, जिसके सापेक्ष **किसानों के खातों में 6885 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान** किया गया।
- **खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021** में मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत स्थापित 4453 क्रय केन्द्रों के माध्यम से 15 फरवरी, 2021 तक 65 लाख 50 हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीद की गई जिसके सापेक्ष **किसानों के खातों में 11,145 करोड़ रुपये का ऑनलाइन भुगतान** किया जा चुका है। प्रदेश में दिनाँक 28 फरवरी, 2021 तक धान खरीद होनी है।
- **खरीफ विपणन वर्ष 2020-2021** के अन्तर्गत दिनाँक 15 फरवरी, 2021 तक 108 मक्का क्रय केन्द्रों के माध्यम से 01 लाख 06 हजार मीट्रिक टन से अधिक मक्के की खरीद की जा चुकी है जिसके सापेक्ष 197 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
- **"प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि"** योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2 करोड़ 40 लाख किसानों को 27 हजार 123 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि का भुगतान डी0बी0टी0 के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में किया गया है।
- किसानों की आय को वर्ष 2022 तक दोगुना करने हेतु विभिन्न योजनाओं के बेहतर उपयोग के लिये अवस्थापना से संबंधित गैप्स को पूरा करने के लिये वित्तीय वर्ष 2021-2022 से **आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना** क्रियान्वित की जायेगी। योजना के मुख्य घटक होंगे-प्रदेश के प्रत्येक एग्रो क्लाईमेटिक जोन में अधिक उत्पादकता वाली फसलों का चिन्हीकरण, उत्पादकता कृषि हेतु नवीन तकनीक एवं निवेश को बढ़ावा, चयनित उत्पादों का मूल्य संवर्धन, विपणन हेतु बाजार तैयार किया

जाना तथा ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना** के अन्तर्गत 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- नहरों एवं सरकारी नलकूपों से **किसानों को मुफ्त पानी** की सुविधा हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कृषकों को प्रारम्भिक सहकारी कृषि ऋण समितियों के माध्यम से **रियायती दरों पर फसली ऋण** उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुदान के लिये 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **"प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभिया**न" योजना के अन्तर्गत खेतों में विभिन्न क्षमताओं के सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 15000 सोलर पम्पों की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

महिलाएं

प्रदेश की महिलाओं को स्वावलम्बी बनाते हुये उनका सशक्तिकरण किया जाना हमारी सरकार का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये महिलाओं को सुरक्षा प्रदान किया जाना, उन्हें शिक्षा, कौशल संवर्धन और रोजगार तथा स्वरोजगार के समुचित अवसर उपलब्ध कराया जाना हमारी प्राथमिकता है।

- महिला सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनाँक 01 अप्रैल, 2019 से मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना लागू की गयी है, जिसका मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के स्वास्थ्य एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देना एवं बालिका के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करना है। इसके अन्तर्गत पात्र बालिकाओं को 06 विभिन्न श्रेणियों में 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जा रही है। योजना हेतु 1,200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना की सफलता एवं जनसामान्य में योजना के प्रति उत्साह को देखते हुये योजना का आच्छादन बढ़ाये जाने का निर्णय लिया गया है।
- महिलाओं एवं बच्चों में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये एक नई योजना मुख्य मंत्री सक्षम सुपोषण योजना वित्तीय वर्ष 2021-2022 से क्रियान्वित की जायेगी। इस योजना के अन्तर्गत ड्राई राशन के साथ-साथ आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पंजींत 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रस्त 11-14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जायेगा। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **पुष्टाहार कार्यक्रम** हेतु 4094 करोड़ रुपये तथा **राष्ट्रीय पोषण अभियान** हेतु 415 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में महिला दुग्ध उत्पादकों के स्वयं सहायता समूहों की आजीविका में वृद्धि हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 से **महिला सामर्थ्य योजना** के नाम से एक नई योजना क्रियान्वित की जायेगी। इस हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- महिलाओं को न्यायालयों से गुजारा भत्ता प्राप्त होने तक के लिये राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया है।
- **"निराश्रित महिला पेंशन"** योजनान्तर्गत 500 रुपये प्रतिमाह का भुगतान लाभार्थियों के खाते में किया जा रहा है। उक्त अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना** के रूप में पात्र लाभार्थियों को नियमित पेंशन के साथ 500 रुपये प्रतिमाह की दर से 02 माह हेतु 1,000 रुपये की अतिरिक्त धनराशि भी प्रदान की गयी है।
- **महिला शक्ति केन्द्रों** की स्थापना हेतु 32 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ घटित होने वाले अपराधों के प्रभावी रोकथाम हेतु उ0प्र0 पुलिस द्वारा दिनाँक 1 नवम्बर, 2020 से 30 नवम्बर, 2020 तक विशेष अभियान **"मिशन शक्ति"** चलाया गया जिसके उत्साहवर्धक एवं सार्थक परिणाम परिलक्षित हुए हैं।
- महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलम्बन के लिये प्रत्येक तहसील पर **महिला हेल्प डेस्क** की स्थापना की गई है। इसके माध्यम से महिलाओं की शिकायतों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण किया जा रहा है जिसकी नियमित समीक्षा तहसीलदार, उप जिलाधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा की जा रही है।

युवाओं के लिए

हमारा यह मानना है कि युवा शक्ति एवं ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। हमने समाज के युवा वर्ग के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। प्रदेश के युवाओं के कौशल का संवर्धन हमारी प्राथमिकता है ताकि वे रोजगार के अवसरों का भरपूर उपयोग कर सकें। इस हेतु विद्यालयों में कनेक्टिविटी की उपलब्धता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया है। डिजिटल विलेज के विकास से ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध होगी जिससे वे शिक्षा एवं रोजगार के वैश्विक परिदृश्य से परिचित हो सकेंगे। मैं प्रदेश के युवाओं का आह्वान करते हुये कहना चाहूंगा-

जो होता है वो होने दो,
यह पौरुषहीन कथन है।
हम जो चाहेंगे वह होगा,
इन शब्दों में ही जीवन है।।

- प्रदेश के युवाओं को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के उद्देश्य से निःशुल्क कोचिंग की योजना **"मुख्य मंत्री अभ्युदय योजना"** प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के प्रति युवाओं में अत्यधिक उत्साह है। योजना के अन्तर्गत पात्रता के आधार पर छात्र एवं छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराये जायेंगे ताकि वे डिजिटल लर्निंग के माध्मय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। इस हेतु समुचित धनराशि की व्यवस्था कराई जायेगी।

- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों तथा राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा के विकास एवं सदृढ़ीकरण का निर्णय लिया गया है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को **गुरुकुल पद्धति** के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

- प्रदेश में **कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रमों** का आयोजन कर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उपलब्ध अवसरों तथा रोजगारपरक् प्रशिक्षण आदि की जानकारी प्रदान की जाती है ताकि उन्हें अपने कौशल एवं योग्यता के अनुसार रोजगार प्राप्त करने में सहूलियत हो। **अक्टूबर, 2020 तक वर्तमान वित्तीय वर्ष में ऐसे 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया** जिनमें 52,000 से अधिक युवाओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- **नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट** के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये गये हैं। प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेन्टर स्थापित किये जाने की योजना है।

- **उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन** द्वारा विगत 04 वर्षों में 07 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है तथा 03 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है।

- **युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन योजना** के लिये 8.55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को खेलकूद के बेहतर अवसर प्रदान किये जाने हेतु **ग्रामीण स्टेडियम** एवं ओपेन जिम के निर्माण हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

जनपद मेरठ में नये स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के 19 जनपदों में 16 खेलों के लिये 44 आवासीय छात्रावास स्थापित हैं जिनमें 220 बालिकायें एवं 670 बालकों हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था है। इन प्रशिक्षार्थियों को खेल के साथ-साथ स्थानीय विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर शिक्षा की सुविधा भी प्रदान की जाती है।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रोत्साहन हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **प्रान्तीय रक्षक दल कोष** की धनराशि में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है जिससे प्रान्तीय रक्षक दल के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में वृद्धि होगी।
- **युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक सहायता** प्रदान किये जाने हेतु कॉर्पस फण्ड में 5 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में **अधिवक्ता चैम्बर** का निर्माण एवं उनमें अन्य अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 20 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **युवा अधिवक्ताओं के लिये पुस्तक एवं पत्रिका** आदि के क्रय करने हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

श्रमिक कल्याण

श्रमशक्ति किसी भी क्षेत्र में हमारे लक्ष्य प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। अतः श्रमिकों का कल्याण एवं संरक्षण अत्यावश्यक है। हमारा यह मानना है कि-

एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है।
शर्त यह है कि सलीके से संवारा जाये।।

- कोरोना महामारी के कारण देश में लागू लॉकडाउन के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों से वापस आये प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक नयी योजना **"मुख्य मंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना"** लाई जा रही है। योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **मुख्य मंत्री दुर्घटना बीमा योजना** प्रारम्भ की जा रही है जिसके लिये 12 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सुलभ चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के उद्देश्य से **मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना** का प्रारम्भ किया जा रहा है जिसके लिये 100 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **महिला श्रमिकों** को विभिन्न रोजगारों में समान अवसरों में वृद्धि, कार्य की वृद्धि, कार्य के घण्टे व पुरुषों के समान पारिश्रमिक दिलाये जाने के लिए एक **सलाहकार समिति** का गठन किया गया है।

- पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा हेतु प्रदेश के 18 मण्डलों में एक-एक **अटल आवासीय विद्यालय** की स्थापना की जा रही है जिसमें कक्षा 6 से 12 तक निःशुल्क गुणवत्तापरक् एवं उद्देश्यपरक् आवासीय शिक्षा प्रदान की जायेगी। योजना हेतु 270 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कामगारों/श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा तथा सर्वांगीण विकास के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु **उत्तर प्रदेश कामगार एवं श्रमिक (सेवायोजन एवं रोजगार) आयोग** का गठन किया गया है।

गौवंश संरक्षण एवं निराश्रित पशुओं की देखभाल

- गौवंश संरक्षण एवं बेसहारा पशुओं के भरण-पोषण हेतु प्रदेश में 5206 गौ-आश्रय स्थलों का संचालन किया जा रहा है जिनमें संरक्षित गौवंश की संख्या 5 लाख 58 हजार है।

- ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अस्थायी गौवंश आश्रय स्थलों की संख्या 4487 है। प्रदेश के निराश्रित गौवंश हेतु 187 वृहद् गौ-संरक्षण केन्द्र तथा गौवंश वन्य विहार का निर्माण कराया जाना लक्षित है जिसके सापेक्ष 118 केन्द्रों का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है।

- मुख्य मंत्री निराश्रित एवं **बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना** के अन्तर्गत 74 हजार से अधिक गौवंश इच्छुक गौपालकों की सुपुर्दगी में दिये गये हैं।

- प्रदेश की सभी **न्याय पंचायतों में गौ-आश्रय स्थलों का विकास** किये जाने की योजना है। इस हेतु स्थानीय सहभागिता तथा स्वैच्छिक संगठनों की सहभागिता भी प्राप्त की जायेगी। ब्रीड इम्प्रूवमेन्ट के कार्यक्रम को भी मजबूती से आगे बढ़ाया जायेगा।

- नगर विकास विभाग, नियोजन विभाग, पंचायती राज विभाग द्वारा आवश्यक सहयोग एवं **मण्डी परिषद् की वार्षिक आय की प्राप्तियों से 03 प्रतिशत धनराशि** भी **गौवंश को आश्रय** प्रदान करने वाली संस्थाओं को भी दिया जा रहा है।

- **बुन्देखण्ड क्षेत्र में निराश्रित गौवंश** की समस्या के निराकरण हेतु बुन्देलखण्ड के प्रत्येक जनपद में 05-05 गौ-आश्रय केन्द्र स्थापित हैं। प्रदेश में पहली बार गौशालाओं का ऑन लाइन पंजीकरण किया जा रहा है। अद्यतन 545 गौशालाएं पंजीकृत हैं।

- प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जनपद वाराणसी में **गोकुल ग्राम** की स्थापना की गयी है।
- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि 200 करोड़ रुपये के अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये निराश्रित पशुओं के भरण-पोषण हेतु निर्गत की गयी है। इसके अतिरिक्त 148 करोड़ रुपये आश्रय स्थलों के निर्माण हेतु प्राविधानित है।

जनस्वास्थ्य

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

प्रदेश के हर व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा सुविधा सुलभ कराने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। वायरस जनित संक्रामक रोगों के निदान एवं उपचार की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि रिकॉर्ड टाइम में की गई है।

- प्रदेश में कोविड–19 की रोकथाम एवं संक्रमण को रोकने हेतु युद्ध स्तर पर कार्यवाही की गयी है। प्रदेश में दिनाँक 20 फरवरी, 2021 तक 06 लाख 03 हजार कोरोना संक्रमित रोगी चिन्हित हुए जिनमें से 05 लाख 91 हजार कोविड-19 पॉजिटिव रोगी ठीक हुये हैं। उत्तर प्रदेश में रिकवरी दर 98 प्रतिशत है।
- प्रदेश के **समस्त जनपदों में डेडिकेटेड लेवल-2 उपचार केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है** जहाँ आवश्यकतानुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों का वेन्टीलेटर एवं एच0एफ0एन0सी0 सुविधा के साथ उपचार किया जा रहा है।
- **कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना** के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन** हेतु 5395 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **आयुष्मान भारत योजना** के लिये 1300 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **आयुष्मान भारत-मुख्य मंत्री जन आरोग्य योजना** हेतु 142 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना** के लिये 320 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिये **डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढाँचा सृजित** किये जाने हेतु 1073 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केन्द्रों** हेतु 425 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली** के सुदृढ़ीकरण के लिये 54 करोड़ रुपये तथा **प्रदेश** के 12 मण्डलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं एवं मण्डलीय कार्यालयों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना** हेतु 77 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

चिकित्सा शिक्षा

प्रदेश में उच्च कोटि की गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा का विकास किये जाने की दिशा में हमारी सरकार द्वारा उल्लेखनीय प्रगति की गई है। जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेजों से उच्चीकृत किया जा रहा है। प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करायी जा रही है। हमारा लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी मरीज इलाज के लिये प्रदेश से बाहर जाने के लिये विवश न हो। सभी प्रकार का इलाज प्रदेश में उपलब्ध हो।

- **प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना** के अन्तर्गत **संजय गाँधी पी0जी0आई0, लखनऊ में लेवल-3 की बायो सेफ्टी लैब** की स्थापना की जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश के 45 जनपदों में राजकीय मेडिकल कॉलेजों, संस्थानों तथा चिकित्सा विश्वविद्यालयों में **क्रिटिकल केयर हास्पिटल ब्लॉक** की भी स्थापना की जायेगी।
- वर्ष 2017 तक मात्र 15 जिलों में राजकीय मेडिकल कालेज/संस्थान संचालित थे। इसके अतिरिक्त 30 अन्य जिलों में मेडिकल कालेज/संस्थान का निर्माण कार्य प्रगति पर है।
- वर्ष 2017 से सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 07 नये मेडिकल कॉलेज क्रियाशील किये गये हैं। 09 मेडिकल कालेजों का निर्माण प्रगति पर है जिनमें शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया जाना है।
- प्रदेश में 13 जनपदों-बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर-खीरी, चन्दौली, बुलन्दशहर, सोनभद्र, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात तथा कौशाम्बी में निर्माणाधीन नये मेडिकल कॉलेजों के लिये 1950 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 16 असेवित जनपदों में **पी0पी0पी0 मोड में मेडिकल कॉलेज** संचालित कराये जाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। योजना हेतु 48 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन** के लिये 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **एटा, हरदोई, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर एवं मीरजापुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों** में जुलाई, 2021 से शिक्षण सत्र प्रारम्भ किये जाने का लक्ष्य है इन मेडिकल कॉलेजों हेतु 960 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **अमेठी एवं बलरामपुर में नये मेडिकल कॉलेज** की स्थापना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मा0 अटल बिहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ** की स्थापना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश की निर्धन आबादी की **असाध्य रोगों की चिकित्सा** सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश में उकृष्ट चिकित्सा शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य में **02 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) क्रमशः गोरखपुर एवं रायबरेली** में स्थापित कर आउटडोर सेवायें प्रारम्भ की जा चुकी हैं तथा शैक्षणिक सत्र 2019-2020 में एम्स, गोरखपुर में 100 छात्र तथा एम्स, रायबरेली में 100 छात्रों को प्रवेश एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम का पठन-पाठन भी प्रारम्भ कर दिया गया है।
- के0जी0एम0यू0 के अधीन लखनऊ में **इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एण्ड इन्फेक्शंस डिजीजेज** के अन्तर्गत बायो सेफ्टी लेवल-4 लैब की स्थापना लक्षित है, जो उत्तर भारत में अग्रणी लैब होगी।
- के0जी0एम0यू0, लखनऊ, राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज तथा राजकीय मेडिकल कॉलेज, मेरठ में **डायबिटिक रेटिनोपैथी** उपचार सेन्टर की स्थापना करायी जायेगी।
- प्रदेश में डायबिटीज रोगियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुये एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में उन्नत **मधुमेह केन्द्र** की स्थापना कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

आयुष

उत्तर प्रदेश सरकार आयुष विभाग के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं शहरी जनता को आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाने हेतु सतत् जागरूक एवं प्रयासरत है एवं इसी दिशा में वर्तमान सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर उक्त चिकित्सा पद्धतियों को विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है।

- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में वर्तमान में 2104 आयुर्वेदिक, 254 यूनानी एवं 1576 होम्योपैथिक चिकित्सालयों के साथ ही 8 आयुर्वेदिक कॉलेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय, 02 यूनानी कालेज एवं उससे सम्बद्ध चिकित्सालय तथा 09 होम्योपैथिक कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय हैं।

- आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों में प्रमाणित एवं गुणकारी औषधियों की आपूर्ति की व्यवस्था हेतु प्रदेश में 02 राजकीय औषधि निर्माणशालाएं लखनऊ एवं पीलीभीत में कार्यरत हैं, जिनको सुदृढ़ करते हुये उत्पादन क्षमता में वृद्धि किये जाने का लक्ष्य है।

स्वच्छता

स्वच्छता सभ्य, शिष्ट एवं स्वस्थ सामाजिक जीवन का आधार है। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिये गये स्वच्छ भारत के विजन के अनुरूप हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्वच्छता के सभी आयामों पर निरन्तर कार्य किया गया है। इसमें व्यक्तिगत एवं सामुदायिक जल प्रवाहित शौचालयों का निर्माण, सीवरेज एवं जल निकासी, सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ-साथ ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ पाइप पेयजल की व्यवस्था सम्मिलित है।

- गाँवों में पाइप पेयजल की आपूर्ति की व्यवस्था **जल जीवन मिशन (ग्रामीण)** के अन्तर्गत करायी जा रही है। जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य वर्ष 2024 तक सभी घरों तक जल संयोजन पहुँचाना है। योजना हेतु 15,000 करोड़ की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- केंद्र सरकार द्वारा **वित्तीय वर्ष 2021-2022 से जल जीवन मिशन (शहरी)** प्रारम्भ की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत **शहरी स्थानीय निकायों में घरेलू नल कनेक्शन के साथ सर्व सुलभ जल आपूर्ति और अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था** की जायेगी। इस योजना की अवधि 05 वर्ष रखी गयी है। केंद्र सरकार की इस योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के 734 नगर निकायों में सर्व सुलभ जल आपूर्ति एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य कराये जायेंगे। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश के **जे0ई0/ए0ई0एस0 प्रभावित बस्ती एवं गोरखपुर मण्डल तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बांदा एवं चित्रकूट मण्डल** के सरकारी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु **मुख्य मंत्री आर0ओ0 पेयजल योजना** संचालित है। इस योजना के अन्तर्गत 14 जनपदों में 28 हजार से अधिक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 25-25 लीटर भण्डारण क्षमता के संयंत्र स्थापित किये जा रहे हैं। योजना हेतु 22 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-2022 में 12 लाख 13 हजार व्यक्तिगत शौचालय तथा 98 हजार सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु 2031 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)** हेतु 1400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

- प्रदेश के 651 नगरीय निकाय क्यू0सी0आई0 से प्रमाणित ओ0डी0एफ0 हैं। व्यक्तिगत शौचालयों के लिये निर्धारित लक्ष्य 8 लाख 88 हजार को शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया गया है।

- प्रदेश के नगरीय निकायों द्वारा 11,909 वार्डों में डोर-टु-डोर अपशिष्ट संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण में सतत् रूप से रैंकिंग में सुधार के साथ वर्ष 2020 में प्रदेश पूरे देश में 7वें स्थान पर है।

- **नगरीय सीवरेज एवं जल निकासी** की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना

- ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं रोजगार सृजन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। **ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग** में पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश पूरे देश में द्वितीय स्थान पर आ गया है।

- राज्य सरकार की सुनियोजित शासन प्रणाली तथा वर्ष 2017 में औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति की घोषणा के साथ-साथ 20 क्षेत्र विशिष्ट नीतियों के क्रियान्वयन से प्रदेश में उद्यमशीलता, नवाचार तथा मेक-इन-यूपी को बढ़ावा मिला है। इनमें फार्मास्युटिकल, रक्षा एवं एयरोस्पेस, सौर ऊर्जा खाद्य-प्रसंस्करण, दुग्ध विकास, लॉजिस्टिक्स, जैव ईंधन आदि क्षेत्र सम्मिलित हैं।

- पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के निर्माण का कार्य निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवम्बर, 2020 तक 65 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना समय से पूर्ण की जायेगी। परियोजना हेतु 1107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवम्बर, 2020 तक 26 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना के लिये 1492 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गोखरपुर लिंक एक्सप्रेस-वे निर्माण की प्रगति निर्धारित लक्ष्य के अनुसार गतिमान है। माह नवम्बर, 2020 तक 5 प्रतिशत से अधिक प्रगति प्राप्त कर ली गयी है। परियोजना हेतु 860 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही प्रगतिमान है। निर्माण कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जायेगा। गंगा एक्सप्रेस-वे पूर्णतः नियंत्रित (06 लेन एक्सपेण्डेबल टु 08 लेन) एक्सप्रेस-वे की कुल लम्बाई 594 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिये

भूमि ग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

लोक निर्माण

- प्रदेश की प्रगति के लिये अच्छी सडकों का होना अत्यन्त आवश्यक है। हमारी सरकार द्वारा इस हेतु प्रदेश में राजमार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये गये हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिये लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों और सेतुओं के निर्माण हेतु 12,441 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सड़कों और सेतुओं के अनुरक्षण हेतु 4,135 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ग्रामों एवं बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत 695 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 440 करोड़ रुपये तथा एशियन डेवलपमेन्ट बैंक सहायतित उ0प्र0 मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 208 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण हेतु 1192 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

विशेष क्षेत्र कार्यक्रम

- पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिये **300** करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं हेतु **210** करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

सिंचाई एवं जल संसाधन

- कृषि उत्पादों में वृद्धि के लिये वर्ष पर्यन्त समुचित सिंचाई सुविधा का उपलब्ध रहना आवश्यक है। लम्बे समय से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भारत सरकार के सहयोग से पूरा करने के साथ ही राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से निरन्तर सिंचन क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है।
- प्रदेश में नहर प्रणालियों, राजकीय नलकूपों, पम्प नहरों, लघु डाल नहरों एवं जलाशयों से लगभग 98 लाख 88 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।
- हमारी सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में 11 परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं यथा-बाण सागर नहर परियोजना, पहाड़ी बाँध परियोजना, जमरार बाँध परियोजना, पहुँज बाँध

पुनरोद्धार परियोजना, गण्टा बाँध रेस्टोरेशन/रिनोवेशन ऑफ एलाइड वर्क परियोजना, पं0 दीनदयाल उपाध्याय पथरई बाँध परियोजना, लहचुरा बाँध परियोजना, मौदहा बाँध नहर प्रणाली की क्षमता की पुनर्स्थापना, रसिन बाँध परियोजना, लोअर राजघाट कैनाल के 20 से 30 किलोमीटर तक का नवीनीकरण कार्य तथा जाखलौन पम्प नहर के हेड रीच पर 2.50 मेगावॉट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना की परियोजना।

इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के उपरान्त 2 लाख 21 हजार हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित हुई, जिससे प्रदेश में 2 लाख 33 हजार किसान लाभान्वित हुये।

- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 09 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य है यथा-अर्जुन सहायक परियोजना, सरयू नहर परियोजना, उ0प्र0 वॉटर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना, उमरहठ पम्प नहर परियोजना, लखेरी बाँध परियोजना, भवानी बाँध परियोजना, रतौली वीयर परियोजना, साखलौन पम्प कैनाल टॉप पर 3.42 मेगावॉट क्षमता की सोलर पावर प्लाण्ट की स्थापना तथा बण्डई बाँध परियोजना।

  इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से 16 लाख 41 हजार हेक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित होगी तथा 40 लाख 48 हजार कृषक लाभान्वित होंगे।

- वर्ष 2021-2022 में 08 परियोजनाओं को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।
- मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़ रुपये, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ रुपये, सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़ रुपये, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ रुपये तथा केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

नागरिक उड्डयन

- राज्य सरकार की "उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति" के अन्तर्गत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ-साथ नॉन-रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों के लिये प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकार की इस नीति के परिणामस्वरूप विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स की संख्या 4 से बढ़कर 7 हो गई है।
- जनपद अयोध्या में निर्माणाधीन एयरपोर्ट का नाम **मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हवाई अड्डा अयोध्या** होगा। इस हेतु 101 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- जेवर में निर्माणाधीन एयरपोर्ट में हवाई पट्टियों की संख्या 02 से बढ़ाकर 06 करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। यह एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। परियोजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कुशीनगर एयरपोर्ट को केन्द्र सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित किया गया है। इस प्रकार राज्य में शीघ्र ही 4 अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर व गौतमबुद्धनगर में होंगे।

- भारत सरकार की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम (उड़ान योजना) के अन्तर्गत प्रदेश के अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट तथा सोनभद्र (म्योरपुर) स्थित हवाई पट्टी हवाई सेवा हेतु चयनित हुए हैं। अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद व श्रावस्ती एयरपोर्ट का विकास लगभग पूर्ण हो गया है तथा चित्रकूट तथा सोनभद्र एयरपोर्ट मार्च, 2021 तक पूर्ण हो जायेंगे।

ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा

- प्रदेश की जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिये तथा सुदूर इलाके तक उपभोक्ताओं को विद्युत संयोजन उपलब्ध कराने, विशेषकर किसानों को सिंचाई हेतु विद्युत की उपलब्धता तथा ग्रामीण उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के संकल्पों के प्रति प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

- उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये विद्युत संयोजन सम्बन्धी सभी सेवायें प्राप्त करने के लिये वेब आधारित केन्द्रीकृत प्रणाली का क्रियान्वयन कराया जा रहा है। इस प्रणाली में उपभोक्ता विभिन्न सेवायें ऑनलाइन प्राप्त कर सकता है।

- बिलिंग प्रणाली में सुधार करते हुये प्रोब के माध्यम से बिलिंग कराई जा रही है। इसमें बिलों को डाउन लोड किया जा सकता है। इस व्यवस्था में रीडिंग गलत होने या मनमानी रीडिंग होने की सम्भावना शून्य हो जाती है।

- 03 वर्षों में सौभाग्य एवं अन्य योजनाओं में प्रदेश में लगभग 1 करोड़ 24 लाख नये विद्युत संयोजन निर्गत कर समस्त 75 जनपदों को लक्ष्य के अनुरूप संतृप्त किया गया।

- ग्रामीण क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुये 01 करोड़ 21 लाख 32 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया गया है तथा कुल 01 करोड़ 38 लाख 01 हजार विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं।

- **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (नवीन)** के अन्तर्गत प्रदेश में कृषि एवं गैर कृषि विद्युत आपूर्ति के लिये माह अक्टूबर, 2020 तक 2053 के लक्ष्य के सापेक्ष 2049 अर्थात लगभग शत-प्रतिशत 11 के0वी0 पोषकों के पृथक्कीकरण का कार्य कराया जा चुका है। साथ ही, योजनान्तर्गत 100 सांसद आदर्श ग्रामों के विद्युतीकरण का शत-प्रतिशत लक्ष्य भी पूर्ण कर लिया गया है।

- प्रदेश में विगत तीन वर्षों में विद्युत आपूर्ति में भी रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, गत वर्ष की 21,632 मेगावाट की पीक मांग के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में 23,867 मेगावाट पीक मांग की आपूर्ति की गयी। रोस्टर के अनुसार वर्तमान में शहरों तथा गावों में विद्युत आपूर्ति हेतु वर्ष 2020-2021 में लगभग 24,000 मेगावाट विद्युत की उपलब्धता है जो मांग के अनुरूप पर्याप्त है।

- विद्युत आपूर्ति में अभूतपूर्व सुधार लाते हुये वर्तमान में जिला मुख्यालयों पर 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों पर 21 घण्टे 30 मिनट व गाँवों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति का रोस्टर निर्धारित है तथा विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

- वर्तमान में प्रदेश में सभी विधाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 26,937 मेगावॉट है, जो कि 03 वर्ष पूर्व की क्षमता से लगभग 4000 मेगावॉट अधिक है। वर्तमान उत्पादन क्षमता को बढ़ाते हुये मांग के अनुरूप भविष्य में प्रदेशवासियों को समुचित विद्युत उपलब्ध कराने हेतु 8262 मेगावॉट उत्पादन क्षमता वृद्धि की विभिन्न परियोजनायें पूर्णता की प्रक्रिया में है, जिनका वर्ष 2020-21 से 2023-24 के मध्य आरम्भ होना प्रस्तावित है।

  उक्त के अतिरिक्त लगभग 2812 मेगावाट की पुनर्नवीकरणीय परियोजनाओं के माध्यम से अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि भी अनुमानित है।

- ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक मार्ग प्रकाश की सुविधा हेतु सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना की योजना क्रियान्वित की जा रही है। अब तक प्रदेश में लगभग 03 लाख सोलर स्ट्रीट लाईट संयंत्रों की स्थापना करायी जा चुकी है।

- गरीब ग्रामीण परिवारों के घरों पर प्रकाश, पंखे एवं मोबाईल चार्जिंग की सुविधा हेतु 1 लाख 80 हजार सोलर पॉवर पैक संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

- प्रदेश के लघु एवं सीमान्त कृषकों को सिंचाई हेतु सोलर पम्प स्थापित कराये जा रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में अब तक 3400 सोलर आर0ओ0 वाटर संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

- सौर ऊर्जा नीति-2013 के अन्तर्गत 420 मेगावाट क्षमता की 24 सौर पावर परियोजनायें संचालित हैं।

आवास

आवास एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी का यह कहना है कि वर्ष 2022 तक सभी को आवास उपलब्ध हो जाये। हमारी सरकार ने इस दिशा में निरन्तर प्रयास करके जरूरतमंद लोगों को आवास उपलब्ध कराने का सिलसिला जारी रखा है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के घटक **अफोर्डेबल हाऊसिंग इन** पार्टनरशिप के अन्तर्गत वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक 4 लाख भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित है जो सूडा द्वारा निर्मित कराये जाने वाले आवासों के अतिरिक्त होंगे।
- **अयोध्या स्थित सूर्यकुण्ड के विकास सहित अयोध्या नगरी के सर्वांगीण विकास की योजना** हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 140 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- **लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50** करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **कानपुर मेट्रो रेल** परियोजना की अनुमोदित लागत 11,076 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 597 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन आई0आई0टी0 कानपुर से मोतीझील पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई, 2021 तथा रेवेन्यु ऑपरेशन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 30 नवम्बर, 2021 है।
- **आगरा मेट्रो रेल** परियोजना की अनुमोदित लागत 8380 करोड़ रुपये है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में परियोजना हेतु 478 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिक सेक्शन ताज ईस्ट गेट से जामा मस्जिद पर ट्रायल रन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 31 जुलाई, 2021 तथा रेवेन्यु ऑपरेशन प्रारम्भ करने की लक्षित तिथि 30 नवम्बर, 2021 है।
- **दिल्ली–गाजियाबाद-मेरठ आर0 आर0 टी0 एस0 कॉरिडोर** का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना हेतु 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **वाराणसी, गोरखपुर व अन्य शहरों में मेट्रो रेल** परियोजना हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

नगर विकास

प्रदेश में नगरीकरण में निरन्तर वृद्धि हो रही है। नगरीय क्षेत्रों के निरन्तर विस्तार तथा नगरीय जनसंख्या में लगातार वृद्धि के दृष्टिगत नगरों में मूलभूत सुविधायें तथा अवस्थापना विकास के कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जा रहे हैं। दिनाँक 01 अप्रैल, 2021 को उत्तर प्रदेश में कुल 652 नगर निकाय थे जिनकी संख्या अब बढ़कर 734 हो गई है।

- **प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)** के अन्तर्गत कुल 16 लाख 03 हजार 500 आवासों की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त हो चुकी है। उक्त के सापेक्ष 9 लाख 63 हजार 780 आवासों की ग्राउन्डिंग का कार्य प्रारम्भ हो चुका है जिसमे से 5 लाख 41 हजार 660 आवास दिनाँक 01 जनवरी, 2021 तक पूर्ण हो चुके हैं। योजना हेतु 10,029 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **अमृत** कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षमता निर्माण, सुधार कार्यान्वयन, जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन, वर्षा जल निकासी, शहरी परिवहन और हरित स्थल और पार्क शामिल है। अमृत मिशन की पहली प्राथमिकता जलापूर्ति और सीवरेज सेवाओं का सार्वभौमिक आच्छादन है। योजना हेतु 2200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 10 शहर लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झाँसी, मुरादाबाद तथा अलीगढ़ **स्मार्ट सिटी** योजनान्तर्गत चयनित हुये हैं। योजना हेतु 2000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के उपरान्त शेष नगर निगमों-वाराणसी, मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा-वृन्दावन एवं शाहजहाँपुर को **राज्य स्मार्ट सिटी योजनान्तर्गत स्मार्ट एवं सेफ सिटी** के रूप में विकसित किये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। उक्त योजना की अवधि 05 वर्ष है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में योजना हेतु 175 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- आवारा पशुओं के पुनर्वास हेतु संचालित **"कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना"** हेतु 80 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहीदों की स्मृति में पार्क (प्रदर्शनी स्थल) सभागार के निर्माण हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

नियोजन

- बुन्देलखण्ड क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **त्वरित आर्थिक विकास** योजना का उद्देश्य प्रदेश में विकास कार्यों को त्वरित गति से कार्यान्वित करना है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना सम्मिलित है। इस हेतु 2500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री समग्र सम्पदा विकास योजना** हेतु 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

ग्राम्य विकास

भारत को ग्रामों का देश कहा जाता रहा है। दुनिया के अनेक विचारकों ने भारतीय ग्राम्य इकाई की सभ्यता व सौहार्द की प्रशंसा की है। ग्रामों को हर दृष्टि से विकसित करने तथा सभी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराना हमारा संकल्प है।

- **"प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)"** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में 6 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य है। योजना हेतु 7000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **"मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण"** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-2019 में 16,700 लाभार्थियों तथा वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 34,040 लाभार्थियों, इस प्रकार 50,740 लाभार्थियों को अब तक निःशुल्क आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2020-2021 में 30,250 आवासों का निर्माण किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में योजना हेतु 369 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021–2022 में 35 करोड़ मानव दिवस का रोजगार सृजन का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 5548 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के बैच-1** के अन्तर्गत 8847 किलोमीटर के कार्य का प्रस्ताव भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया गया है। स्वीकृति की प्रत्याशा में वित्तीय वर्ष 2021-2022 के लिए 5000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

पंचायती राज

पंचायतें प्राचीन समाज व्यवस्था का आधार रही हैं। परस्पर सम्पर्क व विचार-विमर्श का केन्द्र रही हैं। एक समय पंचायत स्तर पर ही सभी प्रकार के झगड़े सुलझा लिये जाते थे। पंचायतों के विकास के लिये हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

- प्रत्येक न्याय पंचायत में 02 **चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय** की स्थापना के लिये 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **मुख्य मंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना** के अन्तर्गत उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- प्रदेश की ग्राम पंचायतों में **बहुउद्देशीय पंचायत भवनों** के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान** योजना के अन्तर्गत पंचायतों की क्षमता सम्वर्द्धन, प्रशिक्षण एवं पंचायतों में संरचनात्मक ढाँचे के निर्माण हेतु 653 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- **गाँवों में ई-गवर्नेस के विस्तार हेतु डॉ0 राम मनोहर लोहिया** पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

कृषि

ऋषि और कृषि प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था के दो अंग रहे हैं। ऋषि मार्गदर्शक थे और कृषि जीविका तथा समृद्धि का आधार थी। कृषि विकास के अभाव में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

- प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है जिससे 165 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है। कृषि क्षेत्र की लक्षित विकास दर 5.1 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु वर्ष 2021-2022 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है।
- प्रदेश में वर्ष 2020-2021 में खरीफ उत्पादन का लक्ष्य 223 लाख मीट्रिक टन, रबी का लक्ष्य 417 लाख मीट्रिक टन एवं तिलहन का लक्ष्य 12 लाख मीट्रिक टन निर्धारित है।
- वर्ष 2020-2021 में बीज वितरण के 61 लाख कुन्तल के लक्ष्य के सापेक्ष वर्ष 2021-2022 में 62 लाख 50 हजार कुन्तल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।
- प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जा रही है एवं प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है।

गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

- गन्ने की खेती और चीनी मिलें प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं और यह राज्य, देश का सबसे बड़ा गन्ना एवं चीनी उत्पादक राज्य है। चीनी उद्योग, उत्तर प्रदेश का कृषि आधारित महत्वपूर्ण उद्योग है तथा प्रदेश के 45 लाख गन्ना आपूर्तिकर्ता किसानों के परिवारों की आजीविका का मुख्य आधार है।
- पेराई सत्र 2019-2020 में प्रदेश में 26 लाख 79 हजार हेक्टेयर में गन्ने की खेती की गई थी तथा इस सत्र में संचालित 119 चीनी मिलों द्वारा 1118 लाख टन गन्ने की पेराई कर 126 लाख 37 हजार टन चीनी का उत्पादन किया गया। वर्तमान पेराई सत्र 2020-2021 में 119 चीनी मिलें संचालित हैं। इस सत्र में प्रदेश का गन्ना क्षेत्रफल 27 लाख 40 हजार हेक्टेयर है जिससे चीनी का उत्पादन 125 लाख टन से अधिक होने का अनुमान है।
- निगम क्षेत्र की पूर्वांचल में स्थित बन्द पड़ी चीनी मिलों पिपराइच एवं मुण्डेरवा के स्थान पर 5,000 टी0सी0डी0 की नई चीनी मिलें और 27 मेगावॉट क्षमता का को-जेन संयंत्र स्थापित किया गया। पिपराइच चीनी मिल से 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का आसवनी भी स्थापित की जा रही है जो दिसम्बर, 2021 में शुरू होना सम्भावित है। उक्त आसवनी में सीधे गन्ने के रस से एथनॉल बनाने की सुविधा होगी। पिपराइच मिल गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनाने वाली उत्तर भारत की पहली चीनी मिल होगी।
- किसानों की गन्ना आपूर्ति समस्या के दृष्टिगत चीनी मिल रमाला की पेराई क्षमता 2,750 से बढ़ाकर 5,000 टी0सी0डी0 की गई तथा इसके साथ 27 मेगावॉट को-जेन संयंत्र लगाया गया है।

- निगम क्षेत्र की मोहिउद्दीनपुर-मेरठ चीनी मिल की पेराई क्षमता 2500 टी0सी0डी0 से बढ़ाकर 3500 टी0सी0डी0 की गई जिसे 5000 टी0सी0डी0 तक बढ़ाया जा सकता है। इससे लगभग 1,00,000 किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुविधा होगी तथा उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

- इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र की 11 चीनी मिलों शामली, ऊन, करीमगंज, बिलारी, हरियावां, निगोही, अगवानपुर, टिकौला, वीनस, मोतीनगर एवं बिसवां की कुल 20,600 टी0सी0डी0 की पेराई क्षमता का विस्तार किया गया है जिससे इन मिल क्षेत्रों के गन्ना किसान लाभान्वित होंगे।

कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान

- राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कृषि अनुसंधान के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा कृषि विश्वविद्यालय, अयोध्या के अन्तर्गत धान पर कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के अन्तर्गत गेहूँ एवं सब्जी पर, कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के अन्तर्गत बायो तकनीकी के प्रयोग से बासमती धान के फसल सुधार पर, कृषि विश्वविद्यालय, बाँदा के अन्तर्गत शुष्क खेती पर तथा शॅआट्स कृषि विश्वविद्यालय, प्रयागराज के अन्तर्गत छोटे एवं मध्यम कृषि यंत्रों पर अनुसंधान हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना की जा रही है।

- प्रदेश में कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार-प्रसार हेतु 20 नवीन कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 17 कृषि विज्ञान केन्द्रों का संचालन प्रारम्भ हो गया है। शेष 03 कृषि विज्ञान केन्द्रों को भूमि हस्तान्तरित/संचालन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

दुग्ध विकास

- पूरे विश्व में भारत सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है तथा देश में दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश प्रथम स्थान पर है।

- वर्तमान में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत 20 दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्धशाला विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रदेश का दुग्ध उत्पादन 30,518 हजार टन रहा है व प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता 371 ग्राम रही।

- **दुग्धशाला विकास कार्यक्रम** के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-2020 में 8049 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 3 लाख 32 हजार कि0ग्रा0 प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1 लाख 97 हजार लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध बिक्री किया गया। वर्ष

2020-2021 के 06 माहों में (अप्रैल से सितम्बर, 2020) 7,387 कार्यरत सहकारी दुग्ध समितियों के माध्यम से 2 लाख 23 हजार किलोग्राम प्रतिदिन दूध का उपार्जन कर 1 लाख 86 हजार लीटर प्रतिदिन नगरीय दुग्ध विक्रय किया गया।

पशुपालन

- पशुधन के सर्वांगीण विकास हेतु किसानों के हित में अनेकों लाभकारी योजनायें संचालित की जा रही है तथा उनमें गति प्रदान करने के लिये नये अभिनव प्रयोगों को लागू किया जा रहा है।

- वित्तीय वर्ष 2020-2021 में त्वरित गति से **नस्ल सुधार** हेतु **पशु प्रजनन नीति-2018** क्रियान्वित की जा रही है। पशु स्वास्थ्य, रोग नियंत्रण, पशुधन बीमा के साथ-साथ नवीन पशुचिकित्सालयों का निर्माण तथा गौ-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना के साथ-साथ अस्थायी गौ-आश्रय स्थल स्थापित किये जा रहे हैं।

- **राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम** के अन्तर्गत खुरपका-मुंहपका एवं ब्रुस्लोसिस रोग नियंत्रण हेतु ऐक्शन प्लान के अनुसार क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के पशुओं को खुरपका-मुंहपका रोग से मुक्त कराये जाने का प्रथम लक्ष्य है।

मत्स्य

- भारत सरकार द्वारा दिनाँक 21 नवम्बर, 2020 को आयोजित विश्व मात्स्यिकी दिवस 2020 के अवसर पर प्रदेश को **"बेस्ट इनलैण्ड स्टेट" हेतु प्रथम पुरस्कार** दिया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में ग्राम पंचायतों के स्वामित्व वाले 3000 हेक्टेयर सामुदायिक तालाबों का 10 वर्षीय पट्टा आवंटन व समस्त स्रोतों से 300 करोड़ मत्स्य बीज उत्पादन/मत्स्य बीज वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है।

- 02 लाख मत्स्य पालकों को **निःशुल्क प्रीमियम पर मछुआ दुर्घटना बीमा योजना** से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में प्रारम्भ की जा रही नयी योजना **"प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना"** हेतु 243 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण

- प्रदेश में बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समन्वित विकास हेतु एकीकृत बागवानी विकास मिशन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रोइरीगेशन, बुन्देलखण्ड एवं विंध्य क्षेत्र में औद्यानिक विकास, गुणवत्ता युक्त पान उत्पादन प्रोत्साहन, उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017, प्रधानमंत्री सूक्ष्म

खाद्य उद्योग उन्नयन योजना, सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स फॉर फ्रूट एवं वेजीटेबल तथा खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण एवं विधायन आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

- **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना** हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2017 के क्रियान्वयन हेतु 40 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

सहकारिता

- रासायनिक उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- किसानों को नाबार्ड से रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराये जाने हेतु ब्याज अनुदान योजना के अन्तर्गत 400 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- सहकारी समितियों के समन्वित विकास हेतु संचालित **एकीकृत सहकारी विकास योजना** के लिये 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

प्रदेश में रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाने में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विशेष योगदान है। हमारी सरकार द्वारा इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। महिला उद्यमियों की सहभागिता बढ़ाये जाने तथा प्रवासी श्रमिकों के लिये क्रेडिट आधारित क्लस्टर सुविधायें विकसित किये जाने पर विशेष बल दिया जायेगा।

- रोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश में एक जनपद-एक उत्पाद (ओ0डी0ओ0पी0) योजना संचालित है। योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- ओ0डी0ओ0पी0 योजनान्तर्गत दिनाँक 14 मई, 2020, 26 जून, 2020, 07 अगस्त, 2020 एवं 03 दिसम्बर, 2020 को चार ऑन-लाईन मेलों का आयोजन किया गया इन ऑन-लाईन मेलों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को लगभग 30 हजार करोड़ के ऋण का वितरण कराया गया।
- कोविड-19 महामारी के चलते दिनाँक 19 अक्टूबर, 2020 से 23 अक्टूबर, 2020 तक ओ0डी0ओ0पी0 वर्चुअल मेला फेयर का आयोजन किया गया। इस वर्चुअल फेयर में 35 देशों के क्रेता तथा देश के लगभग 1000 क्रेताओं द्वारा प्रतिभाग किया गया।

- उ0प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी की बन्द पड़ी कताई मिलों की परिसम्पत्तियों को पुनर्जीवित कर पी0पी0पी0 मोड में औद्योगिक पार्क/आस्थान/क्लस्टर स्थापित कराये जाने का निर्णय लिया है। इस हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से **मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना** संचालित है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में योजना हेतु 100 करोड़ रुपये का बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पारम्परिक कारीगरों हेतु **विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना** के लिये 30 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

खादी एवं ग्रामोद्योग

- ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र में स्वरोजगार की विभिन्न योजनायें संचालित की गयी हैं। इन योजनाओं में से **मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजनान्तर्गत** सामान्य महिला एवं आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को 10 लाख रुपये तक ब्याज रहित ऋण तथा सामान्य वर्ग के पुरुष लाभार्थियों को 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज पर बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
- व्यवहारिक, कौशल सुधार एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अन्तर्गत उद्यमियों को प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।
- पं0 दीनदयाल उपाध्याय खादी विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत 34 प्रतिशत खादी कामगारों को 33 प्रतिशत विपणन विकास हेतु तथा 33 प्रतिशत खादी संस्थाओं को उत्पादन हेतु सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रदेश में **माटीकला** की पराम्परागत कला एवं कारीगरों को संरक्षित/संवर्धित करते हुये नवाचार के माध्यम से अधिकाधिक शिल्पियों/कारीगरों को रोजगार से जोड़ने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग

- कृषि क्षेत्र के बाद हथकरघा उद्योग प्रदेश का सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला विकेन्द्रीकृत कुटीर उद्योग है। प्रदेश में लगभग 2 लाख हथकरघा बुनकर एवं लगभग 1 लाख 10 हजार हथकरघे हैं। प्रदेश में 2 लाख 60 हजार पॉवरलूमों पर 5 लाख 50 हजार पॉवरलूम बुनकर अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं।
- वित्तीय वर्ष 2021-2022 में वस्त्रोद्योग के क्षेत्र में 25,000 रोजगार सृजन का लक्ष्य है।
- हथकरघा बुनकरों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने हेतु सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना संचालित है।

- पावरलूम बुनकरों को राज्य सरकार द्वारा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति करायी जा रही है।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रॉनिक्स

तकनीक और आधुनिक विज्ञान ज्ञान का प्रमुख तत्व है। इसके अभाव में हम विकसित दुनिया के साथ नहीं चल सकते हैं। अतः तकनीक का हर स्तर पर उपयोग आवश्यक है।

- सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग उत्तर प्रदेश सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में से एक है। हमारी सरकार द्वारा **"उ0प्र0 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति-2017"** तथा **"उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिक एवं स्टार्टअप नीति-2017"** प्रख्यापित की गयी।

- **"उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2017"** में नोएडा, ग्रेटर नोएडा तथा यमुना एक्सप्रेस-वे क्षेत्र को **"इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन"** घोषित किया गया। 5 वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के निवेश के लक्ष्य को 3 साल में ही अर्जित कर लिया गया।

- उक्त नीति की अपूर्व सफलता को देखते हुये सरकार द्वारा नई **"उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति-2020"** प्रख्यापित की गयी है जिसमें इलेक्ट्रानिक्स उद्योग के प्रदेश के सभी क्षेत्रों में एक समान विकास के लिए नई नीति से सम्पूर्ण राज्य को आच्छादित किया गया है। इस नीति में अगले पांच वर्षों में 40,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है।

- यमुना एक्सप्रेस-वे में जेवर एयरपोर्ट के समीप एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुन्देलखण्ड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है।

- उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में लगभग रुपये 200 करोड़ के निवेश तथा लगभग 15,000 रोजगार सम्भावनाओं युक्त आई0टी0 पार्क्स की स्थापना सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इण्डिया के सहयोग से की जा रही है।

- लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगंज में 40 एकड़ क्षेत्रफल में पी0पी0पी0 मॉडल पर "अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स" का निर्माण प्रस्तावित है जिसमें देश का सबसे बड़ा इन्क्युबेशन सेन्टर बनाये जाने हेतु सहमति हो गयी है।

बेसिक शिक्षा

शिक्षा मनुष्य निर्माण की पहली शर्त है। यह अबोध बच्चों को सबोध बनाती है। शिक्षा के अभाव में आदर्श मनुष्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। बेसिक शिक्षा की गुणवत्ता बड़ी चुनौती रही है।

- प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिक लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हमारी सरकार संकल्पबद्ध है। 06 से 14 वर्ष के बच्चों को कक्षा 01 से 08 तक निःशुल्क शिक्षा सुलभ कराने हेतु अनेक योजनाएं तथा कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अधीन शासकीय एवं अशासकीय लगभग 2 लाख 54 हजार 634 विद्यालय संचालित हैं जिनमें प्रदेश के सभी बच्चों के लिये 01 से 03 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की सुविधा उपलब्ध है। हमारा संकल्प है कि सभी बच्चे **"खूब पढ़ें आगे बढ़ें"** साथ ही कक्षा 01 से 08 तक की पढ़ाई अवश्य पूर्ण करें।

- शैक्षिक सत्र 2020-2021 में 1 लाख 34 हजार 418 परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत 1 लाख 60 हजार करोड़ बच्चों को प्रवेश दिलाया गया है। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019-2020 में बच्चों के चिन्हीकरण, पंजीकरण एवं नामांकन हेतु नवीन कार्यक्रम **"शारदा"** संचालित किया है। यह कार्यक्रम दो चरणों में पूर्ण किया जायेगा।

- जनपद गोरखपुर के वनटांगिया गावों में 05 प्राथमिक एवं 02 उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं महराजगंज के वनटांगिया गाँवों में 08 प्राथमिक एवं 04 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया जा रहा है।

- कक्षा 01 से 08 तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनीफॉर्म उपलब्ध कराये जाने हेतु 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सभी बच्चों को जूता-मोजा एवं स्वेटर उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- कक्षा-1 से कक्षा-8 तक के छात्र/छात्राओं को स्कूल बैग उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2021-2022 के बजट में 110 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- मध्याह्न भोजन कार्यक्रम हेतु 3406 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

- वर्ष 2021-2022 के बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

माध्यमिक शिक्षा

- प्रदेश में 2285 राजकीय, 4512 अशासकीय सहायता प्राप्त एवं 20,558 वित्तविहीन माध्यमिक विद्यालय अर्थात् कुल 27,355 माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं।

- केन्द्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश के **प्रत्येक मण्डल में एक सैनिक स्कूल** की स्थापना करायी जायेगी। इस हेतु निजी क्षेत्र की सहभागिता भी प्राप्त की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूलों की स्थापना के लिये भूमि उपलब्ध कराई जायेगी।

- **सैनिक स्कूल मैनपुरी, झाँसी एवं अमेठी** के अवशेष कार्यों को पूर्ण कराने तथा **जनपद गोरखपुर में 01 नवीन सैनिक स्कूल** का निर्माण कार्य कराने हेतु 90 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, राजकीय संस्कृत विद्यालयों में अवस्थापना सुविधा, उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा निदेशालय के गठन तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु 05 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है। संस्कृत विद्यालयों अध्ययनरत् निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुसार निःशुल्क छात्रावास एवं भोजन की सुविधा प्रदान की जायेगी।

- कैप्टन मनोज कुमार पाण्डेय, सैनिक स्कूल, सरोजनीनगर को विकसित कर उसकी क्षमता को दो गुना किये जाने, बालिका कैडेट हेतु 150 की क्षमता के छात्रावास का निर्माण कराये जाने तथा एक हजार क्षमता के निर्माणाधीन ऑडिटोरियम के निर्माण कार्यों हेतु 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कॉलेजों के अवशेष कार्य पूर्ण कराये जाने हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

- राजकीय एवं सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञ के मासिक मानदेय की धनराशि हाई स्कूल स्तर पर 8000 रुपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये तथा इण्टर पर 10,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये की गयी है।

उच्च शिक्षा

भारत एक समय सारी दुनिया में ज्ञान व शिक्षा का केन्द्र था। उत्तर प्रदेश का भू-भाग संस्कृति दर्शन के लिये प्रमुख आकर्षण था। हमारी सरकार ने उच्च शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा बनाने का संकल्प लिया है।

- प्रदेश में उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान में 16 राज्य विश्वविद्यालय, 01 मुक्त विश्वविद्यालय, 01 डीम्ड विश्वविद्यालय, 27 निजी विश्वविद्यालय, 170 राजकीय महाविद्यालय, 331 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 6531 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय संचालित हैं।

- असेवित क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। **प्रदेश के असेवित मण्डलों में प्रत्येक मण्डल में एक राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना** करायी जायेगी।

- जनपद सहारनपुर, आजमगढ़ एवं अलीगढ़ में 03 नये राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित की गयी है।
- सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर, प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जु भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज तथा ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ के भवनों का निर्माण प्रगति पर है।
- नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों, कालेजों और एच0ई0आई0 क्लस्टरों/नालेज हबों में स्थानान्तरित करके उच्च शिक्षा के विखण्डन को समाप्त करना है। इस हेतु संसाधनों, सामग्री और मनुष्य की कार्यकुशलता की बढ़ोत्तरी में मदद करने पर बल दिया गया है।
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के अन्तर्गत न्युन सकल नामांकन दर वाले 26 जनपदों में मॉडल राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में राजकीय महाविद्यालयों के भवन निर्माण कार्य हेतु 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यवसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास

- प्रदेश में वर्तमान में 305 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं जिनमें से 47 संस्थानों में महिला शाखायें उपलब्ध हैं जिनकी प्रशिक्षण क्षमता 1 लाख 72 हजार से अधिक है। पूरे प्रदेश में 12 स्वतंत्र रूप से राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के लिये ही स्थापित हैं एवं सामान्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में महिलाओं को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्राप्त है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 2963 से अधिक निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी स्थापित है जिनकी प्रशिक्षण क्षमता लगभग 4 लाख 58 हजार है।
- प्रदेश में 84 ऐसे राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं जिनमें अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश में 70 प्रतिशत का आरक्षण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को 15 प्रतिशत आरक्षण उपलब्ध है।
- प्रदेश के सभी राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
- प्रदेश में स्थापित किये गये 16 नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को पी0पी0पी0 मॉडल पर प्रशिक्षण हेतु क्रियाशील किया जायेगा।
- प्रदेश में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये सुल्तानपुर में निर्माणाधीन राजकीय शिल्पकार अनुदेशक प्रशिक्षण संस्थान को पूर्ण कराकर उसे शीघ्र क्रियाशील कराया जायेगा।

संस्कृति एवं धर्मार्थ कार्य

- नैमिषारण्य, चित्रकूट, विध्यांचल, शाकुम्बरी देवी तथा शुकतीर्थ का समग्र विकास कराया जा रहा है।
- अयोध्या में मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा राम मंदिर शिलान्यास के अवसर पर 25 स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन, राम की पौड़ी पर प्रदर्शनी एवं रंगोली का आयोजन एवं श्री राम मंदिर माडल पर डाक टिकट जारी कराया गया।
- दिनाँक 04 फरवरी, 2021 को चौरी-चौरा काण्ड के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में **चौरी-चौरा शताब्दी महोत्सव** जो पूरे वर्ष चलेगा के लिये 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- श्री राम जन्म भूमि मन्दिर, अयोध्या धाम तक पहुँच मार्ग के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय** के निर्माण हेतु 08 करोड़ रुपये तथा शाहजहाँपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय की वीथिकाओं के लिये 04 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।
- प्रदेश में ख्यातिलब्ध साहित्यकारों एवं कलाकारों जो अन्य किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, को **"उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान"** प्रदान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष अधिकतम 05 व्यक्तियों को सम्मानित किया जायेगा तथा सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपये की सम्मान राशि प्रदान की जायेगी।
- 60 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों को 2000 रुपये प्रतिमाह की मासिक पेंशन दिये जाने की कल्याणकारी योजना संचालित है।

पर्यटन

उत्तर प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से भारत के प्रमुख स्थानों में आ चुका है। सांस्कृतिक पर्यटन का विकास हुआ है और अधिक पर्यटन सम्भावनायें बढ़ाना हमारे एजेण्डे में है।

- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2019 में लगभग 54 करोड़ पर्यटक आये, जिनमें भारतीय पर्यटकों की संख्या 53 करोड़ 60 लाख एवं विदेशी पर्यटकों की संख्या 47 लाख है। इसमें कुम्भ मेला-2019 में आये 24 करोड़ पर्यटक/विजिटर्स/श्रद्धालु भी सम्मिलित हैं।
- अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, नैमिषारण्य, विन्ध्याचल, चित्रकूट, मथुरा-वृन्दावन, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। अयोध्या में इस वर्ष पुनः दीपोत्सव का

आयोजन दिनाँक 13 नवंबर, 2020 को किया गया तथा 6.06 लाख से अधिक दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकार्ड बनाया गया।

- **अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं सौन्दर्यीकरण** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास तथा सौन्दर्यीकरण** हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजना** हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **चित्रकूट** में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त **विन्ध्याचल** एवं **नैमिषारण्य** में स्थल विकास हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

वन एवं पर्यावरण

- भारतीय वन सर्वेक्षण की वन स्थिति रिपोर्ट-2019 के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 9.19 प्रतिशत क्षेत्र वनावरण एवं वृक्षावरण से आच्छादित है। प्रदेश के वनावरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2017 से 2019 तक 127 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15 प्रतिशत किये जाने का लक्ष्य है। इस हेतु विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं में सड़क, रेलवे, नहरों के किनारे की भूमि तथा परती भूमि, ऊसर, बीहड़ खादर व अवनत वन भूमि, सामुदायिक भूमि तथा कृषकों की निजी भूमि पर वृहद स्तर पर वृक्षारोपरण कराने की कार्य योजना है।
- वर्ष 2020, वर्ष 2021 एवं वर्ष 2022 के वृक्षारोपण का लक्ष्य क्रमशः 25 करोड़, 30 करोड़ एवं 35 करोड़ निर्धारित किया गया है। पौध उगाने हेतु 03 वर्ष की कार्य योजना तैयार की गई है।
- वर्षाकाल 2020-2021 में दिनाँक 05 जुलाई, 2020 को वृक्षारोपण महाअभियान में अन्य विभागों के सक्रिय सहयोग एवं समन्वय, कृषकों तथा स्वयंसेवी एवं जन सहयोग प्राप्त कर एक ही दिन में 25.87 करोड़ पौधों का रोपण किया गया। वृक्षारोपण महा अभियान वर्ष 2020 में प्रदेश में दिनाँक 28 जुलाई, 2020 को अनेक स्थलों पर अधिकतम प्रजातियों के पौधों का रोपण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ड रिकाड्र्स में नाम दर्ज कराया गया है।
- प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या वर्ष 2014 के 117 से बढ़कर वर्ष 2018 में 173 हो गई है।

- **राज्य प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना** हेतु 600 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **सामाजिक वानिकी कार्यक्रम** को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

समाज कल्याण

सम्पूर्ण समाज की समृद्धि प्राचीन भारतीय चिन्तन का लक्ष्य रही है। हमारी सरकार ने समाज के प्रत्येक अंग के विकास का बीड़ा उठाया है।

- **वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजनान्तर्गत** 3100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनान्तर्गत** 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अनुसूचित जाति **पूर्वदशम एवं दशमोत्तर** तथा सामान्य वर्ग की छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत 1430 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- **मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना** हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति तथा सामान्य वर्ग के व्यक्तियों की **पुत्रियों की शादी** हेतु आर्थिक सहायता योजनान्तर्गत 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण

अन्त्योदय की कल्पना हमारे विद्वान मनीषी पं0 दीन दयाल उपाध्याय जी ने की थी।

उन्ही के विचारों से प्रेरित होकर हमारी सरकार ने समाज के अन्तिम व्यक्ति के उत्थान को प्राथमिकता दी है।

- पिछड़े वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति योजना हेतु 1375 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी अनुदान योजना हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक कल्याण

- **अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति** योजना हेतु 829 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

- अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मूलभूत अवस्थापना सुविधाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधायें उपलब्ध कराये जाने हेतु संचालित मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्स प्लान के लिये 588 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मदरसा आधुनिकीकरण योजना के लिये 479 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था का प्रस्ताव है।

दिव्यांगजन कल्याण

- दिव्यांग पेंशन योजना के अन्तर्गत लगभग 10 लाख 87 हजार पात्र दिव्यांगजन को 500 रुपये प्रतिमाह की दर से पेंशन दिये जाने हेतु 720 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- कुष्ठ दिव्यांगजनों को पुनर्वासित करने एवं उनका जीवन बेहतर बनाने के उद्देश्य से 2500 रुपये की राशि प्रति माह प्रति लाभार्थी दी जाती है। इस हेतु 39 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित है।
- दिव्यांग दम्पत्ति के बच्चों के पालन-पोषण के लिये **पालनहार योजना** हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना कराये जाने हेतु विद्यालय भवन के अवशेष कार्यों हेतु 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- राजकीय मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

व्यापारी कल्याण

- उत्तर प्रदेश राज्यकर विभाग में पंजीकृत व्यापारियों के लिये संचालित मुख्य मंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत प्रति लाभार्थी देय धनराशि हमारी सरकार द्वारा 05 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की गयी।
- हमारी सरकार द्वारा अब तक 356 लाभार्थियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा का लाभ दिया गया है।

न्याय

समाज के जन्म व विकास के समय से ही न्याय की प्यास है। न्याय के लिये ही समाज व्यवस्था तथा राज्य व्यवस्था का जन्म हुआ है। न्याय हमारे जीवन की पहली आवश्यकता है।

- जनपद प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना किये जाने का निर्णय लिया गया है।

- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण ई0पी0सी0 मोड पर कराये जाने का निर्णय लिया गया है।
- जनपदों में न्यायालयों के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तिगण के लिये आवासीय भवनों के निर्माण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के लिये नये भवनों के निर्माण कार्य हेतु 150 करोड़ रुपये तथा इलाहाबाद पीठ के भवन निर्माण हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- उ0प्र0 अधिवक्ता कल्याण निधि से संबंधित कल्याणकारी स्टाम्पों की बिक्री की शुद्ध प्राप्ति की धनराशि अधिवक्ता कल्याण निधि हेतु न्यासी समिति को अन्तरण के लिये 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

परिवहन

- प्रदेश के 38 हजार से अधिक असेवित गाँवों में से वर्ष 2017-2018 एवं 2018-2019 में 19 हजार 5 सौ असेवित गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया। वर्ष 2019-2020 में माह मार्च, 2020 तक 6556 गाँवों को परिवहन सुविधा से सेवित किया गया।
- पड़ोसी देश नेपाल हेतु दिल्ली से महेन्द्र नगर, पोखरा व नेपालगंज, अयोध्या से जनकपुर व लखनऊ-रुपैडिहा-नेपालगंज के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बस सेवा का संचालन प्रारम्भ किया गया।
- बस स्टेशनों के आधुनिकीकरण के दृष्टिगत प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को पी0पी0पी0 पद्धति पर विकास किया जाना प्रस्तावित है।
- निर्भया योजना के अन्तर्गत महिलाओं के लिये 50 वातानुकुलित पिंक सेवायें संचालित हैं जिसमें महिला यात्रियों की सुरक्षा हेतु सभी बसों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा तथा पैनिक बटन लगाये गये हैं।

राजस्व

- प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से बचाव और सुरक्षा हेतु एस0डी0आर0एफ0 की 03 कम्पनियां, पी0ए0सी0 फ्लड बटालियन की 17 कम्पनियाँ खोज एवं बचाव कार्य हेतु तैयार हैं। एन0डी0आर0एफ0 की 04 टीमें वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर व

प्रयागराज में उपलब्ध हैं। प्रदेश के 02 जनपदों गोरखपुर एवं बलिया में 200-200 आपदा मित्र उपलब्ध हैं।

- आपदा पूर्व चेतावनी तथा राहत संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों को किसानों तक सरलता से पहुँचाने के संबंध में एप्लीकेशन-**इंटीग्रेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम** तैयार किया गया है जिसके माध्यम से मौसम विभाग द्वारा सैटेलाइट की मदद से जारी की जाने वाली खराब मौसम एवं वज्रपात से पूर्व चेतावनियों को आम जन-मानस को आटोमैटिक एस0एम0एस0 अलर्ट एवं मैसेज के माध्यम से प्रेषित किया जाता है जो बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के रियल टाइम में लोगों तक पहुँचते हैं। इस अर्ली वार्निंग सिस्टम से किसानों तथा आम जन-मानस को आने वाले खराब मौसम से बचाव करने में मदद मिलेगी तथा साथ ही ये प्रदेश जनहानि एवं अन्य नुकसानों को कम करने में मददगार साबित होगा।

- वर्ष 2020 में प्रथम बार बाढ़ से प्रभावित कृषकों तथा क्षति संबंधी विवरण ऑनलाइन करते हुये एक **वेब बेस्ड सर्वेक्षण तथा वितरण मॉड्यूल** तैयार कर लागू किया गया जिसके सीधे कृषकों के बैंक खातों में निवेश अनुदान राशि अन्तरित करने की व्यवस्था की गई। वर्ष 2020 में बाढ़ से प्रभावित जनपदों के लगभग 3 लाख 48 हजार कृषकों को 113 करोड़ 20 लाख 66 हजार रुपये की कृषि निवेश अनुदान राशि डी0बी0टी0 के माध्यम से सीधे कृषकों के बैंक खातों में स्थानान्तरित की गयी।

मान्यवर, मुझे यह बताते हुये हर्ष है कि कोरोनाकाल खण्ड के उपरान्त हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के विकास में विधान मण्डल के माननीय सदस्यों के प्रत्यक्ष योगदान हेतु **विधान मण्डल क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिये** विधायकों को उनकी संस्तुति पर विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के बराबर धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस हेतु 1512 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

मान्यवर, विभागवार महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु आय-व्ययक में की गई व्यवस्थाओं का विवरण प्रस्तुत करने के पश्चात् मैं राजकोषीय सेवाओं का विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ।

राजकोषीय राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संबधित कर सेवायें

राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा मूल्य संवर्धित कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 01 लाख 04 हजार 385 करोड़ रुपये (1,04,385 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

आबकारी शुल्क

आबाकारी शुल्क से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 41 हजार 500 करोड़ रुपये (41,500 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

स्टाम्प एवं पंजीकरण

स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 25 हजार 500 करोड़ रुपये (25,500 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वाहन कर

वाहन कर से राजस्व संग्रह का लक्ष्य 09 हजार 350 करोड़ रुपये (9,350 करोड़ रुपये) निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष के बजट अनुमान 2021-2022

मान्यवर,

प्रस्तुत बजट का आकार 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रुपये) है।

- बजट में 27 हजार 598 करोड़ 40 लाख रुपये (27,598.40 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं।

प्राप्तियाँ

- कुल प्राप्तियाँ 05 लाख 06 हजार 181 करोड़ 84 लाख रुपये (5.06,181.84 करोड़ रुपये) अनुमानित हैं।
- कुल प्राप्तियों में 04 लाख 18 हजार 340 करोड़ 44 लाख रुपये (4,18,340.44 करोड़ रुपये) की राजस्व प्राप्तियाँ तथा 87 हजार 841 करोड़ 40 लाख रुपये (87,841.40 करोड़ रुपये) की पूँजीगत प्राप्तियाँ सम्मिलित हैं।
- राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व का अंश 03 लाख 05 हजार 740 करोड़ 30 लाख रुपये (3,05,740.30 करोड़ रुपये) है। इसमें स्वयं का कर राजस्व 01 लाख 86 हजार 345 करोड़ रुपये (1,86,345 करोड़ रुपये) तथा केन्द्रीय करों में राज्य का अंश 01 लाख 19 हजार 395 करोड़ 30 लाख रुपये (1,19,395.30 करोड़ रुपये) सम्मिलित है।

व्यय

- कुल व्यय 05 लाख 50 हजार 270 करोड़ 78 लाख रुपये (5,50,270.78 करोड़ रुपये) अनुमानित है।
- कुल व्यय में 03 लाख 95 हजार 130 करोड़ 35 लाख रुपये (3,95,130.35 करोड़ रुपये) राजस्व लेखे का व्यय है तथा 01 लाख 55 हजार 140 करोड़ 43 लाख रुपये (1,55,140.43 करोड़ रुपये) पुजी लेखे का व्यय है।

समेकित निधि

- समेकित निधि की प्राप्तियों से कुल व्यय घटाने के पश्चात् 44 हजार 88 करोड़ 94 लाख रुपये (44,088.94 करोड़ रुपये) का घाटा अनुमानित है।

लोक लेखा

- लोक लेखे से 05 हजार 500 करोड़ रुपये (5,500 करोड़ रुपये) की शुद्ध प्राप्तियाँ अनुमानित हैं।

समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम

- समस्त लेन-देन का शुद्ध परिणाम 37 हजार 988 करोड़ 94 लाख रुपये (37,988.94 करोड़ रुपये) ऋणात्मक अनुमानित है।

अन्तिम शेष

- प्रारम्भिक शेष 14 हजार 33 करोड़ 12 लाख रुपये (14,033.12 करोड़ रुपये) को हिसाब में लेते हुये अन्तिम शेष 23 हजार 955 करोड़ 82 लाख रुपये (23,955.82 करोड़ रुपये) ऋणात्मक रहना अनुमानित है।

राजस्व बचत

- राजस्व बचत 23 हजार 210 करोड़ 09 लाख रुपये (23,210.09 करोड़ रुपये) अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा

- राजकोषीय घाटा 90 हजार 729 करोड़ 80 लाख रुपये (90,729.80 करोड़ रुपये) अनुमानित है जो वर्ष के लिये अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 4.17 प्रतिशत है।

- राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.1 प्रतिशत अनुमानित है।

मान्यवर, मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी एवं माननीय वित्त राज्य मंत्री जी तथा मंत्रि परिषद् के अपने सभी माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूँ जिनके सहयोग एवं परामर्श से बजट प्रस्तुत करने में सक्षम हो सका हूँ। मैं, अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त और वित्त विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सभी विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने इस बजट को तैयार करने में बहुमूल्य सहयोग प्रदान किया है।

प्यार का रास्ता ढूँढेगी यह पवित्र सभा,
खुब बरसेगी इस जमी पर रहमत की घटा।

मोहतरिम सदर हों जिस बज्म के खुद "योगी",
चारों तरफ फैलेगी विकास की सुहानी छटा।।

इन्ही शब्दों के साथ मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 2021-2022 का बजट इस सदन में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों के माध्यम से प्रदेश की जनता को समर्पित करता हूँ।

वंदे मातरम्

श्री अध्यक्ष-

मैं समझता हूं कि इस बजट के बारे में अच्छाइयां और इसकी प्रशंसा ये सब हमारे सभी दलों के नेतागण करना चाहेंगे, इसलिए मैं एक घण्टे के लिए सदन स्थगित करता हूं ताकि सभी नेतागण प्रेस के मित्रों से मिल सकें और यह जो खुमारी बजट की आई है, यह भी दूर कर सकें।

(श्री अध्यक्ष ने 12 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही 01 घंटे के लिए स्थगित की)

(अपराह्न 01 बजकर 42 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

[01:42] नियम-301 की सूचनायें

आज नियम-301 के अन्तर्गत कुल 37 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से 20 मा0 सदस्यों की सूचनाएँ स्वीकार की गईं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं नियम-301 की सूचनायें लेता हूँ।

पहली सूचना श्री श्रीराम सोनकर की जनपद लखनऊ में आलमबाग अन्तर्गत अवध चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री कैलाश नाथ सोनकर की जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत ग्राम सभईपुर के प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे है, तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम अन्तर्गत फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पाँचवी सूचना श्री रितेश कुमार गुप्ता की जनपद मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत ट्रामा सेन्टर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र गजरौला अन्तर्गत विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न

स्थिति के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, नवीं सूचना श्री उमा शंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री विनोद कुमार कटियार की, जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत महापुरुष लकी शाह बंजारा की मूर्ति स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों पर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री मसूद अख्तर की जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका अन्तर्गत अम्बाला रोड थरौली रजवाहे के पुल से चिलकाना रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री शैलेन्द्र यादव ललई की जनपद लखनऊ अन्तर्गत बरगवां, बारा बिरवा थाना कृष्णानगर स्थित देवा विहार कॉलोनी में लम्बित सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना मो0 फईम इरफान की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी अन्तर्गत रामपुरपट्टी के सम्पर्क मार्ग एवं कर्मशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की पी0डब्लू0डी0 विभाग की उदासीनता से गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपापुल के स्थान पर पक्का सेतु बनवाने में हो रहे बिलम्ब के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी में गुरसराय से मोंठ तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री संजय प्रताप जायसवाल की उत्तर प्रदेश में कसौधन/कांदू/गौड़ जाति के अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है तथा बीसवीं सूचना श्री उपेन्द्र नाथ पासवान की जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम टिकरी गैरवां बांगर मजरे मकरन्दपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं :-

श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्री रमेश चन्द्र दिवाकर, श्री राजीव तरारा, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री किशनलाल राजपूत, श्री धनन्जय कन्नौजिया, श्री सावित्री कठेरिया, श्री प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री अम्ब्रीश सिंह पुष्कर, श्री संजय गर्ग, श्री राम कृष्ण भार्गव, श्री मनोज कुमार पारस, श्री नरेश सैनी, कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, श्री राम अचल राजभर, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया एवं डॉ0 हरगोविन्द भार्गव।

जनपद-लखनऊ में आलमबाग अन्तर्गत अवध चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्रीराम सोनकर-

[**मान्यवर,** मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद लखनऊ के आलमबाग क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले अवध चौराहे पर प्रतिदिन ट्रैफिक जाम लगता है। उक्त चौराहा जनपद लखनऊ के अति महत्वपूर्ण स्थलों यथा लखनऊ एयरपोर्ट, आगरा एक्सप्रेस-वे, जनपद कानपुर, आलमबाग बस अड्डा तथा लखनऊ शहर इत्यादि को जोड़ता है। उक्त चौराहे पर प्रतिदिन प्रातः 08.00 बजे से रात्रि तक निरन्तर जाम की स्थिति बनी रहती है जिसका प्रमुख कारण उस चौराहे के चारों ओर खड़े रहने वाले ई-रिक्शा, आटो, टेम्पो एवं प्राइवेट बसों का खड़ा रहना है। उक्त चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद रहती है परन्तु लापरवाही के चलते वहां जाम की स्थिति बनी रहती है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त अवध चौराहे पर प्रतिदिन लगने वाले जाम से निजात दिलाये जाने हेतु उचित कार्यवाही किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा अन्तर्गत ग्राम सभईपुर के प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कैलाश नाथ सोनकर-

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जनपद-वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड हरहुआ के ग्राम सभईपुर में इंग्लिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय सभईपुर में 262 छात्रों की संख्या है। स्कूल में छात्रों को बैठने के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था नहीं है जिससे छात्रों को नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। सभी छात्रों को बैठने के लिए लगभग 90 डेस्क-बेंच की आवश्यकता है। कई बार प्रयास किया गया है, किन्तु आज तक छात्रों के बैठने के लिए डेस्क-बेंच की व्यवस्था नहीं की गयी, जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश है।

अतः माननीय महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन में जनपद वाराणसी के विधान सभा क्षेत्र अजगरा के अन्तर्गत विकास खण्ड हरहुआ के ग्राम सभईपुर में इंगलिश मीडियम प्राथमिक विद्यालय में छात्रों को सम्मान के साथ बैठकर पढ़ने हेतु डेस्क-बेंच स्थापित करने हेतु वक्तव्य की माँग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ पश्चिम अन्तर्गत फ्लाईओवरों का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[मान्यवर, पश्चिम विधान सभा क्षेत्र लखनऊ में कोनेश्वर मंन्दिर से लेकर बसन्त कुंज योजना तक जाम की भयंकर समस्या बनी रहती है। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए आवश्यक है कि कोनेश्वर मन्दिर से लेकर बालागंज चौराहे एवं दुबग्गा चौराहे से होते हुए बसन्त कुन्ज योजना तक एक फ्लाईओवर का निर्माण किया जाय। अभी हाल में सरकार ने लखनऊ में दो फ्लाईओवरों का लालकुआं से डी0ए0वी0 कालेज तक और हैदरगंज चौराहे से मिल एरिया चौकी तक निर्माण किया है और तीसरा फ्लाईओवर लाल माधव चौराहे से नक्खास होते हुए नीबू पार्क तक बन रहा है और किन्हीं कारणों से उसके पूर्ण होने में विलम्ब हो रहा है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुवे कोनेश्वर मन्दिर से लेकर बसन्त कुंज योजना तक फ्लाई ओवर बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन अन्तर्गत हिण्डन नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार निम-

[महोदय, सादर अवगत कराना हे कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गांव हसनपुर भलवा में हिण्डन नदी पर पुल था जो लगभग 20 वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है। उक्त पुल पर सैकड़ों गांवों की जनता को सहारनपुर आने-जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उक्त से जनहित में हिण्डन नदी पर टूटे पुल की जगह पर नया पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए हिण्डन नदी पर टूटे पुल की जगह पर नया पुल का निर्माण किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रितेश कुमार गुप्ता-

[मान्यवर, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-28, मुरादाबाद, जनपद-मुरादाबाद में दिनांक 24-11-2019 को माननीय मुख्य मंत्री जी के जनपद-मुरादाबाद

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

भ्रमण के दौरान मुरादाबाद मण्डल में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, मुरादाबाद को निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में जिलाधिकारी, मुरादाबाद द्वारा अपने पत्र संख्या-377/आर0ए0-प्रथम/रा0वि0वि0मु0/2019-20, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र प्रेषित किया गया है, किन्तु उक्त प्रकरण में कतिपय कारणवश अभी तक अग्रेतर कार्रवाई नहीं हो पायी है। जनहित में जनपद-मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी अन्तर्गत ट्रामा सेंटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-144, मोहम्मदी जनपद लखीमपुर खीरी जो मुख्यालय से लगभग 70 से 100 कि0मी0 दूर है। स्वास्थ्य सेवा बेहतर करने के लिए ट्रामा सेन्टर की स्थापना किया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है, जिससे क्षेत्रीय जनता को स्वास्थ्य संबंधी सेवा उपलब्ध हो सके।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र गजरौला अन्तर्गत विभिन्न फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र धनौरा, जनपद अमरोहा के अन्तर्गत गजरौला में जुविलैन्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण से आम जनमानस का जीना दूभर हो गया है। इसके प्रदूषण से दमा, हार्ट, कैंसर, चर्म रोग जैसी जानलेवा बीमारियां फैल रही हैं। इसकी शिकायत जिला स्तर पर अधिकारियों से की गयी, लेकिन उनकी मिली-भगत होने के कारण इन फैक्ट्रियों के ऊपर न तो कोई कार्रवाई की गयी और न ही प्रदूषण पर नियंत्रण ही कराया गया। इससे जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। यदि समय पर कार्रवाई नहीं की गयी तो कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जुविलैन्ट, टेवा एवं अन्य फैक्ट्रियों द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण पर तत्काल रोक लगाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि प्रदेश में कार्यरत पी0आर0डी0 के जवानों का मानदेय बहुत ही कम है जिससे उनके जीवन यापन में अधिक परेशानियां हो रही हैं। मानदेय कम मिलने से इनके परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गये हैं। इन पी0आर0डी0 जवानों द्वारा मांग की जा रही है कि मेरा मानदेय बढ़ाया जाय। यह जनहित से जुडा हुआ प्रश्न है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए पी0आर0डी0 जवानों का मानदेय बढ़ाये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में ओवरहेड टैंक बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि विधान सभा क्षेत्र रसड़ा (बलिया) अन्तर्गत ग्राम सभा अजीजपुर खड़सरा, डेहरी, मटीही, अतरौली करमौता, वीरपूरा, डुमरी, सलेमपुर, उचेड़ा, बछईपुर एवं टीकादेवरी बड़े गांव होने के साथ ही यहां की आबादी भी अत्यधिक है। यह सभी गांव टोंस नदी के आस-पास बसे हैं, जोकि आर्सेनिक से बुरी तरह से प्रभावित हैं और इन गांवों का भू-जल स्तर भी काफी नीचे है। जनहित में इतनी बड़ी आबादी को देखते हुए उपरोक्त गांवों में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाया जाना अति आवश्यक है।

अतः जनहित एवं लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर रसड़ा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम सभा अजीजपुर खड़सरा, डेहरी, मटीही, अतरौली करमोता, वीरपूरा, डुमरी, सलेमपुर, उचेड़ा, बछईपुर एवं टीकादेवरी में ओवरहेड टैंक (पानी की टंकी) बनाये जाने हेतु शासन से कार्रवाई/वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर अन्तर्गत महापुरुष लकी शाह बंजारा की मूर्ति स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद कुमार कटियार-

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात में बड़ी संख्या में बंजारा समाज के लोग रहते हैं। यह बहुत ही निर्बल एवं कमजोर व आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़े हुए

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हैं। इनके पास रोजी रोटी का कोई साधन उपलब्ध नहीं है। उनके उत्थान के लिए कोई योजना नहीं बनाई गयी है।

पूरे बंजारा समाज द्वारा यह मांग की गयी है कि उनके महापुरुष लकी शाह बंजारा की एक विशालकद मूर्ति भोगनीपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थापित हो। इस बारे में बंजारा समाज शासन एवं प्रशासन को लिख चुका है, किन्तु अभी तक वह मूर्ति स्थापित नहीं हो पायी है। बंजारा समाज के इस कमजोर वर्ग के पूज्यनीय महापुरुष की आदमकद प्रतिमा लगाए जाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है। मैंने भी पत्र भेजकर बंजारा समाज की भावनाओं के अनुरूप मूर्ति स्थापित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है, किन्तु उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। इस समाज की मांग पूरी न होने के कारण पूरा समाज अपने साथ हो रहे अन्याय के प्रति चिंतित है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए सम्बन्धित मामले में तत्काल प्रभावी कार्रवाई कराने का कष्ट करें।]

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर अन्तर्गत कतिपय मार्गों पर राजकीय बसों का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, कृपया विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत कि उ0 प्र0 रा0 स0 प0 नि0 की बस जनहित में ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न वांछित स्थानों पर चलाया जाना नितान्त आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

1-गौरियाकलाँ से तकिया, ऊगु, हुलासीकुआँ, मऊ मंसुरपुर, छुही, दौलतयारपुर, जमाल नगर होते हुए परियर रोड से पावा, चकलवंशी से उन्नाव तक उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बस चलाये जाने हेतु।

2-उन्नाव से मॉखी, रसूलाबाद से मियागंज, हैदराबाद माइनर से होते हुए तकिया पतौली पुल तक उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बस चलाये जाने हेतु।

3-मुख्यालय उन्नाव से रऊकरना मॉखी, बिसिंहपुर, परेन्दा, मुंशीगंज, हसनगंज, मोहान होते हुए लखनऊ तक उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बस चलाये जाने हेतु।

अतः आपसे अनुरोध है कि लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बस जनहित में ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें।]

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका अन्तर्गत अम्बाला रोड थरौली रजवाहे के पुल से चिलकाना रोड तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मसूद अख्तर-

[महोदय, जनहित में अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-4, सहारनपुर के ब्लाक पुवांरका में अम्बाला रोड थरौली रजवाहे के पुल से ग्राम भाऊपुर होते हुए चिलकाना रोड तक लिंक मार्ग की विशेष मरम्मत एवं चौड़ीकरण किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह लिंक मार्ग लगभग 50 गांवों को जोड़ता है। यह मार्ग बनता है परन्तु कुछ माह में ही टूट जाता है जिससे आवागमन में काफी परेशानी होती है। मानक के अनुरूप मार्ग का पुनः निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की माँग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर अन्तर्गत औद्योगिक केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के ग्राम बछुआर में मिनी औद्योगिक केन्द्र के नाम भूमि उपलब्ध है, जिसका गाटा संख्या-346 है। यह भूमि अमूल दूध प्लाण्ट व अन्य मिनी औद्योगिक केन्द्र के लिये उपयुक्त है। हमारे यहां दुधारू गौवंशीय पशु लगभग 22 हजार तथा दुधारू महिष वंशीय पशु लगभग 24 हजार हैं। हमारे यहां कुल दुग्ध उत्पादन 1.5 लाख लीटर रोजाना होता है। आसपास के क्षेत्रों से भी काफी मात्रा में दुग्ध उत्पादन हो जायेगा, जिससे किसानों की आय दुगुनी होगी व रोजगार सृजन होगा।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश रामसरन वर्मा-

[महोदय, उत्तर प्रदेश शासन की प्रतिबद्धता के क्रम में यह अवधारित है कि प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) अधिष्ठापित की जायेगी।

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

ज्ञातव्य हो कि जनपद पीलीभीत तहसील बीसलपुर मुख्यालय पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) की स्थापना अब तक नहीं हो सकी है, जबकि बीसलपुर के अन्तर्गत 472 राजस्व गांव एवं 3 क्षेत्र पंचायतें सम्मिलित हैं। जनपद पीलीभीत का सबसे बड़ा तहसील परिक्षेत्र है। भौगोलिक एवं जनसंख्या की दृष्टि से यह तहसील परिक्षेत्र अत्यन्त वृहद् परिक्षेत्र है। इसलिए इस तहसील मुख्यालय बीसलपुर हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) स्वीकृत करके स्थापना किया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा करायी जाय तथा जनपद पीलीभीत, तहसील बीसलपुर हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) की स्थापना सुनिश्चित की जाये।]

जनपद लखनऊ अन्तर्गत बरगवां, बाराबिरवा थाना कृष्णानगर स्थित सेवा बिहार कालोनी में लम्बित सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री शैलेन्द्र यादव ललई-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से राजधानी लखनऊ में नगर निगम की कार्यप्रणाली के बारे में सदन को अवगत कराना चाहता हूँ। लखनऊ बरगवां, बाराबिरवा, थाना कृष्णानगर स्थित सेवा विहार कालोनी की लगभग 200 मीटर से भी कम सड़क निर्माण के सम्बन्ध में तत्कालीन आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 2018 को पत्र संख्या-613 के माध्यम से सम्बन्धित सड़क पर आने वाला व्यय का आगणन प्रस्तुत करते हुये धन उपलब्ध होने की स्थिति में निर्माण कराये जाने का उल्लेख किया गया था, जोकि आज (तीन) 03 वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात् भी धन उपलब्धता के इन्तजार में बाट जोह रही है। सड़क पूरी तरह जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पहुँच गयी है। सम्बन्धित विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, सड़क पर गड्ढे हो गये, जिनको यथासम्भव स्थानीय निवासियों द्वारा समय-समय पर स्वयं के द्वारा ही मरम्मत आदि करानी पड़ रही है। विभाग की इस प्रकार की कार्यप्रणाली से स्थानीय जनता के बीच असंतोष और रोष व्याप्त है और सरकार की छवि धूमिल हो रही है।

अतः मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुये लम्बित पड़ी सड़क के निर्माण कराने की माँग करता हूँ।]

जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र बिलारी अन्तर्गत रामपुर पट्टी के सम्पर्क मार्ग एवं कर्मशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 फईम इरफान-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान अपने जनपद मुरादाबाद के विकास खण्ड-बिलारी के अन्तर्गत रामपुर पट्टी गूजर गांव में भूप सिंह के मकान से मंगली के मकान तक 140 मीटर

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तक के रास्ते का सीसी/टाइल निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है। ग्रामीणों को बरसात में इस लोक निर्माण विभाग के मार्ग पर निकलना दूभर हो जाता है। ग्रामीणों में काफी रोष व्याप्त है। इसके अलावा रामपुर पट्टी गांव में कर्मशाला भी नहीं बनी हुई है। ग्रामीणों ने कई बार संबंधित अधिकारियों को भी अवगत कराया है परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

अतः मैं इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए सम्बन्धित विकास खण्ड-बिलारी, जिला-मुरादाबाद के अन्तर्गत रामपुर पट्टी के उक्त सम्पर्क मार्ग और कर्मशाला के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ।]

पी0डब्ल्यू0डी0 विभाग की उदासीनता से गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर पक्का सेतु बनवाने में हो रहे विलम्ब के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र के दाऊद नगर, फैजुल्लागंज आदि के लोगों को पुराना लखनऊ जाने-आने के लिए गोमती नदी को पार करना पड़ता है। फैजुल्लागंज के दाऊद नगर से कच्ची सड़क होते हुए हजारों लोग पीपे वाले अस्थायी पुल तक जाते हैं तथा वहां से कच्ची सड़क द्वारा गऊघाट पहुँचते हैं। गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपे के पुल पर केवल साइकिल, मोटर साइकिल से अथवा पैदल ही नदी पार करनी पड़ती है। कार या अन्य वाहन इस रास्ते से नहीं जा पाते। नदी में अधिक पानी आ जाने पर पीपे का पुल बह जाता है व वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने पर लगभग 10-15 किलोमीटर की दूरी तय करना लोगों की मजबूरी है।

उक्त सेतु व मार्ग बन जाने से लोगों को सुगमता होगी। सड़कों पर जाम की समस्या में कमी आयेगी। अनेक बार आग्रह करने के बाद भी विभाग उदासीन है और व्यापक जनहित के मामले में रुचि नहीं ले रहा है।

अतः लोक महत्व के इस विषय पर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए गोमती नदी पर बने अस्थायी पीपा पुल के स्थान पर पक्का सेतु तथा फैजुल्लागंज के दाऊद नगर से गऊ घाट तक पक्की सड़क बनवाने की माँग करता हूँ।]

जनपद झांसी में गुरसराय से मोंठ तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जवाहर लाल राजपूत-

[महोदय, मैं आपके आध्यम से एक अविलम्बनीय, लोकहित के विषय को सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ।

हमारे क्षेत्र में गुरसराय से मोंठ तक सड़क बहुत ही खराब व जर्जर है। स्थानीय लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। ओवरलोड ट्रकों के चलने के कारण उक्त मार्ग बुरी

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। उक्त सड़क संकरी है, जिससे जाम की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है तथा लोगों को भारी असुविधा हो जाती है। कई प्रयासों के बाद भी उक्त रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण नहीं हो सका है। आवागमन ठीक न होने के कारण स्थानीय बाजार एवं व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। उक्त रोड का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन में लाकर गुरसराय से मोंठ तक सड़क का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण करवाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश में कसौधन/कांदु/गौड़ जाति को अन्य पिछड़े वर्ग का प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय प्रताप जायसवाल-

[महोदय, राज्य पिछड़ा वर्ग द्वारा अनुसूचित जाति, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 (उ0प्र0 अधि0 संख्या-4 सन् 1994) की धारा-13 के अधीन सूची-1 में कसौधन/कान्दू/गौड़ आदि जाति के लोगों को अन्य पिछड़े वर्ग में सम्मलित किया गया था। इसके तहत राज्य के सभी सक्षम अधिकारियों को निर्देश भी जारी किया जा चुका है।

समाज कल्याण अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या-330 सी0एम0/28/03/2008 (28) 78, दिनांक 06/01/2007 द्वारा भी समुचित निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार शासनादेश संख्या, 4370/26/03/2001-3 (28) में 2 सितम्बर, 2001 में यह व्यवस्था की गयी कि 1559 फसली के अभिलेखों को ही जाति प्रमाण-पत्र का आधार न माना जाये। अपितु आवेदक के विषय में सही जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के तथा आस-पास के निर्विवादित कसौधन/कान्दू/गौड़ परिवारों से स्थलीय पूछतांछ/जांच, पड़ताल/कुटुम्ब रजिस्टर शासक संस्थाओं (स्कूल/विद्यालय) के टी0सी0 प्रमाण-पत्र आदि के आधार पर जांच-पड़ताल के उपरान्त जाति प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाये।

इस व्यवस्था का अनुपालन करके पूर्व तहसीलदार व अधिकारियों द्वारा प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाने लगा, परन्तु वर्ष 2011 से सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा उक्त शासनादेश की अनदेखी कर कसौधन/कान्दू/गौड़ जाति के लोगों का प्रमाण-पत्र निर्गत करना बन्द कर दिया गया एवं जिन लोगों को प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा चुका था, उसका नवीकरण भी नहीं किया जा रहा है एवं नये आवदेकों का आवेदन भी 1359 फसली के अभाव में रद्द किया जा रहा है, जबकि शासनादेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त जातियों के लिए 1359 फसली को ही एक मात्र आधार न माना जाये बल्कि स्थलीय सर्वेक्षण कराकर प्रमाण-पत्र

नोटः- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

निर्गत किया जाये। इससे प्रभावित होने वाले जनपद बस्ती के अतिरिक्त संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, गोण्डा, बलरामपुर, बहराइच, गोरखपुर, रायबरेली, बाराबंकी, बांदा, फतेहपुर, बरेली एवं अन्य जिले हैं इसके पूर्व भी मेरे द्वारा पत्र के माध्यम से सरकार से अनुरोध किया गया था, परन्तु आज तक प्रकरण पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। शासनादेश का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई कर प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाना अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कानपुर नगर के विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम टिकरी गैरवां बांगर मजरे मकरन्दपुर में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

[महोदय, सादर अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र घाटमपुर के विकास खण्ड घाटमपुर अन्तर्गत ग्राम टिकरी गैरवां बांगर मजरे मकरन्दपुर में कोई भी प्राथमिक विद्यालय न होने से उक्त गांव के बच्चो को सुलभ शिक्षा नहीं मिल पा रही है। विद्यालय न होने के कारण सरकार द्वारा चलायी जा रही सर्वशिक्षा अभियान एवं सबको सर्वशिक्षा अभियान पूरा नहीं हो पा रहा है एवं बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त गांव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराये जाने की मांग करता हूँ]

[01:44] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएँ

श्री अधिष्ठाता-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 56 सूचनायें प्राप्त हुईं।

पहली सूचना श्री अमिताभ बाजपेयी की जनपद कानुपर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र में भू माफियाओं की दबंगई से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री फतेह बहादूर सिंह की जनपद उन्नाव के नगर पंचायत बीघापुर में कृषि कल्याण केन्द्र की स्थापना कराये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विकास खण्ड क्षेत्र डलमऊ ऊँचाहार-कानपुर मार्ग से कोल्ड स्टोरेज के बगल से पथरौली होकर बांसी परान जाने वाले मार्ग के निर्माण के संबंध में है, चौथी सूचना श्री मोहम्मद असलम "राईनी" (एडवोकेट) की जनपद श्रावस्ती में आबकारी विभाग द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के संबंध में है, पांचवी सूचना श्री आशुतोष उपाध्याय की जनपद देवरिया के भाटपार रानी ब्लॉक को अन्यत्र विस्थापित न कराये जाने के संबंध में है तथा छठी सूचना श्री मनीष असीजा

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

की जनपद फिरोजबाद की तहसील सदर में उप जिलाधिकारी द्वारा की गई अनियमितताओं की जाँच कराये जाने के संबंध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के एम0डी0ए0 कालोनी की जर्जर सड़कों एवं जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री संजय गर्ग की जनपद सहारनपुर के ग्राम मानकमऊ में कतिपय कब्जा हटाये जाने के संबंध में है तथा तीसरी सूचना डा0 मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद के वि0स0 क्षेत्र शिकोहाबाद में पेयजल की समस्या के निराकरण के संबंध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं।

पहली सूचना श्री श्रीराम सोनकर की जनपद लखनऊ में आलमबाग के अन्तर्गत अवध चौराहे पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात दिलाये जाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्रीमती सुषमा पटेल की जनपद जौनपुर के नगर पंचायत मडियाहूं में स्टेशन रोड तिराहा से मडियाहूं तक सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया की बन्द पड़ी सरकारी चीनी मिल को चालू कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की जनपद लखनऊ के अन्तर्गत रानी लक्ष्मी बाई संयुक्त चिकित्सालय में कतिपय वार्डों को चालू कराये जाने एवं चिकित्सकों की नियुक्ति किये जाने के संबंध में है, पांचवीं सूचना श्री देवेन्द्र निम की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र रामपुर मनिहारन में टूटे पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के संबंध में हैं, छठी सूचना श्री लोकेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद लखीमपुर खीरी में गोमती नदी की सिल्ट सफाई किये जाने के संबंध में है, सातवीं सूचना श्री विनोद कटियार की जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र भोगनीपुर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा स्थापित कराये जाने के संबंध में है, आठवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा की प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं उनकी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाये जाने के संबंध में है, नौवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के वि0स0 क्षेत्र बदलापुर में बक्शा से रसिकापुर सड़क मार्ग तथा रसिकापुर से लोहिन्दा (बंधवा) सड़क मार्ग का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, दसवीं सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की जनपद पीलीभीत के विकास क्षेत्र बीसलपुर में निर्माणाधीन भवनों को स्थानीय अधिकारियों को हस्तगत किये जाने के संबंध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद बहराइच में एक्स-रे विभाग के प्रभारी डा0 के0 कुमार रेडियोलॉजिस्ट तथा श्री बी0एस0 परिहार एक्स-रे टेक्नीशियन द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जाँच कराये जाने के संबंध में है, बारहवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झाँसी में दिनाँक 15-16 की रात में हुई ओलावृष्टि से रबी की फसल के नुकसान का मुआवजा किसानों को दिलाये जाने के संबंध में है, तेरहवीं सूचना श्री अमन मणि त्रिपाठी की जनपद महराजगंज के वि0स0 क्षेत्र नौतनवां में भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों का विकास कराये जाने के संबंध में है, चौदहवीं सूचना डा0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ के आई0आई0एम0 रोड से नौबस्ता, ककौली, डुडौली होते हुए गोमती नदी पर कच्चे नाले को पक्का कराये जाने के संबंध में है तथा पन्द्रहवीं सूचना,

श्री फहीम इरफान की, कल्पवट रियल स्टेट कम्पनी द्वारा जनपद सम्भल में जनता के साथ की गई ठगी की जाँच कराये जाने के संबंध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

श्री रामकृष्ण भार्गव, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री सुरेन्द्र मैथानी, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, श्री ज्ञान तिवारी, श्री पूरन प्रकाश, प्रो0 श्याम बिहारी लाल, कुं0 नरेन्द्र पाल सिंह, श्री लालजी वर्मा, श्री राम अचल राजभर, श्री लकी यादव, श्री पवन कुमार उर्फ पवन केडिया, श्रीमती जय देवी, डॉ0 हरगोविन्द भार्गव, श्री किशन लाल राजपूत, श्री सत्यवीर त्यागी, श्री धनन्जय कन्नौजिया, श्री प्रेमसागर पटेल, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री सोबरन सिंह यादव, श्री ओंकार सिंह यादव, ई0 बृजेश कठेरिया, श्री सुभाष राय, श्री ममतेश शाक्य, श्री मनोज कुमार पारस, श्री असलम अली, श्री मसूद अख्तर, श्री नरेश सैनी, श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना', श्री बम्बालाल, श्री शैलेन्द्र यादव ललई तथा श्री संजय प्रताप जायसवाल।

[01:46] उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 7वां प्रतिवेदन†

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 7वां प्रतिवेदन, जो उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूँ।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 8वां प्रतिवेदन†

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 8वां प्रतिवेदन, जो ऊर्जा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 9वां प्रतिवेदन†

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 9वां प्रतिवेदन, जो चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 10वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 10वां प्रतिवेदन, जो पर्यटन विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 11वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 11वां प्रतिवेदन, जो गृह विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 12वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 12वां प्रतिवेदन, जो ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 13वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 13वां प्रतिवेदन, जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 14वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 14वां प्रतिवेदन, जो बेसिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 15वां प्रतिवेदन†

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 15वां प्रतिवेदन, जो नगर विकास विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 16वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, में आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान समिति (2019-2020) का 16वां प्रतिवेदन, जो माध्यमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 17वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 17वां प्रतिवेदन, जो पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

---

† छापा नही गया।

उ0प्र0 सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 18वां प्रतिवेदन †

श्री विनोद कुमार कटियार-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सत्रहवीं विधान सभा की याचिका समिति (2019-2020) का 18वां प्रतिवेदन, जो लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

[01:48] श्री बम्बालाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 20 याचिकाएँ[†] †

श्री बम्बालाल-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के ब्लाक नवाबगंज के ग्राम रायपुरगढ़ी के अन्तर्गत लल्लू धोबी के मकान के निकट 125 मी0 नाले का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री महेश चौधरी व अन्य निवासीगण की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत बरहाकला सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र से लखनऊ बांगरमऊ रोड से समानान्तर मियाँगंज चकलवंशी मार्ग तक लगभग 600 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में श्री अनुज त्रिवेदी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत पारा से हैदराबाद तक लगभग 500 मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

4—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के मियाँगंज के पं0 विशम्भर दयाल त्रिपाठी वित्त पोषित इण्टर कालेज की बिल्डिंग, बाउन्ड्रीवाल तथा शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान प्रकाश प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

5—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के सफीपुर मियाँगंज तिराहे से लखनऊ बॉगरमऊ मुख्य मार्ग से मियाँगंज पावर हाउस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक नाला लगभग 700 मीटर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्नु गुरु व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

6—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत कतिपय विद्यालयों के कायाकल्प योजनान्तर्गत फर्नीचर उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज बहादुर व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

7—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के वि0ख0 मियाँगंज के अन्तर्गत ग्राम बरहाकला में पंचायत भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीण कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

8—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर के बिरसिंहपुर मजरा मखारा से पवई सोनिक सम्पर्क मार्ग दूरी लगभग 3.00 कि0मी0 सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

9—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, वि0ख0 मियाँगंज के अन्तर्गत लखनऊ बांगरमऊ राजमार्ग पर नंगा खेडा चौराहा कुरसठ होते हुए डकौली परसहरा होते हुए शिवराज खेड़ा होकर संडीला उन्नाव रोड पर बस अड्डा इनायतपुर चौराहा रोड का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमनाथ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

10—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सफीपुर, विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत लगलेसरपुर से मॉखी रसूलाबाद सम्पर्क मार्ग तक लगभग एक कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुशील तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

11—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत मुंशीगंज हसनगंज सम्पर्क मार्ग से पमेधिया हनुमान मन्दिर तक लगभग 01 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

12—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत कोटरा मॉखी चौराहे से बलराम सिंह के घर तक लगभग 700 मी0 जर्जर सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

13—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत आसीवन तरफ सिद्धनाथ पंचायत घर से चौरसिया के घर लगभग 900 मी0 डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरवन चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

14—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत चकलवंशी मियाँगंज सम्पर्क मार्ग से सारंगहार तक लगभग 600 मी0 जर्जर सड़क का

डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रियाँश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

15—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत देवगाँव रामपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क से नाजिरपुर से सद्गुरुधाम तक एक कि0मी0 सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

16—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियाँगंज के अन्तर्गत श्री धुन्नु नाई के घर से गोसवा पी0डब्लू0डी0 रोड तक लगभग 150 मी0 इण्टरलॉकिंग/आर0सी0सी0 रोड का निर्माण के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

17—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के सफीपुर गाँधी नगर में विद्युत विभाग द्वारा लगभग 50 पोल लगाये जाने तथा मो0 टिकरी एवं गांधी नगर धुबियाना, राहतगंज बड़ी बाजार में जर्जर तारों को बदलने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

18—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के सफीपुर टाउन एरिया में विद्युत विभाग द्वारा एबीसी केबिल के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

19—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के सफीपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में 5 मेगावाट का ट्रांसफार्मर की क्षमता 10 मेगावाट किये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार कनौजिया व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूँ तथा

20—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम रायपुर गढ़ी में जर्जर तारों को बदलने व खम्भे लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता—

श्री बहोरनलाल मौर्य जी आप पहली याचिका पढ़ दीजिए शेष पढ़ी हुयी मानी जायेंगी।

श्री बहोरनलाल मौर्य, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ †

श्री बहोरनलाल मौर्य-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम दौली रघुवर दयाल में मठिया चौराहे से राघोपुर होते हुए घुरा तक पक्की सड़क निर्माण कराये

† छापी नहीं गयी।

जाने के सम्बन्ध में श्री होरी लाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं,

2—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम माधौपुर में संखा नदी से ग्राम मुरसुदाबाद तक पक्की सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राज राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम पिपौली में पिपौली से गांव की श्मशान भूमि तक खड़न्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दुर्गा प्रसाद गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं,

4—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील बरेली के अन्तर्गत ग्राम पचदौरा दोहरिया में शवदाह गृह तथा शमशान भूमि की चहारदीवारी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं,

5—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्राम मसीत की पुलिया से महेशपुर शिव सिंह तक मिटटी एवं खड़न्जा का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बांकेलाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं,

6—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्राम सब्जीपुर खाता में प्राथमिक विद्यालय से निर्मुआ रोड में पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होरीलाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूँ,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्राम महेशपुर शिव सिंह में मुख्य मार्ग से दुर्गा मन्दिर से दुर्गा प्रसाद के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नौवत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भोजीपुरा के अन्तर्गत शंखा पुल धन्तिया से नौगवां घाटमपुर अड्डा तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक यादव व अन्य निवासी जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूँ तथा

9—मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विकास खण्ड भोजीपुरा के अन्तर्गत ग्राम बीरपुर कासिम नगर में मन्दिर से पक्की सड़क तक मिट्टी कार्य एवं खडन्जा निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डु भैया, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 07 याचिकाएँ (व्यपगत)†

श्री बृजभूषण राजपूत उर्फ गुड्डू भैया, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1—जनपद महोबा में बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे पर चल रहे निर्माण में स्थानीय निवासियों व लौटे प्रवासियों को रोजगार में प्राथमिकता के सम्बन्ध में श्री पीयूष खरे व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

2—जनपद महोबा में प्राथमिक स्कूल में ड्रेस(स्वेटर) वितरण के सम्बन्ध में श्री पीयूष खरे व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

3—जनपद महोबा के अन्तर्गत कस्बा जैतपुर में बाईपास सड़क निर्माण के सम्बन्ध में श्री पीयूष खरे व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

4—जनपद महोबा के अन्ना पशुओं के सम्बन्ध में श्री आनन्द द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

5—जनपद महोबा के ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका,

6—जनपद महोबा में किसानों से सरकारी गेहूं, चना खरीद में व्यापक पैमाने पर घोटाला के सम्बन्ध में श्री कुलदीप भटनागर व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

7—जनपद महोबा के अर्जुन सहाय नहर परियोजना में घोटाला के सम्बन्ध में श्री आनन्द द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्री मनोज कुमार पारस, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 15 याचिकाएँ †

श्री मनोज कुमार पारस-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम औरंगजेबपुर फाजिल से ग्राम गोपालपुर तक 2 किमी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में डॉ0 नरेश व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम भरैकी से ग्राम नसीरपुर मिठारी तक 2 किमी0 सड़क की मरम्मत एवं छूटी पड़ी 0.50 कि0मी0 बनवाने के सम्बन्ध में श्री अमित कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

† छापी नहीं गई।

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम शादीपुर से ग्राम ईलाइचपुर खडदु (सिकेडा) तक 2 किमी0 सड़क बनवाने के सम्बन्ध में श्री लज्जार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम औरंगपुर फत्ता से ग्राम सरकडा खेडी तक 0.665 किमी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम भोजपुर से ग्राम बुडगरा तक 2.09 किमी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री नवीन प्रताप व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम अमाननगर से ग्राम सुरानंगली तक 2 किमी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के नगीना बढ़ापुर मार्ग से ग्राम नन्दपुर उर्फ खैरुल्लापुर होते हुए नहर तक 700 मी0 सड़क बनवाने के संबंध में श्री हाजी शौकत व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम इस्लामपुर बेग्गा से ग्राम कुम्हैडा तक 1 किमी0 नहर की पटरी डामर रोड बनवाने के संबंध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के नगीना अकबराबाद रोड से सिटी डिग्री कॉलेज के पास से ग्राम शाहलीपुर आशा तक सड़क बनवाने के सम्बन्ध में श्री नसीम अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के ग्राम मसूरी से ग्राम अलीपुरमान उर्फ खेडा तक 500 मी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री मानसिंह कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के ग्राम अकबराबाद में लगने वाले साप्ताहिक बाजार के स्थान पर रोड के किनारे टाईल्स लगवा कर चौड़ा कराने के सम्बन्ध में श्री फहीमुददीन व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली में नगीना कोतवाली मार्ग से ग्राम बनवारीपुर एवं चन्दुपूरा नहर की पटरी होते हुए अलीपुर मान

तक 700 मी0 सड़क बनाये जाने विषयक श्री मोहित त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम गोविन्दपुर अम्बेडकर मूर्ति से किरतपुर अकबराबाद मार्ग तक 700 मी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री टिकम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम जलालपुर सुल्तान में राम सिंह कश्यप के मकान से ग्राम गनौरा होते हुए नन्दपुर मार्ग तक 1 कि0मी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री राम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बिजनौर के विकास खण्ड किरतपुर के ग्राम भनेडा से ग्राम खटाई तक नहर की पटरी 1.84 कि0मी0 सड़क को बनवाने के सम्बन्ध में श्री जमशैद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री मूलचन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जालौन से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री मूलचन्द्र सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवम मिश्र व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के तहसील माधौगढ़ के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री हरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जालौन के तहसील कोंच के अन्तर्गत कोंच नगर में सीवर लाइन की सफाई, मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सुनील लोहिया व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद-जौनपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के नगर पंचायत बदलापुर के अन्तर्गत विद्युतीकरण के सम्बन्ध में श्री शक्ति सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

† छापी नहीं गई।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर, विकास खण्ड बक्शा के अन्तर्गत प्राथमिकता पर ग्राम बेलांवा में पानी की टंकी के सम्बन्ध में श्री भीम चौहान व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद जौनपुर के विकास खण्ड बाबूगंज में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमर वैश्य व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री राकेश सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद-रायबरेली से सम्बन्धित 06 याचिकाएँ †

श्री राकेश सिंह-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्द्रपुर में तहसील स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र हरचन्दपुर में कतिपय मार्गो को चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के संबंध में श्री महेन्द्र विक्रम सिंह, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के गुरुबक्शगंज में अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड सतांव में ग्राम पूरे चौहान मजरे पोरई के कतिपय ग्रामों के मध्य सई नदी पर पुल के सम्बन्ध में श्री विजय कुमार शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्द्रपुर के कस्बा गंगागंज में 33 के0वी0 का विद्युत गृह बनवाये जाने के संबंध में श्री मुन्ना पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद रायबरेली के विकास खण्ड खीरो एवं सतांव में 132 के0वी0 का विद्युत गृह लगाये जाने के संबंध में श्री सर्वेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित याचिका †

श्री रजनीकान्त मणि त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र कुशीनगर में महत्वपूर्ण मुख्य मार्गों पर परिवहन निगम के बसों के संचालन के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र मणि त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

---

† छापी नहीं गई।

श्री सुरेन्द्र मैथानी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित 09 याचिकाएँ †

श्री सुरेन्द्र मैथानी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र स्थित तात्या टोपे नगर में पुल मार्ग के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानुपर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत रतनलाल नगर स्थित खुले नाले के कारण जानलेवा जहरीली गैस उत्सर्जित होने के सम्बन्ध में श्री नीरज गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के ऐ0टू0जेड0 कम्पनी द्वारा पनकी बाई पास पर बनाये गये कूड़े के डम्प स्थल को अन्य कहीं स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रमणि चौबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय स्थलों पर खराब नलकूप/ट्युबवेल को री-बोर कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय पार्को का निमार्ण के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित मामा तालाब के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश कटियार व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर के गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पनकी एवं दबौली क्षेत्र में कतिपय अत्यन्त जर्जर सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर की गोविन्द नगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड 9 व 67 की कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ तथा

† छापी नहीं गई।

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर की विधान सभा क्षेत्र गोविन्द नगर की मलिन बस्तियों में पेयजल की आपूर्ति हेतु नये हैण्ड पम्प लगाये जाने विषयक श्री विपिन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री सत्यवीर त्यागी, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मेरठ से सम्बन्धित 03 याचिकाएँ †

श्री सत्यवीर त्यागी-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम रजपुरा, ब्लाक रजपुरा अमन विहार कॉलोनी में पुष्पेन्द्र की दुकान से रविन्द्र के मकान तक सी0सी0 टाईल्स का पक्का रास्ता बनाने के सम्बन्ध में श्री सुशील चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम गोविन्दपुर जयकरण के घर से रजवाहे के पुल तक ब्लॉक-माछरा जाने वाले रास्ते का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मेरठ के अन्तर्गत ग्राम दतावली, ब्लाक-रजपुरा, ग्राम दतावली से गोकुलपुर तक सड़क बनाने के सम्बन्ध में श्री भोपाल चौहान व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान, सदस्य, विधान सभा की जनपद-कानपुर नगर से सम्बन्धित याचिका †

श्री उपेन्द्र नाथ पासवान-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कानपुर नगर की नगर पालिका परिषद् घाटमपुर में बरसात के पानी की निकासी हेतु एन0एच0-86 में स्थित गुजेला ग्राम नोन नदी तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर नगर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहाँपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ (व्यपगत) †

श्री वीर विक्रम सिंह, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड जैतीपुर अन्तर्गत ग्राम पंचायत बन्थरा नंगला में नहर पर क्षतिग्रस्त पुलिया का नवनिर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम विहारी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गई।

2-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड मदनापुर में ग्राम दमगढ़ा में सम्पर्क मार्ग बनवाने के सम्बन्ध में श्री श्रीपाल व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कटरा के अन्तर्गत खैरपुर से सहमापुर तक क्षतिग्रस्त डामरीकरण का पुनः निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री राम निवास भदौरिया व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका तथा

4-जनपद शाहजहाँपुर के विकास खण्ड कटरा के अन्तर्गत तिलहर जैतीपुर मार्ग से कमलापुर सराय लोहानी दिउरिया का क्षतिग्रस्त मार्ग का डामरीकरण/पुनः निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में श्री पंचु गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहाँपुर की याचिका।

श्री तेजपाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री तेजपाल सिंह नागर, सदस्य, विधान सभा की अनुपस्थिति में जनपद अयोध्या में सेतु निर्माण इकाई में सहायक अभियन्ता (सिविल) के पद पर कार्यरत प्रार्थी के 50 प्रतिशत निलम्बन अवधि का अवशेष भुगतान एवं वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार पटैरिया व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका व्यपगत हुई।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 19, जनपद-उन्नाव से सम्बन्धित 03 तथा जनपद-लखनऊ से सम्बन्धित 02 याचिकाएं †

श्री जवाहर लाल राजपूत-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में रामनगर-एरच बेंदा सम्पर्क मार्ग से हरदुआ तक सम्पर्क मार्ग पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश व्यास व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में बरनवा से बेलमा (बड़ा) तक सम्पर्क मार्ग पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में सेरसा से उजयानपुरा तक सम्पर्क मार्ग पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में मोठ से जौरा तक सम्पर्क मार्ग बहाल करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजा सिंह बुंदेला व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

† छापी नहीं गई।

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में गढ़ुका से परगहना तक रोड का पुनर्निर्माण करवाये जाने के संबंध में श्री चन्द्र जीत गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में मोठ रेलवे स्टेशन के पास उत्तर-मध्य रेलवे झांसी-कानपुर रेल खण्ड पर ओवर ब्रिज का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक केशवानी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में एरच-ककरवई मार्ग के कि0मी0 30 पर काज-वे का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में अम्मरगढ़ से बकुआं तक सम्पर्क मार्ग पक्का बनवाये जाने के संबंध में श्री नरेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में सिया खरका से चका डोरी धाम मंदिर तक सम्पर्क मार्ग पक्का बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के जानकीपुरम गार्डन, जानकीपुरम में एपीएम गेस्ट हाउस के पश्चिम द्वार में चन्द्रशेखर सिंह के आवास से श्याम जी शुक्ला के आवास तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 चन्द्रशेखर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका उपस्थित करता हूं,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में महाराजगंज की ढेरी की पुलिया से इंगुईकलां तक सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री चेतराम तिवारी व निवासीगण जनपद झांसी की याचिका उपस्थित करता हूं,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर में पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरेन्द्र विक्रम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की तहसील बीघापुर की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के ग्राम रम्माखेड़ा के गरीब एवं बेघर लोगों को निःशुल्क आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिश्चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका उपस्थित करता हूं,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र भगवन्तनगर की ब्लाक पुरवा की ग्राम पंचायत त्रिपुरारपुर के अन्तर्गत ग्राम रम्माखेड़ा से कोदइयाखेड़ा तक

पक्का डामरयुक्त मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद लखनऊ के सेतु निगम में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की पदोन्नति के मामले में अनियमितता के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के गुरसरांय मुख्य नहर के गढ़वई रजवाहा की माइनरों में टेल तक पानी पहुंचाने के संबंध में श्री शंकर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के मुख्य बेतवा नहर के मोंठ रजवाहा पर 04 किमी0 पर बने साइफन को तोड़कर पानी का बहाव ऊपर से किये जाने के संबंध में श्री दिनेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के मुख्य बेतवा नहर की हमीरपुर शाखा के खिल्ली माइनर में पानी टेल तक पहुँचाने के सम्बन्ध में श्री ज्ञान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

19-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी के बछेह/गुरसरांय पावर हाउस (132 के0वी0) से बढ़वार फीडर पर किसानों को लो-वोल्टेज की समस्या का निराकरण के संबंध में श्री दर्शन सिंह घोष व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

20-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में मोंठ ब्लाक के लोहागढ़ से सेरसा जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के संबंध में श्री अजय पाल सिंह गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

21-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झांसी में बामौर ब्लाक के खड़ेनी से बामौर होते हुए गढ़वई तक सड़क को चौड़ा कराये जाने के संबंध में श्री दशरथ सिंह चौहान व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

22-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झाँसी के मोंठ ब्लाक के शाहजहाँपुर से पुलगहना तक जर्जर सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भवानी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

23-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झाँसी के मोंठ रेलवे स्टेशन के पास मोठ समथर सड़क पर ओवरब्रिज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक केशवानी व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

24-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद झाँसी के भस्नेह बांध/बड़वार झील को भरने हेतु गुरसरांय मुख्य नहर से पोषक नहर के निर्माण के सम्बन्ध में श्री ललित पटेल व अन्य निवासीगण जनपद झाँसी की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-सीतापुर से सम्बधित याचिका †

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

मान्यवर, में आपकी अनुज्ञा से जनपद सीतापुर की तहसील महमूदाबाद, थाना सदरपुर के ग्राम सदरपुर से बिसवां तक अति जर्जर सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामलखन निवासी जनपद सीतापुर की याचिका प्रस्तुत करता हूँ।

श्री ओम प्रकाश राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, हमें बीमारी है सर। अभी हम लोग वह खरीदे नहीं हैं। माल है नहीं। (हंसी) माल तो सरकार दे ही नहीं रही है, पहले तो देती थी खरीदने के लिए।

श्री अधिष्ठाता-

कोई बात नहीं, चलिए आगे पढ़िए।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के ग्राम दरियापुर, पो0 बरेसर, तहसील कासिमाबाद भवदास से हरिवंश राजभर के घर के सामने तक नहर पर पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री शिवमुनी राजभर व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका उपस्थित करता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

श्री अजय कुमार "लल्लू" उपस्थित नहीं हैं।

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या, सदस्य, विधान सभा की जनपद-मिर्जापुर से सम्बधित याचिका †

श्रीमती शुचिस्मिता मौर्या-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद मिर्जापुर की तहसील मिर्जापुर के अन्तर्गत कछवा नगर पंचायत द्वारा निर्मित सीवर लाइन से जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने के संबंध में श्री दीपक उपाध्याय व अन्य निवासीगण जनपद मिर्जापुर की याचिका उपस्थित करती हूं।

श्रीमती सरोज सोनकर, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बहराइच से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

श्रीमती सरोज सोनकर-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा चुरवा में खैरी गांव से पटाव मोड़ तक लं0 01 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में श्री सुरेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

---

† छापी नहीं गई।

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा बेझा में मझरा पचासा से कोले के घर तक लं0 04 कि0मी0 सड़क का निर्माण किये जाने के संबंध में श्री सुरेश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा हसुलिया में महादेवा से गड्डी बाबा तक लं0 1.5 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री विनोद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका तथा

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बहराइच की तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के ग्राम सभा झाला में डा0 राम सहारे के घर से निरंकार मौर्य के घर तक लं0 01 कि0मी0 सड़क का निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री सीतला प्रसाद जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बहराइच की याचिका प्रस्तुत करती हूं।

डा0 संगीता बलवंत, सदस्य विधान सभा की जनपद-गाजीपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएँ †

डा0 संगीता बलवन्त-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत ग्राम सिरगिथा में अम्बिका के दरवाजे से खड़ारी नदी तक नाली निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री इन्द्रदेव प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करती हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर की विधान सभा क्षेत्र सदन के अन्तर्गत ग्राम धरीखुर्द में शिवकुमार यादव के घर से आराजी कुकुढ़ा में अनिल बिन्द के घर तक पिच रोड निर्माण विषयक श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करती हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड मनिहारी के अन्तर्गत ग्राम मदारपुर में पिच रोड से खड़ारी नदी तक सड़क निर्माण विषयक श्री इन्द्रदेव प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करती हूं तथा

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गाजीपुर के विकास खण्ड जमानियां के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् जमानियां वार्ड संख्या 4 से 11 हजार वोल्ट के विद्युत तारों को मलिन बस्ती (राजपुर, जुनेदपुर) के ऊपर से हटवाने या भूमिगत कराये जाने विषयक श्री पारसनाथ तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गाजीपुर की याचिका प्रस्तुत करती हूं।

† छापी नहीं गईं।

डा0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 17 याचिकाएँ, जनपद-सिद्धार्थनगर व जनपद-वाराणसी से सम्बन्धित 01-01 याचिका †

डा0 डी0 सी0 वर्मा-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत ग्राम पिरैला, तहसील इटवा में ईदगाह की जमीन पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मदरसा रजाये मुस्तफा इस्लामियां मान्यता की जांच कराये जाने विषयक प्रकरण की जांच कराने के संबंध में श्री सुभान अली व अन्य निवासीगण जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद वाराणसी के विकास खण्ड चिरईगांव की ग्राम सभा रैमला में स्थित मंदिरों को पर्यटन विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से सौन्दर्यीकरण कराये जाने विषयक श्री विनय कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद वाराणसी की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम परेवा मोहम्मद अली में पश्चिम की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री राम पाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

4-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम हल्दीकला में राजकीय पशुचिकित्सालय बनाये जाने विषयक श्री वीरपाल पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

5-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में राजकीय पालीटेक्निक बनाये जाने के संबंध में श्री भगवान सिंह गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

6-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में ग्राम रफियाबाद में नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य कराये जाने विषय श्री भूवनचन्द्र गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

7-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज की नगर पंचायत फतेहगंज पश्चिमी को ग्राम रहपूरा जागीर, चिटौली, उनासी एवं खिरका को जोड़कर नगर पालिका बनाये जाने के संबंध में श्री अजय सक्सेना व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

8-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम आनन्दपुर बकैनिया के आबादी वाले क्षेत्र में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री रामनरेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

---

† छापी नहीं गईं।

9-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम नगरिया सोवरनी से केशरपुर तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सत्यपाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

10-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बसई से वाया रतनपुरा सहोड़ा सिहोर मार्ग तक डामर रोड का निर्माण कराये कराये जाने विषयक श्री अशोक कुमार गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

11-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम जगदीशपुर में पश्चिम की ओर कुल्ली नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम प्रकाश गंगवार व अन्य की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

12-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पडरी खालसा से कैथोला बेनीराम तक डामर रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री टीकाराम कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

13-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बढ़ेपूरा से दाड़ा के बीच रोड का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री प्रेमपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

14-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम तातरपुर में दक्षिण की ओर नाले पर पुलिया का निर्माण कराये जाने विषयक श्री सतेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

15-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की तहसील मीरगंज में शंखा मढौली मार्ग से ग्राम टियुनिया तक सड़क निर्माण कार्य के संबंध में श्री भद्रसेन गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

16-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के मीरगंज में बल्लिया, शीशगढ़ मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री खेमपाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

17-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के मीरगंज में मीरगंज के ग्राम धनतिया व देवरिया अब्दुल्लागंज के बीच नाला व रोड तथा पुलिया निर्माण विषयक श्री चेतराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

18-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के ग्राम खमरिया आजमपुर में दक्षिण की ओर नाले पर पुलिया का

निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री नेतराम गुर्जर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

19-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली की विधान सभा क्षेत्र मीरगंज में ग्राम मढौली व अगरास के बीच शंखा नाले पर पुल व सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने विषयक श्री नत्थुलाल गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका प्रस्तुत करता हूं।

डा0 अरुण कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद-बरेली से सम्बन्धित 02 याचिकाएँ †

डा0 अरुण कुमार-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर, समाधी गौटिया में बब्लू गुप्ता के मकान से नत्थुलाल वाली गली तक सड़क व नाली निर्माण कार्य के संबंध में श्री पप्पू रस्तोगी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं तथा

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र सदर, बरेली के कर्मचारी नगर के नगरिया परीक्षित में शिव मन्दिर के पास पप्पू के मकान तक नाला निर्माण कार्य के संबंध में श्री चेतना स्वरूप व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद सं0-37 में कुछ नहीं है। अब मद सं0-38(1)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

अब हम कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें लेते हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 19 फरवरी, 2021 की बैठक में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 22 फरवरी, 2021 को निम्नलिखित विधेयकों की विचार एवं पारण संबंधी मदें ले ली जायें :-

1-उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021

2-उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

3-सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021

4-उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

† छापी नहीं गई।

5-उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

6-राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

7-उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

शेष कार्यक्रम यथावत् रखा जाय।

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें जिसकी सूचना आज श्री अधिष्ठाता महोदय द्वारा सदन में दी गयी हैं, सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य राज्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[02:05] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 †

श्री अधिष्ठाता-

आप इसे पुरःस्थापित कर दें।

संसदीय कार्य, ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम विकास राज्य मंत्री (श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री आनन्द स्वरूप शुक्ल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2021 को पुरःस्थापित करता हूँ।

[02:06] श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

अब माननीया राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर श्री योगेन्द्र उपाध्याय जी धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

---

† दिनांक 16 मार्च, 2021 के आसाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव रखने का जो अवसर दिया है, मैं उसके लिए आपका हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। अधिष्ठाता जी, 18 फरवरी, 2021 को इस सदन में कुछ ऐसा घटा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जहाँ तक मेरी याददाश्त है या मेरे होशो-हवाश हैं, संसदीय प्रणाली में ऐसा दृश्य कभी देखने को नहीं मिला, ऐसी दुर्घटना घटने वाली बात कभी नहीं हुई, जो उस दिन हुई। देश जनतंत्र का अजेय दुर्ग है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी है। इसके किसी भी सदन में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के पश्चात् विपक्ष के नेता यह माँग करें कि उनको दोबारा बुलाया जाए और अभिभाषण दोबारा पढ़ा जाए। यह एक बड़ी शोचनीय स्थिति थी। कोई भी नियम इस सदन का नहीं कहता कि ऐसा कराया जा सकता है, न कोई परम्परा कहती है। यह सदन नियम और परम्पराओं से चलता है। न तो कोई नियम ऐसा है, न कोई परम्परा ऐसी है, लेकिन ऐसा आग्रह किया गया। मैं सोच रहा था क्योंकि कोई भी लोकतंत्रवादी, लोकतंत्र प्रिय यह सोचेगा कि आखिर यह माँग क्यों रखी गई, आखिर विपक्ष में धीर-गम्भीर लोग हैं, तो समझ में आया कि पिछले 04 साल का जो इनका ट्रैक रिकार्ड था अभिभाषण का, वह यह पूरा नहीं कर पाए तो इनके मन में कोई टीस उठ रही थी। ये जैसे ही अभिभाषण शुरू हुआ, सदन से बाहर चले गए, भजोई लाल वहाँ बैठे थे, लाबी में, वहाँ देख रहे थे, सदन में अभिभाषण चल रहा था, वह देख रहे थे, उन्हें लगा कि यह शान्तिपूर्ण अभिभाषण क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारी संस्कृति तो दूसरी है और यही कारण हुआ कि अभिभाषण समाप्ति के बाद जब वह सदन में आए तो इस माँग को कर बैठे।

मान्यवर, इस बहिर्गमन के पीछे वहां बैठकर उन्होंने जो कुछ देखा जिससे कि उनका डी0एन0ए0 कुलबुला रहा था, क्योंकि इनके डी0एन0ए0 में हुड़दंग है। वर्ष 2017 में जब हम इस सदन में आए थे तो अधिष्ठाता महोदय 325 सीटों के बहुमत से भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल आए थे। 325 सीटें जीतने की खुशी हम सबको थी, मैं भी भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता हूं। मुझे खुशी होने के साथ ही चिंता भी हो रही थी, उनकी विपक्ष की दुर्दशा को देखकर उसकी निराशा को देखकर और हताशा को देखकर मुझे 1993 याद आ रहा है, क्योंकि या तो उत्साह के अतिरेक के मद में मर्यादाएं टूटती हैं। मर्यादाहीन होता है आदमी, या हताशा के गर्त में जाकर मर्यादाहीन होता है। 1993 में यही सदन था, मा0 मुख्य मंत्री जी, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष इनके आगे जो माइक लगा रहता है और जो सीक के आकार का है। 1993 में ऐसे ही माइक हर सीट पर लगे होते थे, हर विधायक के सामने लगे होते थे और वह मजबूत लोहे के पाइप के होते थे। हमने दर्शक दीर्घा में बैठकर आप जैसे लोगों से मार्गदर्शन लिया है। आज जो यह सामने का प्रतिपक्ष है उस समय वह सत्ता पक्ष में था, मदांध था, उत्साह के अतिरेक में था। उन माइकों को ऊपर तोड़-फोड़ करके यहां

पर मारा गया था। विपक्ष के मा0 सदस्यों को सर पर फेंक-फेंक के मारा गया था। लोकतंत्र इस कक्ष में लहूलुहान हुआ था। वह उत्साह का अतिरेक था। अब हताशा का अतिरेक है। जो पिछले चार वर्षों से इधर राज्यपाल पीठ पर अभिभाषण देते थे, और विपक्षी उधम मचाते रहे। वेल में आए, हुड़दंग किया। यह पवित्र स्थान जो लोकतंत्र का पावन मन्दिर है, इसकी सीटों पर चढ़ गए यह पवित्र सीटें बड़े सौभाग्य से मिलती हैं। 23 करोड़ की जनसंख्या में 403 लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं जो इस सीट पर आ करके बैठते हैं। इस पावन मन्दिर की सीटों पर जूते, चप्पल पहन कर खड़े होकर हुड़दंग होते थे। महामहिम को निशाना मानकर हाथों से कागज के गोले फेंके जाते थे। कागज के हवाई जहाज उड़ाए जाते थे, हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाते थे, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाती थीं। इसलिए जब इनका वह सब छूट गया तो ये लॉबी में बैठे-बैठे कुछ अधूरापन महसूस कर रहे थे और इन्होंने मांग कर बैठे कि हम दोबारा उनको बुला लेंगे। जब ये अल्पमत में बहुत मामूली सी सीटों को लेकर आए और जैसा कि मैंने कहा कि जो इनका डी0एन0ए0 है, तो उनके वरिष्ठ नेताओं के बारे में मैं कुछ न कहूं तो भी आप समझ गए कि सब लोग कैसे थे। हमें यह चिंता थी कि अगर वे नेता प्रतिपक्ष बन गए तो क्या होगा, लेकिन चौधरी साहब नेता बने।

चौधरी साहब को मैं पिछली सरकार के कार्यकाल वर्ष 2012 से जानता हूँ जब ये मंत्री थे। मैं इनकी कार्य शैली को जानता हूं, इनके आचरण और व्यवहार को जानता हूं, मैं इनका प्रशंसक हूँ और इनका बहुत सम्मान करता हूँ जब ये नेता प्रतिपक्ष बने तो मुझे लगा कि विपक्ष अब अनुशासित होगा, सही दिशा में जाएगा, इनके नेतृत्व में कुछ सकारात्मक भूमिका निभाएगा। लेकिन क्या हुआ, कौरव लोकतन्त्र की द्रौपदी का चीर हरण करते रहे और नेता प्रतिपक्ष भीष्म पितामह बनकर मौन होकर देखते रहे।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

इस पूरी घटना को यदि मैं दो पंक्तियों में समेट कर आपके माध्यम से सदन के लिए प्रस्तुत करना चाहूँ तो यही कहूंगा कि हम तो समझे थे कि अबकी बरसात में बरसेगी शराब यानि जब मा0 चौधरी साहब जैसे परिपक्व और समझदार नेता प्रतिपक्ष के नेता बन गए तो हमें लगा कि अब लोकतन्त्र सही दिशा में जाएगा क्योंकि लोकतन्त्र वह दुपहिया वाहन है जिसमें एक पहिया पक्ष होता है और दूसरा पहिया विपक्ष होता है। दोनों जब एक साथ चलते हैं तब ही लोकतन्त्र गति पकड़ता है। मैं सोच रहा था कि इनके नेतृत्व में तर्कपूर्ण ढंग से समीक्षा होगी, तथ्यों से वार्ताएँ होंगी, रचनात्मक योजनाएँ दी जाएँगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए मैं वही दो पंक्तियाँ दोहराता हूँ कि-

"हम तो समझे थे कि अबकी बरसात में बरसेगी शराब।
आई बरसात तो बरसात ने दिल तोड़ दिया।"

यानि जब ये नेता प्रतिपक्ष बनकर आए तब जैसी उम्मीद थी, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। मान्यवर, असहमति लोकतन्त्र की मूल प्रवृत्ति की अवधारणा है, उसकी मूल प्रवृत्ति में असहमति होती है और सहमति बनाने के के लिए दबाव बनाना अधिनायकवाद की तरफ ले जाता है। असहमति की अभिव्यक्ति लोकतन्त्र की चिति है, लेकिन असहमति का मतलब हुड़दंग नहीं, असहमति इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी।

असहमति जमहूरियत की खूबसूरती है, लेकिन खूबसूरती को अगर बदसूरत कर दिया जाए तो ऐसे ही हुड़दंग होते हैं। किसी से असहमत होना प्रकृति है। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष से असहमत हो सकता हूं, मा0 नेता प्रतिपक्ष किसी मुद्दे पर मुझसे असहमत हो सकते हैं। मैं अपने साथियों से असहमत हो सकता हूं, मेरे साथी मुझसे असहमत हो सकते हैं। ये प्रकृति है लेकिन असहमति को तर्क सहित, तथ्यों सहित सदन में रखना संस्कृति है और असहमति को इस तरह हुड़दंग में तब्दील कर देना विकृति है। यह सदन, यह मण्डप संस्कृति के लिए बना है, विकृति के लिए नहीं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)

मा0 अधिष्ठाता जी, आज आप उस सीट पर बैठे हैं तो वहाँ आप एक संस्था के रूप में बैठे हैं, व्यक्ति के रूप में नहीं, क्योंकि अध्यक्ष की पीठ संस्था होती है, व्यवस्था होती है। ऐसे ही राज्यपाल जी प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था हैं, एक व्यवस्था है। उनका सम्मान होना चाहिए, उनकी प्रतिष्ठा को चोट न पहुंचे, ऐसा व्यवहार होना चाहिए।

क्योंकि उनके सम्मान में प्रदेश का सम्मान निहित है, संविधान का सम्मान निहित है। उनका अपमान नहीं होना चाहिए लेकिन उस व्यवस्था पर प्रहार हुआ, वार हुआ, उस प्रबन्ध पर प्रहार हुआ। राज्यपाल जी का अभिभाषण क्या होता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की उपलब्धियाँ जो पिछले नाना वर्ष की हैं और वर्तमान जनहितकारी निर्णय जो उसने लिये हैं और भावी योजनायें जो उसे जनता के लिए और इस प्रदेश के लिए लागू करनी है। इनको सुनना चाहिए, इसको गुनना चाहिए, इसमें खामियाँ निकालिए, यह लोकतंत्र है। उसमें खामियाँ निकाल कर ताना-बाना बुनना चाहिए और फिर जो ताना-बाना बुने उससे सत्ता पक्ष को धुनना चाहिए, यह है अभिभाषण और अभिभाषण के बाद की कार्यवाही। यह एक प्रक्रिया है लेकिन बहिर्गमन हुआ, भजोई लाल बाहर चले गये। वह इसलिए गये क्योंकि जानते थे कि योगी जी की सरकार उपलब्धियों से भरी सरकार है, योगी जी ने राजनीति को नया कलेवर दिया है, नयी संस्कृति दी है, नये आयाम दिये। मान्यवर, राजनीति कभी गलत नहीं होती। राजनीति बिल्कुल उस तरल पदार्थ की भाँति है, जो जिस पात्र में डाल दिया जाये वैसा आकार ग्रहण कर लेती है। पानी है पानी यदि गिलास में होगा तो उस गिलास का आकार ग्रहण कर लेगा, घड़े में होगा तो घड़े का आकार ग्रहण कर लेगा, कटोरे में होगा तो कटोरे का आकार ग्रहण कर लेगा, भगोने में होगा तो भगोने का आकार ग्रहण कर लेगा। ऐसी राजनीति किसको सौंपी जा रही है,

राजनीति राम के हाथों में भक्ति थी, कृष्ण के हाथों पहुंची तो युक्ति बनी। कृष्ण जी ने हरेक काम युक्ति से किया। राम के हाथों में भक्ति थी, कृष्ण के हाथों में पहुंची तो युक्ति बनी, रावण के हाथों पहुँची शक्ति बनी और इंदिरा जी के हाथों में गई तो आसक्ति बनी, आपातकाल आया और इस प्रदेश की एक नेता के हाथों पहुंचती है तो पद और टिकट बिककर सम्पत्ति बनती है। जब एक परिवारवादी पार्टी के हाथों में पहुंचती है तो संगठित अपराधों से समाज की विपत्ति बनती है और जब योगी जी के हाथों में पहुंचती है तो समाजसेवा की अभिव्यक्ति बनती है, भोग विलास से विरक्ति बनती है।

(मेजों की थपथपाहट)

यह राजनीति है, जहाँ तक सेवा और उपलब्धियों का सवाल है तो मैं कुछ उदाहरण देना चाहूंगा कि उनके नेतृत्व में कुछ ऐसे काम हुए कि प्रदेश ने देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। कोरोनाकाल से उबरने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने योगी जी की सरकार ने सबसे अव्वल कार्य किया। कोरोनाकाल की रोकथाम के लिए, कोरोनाकाल में चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए। कोरोनाकाल में जो आवश्यक सामान होता है मास्क, किट वगैरह इन सब को उपलब्ध कराने के लिए, इतने अल्प समय में उन्होंने जो उपलब्धि हासिल की वह पूरे देश में अव्वल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में, ई-टेण्डरिंग के द्वारा भ्रष्टाचार और ठेकेदारों का जो आतंक हुआ करता था उससे मुक्ति के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना से किसानों को लाभ दिलाने के क्षेत्र में, चीनी उत्पादन के क्षेत्र में, दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में, प्रधानमंत्री एवं मुख्य मंत्री आवास योजनाओं से गरीबों को लाभ दिलाने के क्षेत्र में, स्वच्छ भारत मिशन के क्षेत्र में अव्वल और गत वर्ष हुए इंडिया टुडे सर्वे में उत्तर प्रदेश सरकार को देश की सबसे उत्तम सरकार और हमारे मुख्य मंत्री योगी जी को सर्वोत्तम मुख्य मंत्री जी होने के आँकड़े आए, यह हमने देखा। हमें गर्व है हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी की देश भर प्रशंसा कर रहा है।

(मेजों की थपथपाहट)

"कमी नहीं है कद्रदानों की ए अकबर, कोई कुछ कमाल तो करे, कोई कुछ कमाल तो करे"।

मेरे नेता योगी जी ने कमाल किया है इसलिए इनको आज मान्यता मिली है। जब पूरी कायनात भी कोरोनाकाल में क्रूरता से जूझ रही थी तो उस समय योगी जी की सब तरफ प्रशंसा हो रही थी। व्यवस्थाएँ दुरुस्त की गयीं। यह रोग कहाँ से आया ? वायरस चला, लोगों में फैला क्योंकि उसका जो प्रोटोकॉल था, उसके जो नियम थे, उसकी जो वर्जनाएँ थीं, उसके जो बचाव थे, उनके अभाव में यह महामारी बन गया था, लेकिन महामारी बनने पर उसकी रोकथाम के लिए चुस्त और दुरुस्त सरकारी व्यवस्थाओं की आवश्यकता थी। मृत्यु दर कम करने के लिए, उसे रोकने के लिए चिकित्सीय सुविधाओं की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा रोग था, जो इससे पहले कभी सुना नहीं था और कभी देखा नहीं था। जिसके लिए प्रदेश में मास्क

तक नहीं बनते थे लेकिन मास्क बनने अब शुरू हुए, किट बनने शुरू हुए, जांच केन्द्र खुलने शुरू हुए। कोविड के अस्पताल नहीं थे, वह अस्पताल बनने शुरू हुए। कोविड के स्पेशल अस्पताल प्रारंभ किये गये और जिस तेजी से योगी जी ने यह काम किया, उसकी डब्लू0एच0ओ0 ने भी प्रशंसा की है। मुझे फख्र है कि मेरे नेता योगी जी हैं। अधिष्ठाता महोदय, इस सदन के भी कई लोगों ने महसूस किया क्योंकि यहां भी कई लोग कोरोना से प्रभावित थे। जिस ढंग से माननीय योगी जी मॉनिटरिंग कर रहे थे, चूँकि मैं खुद जानता हूँ क्योंकि मैं भी कोरोना पीड़ित रहा हूँ। उन 10 दिनों के अन्दर माननीय योगी जी ने मेरी चिंता की और सीधी बात की। उन्होंने जिलाधिकारी और सी0एम0ओ0 को कहा भी, यह उनकी मॉनिटरिंग थी। नेता प्रतिपक्ष भी इससे प्रभावित हुए थे और सदन के जो भी सदस्य प्रभावित हुए उन्होंने महसूस किया होगा कि योगी जी की मॉनिटरिंग से काफी लाभ हुआ। हमें फख्र है कि सदन के नेता योगी जी हैं। पूरा देश देख रहा था कि प्रदेश क्या कर रहा है और देश क्या कर रहा है। अमेरिका जैसा देश, समृद्धशाली देश, सर्वसुविधा सम्पन्न देश और 23 करोड़ की आबादी वाला देश, जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, उतनी आबादी वाला देश है लेकिन कोरोना संक्रमितों में हमसे आगे था और उसकी मृत्यु दर हमसे ज्यादा थी। उनके यहां स्वस्थ होने वालों की संख्या हमसे कम थी। यह हमारे नेता का कमाल है। मोदी जी ने पूरे देश में कमाल किया। यदि मैं कहूँ कि मेरा नेता डिजास्टर मैनेजमेण्ट का मास्टर है तो गलत नहीं होगा। मोदी जी डिजास्टर मैनेजमेण्ट के मास्टर हैं। जिस समय उन्होंने संकट देखा तो लॉकडाउन लगाया। न जाने कितने लोग बोले कि लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए। मैं भी बैठे हुए सोच रहा था कि कैसे सामना होगा ? 130 करोड़ की आबादी वाला देश और एकदम लॉकडाउन! लॉकडाउन भी कैसा कि मंदिरों के दरवाजे तक बन्द हो गये। मस्जिद बन्द हो गयी, गुरुद्वारे बन्द, चर्च बन्द हो गये। ट्रेन बन्द हो गयी जो कि जबसे चली है, तब से आज तक बन्द नहीं हुई परन्तु उस समय बन्द हो गयी। हवाई जहाज बन्द, बसें बन्द, उत्सव बन्द, आयोजन बन्द, कल-कारखाने बन्द हो गये और सब घरों में बन्द। जो रोज रोजी-रोटी कमाता है वह कैसे रहेगा ? क्या पूरे देश के अन्दर अराजकता फैल जायेगी ? "बुभूक्षितः किं न करोति पापं"। भूखा कौन-सा पाप नहीं करेगा ? क्या सड़कों पर तो नहीं आ जायेगी जनता ? लेकिन वाह रे मोदी ! आपके मैनेजमेन्ट की मास्टरी। 130 करोड़ जनता का कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मोदी राज में भूखा सोया हो। यह थी मेरे नेता की उपलब्धि। "जान है तो जहान है" यह संदेश देते हुए उसने देश को संभाला और उसके बाद दूसरा संदेश दिया कि जान भी है और जहान भी है। इसको हमको देखना है, और धीरे-धीरे लाकडाउन को खोला। उसके बाद इसका इलाज भी ढूंढा। प्रीवेंसन था, अब तक इसमें क्योर नहीं था, लेकिन क्योर ढूंढा। आप सोचिये अमेरिका जैसा देश 15 दिन पहले एक वैक्सीन बना पाया है जो सभी मेडिकल सुविधाओं से सम्पन्न है, समृद्धशाली है, लेकिन मेरे नेता ने अपने मेडिकल साइंटिस्टों को वो व्यवस्थायें और सुविधायें दीं कि हमने उनसे पहले वैक्सीन बना ली और दो-दो वैक्सीन बनायी। हम खुद बना रहे हैं विदेश वाले मंगा रहे

हैं। लेकिन उस वैक्सीन में भी राजनीति होने लगी है, वैक्सीन की उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है, अभिभाषण में उपलब्धि है, आप तो हमारे पुराने नेता है। इन्होंने वैक्सीन को मजाक का विषय बना लिया है, वैक्सीन पर राजनीति करने लगे कि वैक्सीन पहले मोदी जी क्यों नहीं लगवा रहे हैं ? अधिष्ठाता महोदय, अगर सेना का एडीआरडीई डिपार्टमेंट कोई बहुत अत्याधुनिक हथियार बनाता है तो पहले वो मुझे दिया जायेगा या सेना जो मोर्चे पर लड़ रही है उसके पास पहुंचाया जायेगा, यह विषय है। वैक्सीन उसको पहले दी जानी चाहिए जो कोरोना पेसेन्ट से सीधा संघर्ष कर रहा है। जो सीधा मोर्चे पर डटा हुआ है, उसको लगानी चाहिए या मोदी जी अपने आप लगवायें। यह वह सोच है जो अपने लिए जीते हैं, मोदी जी औरों के लिए जीते हैं। यह मानसिकता का अन्तर है और मुझे तो लगता है कि ये डरे हुए लोग शायद मोदी जी की आड़ में अपना रास्ता खोज रहे होंगे कि हमें भी लग जायेगी मोदी जी की आड़ में। अधिष्ठाता जी, उससे भी नीचे उतरकर घृणित राजनीति हुई कि कैसे मोदी जी का नाम विश्व में फैल रहा है। वे विश्व के नेता हो चुके हैं तो इन्होंने वैक्सीन को साम्प्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का एक साधन बनाया। ऐसी अफवाह उड़ायी कि साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़े। उन्होंने यह सोचा कि इससे साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा। जब राष्ट्रपति ट्रंप आये थे, सी0ए0ए0 आया था, तब महौल बिगाड़ा था, जैसे 26 जनवरी को हिन्दुस्तान के झण्डे का तिरंगे का असम्मान करके इस आड़ में वह माहौल बिगाड़ना चाहते थे लेकिन सफल नहीं हुए और एक नेता तो ये बोले कि ये तो भाजपाई वैक्सीन है। यह हंसी की बात है कि भाजपाई वैक्सीन है। उन्होंने बयान दिया मैंने सुना कि हम वैक्सीन नहीं लगवायेंगे ये तो भाजपाई वैक्सीन है। वैक्सीन भी राजनीति की होने लगी। मुझे लगता है कि उनको यह लगा होगा कि कहीं भाजपाई वैक्सीन लग गयी तो हमारे लोग भी जय श्री राम न बोलने लगें। हमारे लोग भी कहीं 370 हटाने का समर्थन न करने लगें। हमारे लोग कहीं तीन तलाक का समर्थन न कर उठें, हमारे लोग कहीं 35ए और सी0ए0ए0 का समर्थन न कर उठें, शायद यह डर उनको सता रहा होगा। कहीं उन्हीं की मीटिंग में मोदी जिन्दाबाद न बोल उठें, यही डर होगा, इसीलिए कह रहे थे कि हम नहीं लगवायेंगे। वैसे हँसी की बात है, मेरे सपा के एक मित्र हैं। मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपके नेता ने कहा है कि यह भाजपाई वैक्सीन है और हम नहीं लगवायेंगे। आपको कैसा लगता है, क्या इन बचकानी बातों पर हँसी नहीं आती है ? फिर वह मुस्कराये, बोले हँसी आती तो है, लेकिन हम क्या करें, हँसते नहीं हैं।

(श्री महबूब अली, श्री मनोज कुमार पारस और श्री अजय कुमार "लल्लू" खड़े होकर बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

आप अभिभाषण पर बोल रहे हैं या अपनी कहानी सुना रहे हैं। कुछ प्रदेश को देंगे कि खाली भाषण करेंगे।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जाइये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, दुःखती नस पर हाथ रख दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसी बात कर रहे हैं, आपको हँसी नहीं आती है तो बोले कि आती है। लेकिन क्या करें, अगर हँस गये तो बहुत कुछ झेलना पड़ेगा। एक परिचय पिक्चर आई थी, उसकी कहानी याद दिलाई। मैंने कहा कि परिचय में एक जमींदार परिवार है, उसकी बहन है, बच्चों की बुआ है। उसका बड़ा आतंक था, कोई हँसता नहीं था। फिर कभी हीरो उस घर में आया, वह हँसने लगा तो नौकर ने कहा कि हँसों मत, बुआ बहुत नाराज हो जायेंगी। उसने पूछा कि यहाँ कोई हँसता नहीं है, तो कहा कि कोई नहीं हँसता है। नौकर बोले कि अगर तुम्हें हँसी आये तो जंगल की तरफ जाकर हँसा करो तो मैंने कहा कि हँसी आये तो जंगल की तरफ चले जाओ। अब चक्कर तो यह है कि "लल्लू" जी इसलिए बोल रहे हैं कि हम कहीं इधर न आ जायें। इनके नेता सदन में आँख मारते हैं, तो लोगों को हँसी आती है। इनके नेता प्रधानमंत्री जी के गले पड़ते हैं, तो लोगों को हँसी आती है।

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

आप अपने नेता को बताओ कि क्या-क्या करते हैं ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, वैसे मैंने उनसे कहा कि हँसी सेहत के लिए मुफीद है। आप हंसिए और हँसी बड़ी नेमत से मिलती है, **"या तो दीवाना हँसे या खुदा जिसे तौफीक दे"** तो यह तौफीक सपा और काँग्रेस के पास है कि वह अपने नेताओं की बातो पर हँसते हैं, हँस सकते हैं, हँसें।

श्री मनोज कुमार पारस-

शेर और शायरी की टाँग तोड़ दी।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, "मैं देखकर उनके बचकानेपन को हँसते-हँसते रो पड़ा हूं" क्योंकि इनके बचकानेपन को देखकर मुझे लगता है कि क्या यह देश संभालने के दावे करने वाले नेता हैं।

(विपक्ष के नेताओं द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

हम शेर भी बोलेंगे, चीते भी छोड़ेंगे, आप बैठ जाइये।

श्री महबूब अली-

मान्यवर, हमारा एक अनुरोध है कि यह जो बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से इन्हें प्रस्ताव पर अपनी बात रखनी चाहिए।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

हम बोल रहे हैं, आप बैठ जाइये। हमें मत बताइये कि प्रस्ताव में क्या बोलना है। प्रस्तावों में उपलब्धियाँ बोली जाती हैं।

श्री महबूब अली-

आप हमें मत समझाइये। हमें इस सदन में 30 साल हो गये अभिभाषण सुनते हुए।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जाइये, विषय पर आइये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, हमारे नेता, योगी जी जब बोलते हैं तो यह मैदान छोड़ कर चले जाते हैं, भजोई लाल हो जाते हैं। 19 फरवरी को सदन में किसानों पर चर्चा चलाई जा रही थी। लेकिन जब योगी जी बोलने के लिए खड़े हुए तो यह सब भजोई लाल हो गये।.....

अब भजोई लाल क्या है मैं बता दुं इसके पीछे रहस्य क्या है ? एक गांव में दो मोहल्ले आपस में बहुत लड़ते थे, एक का घर, ऐसा था जिसका एक दरवाजा दूसरे मोहल्ले में खुलता था और दूसरा दरवाजा दूसरे मोहल्ले में अर्थात् बार्डर पर था।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय उपाध्याय जी, किस्सा कहानी कम कर दीजिये, कोशिश कीजिये कि विषय पर बोलें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, मैं विषय पर आ जाऊंगा, लेकिन मान्यवर, मैं पहले भजोई लाल का अर्थ बता दूँ नहीं तो बहुत देर तक लोग सोचेंगे कि भजोई लाल क्या चीज है। मान्यवर, बार्डर वाले घर पर क्या हुआ कि एक बहुत लम्बा साढ़े छः फुटा-सात फुटा आदमी रहता था, बड़ी लम्बी-तगड़ी पर्सनालिटी थी, उसकी पर्सनालिटी देखकर लोगों ने उसका नाम जंगजीता रख दिया था। चूँकि मोहल्ले वाले लड़ते थे तो एक दिन बड़े-बुजुर्गों ने तय किया कि इनकी आपस में कुश्ती करा दी जाय, लड़ाई करा दी जाय, जो जीत जायेगा वही जीता हुआ माना जायेगा। अब जंगजीता आया, लोगों ने कहा कि जंगजीता तो बार्डर पर रहता है, किस तरफ जायेगा, जिस तरफ जायेगा जीत उसी की होगी। जंगजीता एक तरफ खड़ा हो गया, व्हिसिल बजी लट्ठ चलने लगे और जंगजीता भाग खड़ा हुआ, लोगों ने कहा कि जंगजीता कहां जा रहा है, जंगजीता कहां जा रहा है, तेरा नाम जंगजीता है, नाम को डुबा रहे हो तो उसने कहा कि मेरा राशि का नाम भजोई लाल है इसलिए भाग रहा हूं। इनका राशि का नाम भजोई लाल है, जब भी कोई बात होती तो उसको चरितार्थ करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

काफी लोगों को बोलना है, कृपया विषय पर बोलिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, हमारे कार्यकाल में ये कानून-व्यवस्था की बहुत बातें करते हैं, नियम-56 में भी एक-आध दिन पहले यह विषय लाया गया था। एक कहावत है **"सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोले जिसमें 36 छेद।"**

(कई सदस्यों द्वारा 72 छेद कहने पर)

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

चलिये, इनके पास 72 छेद वाली छलनी है और मेरे पास 36 छेद वाली। **"नौ सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा रही"** है। यानी वो लोग अपराध और कानून-व्यवस्था की बात करते हैं जिनके शासन में कानून-व्यवस्था की धज्जियां उड़ी हैं, जो पर्यायवाची है कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के लिए, जिनके कार्यकाल में संगठित अपराध होते थे, मंत्रियों के यहाँ से फिरौती ली जाती थी और पुलिस अधिकारियों को कहा जाता था कि पकड़ कर उसके घर पर छोड़कर आओ, वो लोग हमसे बात करेंगे। वो लोग कह रहे हैं कि कानून-व्यवस्था खराब है, बड़ी हंसी आती है। **उसने कहा बेवफा, ये वक्त की बात है, हम भी सुन रहे हैं वक्त की बात है।**

कानून-व्यवस्था हमारे राज में बहुत मजबूत हुई है, हमारे योगी जी ने उन बाहुबलियों को चूहाबली बना दिया है, जो कभी इनके शासन में इलाके के इलाकेदार हुआ करते थे। उन्होंने जो 67 हजार हेक्टेयर सरकारी भूमि पर गरीबों की भूमि पर कब्जा कर रखा था उनको हमारी सरकार ने ध्वस्त कर दिया और उनकी अट्टालिकाओं को जमींदोज करके कब्जा करा लिया है, ये परेशान इसलिए हैं। पोकलैण्ड और हाइड्रो मशीनें जो मिनटों में जमींदोज करती हैं उनका पहली बार इस प्रदेश में प्रयोग हुआ है। आखिर वह अट्टालिकाएं कब बनीं, वह कब्जे कब हुए, किसके शासनकाल में हुए, तो कम से कम कानून-व्यवस्था की बातें वे तो न करें जिनके शासनकाल में, जिनके संरक्षण में ये कब्जे हुए। कम से कम वे लोग ऐसी बातें न करें जो संगठित अपराधों को, लूट को, डकैती को, अपहरण को आवश्यकता की मजबूरी बताते थे। बेरोजगारी की मजबूरी है ये अपराध को आवश्यकता की मजबूरी से जोड़ देते हैं, वे लोग तो कानून-व्यवस्था की बात न करें। जो अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं और बलात्कार होने पर कह देते हैं कि बच्चे हैं, उनसे ऐसे अपराध तो हो ही जाते हैं, कम से कम वे लोग तो कानून-व्यवस्था की बात न करें। ये लोग अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं, अपराध को मजबूरी और आवश्यकता से जोड़ते हैं। हमने उन सबको ठिकाने लगाया है, अपराधी या तो बचने के लिए जेल में जा रहा है या जिला छोड़ रहा है और अगर चुनौती दे रहा है तो फिर कहीं और भी जा रहा है। ये अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ते हैं, लेकिन मेरा नेता कहता है कि करोगे तो ठुकोगे और मरोगे भी, अगर कानून को चुनौती दोगे तो झेलना पड़ेगा।.....

कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने के लिए 1019 माफियाओं की गिरफ्तारी हो चुकी है और बचे हुए स्वयं सरेंडर करके जेल चले गये। 11377 से ज्यादा एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट में बन्द हुए, 33537 से ज्यादा गुण्डा ऐक्ट में बन्द हुए और 220 के खिलाफ रासुका के अन्तर्गत कार्रवाई की गयी। ये रिकार्ड उन बड़े-बड़े दुर्दान्त अपराधियों का है, जो इनके सरकार के समय खुलेआम घूमा करते थे।

महिला सुरक्षा हेतु किये गये प्रयासों में सुपरिणाम सामने आये। दहेज मृत्यु में 7.36 प्रतिशत की, बलात्कार में 18.93 प्रतिशत की, शीलभंग में 20.62 प्रतिशत की और अपहरण में 26.47 प्रतिशत की कमी आयी है। यह हमारे सरकार की कानून व्यवस्था की उपलब्धियाँ हैं।

पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया है, अत्याधुनिक वाहन दिये गये हैं। चौराहों और प्रमुख मार्गों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगवाये गये हैं, जिससे अपराधी अपराध करके भाग न पायें। प्रत्येक जनपद में एक-एक ड्रोन दिया गया है, प्रत्येक रेंज में एक-एक फोरेंसिक लैब बनायी गयी है और 18 साईबर थानों की स्थापना की गयी है। पुलिस बल में संख्यात्मक और गुणात्मक, दोनों में वृद्धि हुई है, ये हमारे सरकार की उपलब्धियाँ हैं।

कानपुर में बिकरू कांड हुआ। उसके बारे में विपक्ष इस तरह से कन्फ्यूज्ड हुआ या यों कहें कि जनता को कन्फ्यूज्ड करना चाहते थे। घटना दुर्भाग्यपूर्ण थी लेकिन ये सब एक सुर में चिल्लाये कि इन्हें भाजपाइयों का संरक्षण प्राप्त था, इनके भाजपाइयों से संबंध थे, ढूंढ-ढूंढ कर संबंध निकाले जा रहे थे, लेकिन जब उज्जैन में गिरफ्तारी हो गयी, तो ये कहा जाने लगा कि भाजपा शासन क्षेत्र में गिरफ्तारी हुई है, ये ड्रामा है। ये गिरफ्तारी नहीं, सरेंडर है, ये शब्द इन लोगों ने कहे। मान्यवर, मैं बता रहा हूँ कि एक अपराधी के लिए इनके सुर कैसे बदलते हैं और हमसे कानून व्यवस्था की बात करते हैं ? उसके बाद उस अपराधी का एनकाउन्टर हो गया। उसने कानून को चुनौती दी, उस चुनौती का उसे माकूल जवाब मिला और उसमें उसका एनकाउन्टर हो गया। जब एनकाउन्टर हुआ, तो ये कहने लगे कि इसमें सरकार की साजिश है, उसकी हत्या की गयी है। उस अपराधी को एक जाति विशेष से जोड़कर इनके राष्ट्रीय नेताओं तक ने प्रेस कान्फ्रेस की, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। इनके कार्यकाल में अपराध इसलिए बढ़ते हैं, क्योंकि ये अपराधियों को प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षण देते हैं और हम अपराधियों को चुनौती देते हैं, इसलिए हमारी सरकार में अपराध और अपराधी दोनों रूक जाते हैं। हमारी सरकार की कानून-व्यवस्था की यह उपलब्धि है।

मान्यवर, ये बहुत किसान-किसान चिल्लाते हैं। आपने देख लिया कि कृषि बिल पर ये किसानों को गुमराह कर रहे थे और जब हमारे नेता कृषि बिल पर बोलने लगे तो ये भजोही लाल हो गये। तब इनको अपने राशि का नाम याद आ गया। इनके कार्यकाल में वर्ष 2014 से 2017 तक किसानों के गन्ना मूल्य का जितना भुगतान किया गया था, मा0 योगी जी की

सरकार में वर्ष 2018 में गन्ना मूल्य का उससे अधिक भुगतान किया है, तो इससे अधिक किसानों की हितैषी सरकार कौन हो सकती है ?

कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में वर्ष 2020-2021 में गेहूँ के 5896 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये। किसानों के खेतों-खलिहानों तक से अनाज क्रय करने के लिए सरकारी अमला गया, जिससे किसान कोरोना से पीड़ित न हो जाए।

35.76 लाख मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद हुई है, 66 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है, यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना** के अन्तर्गत 240 लाख किसानों को रु0 27 हजार 134 करोड़ से अधिक की धनराशि का वितरण किया गया जो सीधे किसानों के खाते में भेजा गया। इनके शासन की तरह बीच में दलाली नहीं हुई है, सीधे किसानों के खाते में धनराशि जमा हुई है। नो दलाल, खाते में सीधा माल। यह हुआ है। मण्डी लाइसेंस शुल्क से मुक्ति दिलायी गयी है। किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरक तथा बीज उपलब्ध कराया गया। **गोण्डा जनपद** में एक नवीन **कृषि महाविद्यालय** की स्थापना हुई है। जनपद लखीमपुर खीरी तथा आजमगढ़ में **नवस्थापित कृषि महाविद्यालयों को क्रियाशील** किया गया है। 01 लाख 23 हजार करोड़ रुपया किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया गया जिससे लगभग 46 लाख किसान लाभान्वित हुए। इन्होंने क्या किया ? इन्होंने किसानों के पेमेण्ट नहीं दिये और उनके पैसे को दबाये रहे। इनके राज्य में चीनी मिलें बन्द हुईं, परन्तु हमारे राज्य में कोरोना की महामारी के बावजूद चीनी मिलें बन्द नहीं हुईं, चलती रहीं।

श्री अधिष्ठाता-

अब संक्षेप करिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मान्यवर, जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करता है उसको थोड़ी आजादी होती है, थोड़ा ज्यादा अवसर मिलता है।

श्री अधिष्ठाता-

यह सही है कि उसे थोड़ा ज्यादा वक्त मिलता है लेकिन मेरे पास बहुत से वक्ताओं की एक लम्बी सूची रखी हुई है, इसलिए संक्षेप करिये।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

अब मैं विकास और अवस्थापना की बात कर लूँ। राजनीति, समाजसेवा और विकास का सबसे शक्तिशाली औजार है। लेकिन विकास किसके लिए कब और कहाँ हो ? विकास दूर-दराज बैठे हुए व्यक्ति के उत्थान के लिए, उसके दरवाजे पर समृद्धि लाने के लिए या समृद्धशाली लोगों की सुख-सुविधा की चिंता के लिए हो ? मेरे नेता ने गाँव, गरीब और किसान के विकास की चिंता की, केवल एक परिवार सैफई का ही विकास नहीं हुआ बल्कि गाँव, गरीब

व किसान का विकास हुआ है। वह परिदृश्य हमने देखा है कि गाँव की सड़कों में गड्ढ़े हैं, पगडंडियाँ है, सड़कें है ही नहीं। जब कोई बुजुर्ग रात को निकलता है तो कहीं गड्ढे में पैर पड़कर गिर जाता है, उसका कूल्हा टूट जाता है तब उसको लखनऊ एक्सप्रेस-वे का झुनझुना सुनायी नहीं देती, उसे अपने टांग की चोट ही सुनायी देती है। एक्सप्रेस-वे बनना चाहिए लेकिन दूर-दराज बैठे लोगों की भी चिंता होनी चाहिए जो पगडंडियों और गड्ढायुक्त सड़कों पर जाते हैं। केवल एक एक्सप्रेस-वे आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का झुनझुना बजा रहे हो, उसमें क्या हुआ सबको मालूम है। वह जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे 260 कि0मी0 का था तो वह 302 कि0मी0 कैसे हो गया ? क्योंकि उसे सैफई और कन्नौज से मिलाना था इसीलिए 302 कि0मी0 हुआ, 400 करोड़ एक्सट्रा खर्च हुआ, यह किसकी जिम्मेदारी है। हम जब उस पर जाते है तो हमारा भी 300-400 रुपये एक तरफ का एक्सट्रा खर्च होता है क्योंकि 260 कि0मी0 की जगह 302 कि0मी0 का डीजल लगता है। अगर यह उस झुनझुने का श्रेय लेते हैं तो इस कलंक का टीका भी इन्हीं के मस्तक पर लगाना चाहिए कि 400 करोड़ कहाँ ज्यादा लगाया ? क्यों उसको बढ़ाया था और 260 कि0मी0 से 302 कि0मी0 कैसे हुआ ? जिन लोगों के यहाँ पगडंडियाँ हैं उनसे पूछिये वह एक्सप्रेस-वे पर नहीं जाते। एक्सप्रेस-वे पर तो चमचमाती कारें जाती होंगी इनके तो चुनाव चिन्ह की साइकिल भी नहीं जाती वहाँ पर। अरे **''घास फूस की झोपड़ियां है, इनमें जन-जीवन चलता है, दिन रात परिश्रम में पिसता टुकड़ों से मानव पलता है, देखा करता माँ का आँचल भूख, वेदना, ममता के जो आँसू चुप-चुप पी सो जाता, रोती हुई क्षुधा को कब तक निदिया की गोदी दुलराय। ऐसे भूखे प्रदेश में तुम एक्सप्रेस-वे का झुनझुना बजाये।** (मेजों की थपथपाहट) अरे चिन्ता दूर दराज बैठे उस व्यक्ति की भी होनी चाहिए। मैंने कहा ना कि दोनों का बैलेंस बनाकर चलिये। अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति की भी चिन्ता करिये और आधुनिक भारत बनाने की भी चिन्ता करिये। इसलिये एक्सप्रेस-वे भी बने तो वह अन्तिम छोर पर बैठे व्यक्ति की सड़क भी बने और उसके घर पर जहाँ दिया जलता है वहाँ पर वल्ब जले। **तुम अपने पास रखो अपने हमारे सूरजों का हिसाब। मुझे तो आखिरी घर तक दिया जलाना है।** मान्यवर, हमारे समय, विकास को एक और नई सोच दी। अभी तक विकास को भौतिक विकास ही माना जाता था लेकिन विकास को आध्यात्मिक विकास से जोड़ा, सांस्कृतिक विकास से जोड़ा, विकास को संस्कृति से समावेशित किया यह हमारे नेता माननीय योगी जी ने किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में रामायण पथ, बौद्ध परिपथ, महाभारत परिपथ, शक्ति पीठ परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, जैन परिपथ, बुद्धिस्ट परिपथ नामित करके इनको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करके इनका सौन्दर्यीकरण करके, इनका उच्चीकरण करके, एक सांस्कृतिक चेतना जीवंत रह सके, आने वाली नस्लें उस सांस्कृतिक चेतना से अवगत हो सकें यह काम किया है। राम जन्म भूमि का निर्माण। 400 साल पहले की एक ऐतिहासिक भूल का सुधार हुआ है। हमारी आस्था और सांस्कृतिक चेतना पर जो आघात किया गया था उसका परिमार्जन हो रहा है। पिछले 30 वर्षों में हम उद्घोष करते आये थे कि **'रामलला हम आयेंगे**

मंदिर वहीं बनायेंगे' यह संस्कृति थी, और कुछ लोग कहते थे कि **'परिन्दा पर नहीं मार सकता'** यह विकृति थी। आज परिन्दा पर नहीं मार सकता उद्घोष करने वाले देख लें कि रामजन्म भूमि के मंदिर के निर्माण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी मुहर लगा दी है और आज देश का बच्चा-बच्चा भी उससे जुट गया है। एक और उद्घोष हुआ था। कि **'बच्चा-बच्चा राम का जन्म भूमि के काम का'।** आज हम देख रहे हैं कि प्रत्येक परिवार का बच्चा-बच्चा राम जन्म भूमि मंदिर निर्माण के लिये अपना अंशदान दे रहा है, सहयोग दे रहा है। एक जगह पर मैंने यह देखा कि गर्भस्थ शिशु की तरफ से भी उसमें अंशदान दिया गया कि उसकी तरफ से यह राम जन्म भूमि मंदिर के लिये है। (जय श्री राम का उद्घोष) कई लोगों ने तो कहा था कि उस जगह पर शौचालय बनवा देना चाहिए। कैसी-कैसी सोच रही थी मान्यवर। जो आस्थाओं का केन्द्र, अस्मिता का प्रतीक। कोई कहता कि परिन्दा पर नहीं मार सकता, कोई कहता शौचालय बनवा दो, कोई कहता विद्यालय बनवा दो। हम कहते थे कि **'राम लला हम आयेंगे मंदिर वहीं बनायेंगे'**। संकल्प था यह हमारा संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता इसलिये पूरा भी किया। धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ ऐतिहासिक पर्यटन को भी महत्व दिया गया हमारे शासनकाल में जो इतिहास ने भूला दिये या इतिहास के पन्नों से निकाल दिये गये। ऐसा भी हुआ है कि योजनापूर्वक कुछ महापुरुषों को, कुछ क्रांतिकारियों को, इतिहास के पुरोधाओं को इतिहास के पन्नों से निकाल दिया गया।

माननीय अध्यक्ष जी, एक कालखण्ड में उन्हें विस्मृत कर दिया गया है। उन्हें पुनर्स्थापित करने के लिए, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को चिरस्मरणीय बनाने के लिए आने वाली नस्लों को उनसे प्रेरित कराने के लिए उनके स्थानों पर मूर्तियां लगवाना, उनके स्थानों को दर्शनीय स्थल बनवाना, उनके स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना, यह भी हमारी सरकार में शुरू हुआ है। सुहेलदेव जी की मुर्ति स्थापना उसी का प्रतीक है। "चौरा चौरी" काण्ड का एक पखवाड़ा मनाते हुए सरकारी स्तर पर उन शहीदों का स्मरण करना भी उसी का प्रतीक है, यह हमारे ही शासनकाल में हुआ। जिन्होंने इस देश को आजाद कराया है, हमारे स्वाभिमान से परिचित कराया है, हमारे लिए संघर्ष किया, हंसते-हंसते बलिदान किया है हम तो सिर्फ उनका स्मरण कर रहे है, **''तुमने दिया राष्ट्र को जीवन, राष्ट्र तुम्हें क्या देगा। अपनी आग तेज करने का नाम तुम्हारा लेगा, नाम तुम्हारा लेगा।।''** हम उनका नाम ही तो ले रहे हैं। समाज कल्याण के क्षेत्र में अपने अभिभाषण में मा0 योगी सरकार ने शोषित, पीड़ित वंचित, पिछड़े, दलित हर क्षेत्र के लिए काम किया है। राज्य पेंशन योजना के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की धनराशि मा0 योगी सरकार के समय बढ़ी है, लाभार्थियों की संख्या भी पहले से बढ़ी है। जिनके सिर पर छत नहीं थी, उन वंचितों के लिए प्रधानमंत्री शहरी ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत 17 लाख से अधिक आवास का निर्माण हुआ, 2 करोड़ 61 लाख ग्रामीण परिवारों में शौचालय का निर्माण हुआ। मुख्य मंत्री आवास योजना के अन्तर्गत 60 हजार व्यक्तियों को निःशुल्क आवास प्रदान किये गये, जिनमें अधिकांश लोग अनुसूचित

जाति व जनजाति के थे। दिव्यांग पेंशन बढ़ायी गयी। कुष्ठ रोग के कारण दिव्यांग हुए लोगों की धनराशि प्रतिमाह 2500 रुपये कर दी गयी। कृत्रिम अंग व अन्य उपकरण क्रय करने के लिए उनकी धनराशि 10,000 रु0 की गयी। यह सब मा0 योगी जी की सरकार ने किया है। जीवन में चिकित्सा और शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व होता है। मानव जीवन में हवा-पानी के बाद सबसे ज्यादा चिकित्सा की आवश्यकता होती है। अब आधुनिक अस्पताल खोले जा रहे हैं। दो-दो एम्स का निर्माण चल रहा है। सुपर स्पेशलिटी विभाग कई जगह खोले जा रहे है। हमारे आगरा में एस0एन0 मेडिकल कालेज में एक समय था जब हम छोटे थे तब पंडित कमलापति त्रिपाठी जी जो इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे, उनका इलाज भी वहां पर होते हुए देखा है। आज से दस साल पहले आम आदमी भी वहां इलाज कराने नहीं जाना चाहता था, वहां सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने के लिए अनुदान मिल गया है, अब बिल्डिंग बन रही है। यह उपलब्धि हमारी सरकार की है। ऐसे 8 नये मेडिकल कालेज स्वीकृत किये गये हैं। वर्ष 2016 तक प्रदेश में 12 मेडिकल कालेज थे। वर्ष 2017 से अब तक 7 नये मेडिकल कालेज हो गये हैं, पढ़ाई शुरू हो गयी है। 8 नये मेडिकल कालेज का निर्माण चल रहा है। 13 मेडिकल कालेजों की स्वीकृति मिल गयी है। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 8 मेडिकल कालेजों में सुपर स्पेशलिटी विभाग खोलने की अनुमति मिल गयी है। मानव जीवन के लिए पानी बहुत आवश्यक होता है। हवा ईश्वर प्रदत्त है, हवा आवश्यक है, पानी भी ईश्वर प्रदत्त है, लेकिन व्यवस्था तो प्रबन्धन को ही करनी होती है और मा0 योगी जी की सरकार ने उसकी गम्भीरता को समझते हुए कि जल है तो कल है, के अन्तर्गत जल शक्ति विभाग का गठन किया। इस समय 9.41 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का प्रबन्ध किया गया है। वर्षों से अधूरी पड़ी बाण सागर, बहुत पथराई बांध, पहाड़ी बांध, लहचुरा बांध, मौदहा बाँध, जमरार बाँध आदि परियोजनाओं के लिए 4,333 करोड़ लगाकर पूरा कराया गया। इससे ढाई लाख किसान लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त 14 अन्य बाँध परियोजनाएं प्रारम्भ कर दी गई हैं। लगभग साढ़े अट्ठारह लाख किसान जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर जल योजना का लाभ उनको मिल रहा है। बुन्देलखण्ड के पानी की स्थिति बुन्देलखण्ड का व्यक्ति बूँद-बूँद पानी के लिए तरसता है और लखनऊ में पानी के फव्वारे म्युजिकल फाउण्टेन चलता है। इस दर्द को किसने समझा ? अन्तिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति का दर्द हमारे नेता ने समझा, हमारी पार्टी ने समझा। आज बुन्देलखण्ड में करोड़ों रुपए की योजनाएं बन रही है जिससे कि घर-घर पानी पहुँचे। एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है उस पर काम चालू है। आगरा में गंगाजल हमारी सरकार के समय में मिला। उसके वितरण के लिए 180 करोड़ की योजना बनाई गई। गंगाजल आ गया है। पुरानी वितरण व्यवस्था से बंट रहा है लेकिन जहाँ वितरण व्यवस्था का प्रबन्धन ही पिछले 70 सालों से नहीं हुआ था, लोग भू-गर्भ का खारा पानी पीते थे, वहाँ पर घर-घर गंगा जल पहुँचे, इसके लिए 180 करोड़ की योजना से पाइप लाइन डाली जा रही है। सात ओवरहेड टैंक, सात अण्डरग्राउण्ड टैंक, पम्पिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं यह योगी जी की सरकार में हो रहा है।

सीवेज सिस्टम को सुधारने के लिए 200 करोड़ की योजना चल रही है। **किसी प्रतिमा में भगवान हो न हो लेकिन प्रत्येक माँ में भगवान होता है। ए माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी।** हम यह गीत सुनते आए हैं महिला सशक्तीकरण के लिए भी हमारी सरकार ने काम किया है। 218 पाक्सो न्यायालयों का गठन हुआ है। रोमियो स्क्वाएड ने, जो महिलाओं से छेड़खानी करते थे, उन पर आतंक पैदा कर दिया है। 181 महिला हेल्प लाइन प्रभावी कार्य कर रही है। बालिकाओं के अन्दर सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए मुख्य मंत्री कन्या सुमंगला योजना चल रही है। तीन लाख से अधिक बालिकाएं इससे लाभान्वित हुई हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इसके अन्तर्गत 18 लाख 57 हजार से अधिक लाभार्थियों को लाभ मिला है। निराश्रित महिला पेंशन योजना इससे 30 लाख से अधिक महिलाएं लाभ प्राप्त कर चुकी है। मुख्य मंत्री सामूहिक विवाह योजना, इसके अन्तर्गत धनराशि 35 हजार से बढ़ाकर 51 हजार की धनराशि कर दी गई है। मान्यवर, आप बीच में टोक चुके हैं इसलिए मैं कन्क्लूड करता हूँ चाहे कृषि क्षेत्र हो, यहाँ विद्युत मंत्री जी बैठे हैं, इनकी भी सब जगह प्रसंशा हो रही है। हर क्षेत्र में बिजली मिल रही है। एक जमाना था जब पाँच जिलों में बिजली मिलती थी, आज हर क्षेत्र में बिजली मिल रही है। कोई शहर ऐसा नहीं है। जहाँ बिजली न मिल रही हो। मैं आगरा में रहता हूं, वहाँ 24 घण्टे बिजली मिल रही है। पहले पाँच क्षेत्र वी0आई0पी0 थे, हमारे मंत्री जी के लिए पूरा प्रदेश वी0आई0पी0 है। पूरे प्रदेश की जनता उनके लिए वी0आई0पी0 है। इन्होंने सबकी चिन्ता करते हुए हर घर में बिजली पहुँचाई है।

श्री लाल जी वर्मा-

अधिष्ठाता महोदय, समय सीमा कोई है कि नहीं। माननीय सदस्य को काफी समय हो गया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उद्योग क्षेत्र हो, चाहे पिछड़ा क्षेत्र हो, चीनी उत्पादन गन्ना मूल्य का भुगतान हो, दुग्ध उत्पादन हो, ग्राम्य विकास से जुड़े हुए मुद्दे हों, ऊर्जा का क्षेत्र हो, युवा कल्याण के कार्यक्रम हों, पर्यटन का विषय हो, हमारी सरकार ने सभी को नई दिशा और उपलब्धियों से युक्त किया है। योगी जी की सरकार सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास पर काम कर रही है।

2017 में प्रदेश की सरकार ही नहीं बदली है, सरोकार भी बदले हैं, 2017 में सिर्फ एक सरकार ही नहीं बदली सरकारी कामकाज के संस्कार बदले हैं और 2017 में उ0 प्र0 की सरकार ही नहीं बदली लोक कल्याणकारी सपने साकार हुए हैं, यह इस सरकार में हुआ है। मान्यवर, आपके द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे जो धन्यवाद प्रस्ताव रखने का

मौका मिला है, जिसको मैंने प्रस्तुत किया है, उस पर मैं सदन के माननीय सदस्यों से समर्थन मांगते हुए पास कराने के लिए अनुरोध करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद।

श्री अधिष्ठाता महोदय-

श्री विक्रम सिंह जी।

***श्री विक्रम सिंह-**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव माननीय सदस्य ने रखा है, मैं आपके आदेश से उनके समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यह अवसर दिया है। इस धन्यवाद प्रस्ताव में और अन्य भाषणों में भी जो प्रथमता थी, वह कोविड की रही है और बड़ी-बड़ी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जब उत्तर प्रदेश में सदन के नेता की तारीफ होती है तो यह पूरे उत्तर प्रदेश की तारीफ होती है अकेले एक व्यक्ति की तारीफ नहीं होती है। बहुत से संवर्गों और समूहों के लिए धन्यवाद प्रेषित किया गया। मैं एक विशेष समूह के लिए धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हुँ, यहां बैठे सभी विधायकों ने अपनी निधि का भी सहर्ष लोकर्पण इस कोविड से लड़ने के लिए किया है। यह सब भी धन्यवाद के पात्र हैं और मैं समझता हूँ इसका बहुत बड़ा उपयोग सरकार ने इस कोविड की लड़ाई से लड़ने में किया है। मान्यवर, इस प्रस्ताव के संबंध में मैं कहां से शुरू करूं और कहां खतम, मैं आँकड़ों के फेर में नहीं जाना चाहता जिनको हमारे साथी ने रख दिए हैं। आंकड़े दुबारा रखूंगा तो रिपिटेटिव लगेगा, लेकिन कुछ ऐसे मूल विषय हैं जो परम्पराओं से हटकर हैं और चूंकि यह परम्पराओं से हटकर हैं, इनमें नवीनता है, इनमें विशेषता है और इनमें भिन्नता का भी पुट है और उसको सर्वांगीण विकास की समग्रता के तहत समझने की आवश्यकता है कि सरकार की सोच की दिशा क्या है ? सरकार का मन्तव्य क्या है ? और सरकार का गन्तव्य क्या है ? मान्यवर, घरौनी का एक बहुत बड़ा विषय है। इसकी गम्भीरता को शायद अभी तक हम लोग समझ नहीं पाये हैं। रूरल क्षेत्र में क्लासिफिकेशन नहीं था। सारी की सारी भूमि कृषि की समझी जाती थी और बैंकों में कृषि की भूमि पर बैंक एबिलिटी नहीं है, उस पर ऋण देना अलाउ नहीं होता है। देश के इतिहास में पहली बार पंचायतों के अन्दर ड्रोन और सेटेलाइट इमेजिंग के माध्यम से, जिओ टैगिंग के माध्यम से घरौनी की व्यवस्था की गयी है। एक व्यक्ति को जो बरसों से उस जमीन पर भूमि पर रहता आया है, कई पीढ़ियाँ बीत गयी हों, उसके पास कोई कागज नहीं था कि यह जमीन उसकी है। वह उसके लिए बैकेबल वैल्यू की नहीं थी, वह उसको एक पैसे देने लायक व्यवस्था नहीं कर सकती थी। मान्यवर, एक झटके में जिस दिन उस व्यक्ति के पास वह कागज आयेगा, उस कागज के आते ही वह व्यक्ति लखपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, उसकी

* वक्ता ने भाषा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जमीन कहां है, इसके आधार पर और, मान्यवर, यह छोटा विषय नहीं है। यह देहात के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी आर्थिक क्रान्ति को जन्म देगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय देश में पिछले चार पीढ़ियों के अन्तराल में यदि देखा जायेगा तो आप देखेंगे कि जिसके पास 50 बीघे की जमीन थी, उसकी जमीन चार पीढ़ियों के अन्दर घटकर आज लगभग 5 से साढ़े 7 बीघा के बीच में रह गयी है। यह जो कम होती हुई जोत है यह केन्द्र और राज्य के स्तर पर चिन्ता का विषय है। 50 बीघा में एक परिवार पलता भी था, 50 बीघा में परिवार कुछ धन संग्रहित भी करता था और 50 बीघा में परिवार कुछ तरक्की भी कर लेता था लेकिन जैसे-जैसे यह जोत कम हो रही है यह तय है कि अलटरनेट रिसोर्सेज को तलाशना बहुत आवश्यक है। जब उत्तर प्रदेश का 76 प्रतिशत किसान मान्यवर 55-58 प्रतिशत किसान एक हेक्टेयर के नीचे है, उसकी जोत और उसके लिए आवश्यक है। मान्यवर, देश में 22 प्रतिशत किसान ऐसा है जो कभी अपनी जमीन नहीं जोतता। 60 से 68 प्रतिशत किसान है वही अपनी जमीन पर जाता है और जोतता है वही मेहनत करता है। उसके लिए एक समग्रता की सोच की आवश्यकता कि किस-किस तरीके से इसकी जेब में हम पैसा पहुंचा सकते हैं, इस व्यक्ति की जेब में हम धन उपलब्ध करा सकते हैं। बीज से लेकर बाजार तक उसके हैण्ड होल्डिंग की आवश्यकता थी। बीज से लेकर बाजार तक कदम-कदम पर उसका साथ देने की आवश्यकता थी और केन्द्र से निर्देश प्राप्त कर उत्तर प्रदेश सरकार भी लगातार किसान के साथ बीज से लेकर बाजार तक हर लड़ाई में किसान के साथ खड़ी दिखाई दे रही है और यही कारण है मान्यवर, कि जब आढ़तियों ने पूरी दिल्ली घेरी तो उत्तर प्रदेश के अन्दर संघर्ष का वो बिगुल नहीं बजा जिन मुद्दों पर जो कृषि के आन्दोलन करने वाले लोग वहां इकट्ठा हैं। एक शब्द हुआ करता था, मान्यवर, बहुत पहले यहां बैठे सब विधायक साथी जानते होंगे एन्टीसिपेटरी। उसको बेल से जोड़कर देखा जाता था लेकिन देश में एक नई प्रथा पड़ी अब एन्टीसिपेटरी आन्दोलन होते हैं मान्यवर, जो कानून बने नहीं उन कानूनों पर आन्दोलन होते हैं। ऐसा ही एक आन्दोलन सी0ए0ए0 के सम्बन्ध में हुआ था। सी0ए0ए0 का कानून किसी भी भारतीय पर लागू ही नहीं था और आन्दोलन एन0आर0सी0 के ऊपर हो रहा था, 90 दिनों तक चल रहा था। मान्यवर, इन तीनों कानूनों में न तो पराली का कोई जिक्र है, न तो गन्ना का जिक्र है, न एम0एस0पी0 समाप्त करने की कोई बात है लेकिन लोग इन सब बातों को जोड़कर वहां पर बैठे है क्योंकि एक देश के अन्दर नेरेटिव हो गया है कि मोदी जी का विरोध करना है। मोदी जी के विरोध में हम सब एकत्र होकर सड़क पर बैठेंगे तो इसको अन्तर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाने की व्यवस्था होगी लेकिन मुझे अफसोस है इस बात का कि देश का विपक्ष जिसके कुछ साथी यहां भी बैठे हैं। मान्यवर देश के विपक्ष ने इस बात का भी गुरेज नहीं किया कि खालिस्तान के झण्डे का समर्थन करते हुए इकट्ठा हो गये सब लोग और मान्यवर, यह वे लोग हैं जिनके नेताओं की हत्या खालिस्तानी आन्दोलन के दौरान हुई है। मान्यवर, मोदी जी का विरोध करिये, सरकार का विरोध करिये, मुद्दों का करिये लेकिन वह एक लाइन मत क्रास

करिये जो आपको राष्ट्र भक्ति से अलग कर दे, आपके राष्ट्रवाद पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दे। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि कृषि से सम्बन्धित जो भ्रान्ति इस देश में फैलाई जा रही है उसके ऊपर दो मिनट मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। कृषि के सम्बन्ध में जो पहला कानून है, वह सिर्फ मण्डियों के एकाधिकार को समाप्त करने का कानून है।

उत्तर प्रदेश के किसान का जो ढाई परसेण्ट का मण्डी शुल्क लगता था उसको समाप्त करने का कानून है, उसमें बाध्यता नहीं है कि आप मण्डी में जाकर माल नहीं बेच सकते। यदि आप बाहर माल बेचेगे तो आपको ढाई परसेण्ट शुल्क नहीं लगेगा और मण्डी की बाउण्ड्री के अन्दर बेचेंगे तो आपको शुल्क देना होगा, यह बाध्यता समाप्त कर दी गई थी। देश के अन्दर तेल बेचने वाला, साबुन बेचने वाला, चप्पल-जूते और कपड़े बेचने वाला अपना माल कहीं भी बेच सकता है तो किसान उस देश के अन्दर कहीं भी अपना माल क्यों न बेच सके, यह महत्वपूर्ण कानून है। लोग कह रहे हैं कि यह काला कानून है और इसको वापस लीजिये लेकिन इस कानून में काला क्या है यह आज तक कोई बता नहीं पाया है। कान्ट्रैक्ट खेती के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं। हमारे नेता विपक्ष कह रहे थे कि यहां पर सभी लोग किसान हैं, मुझे पता है कि यहां पर कितने लोग बटाई पर खेती करते हैं और कितने लोग बलकट पर खेती करते हैं। यह बटाई और बलकट क्या कान्ट्रैक्ट खेती नहीं है, लेकिन चूँकि उसी गांव के लोग हैं और विश्वसनीयता के आधार पर उनसे कोई लिखित कान्ट्रैक्ट नहीं होता इसलिये यह भी कान्ट्रैक्ट खेती के अन्तर्गत आता है। छोटी होती हुई जोत में कोई भी बड़ा व्यक्ति पूंजी लगाने वाला नहीं है। किसान के पास सब कुछ है, ऊर्जा है, मेहनत है, मौसम की जानकारी है, बीज की समझदारी है लेकिन उसके पास जो नहीं है वह है पूंजी। केन्द्र सरकार सम्मान राशि के रूप में छह हजार रुपये दे रही है, अन्य चीजों पर सब्सिडी दे रही है, लेकिन केन्द्र सरकार को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जब डिफेन्स से लेकर सेलफोन तक की मैन्युफैक्चरिंग में एफ0डी0आई0 हो चुका है तो देश के पूंजीपतियों का पैसा किसान की जेब में क्यों नहीं पहुँचना चाहिये। यह छोटी जोत के लोग जब अपनी जमीन को एकत्रित करेंगे तो जितने भी बड़े पूंजीपति है, वह सब खेती की ओर अग्रसर होंगे, फूड प्रोसेसिंग की तरफ अग्रसर होंगे। एक बहुत बड़ा अन्तर है, किसान का 90000 करोड़ का माल हर वर्ष खराब हो रहा है। 90000 करोड़ रुपये की बचत किसान के लिए होगी लेकिन यह बात भी तय है कि जब बड़े पूंजीपति आयेंगे तो वह बड़ी जमीन पर खेती भी करना चाहेंगे। छोटी जोत को एकत्र करने के लिए उनके पास कान्ट्रैक्ट करने के अलावा और कोई तरीका नहीं है। किसान कभी भी कान्ट्रैक्ट से बाहर हो सकता है और उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है। वहीं जो दूसरी पार्टी पूंजीपति की है वह तब तक बाहर नहीं हो सकती जब तक वह अपने एग्रीड पेमेण्ट का भुगतान न कर दें। इससे अच्छी सिक्योरिटी कौन सी कानून में हो सकती है। किसानों के लिए यह वह

घड़ी है जिसको अंग्रेजी में गेम चेन्जर कहते हैं। यह देखिये हमारे मित्र और नेता जी सदन से जा रहे हैं। कृषि से संबंधित कुछ विषय थे, शायद आपकी भी धारणा हमारे साथ हो जाये।

श्री ओम प्रकाश राजभर-

हम कल बोलेंगे। आपकी भावना की कद्र कल करेंगे।

श्री विक्रम सिंह-

अभी कर लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। माननीय अधिष्ठाता जी, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी 15वें फाइनेन्स कमीशन में जो व्यवस्था की गई है, उसमें लगभग ढाई लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्र को सीधे देने की व्यवस्था की गई है। पहली बात, स्वास्थ्य के लिए फण्ड को टाई अप कर दिया गया है। पांच लाख सत्तर हजार रुपया प्रति वर्ष पांच वर्ष तक हर पंचायत को स्वास्थ्य के लिए दिया जायेगा। सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नये तरीके से एक अपने नये अवतार में प्रस्तुत होंगे। ग्रामीण स्वास्थ्य की जितनी भी चिंता और चुनौतियां हैं उनका सम्यक और समग्र हल मिलेगा। इस सारी व्यवस्था में सिर्फ और सिर्फ झूठ का सहारा लेकर विपक्षी पार्टियों ने एक भ्रांति फैलाने की कोशिश की है। जब सारे देश के अन्दर एक अघोषित क्रांति विशेषकर ग्रामीण अंचल को लक्षित करते हुए हो रही है। उस वक्त इस तरह की भ्रांति को फैलाना इस देश के 80 प्रतिशत गरीबों के साथ अन्याय है। मान्यवर, हर ग्रामीण व्यवस्था में अगर हम 73वां संशोधन 1991 का देखेंगे तो हम देखेंगे कि इंक्ल्युजिव ग्रोथ के स्लोगन को लेकर लोकतंत्र को सबसे आखिरी पायदान पर प्रतिस्थापित करने की योजना के अन्तर्गत पंचायतों को अधिकार देने की बात 1991-92 के दौरान हुई थी। उनको 29 सब्जेक्ट ट्रांसफर करने थे, लेकिन यह योजनाएं और घोषणाएं घोषित होने के बावजूद पिछले 30 वर्षों में आज भी पंचायतें दिल्ली और लखनऊ डिस्ट्रिक हेडक्वाटर से गवर्न होती हैं। पंचायतों में उनका कोई दफ्तर नहीं है। गवर्नमेंट तो है। चुनाव तो हर पांच वर्ष में होता है, लेकिन गवर्नेंस में उनकी कोई सहभागिता नहीं है। 73वां संशोधन लोकतंत्र इस संशोधन की व्यवस्था करता है। मान्यवर, आपने देखा कि पंचायत के चुनाव कश्मीर में हमारी सरकार ने कराये। 53 प्रतिशत आउटपुट हुआ और 53 प्रतिशत लोगों ने निकलकर अपने-अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम किया, इतना उत्साह था। मान्यवर, इस नीचे के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए देश में कुछ नई व्यवस्थाएं लागू हुई हैं, उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा पूरे सदन का चाहूंगा। पंचायत भवन हर ग्राम पंचायत में बनने की व्यवस्था शुरू हुई। पंचायत भवन बनेगा तो कम्प्यूटर रखे जाएंगे। पंचायत सेक्रेटरी सहित जितने भी अधिकारी हैं, जो आज ब्लॉक में बैठते हैं, वह पंचायत में बैठेंगे। पंचायत में कितना धन आया है, उसकी जानकारी सबको होगी। जो चीजें दृष्टिबाधित करती हैं, वह दूर होंगी और सबको सब कुछ पता होगा। जब सबको सब कुछ पता होता है तो भ्रष्टाचार की सम्भावनाएं कम होती हैं। हमने तो अपनी तरफ से भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो करना था, वह किया। जब देश के अन्दर पैसा था तो जिम्मेदार

प्रधानमंत्री कहता था कि जब मैं 100 रुपये भेजता हूं तो 85 रुपये बीच में गायब हो जाते हैं, सिर्फ 15 रुपये आखिरी तक पहुंचता है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भाषण दिये और देश के लिए किया कुछ नहीं है क्योंकि हो सकता है कि उस 85 पैसे में कोई लाभ का एक टुकड़ा उनकी जेब में भी पहुंचता रहा होगा। मान्यवर, डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर इसको हम कितना भी छोटा मानें, लेकिन डी0बी0टी0 अपने आप में एक गेम चेंजर है। 500 रुपये और 1000 रुपये पाने वाला दिव्यांग 500 रुपये पाने वाली गरीब, बुढ़िया, विधवा महिलाएं बी0डी0ओ0, ए0डी0ओ0, लेखपाल और पंचायत सक्रेट्री के पैर छूते घूमा करती थीं। उसमें भी 100 रुपये काटकर दिया करते थे। क्यों ? क्योंकि नेतृत्व से प्रभावित होता है सारा का सारा अमला। जब यह जानकारी होती है कि नेतृत्व के घर में नोट गिनने की मशीनें लगाई गई हैं, लखनऊ में तो नीचे का आदमी भी अपने हिसाब से उस पूरे कानून को तोड़ने और मरोड़ने का काम शुरू कर देता है। 53 हजार करोड़ रुपया एक बटन दबाते ही किसानों के खाते में पेंशन उनके खाते में मान्यवर, अगर यह परिवर्तन नहीं है तो और किसे परिवर्तन कहेंगे ? मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाता है। हमारे 2017 के चुनाव में जब होर्डिंग लगे थे तो हमने देखा था कि दो चेहरे उन होर्डिंग पर दिखाई देते थे। तीन भी होते तो नारा वही होता, भ्रष्टाचार और गुण्डाराज की समाप्ति।

मान्यवर, चेहरे तीन हो सकते थे लेकिन हमारे नारे वही रहने थे। हमारे नीति निर्देशक सिद्धान्त यही कहते थे कि इन दो नारों में हम तीनों पार्टियों को समेट लेते हैं। भ्रष्टाचार और गुण्डाराज। मान्यवर, आज प्रदेश की चर्चा करेंगे। प्रदेश के हर ऐसे विषय में जहाँ धन का लेनदेन होता था। मान लीजिए टेण्डर है तो वहाँ एक टेण्डर माफिया सक्रिय था। डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स पर भू-माफिया सक्रिय था। शिक्षा के केंद्रों में शिक्षा माफिया काबिज था। जहाँ पढ़-लिख कर नम्बर लेने की बात होती थी वहाँ नकल माफिया हावी था। जहाँ माइन और मिनरल्स से प्रदेश को राजस्व मिलने की बात होती थी वहाँ हाई कोर्ट और एन0जी0टी0 के आदेश के बावजूद मौरंग माफिया हावी रहता था और कहते हुये अफसोस है कि इसी पैसे ने इन परिवारों को तोड़ा है। जो उत्तर प्रदेश को एक करने की योजना लेकर चलते हैं, अपने बड़े-बड़े एड देते हैं। छपवाते हैं कि हम पूरे प्रदेश में एकता स्थापित करेंगे। मान्यवर, वह परिवारों को एक रख पाने में सक्षम नहीं हुये क्योंकि इसी पैसे ने उनके घरों में यह आग लगायी। मान्यवर, महिलाओं को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से लेकर आदरणीय योगी जी जितना चिंतित रहते हैं, पहला कानून जो मा0 मुख्य मंत्री जी ने अपने मुख्य मंत्रित्व काल में बनाया था वह एंटी रोमियो स्क्वाड का था। मान्यवर, रोमियो की एक ही जुलियट थी लेकिन एक रोमियो जब कई जुलियट के चक्कर में रहता था तो कई घरों की बच्चियों को परेशान करता था और सब घर इतने सक्षम नहीं होते थे कि वह उन उद्दण्डताओं से लड़ लें। कुछ लोगों ने इस कानून का मजाक भी उड़ाया था। लेकिन मान्यवर, मैं ऐसे हजारों घरों को जानता हूँ जिनको इस कानून का लाभ मिला था और इस लाभ के कारण आज उनकी बच्चियों का जीवन सुरक्षित है। आज वह शादी

करके अपने-अपने घरों को गयी हैं। मान्यवर, मैं एक बड़ी मौलिक सी बात करना चाहता हूँ। हमारे पास समाजवादी पार्टी का एक इतिहास है। समाजवाद का चिंतन उसका एक इतिहास है। लोहिया जी से शुरू होकर, अच्युत पटवर्धन जी से शुरू होकर, अशोक मेहता जी से होते हुये आचार्य नरेन्द्र देव जी से होते हुये, जय प्रकाश जी से होते हुये, गंगा बाबू जी से होते हुये, मोहन सिंह जी से होते हुये, जनेश्वर मिश्र जी से होते हुये, कैप्टन भदौरिया जी से होते हुये आज यहाँ आकर टिका है। दो कपड़े लेकर घूमने वाले लोहिया जी में और दो करोड़ की लैम्बरगिनियों में घूमने वाले नेताओं में कौन सा समाजवाद दिख रहा है। मेरी समझ से बाहर की चीज है।

(विपक्ष के कुछ सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

मुझे पता है, बुरा लगेगा। मान्यवर, सच कभी-कभी कड़वा होता है। लेकिन सच को उसकी तार्किकता के आधार पर लीजिए। सच से परहेज मत करिये। सत्य कभी-कभी दवाई का भी काम करता है। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था यह बनी हुयी थी कि समाजवाद को कभी जय प्रकाश जी के बाद परिभाषित ही नहीं किया गया। पूरा का पूरा समाजवाद परिवार में दबकर रह गया। मान्यवर, यह समाजवाद की कौन सी परिभाषा के तहत आता है।

मान्यवर, मैंने इसका नाम रखा है। यह पॉलिटिकल कैपिटलिज्म है। यह उन वोटों का पूँजीवाद है जो आप और किसी को नहीं देना चाहते हैं, सिर्फ अपने परिवार में रखना चाहते हैं। यह कौन-सा समाजवाद है ? इस देश में सबसे पहले चूल्हे से महिलाओं को निजात दिलाने की बात लोहिया जी ने की थी, सबसे पहले शौचालय बनाकर महिलाओं को सम्मान देने की बात लोहिया जी ने की थी। अब आप समझ सकते हैं कि वर्ष में एक बार फूल चढ़ाकर अपने काम की इतिश्री समझ लेने वाले लोग किस सांकेतिकता के साथ इस देश के अन्दर काम कर रहे हैं। अम्बेडकर जी का चित्र लगा करके कुछ लोग इस देश में बहुत दिनों तक लोगों को भरमाये रहे, अम्बेडकर जी को एक समाज विशेष के साथ जोड़ दिया गया। इन्होंने सिर्फ इसी समाज के लिए काम किया और यह खुद अम्बेडकर जी के विषय में नहीं जानते हैं। देश के अन्दर आर0बी0आई0 शुरू कराने वाले अम्बेडकर जी थे, देश के अन्दर सबसे बड़े डैम्स का प्लान बनाने वाले अम्बेडकर जी ही थे, रुपये को लेकर थिसिस लिखने वाले अम्बेडकर जी थे, अम्बेडकर जी ने महिलाओं को प्रेग्नेन्सी लीव देने का भी काम शुरू किया था। अंग्रेजो के जमाने में लेबरों को 14 घण्टे काम करना पड़ता था और अम्बेडकर जी ने 08 घण्टे काम करने का प्राविधान किया था। इन लोगों ने ऐसी पुण्य आत्मा से उसको एक छोटी-सी जेल में, छोटी-सी सोच के सांचे में जकड़ देने का काम किया है और उस सांचे से बाहर निकलकर उस पुण्य आत्मा ने जितनी जगहों पर अपने जीवन से छुआ है उन जगहों को तीर्थ बनाने का काम इनकी पार्टी ने किया है। महात्मा गांधी जी राष्ट्रपिता हैं, हम सब उनका आदर करते है। महात्मा गांधी जी ने क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था वह सब उनके साथ चला गया है, लेकिन उन्होंने जो

कहा था और उनके पीछे अहिंसा, स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत ही बचा है। इन्होंने एक भी विषय के ऊपर काम नहीं किया है, इन्होंने सिर्फ स्वदेशी की जगह विदेशी पर काम किया है....

मान्यवर, आत्मनिर्भर भारत की जगह.....

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान)

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

एल0आइ0सी0 किसने बेचा, देश को किसने बेचा, स्वदेशी की बात करने वाले, अडानी और अम्बानी की गोद में खेल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अजय जी आप बैठिए, जब आपका नंबर आएगा तब बोल लीजिएगा।

श्री विक्रम सिंह-

आत्मनिर्भर भारत की जगह परिवार के जेब में भरता भारत सबने देखा है। जब परिवार के अन्दर कोई पैदा होता है तो ये लोग उसका सैलीब्रेट करते हैं, अपने बच्चे के जन्म दिन पर मिठाई नहीं बांटते हैं, उस परिवार में कोई पैदा होता है तो मिठाई खिलाते हुए अघाते नहीं हैं। मान्यवर, महात्मा गांधी जी के नाम पर इन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक पार्टी इधर है....

(श्री अजय कुमार "लल्लू" के लगातार बोलते रहने का प्रयास करने पर)

श्री अधिष्ठाता-

"लल्लू" जी आप बैठिए। जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, 1886 की पार्टी जिसमें भारतीयों के नाम पर दो लोग थे।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है। हम लोग महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं और अभिभाषण के अलावा हर विषय पर चर्चा हो रही है। यह उचित नहीं है।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, ये मौलिक प्रश्न है, ये लोगों ने उन मूल्यों को तिलांजलि दी है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य लगातार बोलते हुए वेल में आ गये)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग वेल से हट जाइए और अपने-अपने स्थानों पर बैठ जाइए।

(सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने से घोर व्यवधान)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, ये सबसे पहले किसानों से माफी मांगें, इन्होंने किसानों को देशद्रोही कहा है।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जाइए। आप लोग शान्त हो जाइए।

श्री विक्रम सिंह-

एक पार्टी ये भारतीय जनता पार्टी है कि आज भी दीन दयाल उपाध्याय जी के सपनों को जीने का काम कर रही है। एकमात्र यह पार्टी है जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के सपनों को जीते हुए धारा-370 को खत्म करने का काम किया है।

श्री अधिष्ठाता-

विक्रम जी, आप भी शांत हो जाइए और बैठ जाइए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य वेल में खड़े होकर लगातार बोलते रहे)

श्री अधिष्ठाता-

वेल में उपस्थित मा0 सदस्य अपनी-अपनी सीटों में बैठ जाएं, फिर अपनी बात कहें। "लल्लू" जी अपनी जगह पर जाकर अपनी बात कहिए, अपनी बात को वहां से बोलिये, वेल में आने का कोई औचित्य नहीं है।

(वेल में आए हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य लगातार बोल रहे थे)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अधिष्ठाता जी, कांग्रेस के नेताओं ने अपनी जान कुर्बान की है, कांग्रेस के नेताओं ने देश नहीं बेचा है।

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

ये देश से माफी माँगें, ये देश के किसानों से माफी माँगें, ये सिख भाइयों को खालिस्तानी कहेंगे ?

(जोर-जबर्दस्ती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाने लगे)

(इसी मध्य 03 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी जगह पर जाकर अपनी बात कहें। जो कहना हो, अपनी सीट से कहिए।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, किसानों को देशद्रोही कहा जायेगा ? इस तरह से असेम्बली नहीं चलेगी।

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

अध्यक्ष जी, अगर किसान आन्दोलन कर रहे हैं तो वह देशद्रोही कैसे हो गए ?

श्री अध्यक्ष-

यह बात आप अपनी सीट पर पहुँच कर कहिए।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य वेल से वापस अपनी सीटों पर चले गए)

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

माननीय अध्यक्ष जी, पूरी तरह से यहाँ लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसी को क्या धरना-प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है ? हमारे देश का किसान जो पिछले 12 हफ्तों से आन्दोलन कर रहा है, उसको भी ये आतंकवादी कहेंगे ? इनको माफी माँगनी चाहिए। इन्होंने सिख भाइयों को खालिस्तानी कहा है, ये माफी माँगें। देश का किसान आतंकवादी नहीं हो सकता है, वह धरती-पुत्र है।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्य एक साथ बोलने का प्रयास करने लगे)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री को सुन लीजिए, फिर अपनी बात कहिए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस बात के ऊपर भी यहाँ कांग्रेस के लोगों ने एतराज जाहिर किया है, मेरा सब्मिशन है कि आपका सर्वाधिकार सुरक्षित है, आप कार्यवाही में देख लीजिएगा कि कोई ऐसा शब्द हो कि जो संवैधानिक न हो, उसको निकाल सकते हैं, मान्यवर, इसके ऊपर हल्ला मचाने की क्या बात है ?

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

अध्यक्ष जी, मेरा अनुरोध है, अगर आतंकवादी कहा है, सिख भाइयों को खालिस्तानी कहा है, तो ये माफी माँगें।

(भारतीय जनता पार्टी के कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर)

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा है, वह अपनी समझ से सदन को शान्त करने के लिए रखा है। लेकिन इस सदन में जो भी माननीय सदस्य बोलें तो कम से कम इस बात का तो ध्यान रखना ही चाहिए कि हमारी बात से किसको कितना कष्ट हो सकता है। समाजवाद, परिवारवाद, हत्यारा, खालिस्तानी, पाकिस्तानी।

श्री विक्रम सिंह-

यह मैंने नहीं कहा है।

***श्री राम गोविन्द चौधरी-**

मैं सदन में नहीं था, मैं तो माननीय अध्यक्ष जी के कमरे में बैठा था, उन्होंने मुझे बुलवाया था। वहाँ पर माननीय प्रमुख सचिव जी भी थे, माननीय नेता, बसपा भी थे, माननीय नेता भाजपा भी थे, आराधना जी को भी हम लोग बुलाने वाले थे।

तब तक ये लोग दौड़कर यहां आ गए। कोई न कोई बात रही होगी तभी तो लोग आए। मा0 अध्यक्ष जी मैं 18 तारीख को भी यह बात कह रहा था जो उपाध्याय जी ने प्रस्ताव रखा वह बहुत ही बढ़िया प्रस्ताव रखा है, उनको मैं धन्यवाद देता हूं। एक शब्द उन्होंने कहा है कि भदोही राम कि भगोही राम। मुख्य मंत्री जी भाषण देने खड़े हुए तो भदोही राम हो गए। मान्यवर, 56 पर ग्राह्यता पर आपसे अपनी बात हम कह रहे थे। नेता बसपा विधान मण्डल और आपने ग्राह्य है कि नहीं है। नेता विरोधी दल ने कहा जो नेता बसपा और नेता कांग्रेस जो सवाल उठा रहे हैं। उस सवाल पर मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को पुकारा। अब यही संसदीय परम्परा है कि कोई चीज ग्राह्य है कि नहीं है। विपक्ष जो अपनी बात कह रहा है वह सही है कि नहीं, उस पर चर्चा हो कि न हो। संसदीय कार्य मंत्री जी से आप जवाब लेना तो चाहे आपकी पीठ से जो भी हो। संसदीय कार्य मंत्री जी ज्यों ही खड़े हो रहे हैं तब तक मुख्य मंत्री जी खड़े हो गए तब मुख्य मंत्री जी का भाषण का बहिष्कार वह नहीं था, वह गलत समझ रहे हैं। हमारा 56 पर ग्राह्यता पर नहीं सुना गया, इस पर हमारा बहिष्कार था और आज जो किसानों का अपमान कर रहे हैं, चाहे कोई भी करे अपमान किसान हमारा अन्नदाता है, किसान का अपमान, भगवान का अपमान है। अन्नदाता में भगवान का अंश माना गया है। अन्नदाता, राजा और ईश्वर तीनों को ही माना गया है। यह जीवनदान देने वाले लोग हैं। उस अन्नदाता को यह लोग गाली दे रहे हैं, खलिस्तानी कह रहे, पाकिस्तानी कह रहे यह लोग अपमानित कर रहे हैं। यह कभी भी समाजवादी पार्टी या विरोधी पक्ष के लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसके विरोध में हम दो मिनट के लिए सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमारा निवेदन यह है कि दो तरह के विषय होते हैं। एक तो यह प्रस्ताव कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी आप स्वयं देख लें अगर कोई भाषा मर्यादित न हो, अप्रिय हो तो निश्चित रूप से उसको कार्यवाही से निकाल दीजिए यह आपसे मेरा प्रस्ताव है। दूसरा मेरा निवेदन यह है कि किसान हो या कोई भी आन्दोलन हो, आन्दोलनकारी को हम जो चाहें वह प्रयोग करें, यह उचित नहीं होगा। मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि जो संवैधानिक है, संसदीय है, इसके साथ-साथ अशिष्ट भाषा भी अगर है, तो वह भी कार्यवाही में नहीं रहनी चाहिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्रीमती आराधना मिश्रा 'मोना'-

मान्यवर, अगर हमारे अन्नदाता को यह लोग आतंकवादी कहेंगे तो यह कांग्रेस पार्टी सुनने को तैयार नहीं है। मैं मानती हूं कि यहां सदन में सब किसान पुत्र बैठे हुए हैं। हम सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(नेता कांग्रेस अपने दल के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये।)

***श्री सुरेश कुमार खन्ना-**

मान्यवर, अभी जो नेता विपक्ष कह रहे थे हम उस पर पूरी तरीके से असहमति व्यक्त करते हैं और किसी भी प्रकार से किसानों के सम्मान में ठेस पहुँचाने या किसानों के सम्मान को किसी प्रकार से हम लांछित करने के लिए यहां पर आए भी नहीं हैं। हमारा पूरा सम्मान किसानों के साथ है और प्रधानमंत्री से लेकर मुख्य मंत्री जी कई बार विभिन्न मंचों पर इस बात को कह भी चुके हैं और स्पष्ट कर चुके हैं और हर तरह से हम चाहते हैं कि किसानों का कल्याण हो। उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए हम लोगों ने तमाम तरह के प्रयास किए, इसलिए हमारे मन में, मस्तिष्क में और हमारी कार्यशैली में कहीं पर भी किसानों को किसी प्रकार से ठेस पहुँचाएं या उनका अपमान करें।

मान्यवर, इसलिए हमारे जो मा0 सदस्य बोल रहे हैं, ये और कहीं किसी प्रकार का कोई असम्मान नहीं है। हम आपको अपने पूरे दल के माध्यम से यह आश्वस्त करना चाहते हैं। इसलिए मा0 सदस्य अपनी बात पूरी करें, समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, मेरा सब समय तो चला गया। हम बस अपनी बात पूरी कर रहे हैं, 10 मिनट में मैं अपनी बात पूरी कर लूँगा। मा0 अध्यक्ष जी, अभी 15 मिनट पूर्व तो ये लोग गए हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप शीघ्र पूरा कीजिए, अभी हमें कई अधिनियम लेने हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

अध्यक्ष जी, आप इनको कितना समय देंगे ? मान्यवर, प्रस्तावक और समर्थक की बात आधे घण्टे में खत्म होनी चाहिए, लेकिन पिछले दो घण्टे से यह चर्चा हो रही है। केवल प्रस्तावक और समर्थक में इतना समय लग रहा है।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, अरे ! ये लोग इतना डिस्टर्ब कर रहे हैं कि मैं 05 मिनट भी नहीं बोल पाया।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर इतना समय तो केवल नेता सदन ओर विरोधी दल के नेता को मिलता है, बाकी किसी को नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसको भी एक समय-सीमा में निर्धारित करिए।

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, आप अपनी बात संक्षेप में रखिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, मैं बहुत ही संक्षेप में भ्रष्टाचार और गुण्डाराज को रखूँगा। भ्रष्टाचार और गुण्डाराज के ऊपर कहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

आप अभिभाषण पर बोलिए, अभिभाषण के बिन्दुओं पर बोलिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, ठीक है, मैं बिल्कुल उन्हीं बिन्दुओं पर बोलूंगा। मान्यवर, स्वराज और आत्मनिर्भर भारत यह सपना गाँधी जी का था और केवल स्वदेशी तथा विदेशी शब्द कह देने पर हमारे साथी बहुत नाराज हो गए। लेकिन सत्यता को कोई झुठला नहीं सकता और यह सत्य है। यह पासपोर्ट बोलते हैं, यह देश का रिकार्ड बोलता है, यह जन्म का रिकॉर्ड बोलता है और मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ। मान्यवर, एक बात इस सब में यह हुई कि जितने भी ये शब्द बने, जैसे टेण्डर माफिया, शिक्षा माफिया, नकल माफिया इनमें एक शब्द कॉमन है और वह है माफिया। इनमें माफिया शब्द बड़ा कॉमन है और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह माफिया शब्द आया कहाँ से है ? इसका भी एक संयोग निकल आया कि यह शब्द भी इटली से आया था।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में जोर की हँसी)

मान्यवर, यह सही भी है कि सन् 1662 में पहली बार गैरी बालिनी ने इस शब्द का प्रयोग किया था। मैंने इस पर शोध किया है। मान्यवर, इस शब्द के कारण उपजे ये विरोध के स्वर ठीक नहीं हैं। लोकतन्त्र में सबको सुनने की ताकत होनी चाहिए। आदरणीय नेता सदन ने कहा था कि संवाद लोकतन्त्र की रीढ़ है, लेकिन विषाद और अवसाद फैलाने वाले लोगों को देश में फसाद कराने वाले लोगों को संवाद पसन्द नहीं होगा। मान्यवर, पता नहीं कहाँ से देश के अन्दर उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री जी की कुर्सी पर मा0 योगी जी का पदार्पण हुआ। गोरक्षनाथ पीठ से निकल कर यहाँ इस सीट पर जब वे बैठे और यह जो योगी जी का पदार्पण हुआ। (सत्ता पक्ष के कतिपय सदस्यों द्वारा बीच में बोलने पर) नहीं, नहीं सब ठीक है, सब चलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग आपस में बातचीत न करिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, यह जो योगी जी का पदार्पण हुआ लखनऊ में। यह इनके लिए काल हो गया। ये जितने माफिया हैं, जो कभी इनके संरक्षण में तो कभी उनके और उनके संरक्षण में लखनऊ की धरती पर पनपते रहे हैं, पुष्पित-पल्लवित होते रहे हैं। ये सारे माफिया त्राहि-माम त्राहि-माम करते हुए आज अपने व्यवसाय से दूर हैं, उसी को ये लोग अनइम्प्लॉयमेण्ट बोलते हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में जोर की हँसी)

मान्यवर, यह सही है कि इन लोगों का अनइम्प्लॉयमेण्ट हुआ है और हम उसको फक्र से सड़क पर कहते हैं। जो अपने से बड़े की कलम की ताकत को इस देश के अन्दर बेच रहे थे, हमने दिल्ली से लेकर लखनऊ की सरज़मी तक उन लोगों को अनइम्प्लॉयड कर दिया है और हम गर्व और फक्र के साथ यह कहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप संक्षेप करिए, जल्दी करिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, बिल्कुल लेकिन इन लोगों ने मेरा समय ले लिया, पर मैं जल्दी करूंगा। अब गलती यह हो गई कि जिस पीठ से पतंजलि योग के बाद हठ योग निकला था, उसके योगी यहाँ पर आकर बैठ गए और यह काम कोई हठी व्यक्ति ही कर सकता था, यह साधारण व्यक्ति के दम की बात नहीं थी कि भ्रष्टाचार और गुण्डाराज को इन गलियारों से भगा सके, इतनी डीप रुटेड और इतनी डीप सीटेड व्यवस्थाओं के ये चरम पर थे। एक दूसरे के साथ गलबहियां डालकर चलने वाले ये लोग सत्ता में भले एक-दूसरे के खिलाफ दिखते हों लेकिन जब भ्रष्टाचार और गुण्डाराज की बात आती है, मान्यवर, तो उसको सुशोभित करने का, उसको खादी पहनाने का काम भी इन्हीं लोगों ने पूरे देश में किया है और इसलिए मान्यवर, यह किस्मत है उत्तर प्रदेश की आम जनता की कि एक हठ योगी इस सीट पर बैठा है और एक हठ योगी ही इनसे लड़ सकता है। न जाने किन-किन परेशानियों का सामना इस हठ योगी को करना पड़ रहा है। हम लोग रोज देख रहे हैं और यह हठिता ही है जो उनको जीत दिलायेगी और एक दिन इनके मंसूबे समाप्त होंगे।

(मेजों की थपथपाहट)

यह वॉकआउट करते हैं, सदन से, लेकिन आप प्रेमपूर्वक इनको फिर बुला लेते है, लेकिन जब जनता के सदन से वॉकआउट होता है तो फिर आना बड़ा मुश्किल होता है।

(सदन में हँसी, मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष-

मान्यवर, आपकी बात पूरी हो गई ?

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, सिर्फ दो-तीन चीजें बची हैं और यदि ये नाराज हों तो आप संभालिएगा। मा0 अध्यक्ष जी, देश के अन्दर किसानों की हिमायती सरकारें होने का अपना दम्भ भरने वाले लोगों के समय में वर्ष 2013 में फूड सिक्योरिटी ऐक्ट आया था। फूड सिक्योरिटी ऐक्ट पर किस प्रदेश ने सबसे आखिरी में दस्तखत किये ? मान्यवर, आप लोगों में से यदि कोई जानता हो तो बतायें। मान्यवर, वह उत्तर प्रदेश ही था। फूड सिक्योरिटी ऐक्ट में सबसे लेट में दस्तखत किये। जहाँ 76 प्रतिशत लोगों को आज यह सरकार भोजन दे रही है। जहाँ ए0पी0एल0 के 55 प्रतिशत लोगों को यह सरकार कवरेज कर रही है, वहाँ उस ऐक्ट के कागज पर आप लोगों ने दस्तखत नहीं किया था। केन्द्र को धमकी देनी पड़ी थी और केन्द्र में सरकार इनकी (कांग्रेस) की थी। उस समय केन्द्र की सरकार ने धमकी दी थी कि यदि 1 दिसम्बर तक इस फूड सिक्योरिटी ऐक्ट को रेक्टीफाई नहीं किया उत्तर प्रदेश में हम तुमको बाजार के रेट पर जो फूड देंगे उसमें सब्सिडाइज्ड फूड नहीं देंगे तब जाकर इन लोगों ने दस्तखत किया। पॉवर फार ऑल केन्द्र की एक महत्वाकांक्षी योजना है, 1000 दिन के अन्दर हर मजरे को बिजली से जोड़ने के लिए, एक गरीब तबके का इम्पॉवरमेंट करने के लिए, जहाँ तम था, जहाँ तमस थी, जहाँ रोशनी नहीं पहुँच सकती थी, उसमें उजियारा करने के लिए उस योजना पर काम नहीं हुआ, पूरी सरकार इनकी चली गयी, चुनाव भी हो गया लेकिन उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस कागज पर दस्तखत नहीं किये। वर्ष 2017 में आदरणीय मंत्री जी आपने उस पर दस्तखत किये। आज आपके कारण इस देश के हर गरीब को एक अधिकारस्वरूप बिजली मिल रही है। मान्यवर, इनके असली चेहरे इस तरह के भाषणों में सामने आ जाते हैं तो परेशानी होती ही होती है। मान्यवर, मेरी एक बहुत बड़ी गड़बड़ है कि मुझे शेर याद नहीं होते हैं।

श्री अध्यक्ष-

तो पर्ची भेज दीजिए।

(सदन में हँसी)

श्री विक्रम सिंह-

उसका भी एक कारण है मान्यवर, एक समय था शेर मुझे अच्छे लगते थे और कालेज के जीवन में जब छात्र राजनीति में था मैंने शेर लिखे भी थे, लेकिन जबसे मैंने मुनव्वर साहब को सुना है, मेरे हृदय को पीड़ा हुई है। कोई इतना ज्ञानी आदमी जो सूफी अन्दाज में देशभर

को मानवता और इंसानियत के कायदे सिखाता हो, वह किसी की हत्या को जायज कैसे ठहरा सकता है। मान्यवर, इसलिए मुझे इस बात से नफरत हुई और मुझे इस बात से कष्ट हुआ और मुझे कष्ट इसलिए भी हुआ क्योंकि हम बड़े अच्छे से नाम लिया करते हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल का, ''सारे जहाँ से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा'' हम लोग कहा करते हैं, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि इन्हीं अल्लामा इकबाल ने 1930 में प्रयागराज में इस देश को दो भागों में विभाजित करने की नींव रखी थी और उसका तार्किक सहयोग किया था, यह जानकर तो मेरा दिल टूट गया।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, जब मुझे पता चला कि जौहर साहब ने यह तय किया कि मुझे इस देश के अन्दर दफनाया नहीं जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें, यह अभिभाषण का विषय नहीं है।

श्री विक्रम सिंह-

और मान्यवर, उन्होंने महात्मा गाँधी के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया तो फिर दिल टूट गया।

(सदन में विपक्ष के सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करिए, बैठिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, मुद्दे पर आकर अपनी बात को समाप्त करता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, मुझे पता था कि आप लोगों को परेशानी होगी। आज भारत के खिलाफ टर्की उन देशों के साथ खड़ा है, जो भारत के दुश्मन हैं। वर्ष 1919 में इसी लखनऊ की सरजमीं से बहुत से लोग लन्दन तक की यात्रा करके आए थे, विलायत की हुकूमत की यात्रा करके आए थे और खिलाफत आन्दोलन को 1919 में यहां जन्म दिया था। महात्मा गाँधी को उस आन्दोलन में

साथ देने के लिए मजबूर किया था। उस ऑटोमन साम्राज्य के पक्ष में भारत के लोग आन्दोलन कर रहे थे, ब्रिटिश हुकूमत को हड़का रहे थे।

श्री अध्यक्ष-

यह आप विषय के बाहर बोल रहे हैं।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, टर्की हमारा दुश्मन देश है। उत्तर प्रदेश देश की 17 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। मैं चाहता था कि लखनऊ की धरती से तुर्की का उतना ही बड़ा विरोध हो जितना बड़ा 1919 में सहयोग हुआ था। मान्यवर, मेरा दिल टूटता है।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, आप बैठिए।

श्री विक्रम सिंह-

मान्यवर, अन्त में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। विश्वास कीजिए, यह शान्त होंगे तभी मेरी बात समाप्त होगी, लेकिन मैं इसको इस सदन में समाप्त कर रहा हूँ। चूँकि शेर कहने से मुझे परहेज हुआ तो मैंने बहुत-सी कविताएँ ढूँढी, परन्तु कोई कविता मुझे इस लायक नहीं लगी। फिर एक संस्कृत की छोटी-सी सुभाषित मुझे मिली। आपके आगे मैं क्या कहूं, यह सूर्य को रोशनी दिखाने जैसा है, दिया दिखाने जैसा है 'आत्म दीपो भवः' यानि हम स्वयं दीप बनकर प्रज्वलित हों और उसकी रोशनी में दूसरों को रोशनी दे सकें। यही भारत नाम का मूल उद्देश्य था। यही भास्कर और ज्ञान के प्रति रत जो देश होना चाहिए था, उस भारत में जब हम तमस का।...

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए।

श्री विक्रम सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा सारा समय इन लोगों ने लिया, अब बताइये।

श्री अध्यक्ष-

आप विषय के बाहर बोल रहे हैं।

श्री विक्रम सिंह-

अध्यक्ष जी, मैं धन्यवाद कर रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूँ। अन्त में इतना ही कहकर कि हम सब अपने-अपने कार्यों को सजगता के साथ करते रहें, आपकी पीठ को और उसको गरिमा दे रहे आप दोनों को प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सत्यता में कड़वाहट होती है, लेकिन सत्यता जब किसी भी श्रेणी में परखी जाती है तो निश्चित तौर पर उसमें सत्यता के जब अंश निकलते हैं तो स्वयं को ग्लानि होती है। स्वयं को सुधारने की कोई

प्रक्रिया अगर यह लोग करेंगे तो शायद जनता का आशीर्वाद पाएंगे। बहुत-बहुत आभार बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय कुमार "लल्लू"-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारी याचिका छूट गयी थी, यदि आप एक मिनट का समय दे दें तो मैं उसको पढ़ लूँ।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप पढ़िए।

श्री अजय कुमार 'लल्लू', सदस्य, विधान सभा की जनपद-कुशीनगर से सम्बन्धित 10 याचिकाएँ[†]

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

1-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज में गंगुआ बाजार में पुराने जर्जर तार एवं लकड़ी के खम्भों के बदले जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

2-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के सेवरही ब्लाक में तमकुही रोड से मेहदिया होते हुये एन0 एच0-28 तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूं तथा

3-मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद कुशीनगर के सेवरही ब्लाक में नगर पंचायत सेवरही के मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका प्रस्तुत करता हूं,

श्री अध्यक्ष-

आपकी शेष याचिकाएँ उपस्थित हुई मानी गयीं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

4-जनपद कुशीनगर में दुदही से बरवा पट्टी तक के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री संजय कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई,

5-जनपद कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज में ग्राम मठिया खुर्द में पुराने जर्जर तार एवं ट्रांसफार्मर के सम्बन्ध में श्री मोहर्रम अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई,

6-जनपद कुशीनगर के सेवरही ब्लाक में तमकुही रोड से जीरो होते हुए अहिरौलीदान सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में श्री मुन्ना सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई,

---

[†] छापी नहीं गई।

7-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुहीराज के अन्तर्गत अमवा दीगर एवं जवही दयाल चैन पट्टी के सामने स्थित नारायणी नदी पर पैन्टुन के पुल के सम्बन्ध में श्री बृज किशोर साहनी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित हुई की मानी गई,

8-जनपद कुशीनगर के ब्लाक तमकुहीराज में ग्राम मठिया खुर्द में ड्रेन पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहर्रम अंसारी व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई,

9-जनपद कुशीनगर के सेवरही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व महिला चिकित्सालय को संयुक्त चिकित्सालय का दर्जा देने के सम्बन्ध में श्री अमित वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई तथा

10-जनपद कुशीनगर के तमकुहीराज के अन्तर्गत बांसी नदी के गौरीघाट, गोलाघाट, खैरवाँघाट एवं धोकरहाघाट पर पक्का पुल निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में राजू निषाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

[04:08] उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा विधेयक, 2021

श्रम एवं सेवायोजन मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये।

माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा में अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों से संबंधित विवाद के प्रकरण बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। यहां तक की बड़े पैमाने पर मामले उच्च न्यायालय में भी लम्बित चल रहे हैं और उनके निस्तारण में भी बहुत विलम्ब होता रहा है। इसलिए यह प्रयास किया गया कि बेसिक, माध्यमिक, उच्च शैक्षणिक संस्थाओं में कार्य की दक्षता को और बढ़ाने के लिए साथ-ही-साथ इस विवाद के त्वरित निस्तारण के लिए इस प्रकार के अधिकरण की आवश्यकता है। इसी मंशा के साथ पहले भी यहां पर सदन में बिल प्रस्तुत हो चुका है, दोनों सदनों से पारित होकर महामहिम राष्ट्रपति के पास गया था, लेकिन इसी बीच यहां पर ये प्रकरण आया कि सारे के सारे शैक्षणिक संस्थान का मुख्यालय प्रयागराज में है, इसलिए इसका मुख्यालय लखनऊ न बना करके प्रयागराज बनाया जाय, इसलिए इसी आशाय का संशोधन आया है कि अब 3 दिन लखनऊ और 2 दिन प्रयागराज में यह अधिकरण बैठेगा और ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा। चूँकि यह पारित हो चुका दोनों पक्षों की राय और मंतव्य भी आ चुके हैं, चूँकि सारे मुख्यालय प्रयागराज में हैं, इसलिए इसका मुख्यालय लखनऊ न बना करके प्रयागराज बनाया जाय, इसलिए इसी आशाय का संशोधन आया है कि अब 3 दिन लखनऊ और 2 दिन प्रयागराज में यह अधिकरण बैठेगा और ऐसे मामलों की सुनवाई करेगा।

चूँकि यह पारित हो चुका, दोनों पक्षों की राय और मंतव्य भी आ चुके हैं, चूँकि सारे मुख्यालय प्रयागराज में हैं, इसलिए उस सुविधा को ध्यान में रखते हुए लखनऊ और प्रयागराज दोनों जगह पर इस अधिकरण को स्थापित किये जाने का निर्णय इस संशोधन विधेयक के माध्यम से लाया गया है और इसीलिए मैं चाहता हूं चूँकि आप सभी पारित कर चुके हैं, इसलिए दुबारा पारित करने में किसी प्रकार की कोई इसमें शंका नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद।

नेता विरोधी दल (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपनी संस्तुति सदन के सामने प्रस्तुत करे।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, पिछली बार जब यह विधेयक आया तो आपा-धापी में इस विधेयक को पास किया गया था और उसी का नतीजा यह है कि प्रयागराज में वकीलों के एक समूह ने एक बड़ा आन्दोलन किया, उस आन्दोलन ने आपको विवश किया और उस विवशता के बाद आप फिर यह तरीका ला रहे हैं कि 3 दिन यहां और 2 दिन वहां, यह स्वीकार्य नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं इसमें चाहूंगा कि अधिकारियों की सुविधा के लिए लखनऊ में इस प्राधिकरण को बनाने की जरूरत क्या है ? हमने पिछली बार भी कहा था कि जितने भी ट्रिब्युनल आपके बने हैं, आप उनको देख लीजिये कि उनमें मुकदमें के निस्तारण में कितना समय लगता है ? आप अधिकरण पर अधिकरण, कभी प्रयागराज कभी लखनऊ में बनाते चले जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि इनका निदेशालय प्रयागराज में रहे, प्रयागराज में इसकी मुख्य पीठ रहे और प्रयागराज से ही इसका संचालन हो क्योंकि 3 और 2 दिन करने पर यह फिर दिक्कत पैदा करेगा। प्रयागराज में ही इसको होना चाहिए, इसको प्रवर समिति में ले जाकर इस पर हम लोग पुनर्विचार कर लें। पुनः इस पर चिन्तन और मन्थन कर लें जिससे असहज स्थिति न बने, क्योंकि विधेयक हम पास करते हैं। माननीय महामहिम राज्यपाल के पास से फिर लौटकर चला आता है। कहीं-न-कहीं हम लोगों के पास करने में त्रुटियां रहीं। कहीं-न-कहीं हम लोगों की कमियां रहीं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही मा0 नेता विरोधी दल ने प्रवर समिति की मांग रखी है उस पर हम लोग बल देते हैं। हम मा0 मंत्री जी से भी आग्रह करना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा बिल निर्विवाद रूप से पास हो, आपकी मंशा अच्छी है, उस मंशा के अनुरूप चले तो इसको आप प्रवर समिति में ले चलें उसके बाद इसकी मुख्य पीठ आप जनपद प्रयागराज को बनायें, क्योंकि उच्च न्यायालय की भी मुख्य पीठ प्रयागराज में है और सारे मुख्य अधिकरणों की भी मुख्य पीठ प्रयागराज है, तो इसकी भी मुख्य पीठ जनपद प्रयागराज में होनी चाहिए। मा0 मंत्री जी मेरा आपसे विनम्र आग्रह व अनुरोध है कि इसमें हठ न करके अधिकारियों के बनाये हुए जो हम लोग बिल लाते हैं और बिना पढ़े हुए पास कर देते हैं, यह हमारी अदूरदर्शिता को दिखाता है, यह कहीं न कहीं हमारी कमियों को दिखाता है। वह

अधिकारियों की कमियों को नहीं छुपाता। मैं आप लोगों से फिर आग्रह करूँगा कि इस बिल का फिर से हम लोगों को अध्ययन करने का समय दें। यह बिल आपाधापी में फिर आज आया है। आप इस बिल को वापस लेकर प्रवर समिति में ले चलें, यही हमारा आपसे आग्रह और अनुरोध है, धन्यवाद।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष महोदय, क्योंकि यह कोई नया विधेयक नहीं है। यह दोनों सदनों से पहले ही पारित हो चुका है। संशोधन मात्र इसलिए कि सारे मुख्यालय प्रयागराज में होने के नाते इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए, तीन दिन यहाँ पर और दो दिन वहाँ पर बैठेंगे। मान्यवर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी इसी तरीके से यहाँ भी बैठती है और वहाँ भी बैठती है। इसलिए हम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, अगर हम मामले को जल्दी से जल्दी निस्तारण के लिए अधिकरण की व्यवस्था कर रहे हैं, आपने तो पहले स्वागत किया है तो आज आप विरोध कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आपने पहले स्वागत किया है।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मान्यवर, पहले भी स्वागत नहीं किया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वैसे ही स्वागत करके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, जितने भी अनुदानित विद्यालय हैं, चाहे बेसिक हों, चाहे माध्यमिक हों, चाहे उच्च शिक्षा के हों, इन सभी विद्यालयों के जो भी वाद चल रहे हैं, शिक्षणेत्तर अधिकारियों से संबंधित या अध्यापकों से संबंधित, उसका त्वरित निस्तारण हो। आप भी चाहेंगे कि अध्यापकों का भला हो, शिक्षण संस्थायें बेहतर चलें, शिक्षा की क्वालिटी अच्छी हो। अध्यापक अपने मुकदमें में बार-बार न दौड़ें, बल्कि स्कूल की पढ़ाई में लगें। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रों के हित में, अध्यापकों के हित में, कर्मचारियों के हित में प्रयागराज और लखनऊ दोनों स्थानों पर पीठ हो, इसका आपको स्वागत करना चाहिए और बिना किसी विरोध के इसको पारित कराना चाहिए। इसलिए मैं अनुरोध करूँगा कि हमारे विपक्ष के साथियों ने इसका पहले स्वागत किया है और आज भी इसका स्वागत करके इसे पारित कराने का काम करें, धन्यवाद।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी बड़े योग्य हैं और बात को बड़े अच्छे तरीके से रख देते हैं। केवल दो दिन, तीन दिन की बात ही नहीं है। इलाहाबाद एक राजधानी के रूप में थी, जिसका माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रयागराज नाम बदला है। उसकी महत्ता को देख करके, उसका नाम प्रयागराज रखा गया है, पहले सारे जितने बड़े विभाग थे, सब इलाहाबाद में थे, कृपया इसको भी वहीं रहने दीजिए। दूसरी बात प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को फिर आप आई0ए0एस0 के जिम्मे देने जा रहे हैं। क्यों नहीं किसी शिक्षाविद् को डायरेक्टर बना

रहे हैं, सर्वेसर्वा। मास्टर की हालत शिक्षाविद् जानेगा या मास्टर का कष्ट आई0ए0एस0 जानेगा ? इसमें जो सर्वोच्च पद है, उसमें आप शिक्षाविद् को क्यों नहीं रखना चाहते हैं, क्यों हर चीज आई0ए0एस0 के हाथ में देना चाहते हैं ? आई0ए0एस0 जैसे जिले में और सचिवालय में हर बात को लटकाता है, तो कोई मामला गुरुजनों का होगा तो वह दौड़ते-दौड़ते ही थक जायेंगे। लेकिन अगर उस पद पर कोई गुरुजन बैठेगा तो वह गुरू की बात सुनेगा और जल्दी से निस्तारण करेगा। केवल बैठने की ही बात नहीं है कि दो दिन यहाँ बैठिये, तीन दिन वहाँ बैठिये। आप इस पर जो सर्वोच्च अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं, वह शिक्षाविद् होना चाहिए। अध्यापकों में से होना चाहिए, वाइस चांसलर होना चाहिए। जो अध्यापक लोगों की कठिनाइयों को समझे और उसका जल्दी से जल्दी निस्तारण करे। इसलिए मैंने इसे प्रवर समिति के सुपुर्द करने का प्रस्ताव दिया है। यह अच्छा होगा कि आप इसे प्रवर समिति को भेज दें, सारे मामले पर विचार हो जाए और यह विधेयक एक अच्छे शक्ल में आये। जिससे इसकी अच्छाई के लिए यह विधेयक बनाया जा रहा है, उसकी बुराई न हो, अच्छाई रहे। उसमें यह तब होगा जब शिक्षाविद् सर्वोच्च पद पर बैठेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

मान्यवर, मैंने जो प्रवर समिति को सुपुर्द करने का प्रस्ताव दिया था, आपने उस पर वोट ही नहीं कराया। विधेयक पर ही करा दिया। पहले प्रवर समिति पर प्रश्न कराते, उसके बाद विधेयक पर कराते।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा निवेदन सुन लें, अगर आपने संशोधन प्रस्ताव रखने की अनुमति दे दी है तो इसका मतलब कि उस प्रस्ताव को आपने स्वीकार कर लिया।

श्री अध्यक्ष-

बिल्कुल स्वीकार कर लिया।

श्री लाल जी वर्मा-

जब आपने उस संशोधन प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो उस पर मत विभाजन हो जाना चाहिए, यह मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष-

तो जहाँ तक बढ़ गये हैं, इसको कर लेते हैं उसके बाद उसको भी कर लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, जब आपने संशोधन प्रस्ताव स्वीकार कर लिया तो पहले वही आयेगा, जब वह निरस्त होगा तब यह आयेगा।

श्री अध्यक्ष-

हम आपसे सहमत हैं। इसको बनाने में समय लगेगा यदि आप लोग चाहें तो मैं ऐसे ही प्रश्न उपस्थित कर देता हूं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों और अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक शैक्षिक संस्थाओं, माध्यमिक संस्कृत शैक्षिक संस्थाओं, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालयों और जूनियर हाई स्कूलों तथा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के अध्यापकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की सेवा सम्बन्धी मामलों से अन्तर्ग्रस्त विवादों और उससे सम्बन्धित तथा आनुषंगिक मामलों के प्रभावी एवं त्वरित न्याय निर्णयन के निमित्त शिक्षा सेवा अधिकरण की स्थापना का उपबन्ध करने के लिए

एक

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम, 2021 कहा जायेगा; संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2 जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण अधिनियम, 2021 से है;

(ख) 'पीठ' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण के किसी पीठ से है;

(ग) 'अध्यक्ष' का तात्पर्य अधिकरण के अध्यक्ष से है;

(घ) 'मुख्य न्यायमूर्ति' का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के मुख्य न्यायमूर्ति से है;

(ङ) 'जिला न्यायाधीश' का तात्पर्य बंगाल, आगरा और आसाम सिविल न्यायालय अधिनियम, 1887 के अर्थान्तर्गत किसी जिला न्यायाधीश से है;

(च) 'शैक्षिक संस्था' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय या माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज, या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय से है और इसमें उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कोई सहायता प्राप्त जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाई स्कूल सम्मिलित है;

(छ) 'विधिक प्रतिनिधि' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो मृत व्यक्ति की सम्पदा का विधिक रूप में प्रतिनिधित्व करता हो और इसमें ऐसा व्यक्ति सम्मिलित है जिसमें पेंशन सम्बन्धी, सेवानिवृत्तिक, सेवान्त या अन्य प्रसुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार निहित हो;

(ज) 'प्रबन्ध तंत्र' का तात्पर्य प्रशासन योजना, यदि कोई हो, के अनुसार गठित किसी प्रबन्ध समिति से है और इसमें प्रबन्धक या ऐसा कोई व्यक्ति सम्मिलित है, जिसमें किसी शैक्षिक संस्था के मामलों का प्रबन्धन करने का अधिकार निहित हो;

(झ) 'सदस्य' का तात्पर्य अधिकरण के किसी न्यायिक या किसी प्रशासनिक सदस्य से है और इसमें उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष सम्मिलित हैं;

(ञ) 'शिक्षणेत्तर कर्मचारी' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित किसी अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के किसी कर्मचारी या माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाई स्कूल के किसी अध्यापक से भिन्न ऐसे कर्मचारी, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो, या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के किसी विद्यालय के शिक्षणेत्तर कर्मचारी से है;

(ट) 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी सम्मिलित हैं;

(ठ) 'सेवा सम्बन्धी मामले' का तात्पर्य किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी मामले से है;

(ड) 'अधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण से है;

(ढ) 'अध्यापक' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973) द्वारा शासित अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय के प्राचार्य या किसी अन्य अध्यापक या माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज या उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज या हाईस्कूल के ऐसे प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक या किसी अन्य अध्यापक, जिसके सेवायोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संदत्त किया जाता हो या उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के जूनियर बेसिक विद्यालय या जूनियर हाईस्कूल में शिक्षा प्रदान करने हेतु नियोजित किसी व्यक्ति से है।

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण का गठन

3–(1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा एक अधिकरण स्थापित करेगी, जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण कहा जायेगा, जिसका मुख्यालय लखनऊ में होगा, अधिकरण सप्ताह में तीन दिन लखनऊ एवं दो दिन प्रयागराज में अपने कृत्यों का निर्वहन करेगा।

अध्यक्ष, निर्देश द्वारा पूर्वोक्त रूप में दिन और स्थान नियत कर अधिकरण की कार्यवाही संचालित कर सकेगा।

अधिकरण को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित समय तथा अवकाश दिवसों का अनुसरण करना होगा, जब तक कि उसका अवधारण अधिकरण द्वारा न कर दिया जाय।

(2) अधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष (न्यायिक), एक उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) और प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम तीन ऐसे अन्य न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाय, होंगे।

(3) कोई व्यक्ति–

(क) अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह–

(एक) किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न रहा हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए उपाध्यक्ष (न्यायिक) पद धारित न किया हो, अथवा

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य न रहा हो और भारत सरकार के सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो और न्याय व्यवस्था का पर्याप्त अनुभव न हो;

(ख) उपाध्यक्ष (न्यायिक) के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह–

(एक) जिला न्यायाधीश या कोई अन्य समकक्ष पद धारित न किया हो, अथवा

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए न्यायिक सदस्य का पद धारित न किया हो;

(ग) उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा, जब तक कि वह–

(एक) कम से कम दो वर्ष तक के लिए प्रशासनिक सदस्य का पद धारित न किया हो, या

(दो) कम से कम दो वर्ष तक के लिए भारत सरकार के अपर सचिव का पद या केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई अन्य पद, जिसका वेतनमान भारत सरकार के अपर सचिव के पद के वेतनमान से कम न हो और राज्य सरकार की राय में न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित न किया हो;

(घ) न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह जिला न्यायाधीश या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारित न किया हो।

(4) वेतनमान रू0 1,44,200–2,18,200 या उच्च वेतनमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा या प्रान्तीय सिविल सेवा (प्रशासनिक शाखा) का कोई अधिकारी, प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह होगा, परन्तु यह कि राज्य सरकार की राय में वह न्याय करने में पर्याप्त अनुभव धारित किया हो।

(5) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य, मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिसके लिए प्रस्ताव का पहल राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा:

परन्तु यह कि ऐसा कोई व्यक्ति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद तब तक धारण नहीं करेगा जब तक कि वह उपाध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के सिवाय सेवा, जिसमें वह सेवारत था, से पद त्याग न कर दिया हो या सेवानिवृत्त न हो गया हो।

(6) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से पॉच वर्ष की अवधि के लिये इस रूप में पद धारण करेगा, किन्तु वह पॉच वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र होगा:

परन्तु यह कि–

(एक) अध्यक्ष के मामले में पैंसठ वर्ष की आयु और

(दो) उपाध्यक्ष या किसी सदस्य के मामले में बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य इस रूप में पद धारण नहीं करेगा;

(7) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, राज्यपाल को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित सूचना द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है:

परन्तु यह कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, जब तक राज्यपाल द्वारा उसे पहले ही अपना पद छोड़ने की अनुज्ञा न दे दी जाय, सूचना की प्राप्ति के दिनांक से तीन माह की समाप्ति तक या उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त व्यक्ति के पद ग्रहण करने तक या अपनी पदावधि की समाप्ति तक, जो भी पहले हो, पद धारण करता रहेगा;

(8) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या ऐसे न्यायाधीश, जिसे मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा विहित रीति से नाम निर्दिष्ट किया जाय, द्वारा की गयी ऐसी जांच, जिसमें यथास्थिति ऐसे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य को उसके विरूद्ध आरोपों की सूचना दी गई हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का युक्ति–युक्ति अवसर प्रदान किया गया हो, के पश्चात सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल द्वारा किये गये किसी आदेश के सिवाय अपने पद से हटाये नहीं जायेंगे;

(9) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, राज्य सरकार या राज्य सरकार के नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या सोसाइटी के अधीन अग्रतर नियोजन के लिए पात्र नहीं होंगे:

परन्तु यह कि इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन कोई उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, क्रमशः अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा;

(10) पद धारण करने से प्रविरत हो जाने पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या अन्य सदस्य, सम्बन्धित अधिकरण के समक्ष किसी व्यक्ति की ओर से न उपस्थित होगा, न कार्य करेगा या मे अभिवचन करेगा;

(11) अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को संदेय वेतन तथा भत्ते और उसकी सेवा की अन्य शर्तें, ऐसी होंगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय;

(12) जहाँ अध्यक्ष, अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या जहॉ अध्यक्ष का पद, उसकी मृत्यु, पदत्याग या अन्यथा के कारण रिक्त हो जाय वहाँ उपाध्यक्ष, और जहॉ उपाध्यक्ष तदनुरूप अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो या उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो जाय वहॉ, ऐसा अन्य सदस्य, जैसा कि राज्य सरकार विशेष या सामान्य आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अध्यक्ष के कृत्यों का तब तक निर्वहन करेगा जब तक नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

अधिकरण के कर्मचारी वर्ग

4–(1) राज्य सरकार अधिकरण की, उसके कृत्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए, अपेक्षित अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की प्रकृति और श्रेणियों का अवधारण करेगी और अधिकरण हेतु ऐसे अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का उपबन्ध करेगी जैसा कि वह उचित समझे;

(2) अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी, अध्यक्ष के सामान्य अधीक्षण के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करेंगे;

(3) अधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और अन्य सेवाशर्तें वही होंगी जैसी कि विहित किया जाये।

अधिकरण को दावा निर्दिष्ट करना

5–(1) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अध्यधीन ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापक या शिक्षणेत्तर कर्मचारी हो या रहा हो और अधिकरण की अधिकारिता के भीतर किसी सेवा सम्बन्धी मामले में किसी आदेश से व्यथित हो, अपनी शिकायत को दूर कराने के लिए अधिकरण को दावा निर्दिष्ट कर सकता है;

स्पष्टीकरणः– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "आदेश" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1973), इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1921) उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा अधिनियम, 2000, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 2000), उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 34 सन् 1972) और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के अधीन किसी शैक्षिक प्राधिकारी के किसी आदेश या लोप या निष्क्रियता अथवा शैक्षिक संस्था की प्रबन्ध समिति या माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, उत्तर प्रदेश के आदेश से है:

परन्तु यह कि किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु की दशा में उसके विधिक प्रतिनिधि और जहाँ ऐसे दो या दो से अधिक प्रतिनिधि हों, वहाँ उनमें से सभी संयुक्त रूप से ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी की मृत्यु के कारण वेतन, भत्तों, उपदान, भविष्य निधि, पेंशन तथा सेवा सम्बन्धी अन्य आर्थिक प्रसुविधाओं के संदाय हेतु अधिकरण के समक्ष दावा निर्दिष्ट कर सकते हैं;

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक निर्देश, ऐसे प्रपत्र में होगा और उसके साथ ऐसे दस्तावेज या कोई अन्य साक्ष्य,तथा ऐसे निर्देश दाखिल किये जाने से सम्बन्धित ऐसी फीस और प्रक्रिया के निष्पादन या उसे तामीलीकरण हेतु ऐसी अन्य फीस, जैसा कि विहित किया जाय, संलग्न किये जायेंगे;

(3) उपधारा (1) के अधीन निर्देश की प्राप्ति पर यदि अधिकरण का, ऐसी जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् यह समाधान हो जाये कि उक्त निर्देश, उसके न्याय निर्णयन या विचारण के लिये उपयुक्त है तो वह ऐसा निर्देश ग्रहण कर सकता है और जहां अधिकरण का इस प्रकार समाधान नहीं होता है वहाँ वह अपना कारण अभिलिखित करने के पश्चात् निर्देश को संक्षेपतः अस्वीकृत कर देगा;

(4) जहाँ कोई निर्देश, उपधारा (3) के अधीन अधिकरण द्वारा ग्रहण कर लिया गया हो, वहाँ ऐसे निर्देश की विषय वस्तु से सम्बन्धित शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में सुसंगत सेवा नियमावली या विनियमावली या किसी संविदा के अधीन ऐसी प्रत्येक कार्यवाही, जो ऐसे निर्देश ग्रहण करने के ठीक पूर्व लम्बित हो, उपशमित हो जायेगी और अधिकरण द्वारा अन्यथा निदेश दिये जाने के सिवाय, ऐसे विषय के सम्बन्ध में तत्पश्चात् कोई अपील या अभ्यावेदन, ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन ग्रहण नहीं किया जायेगा;

(5) अधिकरण, सामान्यतया कोई निर्देश तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक उसका यह समाधान न हो जाय कि अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी ने सुसंगत सेवा नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग कर लिया है;

(6) उपधारा (5) के प्रयोजनों के लिये, यदि राज्य सरकार या उसके किसी प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी नियमावली, विनियमावली या संविदा के अधीन शिकायत के सम्बन्ध में ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन को निरस्त करते हुए कोई अंतिम आदेश दिया गया हो, तो किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगाः

परन्तु यह कि जहाँ ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा की गई अपील या दिये गये अभ्यावेदन के सम्बन्ध में राज्य सरकार, प्राधिकारी या अधिकारी या ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम अन्य व्यक्ति द्वारा ऐसी अपील करने या अभ्यावेदन दिये जाने के दिनांक से 120 दिन के भीतर कोई अंतिम आदेश न किया गया हो वहाँ अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी, रजिस्ट्रीकृत डाक से लिखित सूचना द्वारा ऐसे सक्षम प्राधिकारी से आदेश पारित करने की अपेक्षा कर सकता है और यदि ऐसी सूचना तामील किये जाने के एक माह के भीतर आदेश पारित नहीं किया जाता है तो अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी द्वारा, उपलब्ध समस्त उपायों का उपभोग किया गया समझा जायेगा।

अधिकरण द्वारा निर्देश की सुनवाई

6–(1) अध्यक्ष दावों के ऐसे निर्देशों और अन्य विषयों, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये, के निस्तारण के लिए समय–समय पर पीठों का गठन कर सकता है जिसमें दो सदस्य होंगे;

(2) अध्यक्ष के लिये यह विधिसम्मत होगा कि वह ऐसे किसी पीठ के सदस्य के रूप में स्वयं को नाम निर्दिष्ट करे;

(3) एक पीठ में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होगा;

स्पष्टीकरण– इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष (न्यायिक), न्यायिक सदस्य समझे जायेंगे और उपाध्यक्ष (प्रशासनिक) प्रशासनिक सदस्य समझा जायेगा;

(4) अधिकरण की अधिकारिता, शक्तियों तथा प्राधिकार का प्रयोग ऐसी किसी पीठ द्वारा किया जा सकता है और इस प्रकार प्रयुक्त अधिकारिता, शास्ति या प्राधिकार, अधिकरण द्वारा प्रयुक्त किया गया समझा जायेगा;

(5) अध्यक्ष, स्वप्रेरणा से या दावे के किसी निर्देश के निमित्त किसी पक्षकार के आवेदन पर किसी मामले का अन्तरण, एक पीठ से दूसरी पीठ को कर सकता है;

(6) जहाँ किसी पीठ के सदस्य, किसी मामले में सहमत होने में असमर्थ हों तो उक्त मामला अध्यक्ष द्वारा गठित किसी अन्य पीठ को निर्दिष्ट कर दिया जायेगा और पश्चात्वर्ती पीठ का विनिश्चय अंतिम होगा।

अधिकरण की शक्तियाँ और प्रक्रिया

7–(1) **(क)** अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) में निर्धारित प्रक्रिया या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) में अंतर्विष्ट साक्ष्य के नियमों से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा और इस धारा और अधिनियम की धारा 15 के अधीन बनायी गयी किसी नियमावली के उपबन्धों के अध्यधीन अधिकरण को अपनी प्रक्रिया (जिसमें अपनी बैठक का दिनांक और समय नियत करना और यह विनिश्चत करना सम्मिलित है कि बैठक सार्वजनिक या निजी तौर पर की जाय) विनियमित करने की शक्ति होगी:

परन्तु यह कि जहाँ किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, किसी सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री सुना दिया हो या कोई आदेश पारित कर दिया हो या कोई स्टे या निर्देश जारी कर दिया हो और ऐसी डिक्री, आदेश, रिट या निदेश अंतिम हो गया हो, वहाँ पूर्व न्याय का सिद्धान्त लागू होगा;

(ख) धारा 5 एवं 6 के अधीन किसी निर्देश के लिए परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 3 सन् 1963) के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तन सहित, लागू होंगे मानो निर्देश इस प्रकार सिविल न्यायालय में दाखिल किया गया कोई वाद हो, तथापि यह कि:–

(एक) पूर्वोक्त अधिनियम की अनुसूची में विहित परिसीमा अवधि के होते हुए भी ऐसे निर्देश के लिए परिसीमा अवधि एक वर्ष होगी;

(दो) परिसीमा अवधि की संगणना में उस दिनांक, जिस दिनांक को अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों या आदेशों के अनुसार कोई अभ्यावेदन करे या कोई अपील, पुनरीक्षण या कोई अन्य याचिका (जो राज्यपाल को किया गया अभ्यावेदन न हो) करे, से प्रारम्भ होने वाली, और उस दिनांक, जिस दिनांक को ऐसे अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी को यथास्थिति, ऐसे अभ्यावेदन, अपील, पुनरीक्षण या याचिका पर पारित किये गये अंतिम आदेश की जानकारी हुयी हो, को समाप्त होने वाली अवधि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;

(2) अधिकरण प्रत्येक निर्देश को शीघ्रतापूर्वक विनिश्चित करेगा और साधारणतया उसके द्वारा प्रत्येक मामले का विनिश्चय, दस्तावेजों और अभ्यावेदनों के परिशीलन या मौखिक या लिखित बहसों यदि कोई हो, के आधार पर किया जायेगा;

(3) अधिकरण, साक्ष्य में किसी मूल दस्तावेज के बदले में उसकी किसी राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि ग्रहण कर सकता है;

(4) अधिकरण, साधारणतया मौखिक साक्ष्य पेश करने की न तो मांग करेगा या न अनुज्ञा देगा, और यदि आवश्यक हो, किसी पक्षकार से सम्यक रूप से शपथकृत शपथ–पत्र दाखिल करने की अपेक्षा कर सकता है;

(5) अधिकरण को इस अधिनियम के अधीन कोई जाँच आयोजित करने के प्रयोजनार्थ, उपधारा (1) के उपबन्धों के अध्यधीन निम्नलिखित बातों के संबंध में वही शक्तियां होगी जो किसी वाद पर विचारण के समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5, सन् 1908) के अधीन सिविल न्यायालय में निहित हैं:–

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित होने के लिए बाध्य करना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों को प्रकट और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) सम्यक रूप से शपथ कृत शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(घ) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (अधिनियम संख्या 1 सन् 1872) की धारा 123 और 124 के उपबन्धों के अध्यधीन किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतिलिपि अधियाचित करना;

(ड़) साक्षियों या दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना;

(च) विधिसम्मत करार, समझौता या तुष्टि को अभिलिखित करना और तदनुसार आदेश करना;

(छ) अपने विनिश्चय का पुनर्विलोकन करना;

(ज) व्यतिक्रम के लिए कोई निर्देश खारिज करना या उस पर एक–पक्षीय विनिश्चिय करना;

(झ) व्यतिक्रम के लिए खारिज किये गये किसी आदेश या अपने द्वारा पारित किये गये एक पक्षीय आदेश को अपास्त करना;

(ञ) किसी निर्देश पर अंतिम विनिश्चय के लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हों, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, पर अन्तवर्ती आदेश पारित करना;

(ट) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाये;

(6) किसी निर्देश से सम्बन्धित किन्हीं कार्यवाहियों में अधिकरण द्वारा कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं पारित किया जायेगा, जब तक :–

(क) ऐसे निर्देश और अन्तरिम आदेश हेतु आवेदन की प्रतिलिपियाँ और साथ ही साथ ऐसे अन्तरिम आदेश के लिये अभिवचन के समर्थन में समस्त दस्तावेज, उस पक्षकार को न उपलब्ध करा दिये जाये, जिसके विरूद्ध ऐसा निर्देश दाखिल किया गया हो; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर दाखिल करने के लिए कम से कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाये:

परन्तु यह कि अधिकरण, खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के किसी क्षति, जिसे धन द्वारा पर्याप्त रूप से प्रतिपूरित नहीं की जा सकती है, के निवारण के लिए ऐसा करना आवश्यक हो तो अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से आपवादिक उपाय स्वरूप अन्तरिम आदेश कर सकता है किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले निष्प्रभावी न कर दिया जाये, उस दिनांक, जिस दिनांक को वह किया जाय, से चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रह जायेगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न कर लिया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रवर्तन को जारी न रखा हो;

(7) पूर्ववर्ती उप–धाराओं में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी अधिकरण को किसी अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी के विरूद्ध नियोजक द्वारा की गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के सम्बन्ध में अंन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) करने की शक्ति नहीं होगी;

(8) अधिकरण द्वारा की गयी घोषणा, दावेदार और उसके नियोजक और साथ ही साथ किसी ऐसे अन्य अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी पर बाध्यकारी होगी जिसे उसके हित को प्रतिकूल रूप में प्रभावित करने वाले किसी दावा के संबंध में उसके विरूद्ध अभ्यावेदन देने का अवसर प्रदान किया गया हो और उक्त घोषणा किसी विधि न्यायालय द्वारा की गई घोषणा के समान प्रभावी होगी;

(9) किसी निर्देश को अन्तिम रूप से निस्तारित करने वाले अधिकरण के आदेश का निष्पादन, उसी रीति से किया जायेगा जिस रीति से निर्देश से सम्बन्धित दावेदार के नियोजन के किसी मामले में दावेदार द्वारा की गयी किसी अपील या किये गये अभ्यावेदन में, शिकायतों को दूर करने से सम्बन्धित सुसंगत सेवा नियमावली के अधीन ऐसा आदेश पारित करने के लिए सक्षम राज्य सरकार, या अन्य प्राधिकारी या अधिकारी, या अन्य व्यक्ति का कोई अन्तिम आदेश निष्पादित किया जाता;

(10) (क) राज्य सरकार, अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में कोई विधि व्यवसायी नियुक्त कर सकती है;

(ख) कोई अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी अपनी ओर से अधिकरण के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी अन्य अध्यापक अथवा शिक्षणेत्तर कर्मचारी और विधिक व्यवसायी की भी सहायता ले सकता है;

(11) अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 193, 219 और 228 के अर्थान्तर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जायेगी;

(12) किसी निर्देश या किसी निर्देश के उत्तर या किसी आवेदन–पत्र पर या तो नियुक्ति प्राधिकारी या प्रस्तुतकर्ता अधिकारी या जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी राज्यपाल हो वहाँ राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत उप सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी द्वारा और किसी स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी के मामले में यथास्थिति उसके कार्यपालक अधिकारी या सचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय के सिवाय न्यायालयों की अधिकारिता का अपवर्जन

8–जिस दिनांक को/से किसी शैक्षिक संस्था में कार्यरत अध्यापकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा सम्बंधी मामलों में इस अधिनियम के अधीन अधिकरण द्वारा कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार प्रयोग किये जाने योग्य हो जायेगा, उच्चतम न्यायालय के सिवाय किसी न्यायालय के पास ऐसे सेवा सम्बन्धी मामलों में कोई अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार नहीं होगा अथवा वह उसका प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

अवमानना के लिए दण्डित करने की शक्ति

9–न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 (अधिनियम संख्या 70 सन् 1971) के अधीन अपने अधीनस्थ न्यायालयों की अवमानना के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय की अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अधिकरण को अपने अवमानना के संबंध में वही अधिकारिता, शक्तियाँ और प्राधिकार होंगे और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जायेगा जैसा कि उच्च न्यायालय को अपने अवमानना के सम्बन्ध में है और उसके द्वारा उनका प्रयोग किया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, निम्नलिखित उपान्तरणों के अध्यधीन लागू होंगे, अर्थात् :–

(क) उसमें उच्च न्यायालय, उसके मुख्य न्यायमूर्ति और अन्य न्यायाधीशों के प्रति निर्देश को क्रमशः अधिकरण, उसके अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ख) न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15 में महाधिवक्ता के प्रति निर्देश को, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त लोक अभियोजक या ऐसे अन्य विधि अधिकारी, जैसा कि राज्य सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, के प्रति निर्देश के रूप में समझा जायेगा;

(ग) इस धारा के अधीन अधिकरण के किसी आदेश के विरूद्ध अपील ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर उच्च न्यायालय के समक्ष की जायेगी।

विशेष मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण

10–(1) अधिकरण द्वारा किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति या प्राधिकारी आदेश के दिनांक से 90 दिन के भीतर उच्च न्यायालय में इस आधार पर ऐसे आदेश के पुनरीक्षण के लिए आवेदन कर सकता है कि मामले में कोई विधि का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो;

(2) उप धारा (1) के अधीन पुनरीक्षण हेतु प्रार्थना–पत्र में उक्त मामले से अन्तर्ग्रस्त विधि का प्रश्न संक्षिप्त रूप में उल्लिखित होगा। उच्च न्यायालय विधि के प्रश्न का प्रतिपादन भी कर सकता है अथवा विधि के किसी अन्य प्रश्न को उठाये जाने की भी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है;

(3) उच्च न्यायालय, पुनरीक्षण हेतु पक्षकारों की सुनवाई करने के पश्चात् उसमें अन्तर्ग्रस्त विधि के प्रश्न पर विनिश्चय करेगा या यदि नये सिरे से अवधारित किया जाना अपेक्षित हो तो उच्च न्यायालय नये सिरे से अवधारण करने के लिए विनिश्चय की एक प्रति अधिकरण को भेज सकता है, और तत्पश्चात् अधिकरण ऐसे आदेश पारित करेगा जो उक्त विनिश्चय के अनुरूप मामले का निस्तारण करने के लिए आवश्यक हों;

(4) उच्च न्यायालय, अधिकरण के आदेश को उपान्तरण सहित या उसके बिना पुष्ट कर देगा या इसे अपास्त कर देगा या पुनरीक्षण का निस्तारण लम्बित रहने तक ऐसे निबन्धनों, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, के अध्यधीन आदेश का प्रवर्तन स्थगित कर सकता है;

(5) परिसीमा अधिनियम, 1963 (अधिनियम संख्या 36 सन् 1963) के उपबन्ध, इस धारा के अधीन पुनरीक्षण दाखिल किये जाने हेतु यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

वादों पर रोक

11–(1) नियत दिनांक से ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के किसी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन समान अनुतोष के लिए समस्त वाद, और ऐसे वादों से प्रोदभूत होने वाली समस्त अपील, पुनरीक्षण, पुनरीक्षण हेतु आवेदन–पत्र और अन्य आनुषंगिक या सहायक कार्यवाहियाँ [जिसके अन्तर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 39 के अधीन समस्त कार्यवाहियाँ हैं] और अकिंचन के रूप में समान अनुतोष के लिए वाद या अपील करने की अनुज्ञा के लिए समस्त आवेदन-पत्र और उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन (अन्तर्वर्ती आदेशों से प्रोदभूत होने वाले) समस्त पुनरीक्षण उपशमित हो जायेंगे, और उनके अभिलेख अधिकरण को अन्तरित कर दिये जायेंगे और तत्पश्चात् अधिकरण उन मामलों में उसी रीति से विनिश्चय करेगा मानों वे धारा (5) के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट दावे हों:

परन्तु यह कि अधिकरण, धारा 8 के उपबंधों के अध्यधीन, ऐसे प्रक्रम से कार्यवाही पुनः प्रारम्भ करेगा, जिस प्रक्रम पर मामला पूर्वोक्तानुसार उपशमित किया गया हो और न्यायालय में प्रस्तुत किन्ही अभिवचनों या किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पर ऐसी कार्यवाही करेगा मानों वे अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत या पेश किए गए हों;

(2) नियत दिनांक के ठीक पूर्ववर्ती दिनांक को उच्च न्यायालय के समक्ष ऐसे वादों से उद्भूत होने वाले विचाराधीन समस्त अपीलों की सुनवाई और निस्तारण, उस न्यायालय द्वारा पूर्ववत निरन्तर किया जायेगा मानों यह अधिनियम प्रवृत्त न हुआ हो:

परन्तु यह कि यदि उच्च न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (अधिनियम संख्या 5 सन् 1908) की प्रथम अनुसूची के आदेश 41 के नियम 23 या नियम 25 के अधीन मामला प्रतिप्रेषित करना या प्रतिनिर्दिष्ट करना आवश्यक समझे तो प्रतिप्रेषण या प्रतिनिर्देश का आदेश, सम्बद्ध अधीनस्थ न्यायालय के बजाय अधिकरण को निदेशित किया जायेगा और तत्पश्चात् अधिकरण, उच्च न्यायालय के निदेशों के अध्यधीन मामला या विवाद्यक पर उसी रीति से विनिश्चय करेगा मानों यह धारा 5 के अधीन उसके लिए निर्दिष्ट कोई दावा हो।

अधिकरण के सदस्य और कर्मचारिवर्ग लोक सेवक होंगे

12 अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्य और अधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

सद्भावना पूर्वक कृत कार्यवाही का संरक्षण

13–इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी नियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावना पूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशायित किसी बात के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ नहीं की जायेंगी।

सदस्य न्यायाधीश होंगे

14–अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य, न्यायाधीश (संरक्षण) अधिनियम, 1985 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1985) और न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम, 1850 (अधिनियम संख्या 18 सन् 1850) के प्रयोजनों के लिए न्यायाधीश समझे जायेंगे।

नियम बनाने की शक्ति

15–(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है;

(2) विशेषतः और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी मामले या कोई मामला उपबन्धित किये जा सकते हैं/किया जा सकता है, अर्थात्:–

(क) अधिकरण की शक्तियाँ और उसकी प्रक्रिया;

(ख) अधिकरण के पीठों का गठन और उनके मध्य कार्य बटवारा;

(ग) वह प्रपत्र जिसमें किसी दावे का निर्देश किया जा सकता है, दस्तावेज और अन्य साक्ष्य,जिनके साथ ऐसा निर्देश संलग्न होगा और ऐसा निर्देश दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में या प्रक्रमणकों के निष्पादन या तामीलीकरण के लिए संदेय फीस;

(घ) अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें;

(ङ) अधिकरण के अध्यक्ष की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां;

(च) कोई अन्य मामला, जिसके लिये इस अधिनियम में पर्याप्त उपबन्ध विद्यमान न हों और राज्य सरकार उस निमित्त उपबन्ध करना आवश्यक और समीचीन समझे।

कठिनाईयाँ दूर करने की शक्ति

16–(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप ऐसे उपबन्ध कर सकती है जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई आदेश नहीं किया जायेगा।

(2) उप धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसे किये जाने के पश्चात शीघ्र राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-16 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा अधिकरण विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[04:22] **उ0प्र0 चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021**

***औद्योगिक विकास मंत्री (श्री सतीश महाना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस चलचित्र अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत लाइसेंसिंग की जो प्रक्रियाएं होती है उसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं विद्यमान थीं। वर्तमान व्यवस्था में ऑफलाइन लाइसेंसिंग व्यवस्था को पूर्णतः समाप्त करते हुए केवल ऑनलाइन व्यवस्था करने हेतु चलचित्र (विनियमन) अध्यादेश श्री राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित करने के पश्चात ऑफलाइन की व्यवस्था को समाप्त किया गया है। मान्यवर, ''ईज आफ डूइंग'' बिजनेस के अन्तर्गत पूरे देश में इस प्रकार की व्यवस्था लागू की गई है। जो ऑफलाइन व्यवस्था थी उसमें कई प्रकार की शिकायतें भी आती थीं, कब एप्लीकेशन आई और कब स्वीकार हुई या उस पर कौन सी आपत्तियां लगा दी गई, इसकी कोई जवाबदेही प्रमाणिक रूप से तय नहीं की जा सकती थी, लेकिन अब एप्लीकेशन देना और जो भी कार्यवाही है, उसमें ऑफलाइन को हटाकर केवल ऑनलाइन किया गया है। इसमें केवल इतना ही संशोधन है, इसके लिए मुझे लगता है कि किसी प्रकार के संशोधन प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है। संजय जी आपने लिखा है तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए कि ऑफलाइन की व्यवस्थाओं को समाप्त करके सब कुछ ऑनलाइन किया गया है, पारदर्शी व्यवस्था की गई है। ऑफलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत जो गड़बड़ियाँ हो जाती थीं, उसको समाप्त करने की बात की गई है। मुझे लगता है कि आप बधाई के साथ इसको स्वीकार करेंगे, मुझे इस सन्दर्भ में इतना ही कहना है।

***श्री संजय गर्ग-**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जाएंगे।

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, जो अभी लाया गया, जिसके बारे में मा0 मन्त्री जी ने बताया कि "ऑफ लाइन" को समाप्त कर केवल "ऑन लाइन" की व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। वास्तव में 1955 के इस अधिनियम में और इससे पहले 2017 में भी उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक लाया गया था। हमने उस समय भी इस बात के साथ आग्रह किया था कि इसे प्रवर समिति को सौंप दें, जो एक माह बाद इस पर निर्णय देने का काम करे, परन्तु आपकी पीठ के द्वारा आशीर्वाद न मिल पाने के कारण अधिनियम चला गया और अब तीन साल बाद नयी बात आयी है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका संरक्षण चाहते हुए इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय "ऑफ लाइन" और "ऑन लाइन" व्यवस्था पहले से ही उसके अन्तर्गत थी। आवेदनकर्ता "ऑफ लाइन" या "ऑन लाइन", जैसे भी चाहे, आवेदन कर सकता था। इसमें ज्यादा सुगमता थी, क्योंकि जितना "इज ऑफ डूइंग" के रूप में हम समझ रहे हैं, उतना अभी तक 135 करोड़ के भारत में कम्प्यूटराइजेशन और डिजिटल कम्प्यूटर कम्पीटेबिल हर इंसान को नहीं कर पाये हैं। अगर "ऑफ लाइन" के साथ "ऑन लाइन" की व्यवस्था रहती और प्राथमिकता "ऑन लाइन" को देने की बात होती, तो भी बात समझ में आती, परन्तु ऐसा अनुभव रहा है हमारा अपने क्षेत्र में भी।

माननीय मंत्री जी के विभाग यू0पी0एस0आई0डी0सी0 में स्लॉट एलॉटमेण्ट के लिए आवेदनकर्ता "ऑन लाइन" आवेदन करता है, परन्तु आवेदन स्वीकार नहीं होता। जब तक कार्यालय में जाकर कोई न कोई कमी होने की बात की जाती है, जिसको आम आवेदनकर्ता समझ नहीं पाता है और कार्यालय से सम्पर्क करने के बाद उसकी एसेप्टेंस हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर कोई आवेदनकर्ता "ऑन लाइन" के साथ "ऑफ लाइन" की सुविधा में आवेदन करना चाहता है, तो मैं समझता हूँ कि पारदर्शिता और ज्यादा बेहतर तरीके से हमारे सामने होगी, परन्तु "ऑफ लाइन" को काटकर केवल "ऑन लाइन" सुविधा देने से "ईज ऑफ डूइंग" बिजिनेस के नाम पर एक ऐसा अपारदर्शी व्यवस्था खड़ा करना चाहते हैं, जिसमें वह व्यक्ति जो डिजिटल कम्प्यूटर कम्पीटेबिल नहीं होगा, निश्चित रूप से उसे दूसरे पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हुए किस तरह से उसका शोषण होगा या नहीं होगा, इस बात की चर्चा करने के लिए जरूरी है कि इस संशोधन को लाने से पहले अगर हम इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें और वह खुले तौर पर इन तमाम बिन्दुओं पर चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद यह संशोधन आ जाए। वर्ष 2017 में यह संशोधन आया, वर्ष 2021 में संशोधन आ रहा है, फिर अगर किसी बात को लेकर पब्लिक प्रेशर बनेगा, तो फिर संशोधन होगा, यह एक व्यवस्था बन गयी है। जैसे शिक्षा अधिकरण में अभी प्रयागराज के हमारे मा0 सदस्य ने उस बात को कहा। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हम इस बात की प्रक्रिया और परम्पराओं को बदलें और थोड़ा बड़े दिल होकर एक महीने बाद भी अगर आ जायेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक माह बाद यही संशोधन आ जाये, प्रवर समिति में तमाम बिन्दुओं पर खुलकर चर्चा हो जाए। हो सकता है उस चर्चा में इसमें कुछ और इनपुट्स डालने पड़ जायें।

मा0 अध्यक्ष जी, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहते हुए हमारा आपसे विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जिसके सदस्यों के नाम बाद में बता दिये जाएंगे। वह एक माह तक चर्चा करे और उसकी रिपोर्ट दे। उसके बाद यह संशोधन विधेयक आये तो मैं समझता हूँ कि वह ज्यादा बेहतर होगा।

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, इसके पहले जैसा एक विधेयक आया था, जिसमें मा0 स्वामी जी ने शिक्षा से संबंधित बात रखी थी। सरकार को स्वयं उसमें विवश होना पड़ा और फिर से उसके स्थान पर पूरा का पूरा दूसरा विधेयक बदलकर लाना पड़ा। मान्यवर, यह इसलिए होता है कि यहाँ विस्तार से विधेयक आता है, दूसरे या तीसरे दिन लग जाता है और उस समय तक सदस्यों को तैयारी करने या यों कहें कि सरकार को उसको इग्जामिन करने का अवसर नहीं मिल पाता है। कैबिनेट की बैठक में विभाग ने लाया, तत्काल हो गया, लेकिन उसके क्या परिणाम होंगे, उस पर चर्चा करने का अवसर नहीं मिलता। मान्यवर, जो प्रवर समिति है, उसका अध्यक्ष विभागीय मंत्री होता है। मान्यवर, यह बेहतर होगा, हालांकि सरकार को भी इस तरह की नियमावली अपनाने की आवश्यकता है कि जो स्थायी समितियाँ हैं। पहले उनमें विधेयक ले आयें और उसमें चर्चा होने के बाद तब उसे विधान सभा में पास कराने के लिए लाया जाये। तो उसका क्या नुकसान व फायदा होगा, आम जनता के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सारे बिन्दुओं पर चर्चा हो जायेगी, इसलिए मेरा यही आग्रह है, केवल यही नहीं सरकार को स्वयं प्रस्ताव करना चाहिए कि हर विधेयक को विधान सभा की प्रवर की समिति के सुपुर्द किया जाए। प्रवर समिति में सत्ता पक्ष के सदस्य ज्यादा होते हैं। समितियाँ विधान सभा की प्रतिबिम्ब हैं। संख्या के अनुपात में आपकी भागीदारी होगी और विभागीय मंत्री उसका अध्यक्ष होगा। तो वहाँ पर अगर चर्चा होगी तो उसके क्या परिणाम होंगे, यह जानने का पूरा अवसर मिलेगा। उसके आधार पर जब विधेयक फिर से लाया जायेगा तो निश्चित रूप से उसमें कोई कमी नहीं रहेगी और वह जनता के लिए, प्रदेश के लिए ज्यादा हितकारी होगा, इसलिए मेरा इस पर बल है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये।

श्री सतीश महाना-

इस संशोधन विधेयक पर बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं। एक वरिष्ठ सदस्य श्री लालजी वर्मा जी ने कहा कि सरकार को स्वयं इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर देना चाहिए। यह स्वयं अपनी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, कोई एक-आध इंसीडेंट बता दें कि सरकार ने कभी प्रवर समिति के सुपुर्द करने के लिए कहा हो तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर कभी आपने जिंदगी में ऐसा किया हो या सुना भी हो तो भी बता दें। बहुत सारे हमारे नौजवान साथी हैं जो पहली बार सदन में आये हैं, हो सकता है कि वह आपसे कुछ सीखें, तो गलत बात सिखाने का ठेका आपने अपने डी0एन0ए0 में ले रखा है, तो ऐसी बात न कहें, यह हमारा आपसे निवेदन है।

दूसरी बात मान्यवर, संजय गर्ग जी ने कहा है कि पूरा देश डिजिटली अपडेटेड नहीं है। यह तो चाहते ही नहीं है कि पूरा देश अपडेटेड हो। आज गाँव का गरीब किसान और

गरीब महिला भी अगर उसने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया है तो उसने डिजिटली अप्लायी किया है। ये जो चलचित्र चलाने वाले लोग हैं, उनको डिजिटली भी नहीं मालूम, यह सम्भव नहीं है। जो डिजिटली चलचित्र चलाते है अगर उनको भी नहीं मालूम कि डिजिटली कैसे अप्लीकेशन दी जा सकती है तो इसका मतलब है कि ऑफ लाइन करके कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को सहयोग व संरक्षण देने के लिए इस प्रकार सुझाव ले करके आये हैं। डिजिटल नॉलेज हर व्यक्ति को है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में जिस समय 2014 में मा0 मोदी जी प्रधानमंत्री बन गये तो उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी 2014 से 2017 के बीच में, तो यहाँ पर हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी कहते थे महाना जी ट्वीट की बात क्यों करते हैं ? अब वह केवल ट्वीट की बात करते हैं, इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते। (मेजों की थपथपाहट) उत्तर प्रदेश डिजिटली अपडेट नहीं है, यह पुरानी बातें है। आज की तारीख में इस प्रदेश का एक गरीब आदमी, किसान, मजदूर व महिला सब अपडेटेड हैं और चलचित्र चलाने वाले तो सौ प्रतिशत डिजिटली अपडेटेड हैं, इसीलिए ऑफ-लाइन न लेकर ऑन-लाइन आवेदन की व्यवस्था की गयी है। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इसको पारित कराने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 4 नवम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1956 की धारा 4-ख का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) अधिनियम, 1955 की धारा 4-ख में, उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(4) आवेदक आवश्यक दस्तावेजों और फीस संदाय (यदि कोई हो) के साथ अपना आवेदन पत्र विभागीय वेब पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा/करेगी। यदि आवेदन पत्र सभी प्रकार से पूर्ण हो और आवेदक पात्र हो तो लाइसेंस या अनुमति तीस दिन के भीतर वेब पोर्टल के माध्यम से प्रदान की जायेगी और उसे आवेदक को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। आवेदक उक्त लाइसेंस या अनुमति विभागीय वेब पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकता/सकती है:

परन्तु यदि लाइसेंस या अनुमति तथ्यों के दुर्व्यपदेशन अथवा तथ्यों को छिपाकर अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त की जाती है, तो ऐसा लाइसेंस या अनुमति अकृत और शून्य समझी जायेगी और उसे लाइसेंस प्राधिकारी अथवा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा निरस्त किया जा सकता है और आवेदक के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।"

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 20 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध, सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश चलचित्र (विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[04:35] सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021

***वित्त, संसदीय कार्य, एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में डे-टु-डे व्यावहारिक रूप से जो कठिनाइयाँ आती थीं, उसके सम्बन्ध में हम यह संशोधन प्रस्ताव लेकर आये हैं। इसमें तीन-चार सेक्शन्स में संशोधन प्रस्ताव प्रस्तावित है। यह धारा-3 (क) का संशोधन, धारा-4 (क) का संशोधन, धारा-4 ख का संशोधन, धारा-5 (क) का बढ़ाया जाना, धारा-16 (क) का संशोधन। मान्यवर, अभी तक डे-टु-डे की रजिस्ट्रेशन में हमें कठिनाई आती थी कि जब किसी सोसाइटी का नवीनीकरण होता था या नवीनीकरण कराने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया में डिप्टी रजिस्ट्रार अगर कोई आदेश पारित करते हैं तो उसकी अपील हाई कोर्ट हो सकती है। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन लॉई करता है। हाई कोर्ट जाने में काफी खर्च भी होता है और ज्यादा समय भी लगता है, इसलिये इसको बढ़ाया जा रहा है कि हाई कोर्ट के स्थान पर हमने एक स्थान मण्डलायुक्त के सामने एक अपील का प्रॉविजन किया है जिसके तहत जो भी अग्रीव्ड पार्टी होगी, वह मण्डलायुक्त के पास जाकर रिलीफ सीक कर सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्रबन्ध समिति में मान्यता या कोई और विवाद हो, उसकी भी अभी तक अपील के लिये सीधे-सीधे डी0आर0 के खिलाफ हाई कोर्ट जाना पड़ता था। उसमें भी यह प्रॉविजन किया गया है कि मण्डलायुक्त के न्यायालय में एक महीने के अन्दर वह अपील कर सकता है जो भी एग्रीव्ड पार्टी है। साथ ही साथ मान्यवर, एक प्रॉविजन पहले से चला आ रहा था कि सक्षम न्यायालय की अनुमति से ही किसी भी सोसाइटी की कोई सम्पत्ति है तो वह बेची जा सकती है या ट्रांसफर की जा सकती है, लेकिन 2008 में इस प्रॉविजन को मान्यवर समाप्त कर दिया गया था। हमने इसको फिर से लाने का प्रयास किया है। इसको फिर से प्रस्तावित किया है कि वह प्रोविजन फिर से पुनर्जीवित कर दिया जाय ताकि जो भी किसी भी सोसाइटी की प्रॉपर्टी हो वह किसी प्रकार से ट्रांसफर तब ही हो सकती है, जब सक्षम न्यायालय के माध्यम से उसकी अनुमति प्राप्त हो जाय। इसके अतिरिक्त मान्यवर, एक प्रॉविजन 16 (क) का जो संशोधन है, वह भी इसलिये जोड़ा गया है। अगर कोई व्यक्ति दो साल या उससे अधिक का कारावास जिसको हो गया हो, वह सोसाइटी के लिये अयोग्य होगा। मान्यवर, यह कुछ संशोधन हैं, इनके माध्यम से मैं आपको प्रस्ताव करता हूँ। अगर उधर से कोई बात आयेगी तो हम उसका जवाब देंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने यह जो संशोधन रखा है कि डिप्टी रजिस्ट्रार के फैसले के बाद मण्डलायुक्त को अधिकार दिया है एक अलग से। मान्यवर, इससे उसमें और विलम्ब होगा क्योंकि जो विवाद रहते हैं। जब तक हाई कोर्ट तक नहीं जाता तब तक उसका समाधान नहीं हो पाता।

मा0 अध्यक्ष जी, इससे उसमें और विलम्ब होगा, क्योंकि जो विवाद रहते हैं, वह जब तक हाई कोर्ट नहीं जाते हैं, तब तक उसका समाधान नहीं हो पाता है। बीच में मण्डलायुक्त को यह अधिकार देकर इसमें और विलम्ब करने का प्रयास होगा। वह बीच में मण्डलायुक्त के पास जायेगा फिर उनका फैसला आयेगा तो दोनों पक्षों में से फिर एक पक्ष हाई कोर्ट में जायेगा। डिप्टी रजिस्ट्रार का जो फैसला है, उसके बाद हाई कोर्ट में जाकर उस पर निर्णय हो तो एक न्यायिक निर्णय होगा। उसमें किसी तरह की त्रुटि रहने की सम्भावना नहीं रह जायेगी, इसलिए मैं यह चाहूंगा कि मा0 मंत्री जी इस पर पुनः विचार करें। समितियों में अनेक दिक्कतें आती हैं, तमाम परिस्थितियां ऐसे आती हैं कि लोग फर्जी मेम्बर भी बन जाते हैं और जिस आधार पर जिस उद्देश्य के लिए समिति को बनाया गया है, वह उससे विरक्त चली जाती है, इसलिए इसमें समूल रूप से संशोधन की आवश्यकता है कि जिससे समिति बनाने वाले लोगों का जो उद्देश्य है, उस पर कोई विराम न लगने पाये, इसलिए विस्तार से संशोधन की आवश्यकता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और एक महीने में वह प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे, फिर हम उसे विधान सभा में रखें और यह देखें कि उसमें कौन-कौन से सुधार और आवश्यक हैं, उस सुधार को शामिल करें, जिससे कि समितियों का जो उद्देश्य है, वह पूर्ण हो सके। प्रायः देखा जाता है कि शुरुआत में जो लोग एक अच्छे उद्देश्य के लिए समिति बनाने का कार्य करते हैं, बाद में कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, जो उस उद्देश्य से भटक जाते हैं, इसलिए समूल रूप से इसमें संशोधन की आवश्यकता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

श्री उज्जवल रमण सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण संशोधन सरकार ला रही है, उद्देश्य और कारण अगर आप देखें तो इसमें कहीं पर भी उस संशोधन की चर्चा नहीं की गयी है।

मा0 मंत्री जी ने जो अभी तीन बिन्दु बताये हैं चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु है कि किसी भी व्यक्ति का अगर आप नाम जोड़ते या हटाते हैं तो उसमें प्रबन्ध निकाय द्वारा उसका अनुमोदन होना आवश्यक है, जो कि पहले साधारण सभा द्वारा किया जाता था। मेरा मानना है कि अगर साधारण सभा जो एक बड़ी बॉडी होती है अगर वहां से दो तिहाई बहुमत से किसी का भी नाम जोड़ा जाए या काटा जाए या किसी के भी नाम पर विचार किया जाए तो उसकी संस्तुति जब तक न हो, तब तक प्रबन्ध निकाय की संस्तुति न मानी जाए, क्योंकि प्रबन्ध निकाय अल्पमत में होती है और साधारण सभा सभी के विचारों का प्रतिनिधित्व करती है और साधारण सभा एक बड़ी बॉडी है। मा0 मंत्री जी आप इस पर विचार करें। मुझे लगता है कि मंशा सरकार की कुछ और करने के लिए लायी गयी है किसी सोसाइटी, किसी अन्य चीज के लिए लायी गयी है, दूसरा जो शुरू में आपने मण्डलायुक्त के पास जाने की बात की है, अगर आप छः महीने का समय नियत कर दें कि अगर कोई मण्डलायुक्त के यहां गया तो 1 महीने के अन्दर अपील हो जाए और छः महीने के अन्दर उसका निर्णय आ जाए नहीं तो यह सालों के सालों लम्बित रहेंगे और इसका निर्णय नहीं आयेगा। जिस त्वरित न्याय के उद्देश्य के लिए हम इसको ला रहे हैं, वह त्वरित न्याय नहीं मिल पायेगा। आप एक विषय 5 (क) सक्षम न्यायालय के संबंध लाये हैं। सक्षम न्यायालय को भी हमको परिभाषित करने की जरूरत है। मुझे याद है कि इण्डियन ट्रस्ट ऐक्ट में और सोसाइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट में भी डिस्ट्रिक्ट जज के पास पावर थी, वह अनुमति दे सकता है कि आदमी सम्पत्ति खरीदे बेचे या मॉरगेज करने की उसको पावर है। अगर सम्पत्ति आपको गिरवी रखनी है तो सक्षम न्यायालय को परिभाषित किया गया था। हम कोई भी चीज ऐसी न छोड़ें जो भविष्य के लिए कहीं न कहीं विवाद का विषय बन जाए। हम मा0 मंत्री जी से कहेंगे कि हमारे तीन सुझाव हैं, इन पर प्रवर समिति में विचार कर लें और उसके बाद इसे लायें, क्योंकि बहुत सारी हजारों करोड़ की सम्पत्तियां, सोसाइटी इसमें बन्द हैं, चाहे वह मंदिर में हों, चाहे एजुकेशनल ट्रस्ट के माध्यम से हों, इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन है। कुछ अच्छे बिन्दु भी हैं, लेकिन उनको बेहतर परिभाषित करने की जरूरत है। मैं तो आपसे कहूंगा कि मा0 लाल जी वर्मा जी ने जो प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा उसको सरकार मान ले।

जो व्यवस्था हमारे नियमों में की गई प्रवर समिति की क्या इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दिया जाए क्योंकि एक मंत्री जी चले गए। उन्होंने इस बात को कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी भी इस व्यवस्था पर अमल नहीं किया तो इसका यह मतलब नहीं कि वर्तमान सरकार भी अमल न करे। क्योंकि जब भी हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान का निर्माण किया नियमों का निर्माण किया तो कहीं न कहीं यह सोचा होगा कि प्रवर समिति बेहतर सुझाव दे सकती है। अगर पहले नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता यह मैं नहीं मानता। मैं तो वर्तमान सरकार से

चाहूँगा कि एक अच्छी पहल करे और पहल कर आगे बढ़े और इस संशोधन को प्रवर समिति को सौंपे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं तो यह सोच रहा था कि आपने दर्जनों बिल प्रवर समिति में भेज दिए। हम तो किताब में ढूंढ़ रहे थे कि आपने कितने बिल प्रवर समिति में भेजे ? पाँच साल में एक सौ से ज्यादा बिल प्रवर समिति में भेजे। कल हमने कहा था कि आइना जब भी उठाया करो पहले देखा करो फिर दिखाया करो। अध्यक्ष जी जो 5 क की बात कर रहे हैं और 4 ख के संशोधन की बात आपने करी उसका हम जवाब दे दें। मान्यवर, साधारण सभा में जब किसी भी प्रकार के सदस्यों का चुनाव के कारण आना काटना या किसी भी तरीके से मेलाफाइड इंटेन्शन से उसको बढ़ाना अगर यह होता है तो वह अभी तक ऐसे ही मान लिया जाता था जो डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ जाते थे तो हमने यह व्यवस्था की कि जब तक मैनेजिंग कमेटी उसको एप्रूव न करे तब तक वह न मानें। जो सक्षम न्यायालय की बात आपने करी वह 2008 में यह शुभ काम आप लोगों ने किया था सेक्सन 13 वाली बात आपके शुभ हाथों से सम्पन्न हुई थी। किसी भी सोसायटी की सम्पत्ति जब चाहो जैसे चाहो उसको खुर्द बुर्द कर दें। हम तो समझते थे कि आप लोग इसका स्वागत करेंगे कि हमने अच्छा काम किया आप जैसे लीजेन्ट सदस्य जिसकी इमेज बहुत अच्छी है अभी तक बहुत अच्छी इमेज है। वह कम से कम इसका स्वागत करेंगे। वर्मा जी तो बहुत पुराने हैं यह दोनों रोल प्ले कर लेते हैं राम का और रावण का भी यह इसके माहिर हैं। यह जब इधर बैठेंगे तो किताब देखेंगे नहीं, उधर बैठेंगे तो सारी किताबें रख लेंगे। इसलिए अध्यक्ष जी मैं आपसे निवेदन करुँगा कि इसको पारित किया जाए यह अच्छी भावना से सुधार के लिए लाया गया है। इसका पूरे सदन को स्वागत करना चाहिए डिप्टी रजिस्ट्रार के पास जो डे-टु-डे समस्याएं आती थीं, उसमें सुधार के लिए यह बिल लाया गया है।

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी क्या आप सरकार से सहमत हैं ?

श्री लाल जी वर्मा-

मैं सहमत नहीं हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मैंने सोचा कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत अनुरोध किया।

श्री लाल जी वर्मा-

मैंने जो कहा उसे संसदीय कार्य मंत्री समझ रहे हैं जैसे डिप्टी रजिस्ट्रार का फैसला आएगा फिर मण्डलायुक्त का होगा। माननीय उज्जवल रमण सिंह जी ने जो निवेदन किया कि मण्डलायुक्त को 6 महीने के लिए प्रतिबंधित किया जाता कि वह 6 माह में फैसला करेगा तब तो कुछ हद तक ठीक था अब अनन्त काल तक मण्डलायुक्त के यहाँ लटका रहेगा अनन्त काल तक फिर हाई कोर्ट में चला जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

मै प्रश्न प्रस्तुत कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3–क का संशोधन

2–सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, मे धारा 3-क में, उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

(2-क) धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन कृत किसी आदेश के विरुद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त के समक्ष की जा सकती है:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् कोई अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी, अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

धारा 4 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा और परन्तुक बढ़ा दिए जायेंगे, अर्थात् :–

(1–क) इस धारा के अधीन कृत किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त के समक्ष की जा सकती है:

परन्तु यह कि अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

धारा 4–ख का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 4-ख की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट सोसाइटी के साधारण सभा के सदस्यों की सूची में, किसी सदस्य के आगमन, उसे हटाए जाने, त्याग–पत्र अथवा मृत्यु के कारण कोई परिवर्तन होता है तो ऐसे परिवर्तन के दिनांक से एक माह के भीतर साधारण सभा के सदस्यों की एक उपांतरित सूची रजिस्ट्रार के पास दाखिल की जायेगी। साधारण सभा की सूची में कोई परिवर्तन तब तक विधिमान्य नही होगा जब तक कि उसका अनुमोदन प्रबन्ध निकाय द्वारा न कर दिया जाय।

धारा 5-क का बढ़ाया जाना

5–मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:–

5-क–(1) किसी विधि, संविदा अथवा अन्य लिखत में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, यह इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के शासी निकाय अथवा उसके किसी सदस्य के लिए, न्यायालय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना ऐसी सोसाइटी की किसी स्थावर सम्पत्ति का अंतरण करना विधि–सम्मत नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) के उल्लंघन में किया गया प्रत्येक अन्तरण शून्य होगा।

स्पष्टीकरण 1–शब्द "न्यायालय" का वही अर्थ होगा जो उसके लिए धारा 13 में समनुदेशित किया गया हो।

स्पष्टीकरण 2–इस धारा के प्रयोजनों के लिए पद "अन्तरण" का तात्पर्य निम्नवत् है:–

(क) एक बन्धक, भार, विक्रय, दान या विनिमय;

(ख) पाँच वर्ष से अधिक अवधि का पट्टा; अथवा

(ग) अप्रतिसंहरणीय अनुज्ञप्ति।

धारा 16-क का संशोधन

6–मूल अधिनियम की धारा 16–क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात्:–

16-क–सोसाइटी में पद धारित करने के लिये निरर्हता–ऐसा कोई व्यक्ति, जो अनुन्मोचित दिवालिया है या जो किसी सोसाइटी या किसी निगमित निकाय के गठन, प्रोन्नति, प्रबन्धन, या कार्य–कलापों के संचालन से सम्बन्धित किसी अपराध अथवा ऐसे अपराध, जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त है, के लिये दोषसिद्ध किया गया है अथवा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसे किसी दाण्डिक अपराध में दोषसिद्ध किया गया हो जिसके लिए दो वर्ष या उससे अधिक का दण्ड हो, निर्णय के दिनांक से शासी निकाय का सदस्य या सोसाइटी का अध्यक्ष, सचिव या किसी अन्य पद–धारक के रूप में चुने जाने के लिये या होने के लिये निरर्ह होगा।

धारा 25 का संशोधन

7–मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के परन्तुक में, खण्ड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित **खण्ड बढ़ा** दिया जायेगा, अर्थात्:–

(घ) इस उपधारा के अधीन कृत किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से एक माह के भीतर उस मण्डल, जिसकी अधिकारिता के भीतर सोसाइटी का मुख्यालय स्थित है, के आयुक्त को की जा सकती है:

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी ऐसी अवधि के अवसान के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है, यदि अपीलार्थी अपीलीय प्राधिकारी का यह समाधान कर देता है कि उसके पास ऐसी अवधि के भीतर अपील न करने का पर्याप्त हेतुक था।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-7 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया तथा स्वीकृत हुआ)

[04:51] उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

***जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (डा0 महेन्द्र सिंह)–**

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने विधेयक के पक्ष में कुछ कहेंगे ?

डा0 महेन्द्र सिंह–

जी मान्यवर, यह संशोधन जो हमने सदन के समक्ष रखा है इसमें दो-तीन बातें जोड़नी हैं। यह प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है जिसमें धारा-5 (2) (क) में संशोधन की दृष्टि से अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, मुख्य

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण को सम्मिलित किए जाने को हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। दूसरी बात धारा-5 (2) (ख) में जो संशोधन है, उसमें वहां के इन लोगों को सम्मिलित करने के साथ-साथ वहां के अधिकारियों को भी सम्मिलित करने की दृष्टि सें अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद्, अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे और प्राधिकरण को सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव है। तीसरा मान्यवर, धारा-6 (2) (ख) में जहाँ पर भू-जल प्रबन्धन परिषद् में जिलाधिकारी उसके अध्यक्ष हैं वहां पर डी0डी0ओ0 की व्यवस्था की गयी थी और डी0डी0ओ0 के स्थान पर सी0डी0ओ0 के करने का प्रस्ताव है। अधिनियम की धारा-41 (1) में लिपिकीय त्रुटि के कारण उपखण्ड एक लिख दिया गया था उसको विलोपित करने का प्रस्ताव है। यह प्रस्ताव इसलिए लाया गया है क्योंकि इसमें ग्रेटर नोएडा, नोएडा और मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे को जोड़ना इसलिए आवश्यक था क्योंकि बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र वहां पर हैं और भू-जल संचयन की दृष्टि से वह एरिया बहुत महत्वपूर्ण है, वहां की कार्य योजना बनाने के लिए इनको इसमें सम्मिलित करना बहुत आवश्यक है, इसलिए इसमें सम्मिलित किया गया है। मैं आपसे निवेदन करुँगा और सदन से भी निवेदन करुँगा कि भू-जल धीरे-धीरे घट रहा है, उसको बढ़ाने की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। इसको संशोधन के साथ पारित करने की कृपा करें।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे, प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में बता दिए जायेंगे। मा0 अध्यक्ष जी, यह जो संशोधन आया है, यह स्वयं इस बात को प्रदर्शित करता है कि इससे पहले उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) अधिनियम, 2019 में बना, 2020 कोरोना में निकल गया और फिर एक साल बाद ही संशोधन लाया गया, अगर उसी समय इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाता तो इसमें जो छोटी-छोटी कमियाँ हैं, शायद इन कमियों को दूर करने में सदन का समय बच जाता, पर इसके बावजूद भी हमारा अभी भी आपसे करबद्ध निवेदन है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण भू-गर्भ जल जो लगातार नीचे गिर रहा है और बहुत सारे हिस्से और ब्लॉक अभी तक ड्राई ब्लॉकस में आ चुके हैं और बहुत सारे शहर डार्क जोन में आ चुके हैं और बहुत सारे शहर हिन्दुस्तान में इस तरह की स्थिति में हैं, जहाँ पर चन्द समय का ही पानी बचा है। ऐसे में उन संकटग्रस्त ग्रामीण नगरीय क्षेत्रों में गुणात्मक भू-गर्भ जल का प्रबन्धन सुनिश्चित करने के लिए भू-गर्भ जल की सुरक्षा-संरक्षा, नियंत्रण, विनियमन के लिए आप यह विधेयक लाये और इसके धारा-5 (2) (क) में अध्यक्ष यथा-स्थिति

नगर प्रमुख, नगर पालिका प्रमुख यह ही अपने आप में इस बात को प्रदर्शित कर रहा था, परन्तु इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा अथारिटी के कार्यपालक अधिकारियों को शामिल करना इसी तरह सदस्य सचिव में और सदस्य सचिव जिला विकास अधिकारी की जगह मुख्य विकास अधिकारी को संशोधित करने का प्रस्ताव इसके जरिये है। मेरा केवल आपसे आग्रह है कि हो सकता है फिर दोबारा कोई और पदनाम छूट जाये, किसी और प्राधिकरण का नाम इसमें लाना पड़ जाये इसलिए कोई जल्दबाजी न करके अगर यह प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जायेगा और उस पर बहुत ही गम्भीरता के साथ चिन्तन करने का काम होगा तो एक महीने में कोई काम बहुत आगे बढ़ने वाला नहीं है, एक महीने बाद फिर दोबारा इसे यहां सदन में लाकर हम लोग संशोधन प्रस्ताव को पारित करा सकते हैं, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है और विनम्र निवेदन है कि इस मौजूदा संशोधन विधेयक को जोकि पहले भी जल्दबाजी में 2019 में लाया गया और 2021 में उसी में जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया इसमें कोई और नाम भी छूट सकता है, इस बात के लिए प्रवर समिति के सभी सदस्य चर्चा कर लेंगे, प्रदेश के समग्र विकास पर चर्चा होगी और उसके बाद फिर दोबारा यह संशोधन विधेयक आयेगा तो वह अपने आप में पूर्णता लिये हुए होगा, इसलिए मेरा विनम्र निवेदन के साथ यह आग्रह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2021 को इस सदन की प्रवर समिति को सौंप दें और प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में बता दिये जायेंगे जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन देने का काम करके इस संशोधन विधेयक को पास करने का काम करेगी।

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जल के संकट को लेकर वैसे तो पूरी दुनिया चिन्तित है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अटल भू-जल योजना चालू किया है भारत के अन्दर और जब हम लोगों ने इस अधिनियम को बनाया और लागू किया तो पूरे देश में इसकी बड़ी प्रशंसा हुई। पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश है, इस तरीके का भू-जल के लिए अटल भू-जल संचयन के लिए और अटल भू-जल की दृष्टि से और भू-जल संचयन की दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया। इसको लागू भी किया गया और बहुत तेजी के साथ इस पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पोर्टल बन चुका है, सारे काम हो रहे हैं और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 2013-14 में उत्तर प्रदेश के 113 ब्लाक अतिदोहित में चले गये थे। इतना अच्छा काम पिछले चार सालों में हुआ है कि अब हमारे पास 82 ब्लाक बचे हैं, अतिदोहित में भारत सरकार की रिपोर्ट आई है और इस दृष्टि से सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। इस अधिनियम के माध्यम से बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ जिसमें केवल जोड़ने भर का विषय है कि औद्योगिक क्षेत्र छूट जा रहे हैं उनको जोड़कर वहां पर भी यह काम अच्छे ढंग से लागू हो क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों के लिए व्यवस्था की गयी है कि अगर सेफ जोन में कोई इण्डस्ट्री लगाता है तो वहां 50 प्रतिशत को रिचार्ज करना पड़ेगा, क्रिटिकल में लगाता है तो 150 प्रतिशत करना

पड़ेगा, सेमी किटिकल में लगाता है तो 100 प्रतिशत करना पड़ेगा और अतिदोहित में लगाता है तो 200 प्रतिशत करना पड़ेगा। मान्यवर, उस पूरे इलाके में जहाँ पानी का जल स्तर तेजी के साथ घट रहा है, इन सब चीजों को जोड़ने के बाद निशचित रूप से जल स्तर बढ़ेगा और उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत अच्छा होगा, एक तो सब कुछ लागू हो चुका है, केवल संशोधन की दृष्टि से है इसमें पूरा उत्तर प्रदेश कवर हो जायेगा जिससे अच्छे ढंग से काम हो पायेगा। डी0डी0ओ0 के स्थान पर सी0डी0ओ0 इसलिए किया गया जिससे पूरा जिला ठीक ढंग से उस काम को कर सके, उसकी मानीटरिंग ठीक ढंग से हो सके। छोटा सा संशोधन है पर इसके माध्यम से पूरा उत्तर प्रदेश कवर होगा, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको आपकी कृपा से पास कर दिया जाये।

श्री संजय गर्ग-

मान्यवर, इस अधिनियम की क्वालिटी और गुणवत्ता पर हमारा कोई सवाल नहीं है, परन्तु कोई और पदनाम भी इसमें छुट सकता है, इसलिए प्रवर समिति को दे देंगे तो उस पर गहन चर्चा हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) (संशोधन)

विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 की धारा 5 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबंधन और विनियमन) अधिनियम, 2019, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 5 में, उपधारा (2) में, खण्ड (क) और (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :–

"(क) यथास्थिति–अध्यक्ष नगर प्रमुख/अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/अध्यक्ष, नगर पंचायत, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण;

(ख) यथास्थिति सदस्य–सचिव नगर आयुक्त, नगर निगम/अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा विकास प्राधिकरण/अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण/मुख्य कार्यपालक अधिकारी यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण;

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 की धारा 6 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (2) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :–

"(ख) सदस्य सचिव–मुख्य विकास अधिकारी;"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2019 की धारा 41 का संशोधन

4–मूल अधिनियम की धारा 41 में उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :–

"(1) धारा 39 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन ऐसे अधिकारियों, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, द्वारा अभियोग संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् अभियुक्त के आवेदन पर न्यूनतम विहित जुर्माना के साथ प्रशमन फीस स्वरूप अपराध के लिये विहित न्यूनतम जुर्माना का पचास प्रतिशत जुर्माना अधिरोपित करने के पश्चात किया जा सकता है:

परन्तु यह कि प्रशमन का उपचार केवल प्रथम अपराध के लिए उपलब्ध होगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 महेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भू-गर्भ जल (प्रबन्धन और विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:00] उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

जेल एवं युवा कल्याण तथा पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री उपेन्द्र तिवारी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के 72-73 वर्षों से नौजवानों और खिलाड़ियों की मांग थी कि उत्तर प्रदेश के अन्दर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाई जाये, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में भी यह प्रकरण था। हमारा सौभाग्य है कि मा0 मुख्य मंत्री पुज्य योगी आदित्यनाथ महराज जी के दिशा-निर्देश और मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के नौजवानों और खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने जा रही है। इससे पूरे प्रदेश के खिलाड़ियों के अन्दर उत्साह की लहर है। मैं समझता हूँ कि चाहे इधर बैठे लोग हो और चाहे उधर बैठे लोग हों सब लोग यही चाहते हैं और पिछली सरकार भी चाहती थी कि हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनायेंगे। यह मांग लम्बे समय से चली आ रही थी लेकिन यह सम्भव नहीं हो पा रहा था। हमारा और आपका सौभाग्य है कि आजादी के 72 साल बाद आज विधान सभा के अन्दर यूनिवर्सिटी बनाने का प्रस्ताव आया है और मैं उम्मीद करुंगा कि सभी लोग सहमत होकर इस प्रस्ताव को पारित करेंगे।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सौंप दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। प्रवर समिति के सदस्यों के नाम बाद में बता दिये जायेंगे।

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 जो अभी माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित किया गया है, निश्चित रूप से समय की आवश्यकता है कि हम किस तरह उदीप्तिमान खिलाड़ियों के खेल को एक प्रोफेशन के रूप में एडाप्ट कर सकें। इस तरह की मनोभावना की कमी की वजह से इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद हिन्दुस्तान और उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अपेक्षित पदक नहीं मिल पा रहे हैं।

खेलों को प्रमोट करने के लिए पिछली सरकार में हमारे मा0 मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वर्ण पदक के लिए एक करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 75 लाख रुपये और कांस्य पदक के लिए 50 लाख रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा की थी। ओलम्पिक चार्टर में भी कहा गया है कि पूरी दुनिया के तमाम मानव को एक ही श्रेणी में रखते हुए उनकी शारीरिक शक्ति और बल के आधार पर स्पोर्ट्स मैन में स्प्रिट को दिखाते हुए खुली भावना से कम्प्टीशन आयोजित करने का काम कर सके। मान्यवर, एक घटना पिछले दिनों में हुई थी जब खेल संघों के साथ कन्सन्ट्रेशन शासकीय स्तर पर दिखाया गया, तब ओलम्पिक संघों ने उस बात पर शंका जाहिर करते हुए अपनी आपत्ति को प्रकट करने की कोशिश करने का काम किया था कि कहीं भी किसी भी तरह की राजनीतिक दखलन्दाजी अगर होगी तो हम उनके दल को समाहित करने का काम नहीं करेंगे। ऐसे माहौल में जब पूरे देश और प्रदेश में खेलों के वर्तमान संचालन में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के उन तमाम उदीप्तिमान योग्य खिलाड़ियों को किस तरह से हम आगे बढ़ाने का काम कर सकें। वर्तमान में उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ और उत्तर प्रदेश के खेल संघ अपनी उन जिम्मेदारियों का निर्वाह ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्रस्तावित उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 में जो विश्वविद्यालय के अधिकारियों और पदाधिकारियों की कमेटी बनाई गई है, उसमें एक विशेषज्ञों की टीम हो और निश्चित रूप से उसमें उ0प्र0 ओलम्पिक संघ और खेल संघ का कोई ना कोई प्रतिनिधि भी शामिल होना चाहिये, जो समय-समय पर ओलम्पिक गेम्स, कामनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स सहित अन्तर्राष्ट्रीय पटल पर होने वाले तमाम परिवर्तनों को बता सकें, उसके अनुरूप इक्युप कर सकें और बेहतर से बेहतर खिलाड़ी को लाने का काम कर सकें। इसमें खेल निदेशालय के अलावा उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ और उत्तर प्रदेश के खेल संघों के प्रतिनिधि को भी अगर हम इसमें शामिल कर लेंगे तो मैं समझता हूं कि इससे और ज्यादा बेहतर तरीके से हम खेल की गुणवत्ता को, उन तमाम खिलाड़ियों को जो दूर दराज कहीं गांव में अगर मौजूद हैं, जो मैल न्यूट्रीशियन की वजह से, जो कम आयु की वजह से, गुरबत की वजह से आगे बढ़ने का काम नहीं कर पा रहे हैं, उसे निष्पक्षता के साथ एक तरह का माहौल देने का काम हम लोग कर सकें और उत्तर प्रदेश से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के माध्यम से निकलने का काम हो सके। ऐसी उस भावना के तहत निश्चित रूप से जो क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक लाया गया है। उसका हम स्वागत करते हैं, परन्तु उसी के साथ-साथ उसमें अगर कुछ खामियां भी है तो उन्हें भी हम पूरा कर लें, मेरी नीयत इस बात से है। इसके लिए बेहतर है कि इसे हम अगर प्रवर समिति को सौंप दें, केवल एक माह का समय सदस्यों के बीच में इसमें लगेगा और समग्र रूप में सारी बात आ जाएगी।

गम्भीरता के साथ चर्चा होगी और उसके बात अगर कोई परिवर्तन करना होगा तो सम्पूर्णता के साथ इस उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक को अगर लायेंगे तो शायद ज्यादा बेहतर तरीके से हम खेल और खिलाड़ी की उस भावना को सम्मान देने का काम कर सकते हैं।

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, तमाम बिन्दुओं पर अभी माननीय सदस्यगण कह रहे थे कि प्रवर समिति को सौंप दिया जाए तो बात तो समझ में आ रही थी, लेकिन माननीय संजय जी वरिष्ठ सदस्य हैं उन्होंने खुद भी कहा कि पिछली सरकार में वह और उनके मुख्य मंत्री जी भी विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहते थे, लेकिन वह नहीं हो पाया। खेल की प्रतिभाओं को उजागर करने की बात भी उन्होंने की। हम कह सकते हैं कि दुनिया के मानचित्र पर अगर देखा जाए तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान सबसे युवा देश है। अगर हिंदुस्तान के अन्दर बात किया जाए तो हिंदुस्तान के मानचित्र पर सबसे युवा अगर कोई राज्य है तो वह उत्तर प्रदेश है। जब युवा राज्य उत्तर प्रदेश है, तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा खिलाड़ी भी हमारे उत्तर प्रदेश में पाये जाते हैं। जिस तरीके से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज 130 करोड़ देशवासियों का मान-सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के मानचित्र पर बढ़ा है। आज डंका पूरी दुनिया के अन्दर बज रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस तरीके से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में यह उत्तर प्रदेश जो बीमारु राज्य के रूप में था, जिसकी काउन्टिंग भारत सरकार और हिंदुस्तान के मानचित्र पर जब होती थी, तो उत्तर प्रदेश का नाम पिछले नम्बर पर आता था और जब से पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जबसे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बने हैं, तो यह उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ चला है। जब हिंदुस्तान के किसी भी चीज पर नम्बरिंग की बात आती है, तो पहले और दूसरे नम्बर पर यह उत्तर प्रदेश माननीय माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश के मानचित्र पर दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से माननीय मुख्य मंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सबने यह कल्पना की। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अन्दर आजादी के 72 साल के अन्दर हमारे पास स्पोर्ट्स कालेज हैं, उनका नाम तो स्पोर्ट्स कालेज हैं, लेकिन उसमें शिक्षा कक्षा छः से बारह तक होती है। जब तक कक्षा छः से बारह तक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण मिलता था तो बारह के बाद उत्तर प्रदेश के जो खिलाड़ी होते थे वह उत्तर प्रदेश से पलायन होने के लिए देश के अन्य-अन्य कोने में जाने के लिए मजबूर हो जाते थे। उस पलायन को रोकने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 72 वर्षों से मांग थी, उन खिलाड़ियों की मांग को पूरा करने के लिए आज स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला उन्होंने लिया है, जिससे उत्तर प्रदेश ही नहीं उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के अन्दर

और दुनिया के मानचित्र पर जब हमारे खिलाड़ी यूनिवर्सिटी खुलेगा तो खेल जगत में आगे बढ़ेंगे और दुनिया के मानचित्र पर टॉप-10 की जो रैंकिंग आयेगी मेरा भरोसा है कि उसमें 5 खिलाड़ी जरूर उ0प्र0 के रहेंगे। इसी प्रयास से उत्तर प्रदेश के अन्दर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है और हम सभी माननीय सदस्यगणों से प्रार्थना करेंगे कि यह जनहित का मामला है। यह उत्तर प्रदेश के युवाओं का मामला है। यह उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों का मामला है। कम से कम इसमें राजनीति से ऊपर उठकर इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया जाए, इसलिए इस सदन से मैं यह मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मतदान कराता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-53 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021

राज्य में एक सम्बद्धताकारी तथा अध्यापन क्रीड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या आनुषंगिक मामलों का उपबन्ध करने के लिये।

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-

अध्याय-एक

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2021 कहा जाएगा ;

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा ;

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

परिभाषाएं

2. जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,

(क) 'विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद से है ;

(ख) 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 से है;

(ग) 'सम्बद्ध महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 28 के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्ध किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;

(घ) 'सहयुक्त क्रियाकलाप वाले विद्यालय/महाविद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत ऐसी किसी संस्था से है जिसमें उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विभाग की अवसंरचना और अपेक्षित पाठ्यक्रम के अनुसार व्यावहारिक सत्रों को पूरा करने के उद्देश्य से सम्बद्धता चाहने वाले महाविद्यालय की वाह्यतम सीमा से पन्द्रह किलो मीटर के अर्द्धव्यास के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों के लिए कम से कम तीन अंतरंग तथा दो वाह्य क्रीड़ा सुविधाओं वाले क्रीड़ा महाविद्यालय/छात्रावास सम्मिलित हैं ;

(ड.) 'बोर्ड' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 20 के अधीन गठित विश्वविद्यालय के शासक बोर्ड से है ;

(च) 'महाविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन कोई उपाधि या डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र आदि वाले पाठ्यक्रमों में से किसी पाठ्यक्रम का अध्यापन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;

(छ) 'संकायाध्यक्ष' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 15 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के संकायाध्यक्ष से है ;

(ज) 'निदेशकों' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 14 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के निदेशकों से है ;

(झ) 'कर्मचारी' का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसमें विश्वविद्यालय का कोई अध्यापक या उसके कर्मचारिवर्ग का कोई अन्य सदस्य सम्मिलित है ;

(ञ) 'संकाय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के संकाय से है ;

(ट) 'वित्त समिति' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 26 के अधीन गठित विश्वविद्यालय की वित्त समिति से है ;

(ठ) 'छात्रावास' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के छात्रों हेतु छात्रावास से है;

(ड) 'राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद' का तात्पर्य भारतीय राष्ट्रीय निर्धारण एवं प्रत्यायन परिषद द्वारा कृत प्रमाणन से है ;

(ढ) 'कुल सचिव' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुल सचिव से है ;

(ण) 'विनियमावली' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी विश्वविद्यालय की विनियमावली से है ;

(त) 'विनियामक निकाय' का तात्पर्य केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रूप में स्थापित किये गये ऐसे सांविधिक निकायों से है जिनमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय विधिज्ञ परिषद, दूरस्थ शिक्षा परिषद, भारतीय दन्त चिकित्सा परिषद, भारतीय परिचर्या परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भारतीय आयुर्विज्ञान केन्द्रीय परिषद तथा भारतीय भेषजी परिषद आदि सम्मिलित हैं ;

(थ) 'परिनियमावली तथा अध्यादेश' का तात्पर्य विश्वविद्यालय में तत्समय प्रवृत्त परिनियमावली तथा अध्यादेशों से है ;

(द) 'छात्र' का तात्पर्य विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से सहबद्ध या सम्बद्ध किसी महाविद्यालय के रजिस्टर में नामांकित किसी छात्र से है ;

(ध) 'विश्वविद्यालय का अध्यापक' का तात्पर्य आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, कोचों और विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित संस्था तथा अध्ययन केन्द्रों में अनुदेश, कोचिंग, प्रशिक्षण प्रदान करने या अनुसंधान संचालित करने हेतु नियुक्त अन्य व्यक्तियों से है ;

(न) 'कुलपति' का तात्पर्य धारा 12 के अधीन नियुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति से है ;

(प) 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग' का तात्पर्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से है ;

(फ) 'अध्ययन केन्द्र' का तात्पर्य सलाह देने, परामर्श करने, कोचिंग देने, प्रशिक्षण देने के प्रयोजनार्थ या छात्रों द्वारा अपेक्षित कोई अन्य सहायता प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या मान्यता प्राप्त किसी केन्द्र से है ;

(ब) 'विश्वविद्यालय' का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित और निगमित विश्वविद्यालय से है।

अध्याय-दो

विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन

3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी ;

(2) कुलपति, बोर्ड, विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद, निदेशकगण, संकायाध्यक्षगण, कुलसचिव और ऐसे अन्य समस्त व्यक्तियों, जो एतद्पश्चात् ऐसे अधिकारी या सदस्य बन सकते हैं, जब तक वे ऐसा पद या ऐसी सदस्यता धारित किये रहते हैं, से ' उत्तर प्रदेश राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय ' नामक विश्वविद्यालय गठित होगा ;

(3) विश्वविद्यालय पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसके पास इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन सम्पत्ति अर्जित करने, प्रतिधारित करने एवं संविदा करने हेतु शास्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर होगी और वह उक्त नाम से वाद करेगा या उस पर वाद किया जायेगा ;

(4) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरूद्ध समस्त वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों पर हस्ताक्षर तथा उनका सत्यापन, कुल सचिव द्वारा किया जायेगा और ऐसी कार्यवाहियों में समस्त प्रक्रियाएं कुल सचिव के लिए जारी की जायेंगी और उस पर तामील की जायेंगी ;

(5) विश्वविद्यालय, अध्यापन एवं सम्बद्धताकारी विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करेगा और वह उसमें प्रवेश दिये गए छात्रों को कौशल विकास तथा व्यावसायिक प्रयोजन हेतु उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त किये जाने या प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाने के निमित्त छात्रों के अध्यापन या कोचिंग के लिए किसी महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्ध करेगा। स्नातकोत्तर अध्ययन तथा अनुसंधान कार्य भी उपक्रमित किये जायेंगे।

विश्वविद्यालय का मुख्यालय

4-विश्वविद्यालय का मुख्यालय मेरठ में होगा ।

विश्वविद्यालय के उद्देश्य

5-विश्वविद्यालय के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे, अर्थात् :-

(एक)- शारीरिक अभिरूचि वाले तरूण व्यक्तियों और ऐसे व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक तथा व्यावसायिक विकास वृत्ति सम्बन्धी मार्ग का उपबन्ध करना, जो राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तक पहुँचकर भारत के लिए पदक जीतने हेतु क्रीड़ाओं को व्यवसाय के रूप में ग्रहण करने और अपने सम्पूर्ण वृत्ति को ओलम्पिक मान्यताप्राप्त क्रीड़ाओं के प्रति समर्पित करने तथा कोच, प्रबन्धक या क्रीड़ावृत्तिक होकर उक्त व्यवसाय में निरंतर बने रहने के इच्छुक हो ;

(दो) क्रीड़ा शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पिक क्रीड़ा कौशल विकास तथा शैक्षणिक सूचनाओं का उपबन्ध करके राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार निरंतर प्रदर्शन में अभिवृद्धि की अवधारणा को ग्रहण करते हुए खिलाड़ियों के भौतिक एवं कौशलपूर्ण मानकों को विकसित करना, और खिलाड़ियों तथा कोचों में क्रीड़ाओं हेतु विकसित क्रीड़ा प्रोद्योगिकियाँ भी समाविष्ट करना ;

(तीन) खिलाड़ियों को क्रीड़ाओं में उनकी वृत्ति के साथ ही स्नातक उपाधि अर्जित करने हेतु सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय एथलेटिक्स, हॉकी, कुश्ती तथा बाक्सिंग, वालीबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, हैण्डबाल पर केन्द्रित करते हुए ओलम्पिक मान्यता प्राप्त टीम/वैयक्तिक क्रीड़ाओं में से किसी एक क्रीड़ा में विशेषज्ञता सहित क्रीड़ा स्नातक पाठ्यक्रम (तीन वर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) संचालित करेगा, जहाँ स्नातक उपाधि का मूल्यांकन, राष्ट्रीय विश्वविद्यालयीय खेलों, राष्ट्रीय खेलों और अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं पर आधारित होगा;

(चार) क्रीड़ाओं तथा क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कला और एथलेटिक्स, वालीबाल, बास्केटबाल, फुटबाल, हैण्डबाल, हॉकी, कुश्ती तथा बाक्सिंग पर विशेष रूप से केन्द्रित करते हुए ओलम्पिक क्रीड़ाओं हेतु उच्च प्रदर्शन युक्त क्रीड़ा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट क्रीड़ा अनुशासन पर केन्द्रित करते हुए विशिष्टि केन्द्र तथा उत्कृष्ट संस्थाएं स्थापित करना ;

(पांच) विकसित शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा कोचिंग के ज्ञान का उपबन्ध करना, शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से अभिकल्पित शैक्षणिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और ऐसे विकसित क्रीड़ा प्रौद्योगिकियों का उपबन्ध करना जिसमें विशेषज्ञता उत्पन्न करने तथा शारीरिक शिक्षा को सशक्त करने हेतु सैद्धान्तिक सूचना तथा व्यवहारिक प्रशिक्षण और क्रीड़ा प्रदर्शनों के सम्बर्द्धन हेतु क्रीड़ा प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्मिलित हैं ;

(छः) शारीरिक शिक्षा एवं क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में शैक्षिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान कला का स्वरूप प्रदान करने और देशज खेलों तथा मार्शल आर्ट सहित समस्त क्रीड़ाओं और खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के उत्कृष्ट केन्द्रों और संस्थाओं की स्थापना करना ;

(सात) शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा आयुर्विज्ञान, जैव यांत्रिकी, क्रीड़ा पोषण, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा संचार तथा पत्रकारिता, दिव्यांगता क्रीड़ाओं, योग, व्यायाम एवं स्वस्थता चिकित्सा, पर्यटन, साहसिक क्रीड़ा, जल क्रीड़ा, क्रीड़ा प्रबन्धन, क्रीड़ा मनोविज्ञान के क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर ज्ञान, कौशल और क्षमताओं का विकास करने और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये अन्तर्अनुशासनात्मक सामर्थ्य जनित करना ;

(आठ) शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्रों में शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की अवसंरचना का उपबन्ध करने की क्षमताएं जनित करना ;

(नौ) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के क्षेत्र में प्रबन्धन हेतु क्रीड़ाओं से सम्बन्धित विशेषज्ञ क्षेत्रों (परामर्शकरण, परीक्षण, आंकड़ा विश्लेषण, स्वस्थता तथा कुशलता, क्रीड़ा चोट प्रबन्धन, आधारभूत वास्तविकता/कृतिम बुद्धिलब्धि अनुप्रयोग, जीवन रक्षा आदि) में अत्यंत अर्ह वृत्तिकों को तैयार करना ;

(दस) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के संभ्रान्त खिलाड़ियों, कोचों तथा एथलीट्स के लिए और शारीरिक शिक्षा में अभिनवीकरण के लिए तथा राज्य में क्रीड़ा संस्कृति विकसित करने हेतु अनुसंधान तथा परीक्षण के सिद्धान्त तैयार करने, उसे पृष्ठांकित करने तथा उसका प्रचार करने के लिये उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में कार्य करना ;

(ग्यारह) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा इवेन्ट प्रबन्धन तथा क्रीड़ा जन संचार के क्षेत्र में ज्ञान और विकास के लिये और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के लिए अग्रणी संसाधन केन्द्र के रूप में कृत्य करना ;

(बारह) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये शारीरिक शिक्षा और क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, जैव यांत्रिकी तथा पोषण और उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का उपबन्ध करना ;

(तेरह) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी, क्रीड़ा आयुर्विज्ञान तथा उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण में अध्यापन, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के प्रयोजनार्थ विद्यालय, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, क्रीड़ा एवं मनोरंजन क्लबों, समितियों, क्रीड़ा संघों और अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघों, अकादमियों तथा संस्थानों से घनिष्ठ सम्पर्क स्थापित करना ;

(चौदह) ऐसे अन्य उद्देश्य, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों जिन्हें, राज्य सरकार इस निमित्त विश्वविद्यालय द्वारा आवेदन किये जाने पर गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ;

(पन्द्रह) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान, क्रीड़ा आयुर्विज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी और अन्य सम्बन्धित क्षेत्रों में वृत्तिक मार्गदर्शन तथा प्लेसमेन्ट सेवाओं का उपबन्ध करना।

विश्वविद्यालय समस्त जातियों, पंथों, मूलवंशों या वर्गों के लिए होगा

6-विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के किसी अध्यापक के रूप में ग्रहण किये जाने हेतु उसे हकदार करने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने या वहां पर स्नातक होने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग करने या उसका प्रयोग करने के उद्देश्य से किसी लिंग और किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या धर्म या वर्ग या जन्म स्थान,धार्मिक विश्वास या वृत्ति या राजनैतिक राय या अन्य राय के व्यक्तियों के लिए होगा :

परन्तु यह कि इस धारा में कोई भी बात, महिलाओं, दिव्यांगों या समाज के कमजोर वर्गों के व्यक्तियों और विशेषत: अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और नागरिको के अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों के लिए नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से विश्वविद्यालय को निवारित करना नहीं मानी जाएगी।

विश्वविद्यालय की शक्तियां और उसके कृत्य

7-इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन विश्वविद्यालय की शक्तियॉ और कृत्य निम्नलिखित होंगे :-

(क) प्रशासकीय शक्तियां एवं कृत्य :-

(एक) विश्वविद्यालय तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों का प्रशासन और प्रबन्ध करना और अनुसंधान, शिक्षा तथा अनुदेशों के लिये ऐसी संस्थाओं तथा केन्द्रों की स्थापना करना जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों ;

(दो) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित किया जाय, परीक्षाएं आयोजित करना और व्यक्तियों को उपाधियॉ, डिप्लोमा प्रदत्त करना और प्रमाण-पत्र एवं अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियॉ या अभिधान प्रदान करना, और किन्हीं ऐसी उपाधियों, प्रमाण-पत्रों या विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियों या अभिधानों को ऐसी रीति में वापस लेना या रद्द करना जैसा कि विहित किया जाय ;

(तीन) ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, मानद उपाधियां और अन्य विशिष्टि उपाधियॉ प्रदान करना ;

(चार) अनुसंधान और विकास के लिये ऐसे विशिष्ट अध्ययन केन्द्र या अन्य इकाइयां स्थापित करना जो विश्वविद्यालय की राय में उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये आवश्यक हों ;

(पांच) विशिष्टीकृत एकल पाठ्यक्रम अभिकल्पित करने तथा प्रारम्भ करने के लिए एक समान या समकक्ष उद्देश्यों वाली किसी शैक्षिक संस्था के साथ सहयोग या सहयोजन करना ;

(छ:) विश्व के किसी भाग में विश्वविद्यालय के उद्देश्यों के पूर्णत: या अंशत: समान उद्देश्यों वाली शैक्षिक या अन्य संस्थाओं से अध्यापकों, छात्रों एवं विद्वानों को, सामान्यत: ऐसी रीति में, जो कि उनके समान उद्देश्यों के लिये अनुकूल हो, आदान-प्रदान के माध्यम से जुड़ाव विकसित करना और उन्हें अनुरक्षित रखना ;

(सात) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये विश्व के किसी भी भाग में अध्यापकों, कोचों, अनुसंधानकर्ताओं, विशेषज्ञों, क्रीड़ा संघों तथा परिसंघों से सम्बन्ध विकसित करना और उसे अनुरक्षित रखना ;

(आठ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास के लिये छात्रावास और संकायों, अधिकारियों और कर्मचारियों के लिये वास स्थान और क्रीड़ा अवसंरचना हालों की स्थापना, अनुरक्षण तथा प्रबन्ध करना ;

(नौ) निवास स्थान का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और विश्वविद्यालय के छात्रों के मध्य अनुशासन विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक गतिविधियों के संवर्द्धन के लिये व्यवस्था करना ;

(दस) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार, पदक और अन्य सम्मान संस्थित करना और प्रदान करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालयों के प्रयोजनों हेतु आवश्यक या सुविधाजनक कार्यों हेतु किसी भूमि या भवन या क्रीड़ा काम्पलेक्स या क्रीड़ा अवसंरचना और वैज्ञानिक क्रीड़ा अनुसंधान उपकरणों या इण्डोर स्टेडियम को ऐसी निबंधन एवं शर्तों पर क्रय करना या उन्हें पट्टे पर लेना, जैसा वह उचित व ठीक समझे और ऐसे किन्हीं भवनों या कर्मशालाओं का निर्माण करना, उनमें परिवर्तन करना या उनका अनुरक्षण करना ;

(बारह) विश्वविद्यालय की स्थावर या जंगम सम्पत्तियों को पूर्णतया या उसके किसी आंशिक भाग को राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी शर्तों पर विक्रय करना, विनिमय करना, पट्टे पर देना या अन्यथा निस्तारित करना, जैसा कि वह उचित समझे और जो विश्वविद्यालय के हितों, क्रियाकलापों तथा उद्देश्यों से संगत हो ;

(तेरह) राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात जंगम या स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में, अंतरणों, बन्धकों, पट्टों, अनुज्ञप्तियों, अनुबन्धों से सम्बन्धित हस्तान्तरण पत्र तथा अन्य हस्तान्तरण पत्र निष्पादित करना जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय की या विश्वविद्यालय के प्रयोजनार्थ अर्जित की जाने वाली प्रतिभूतियां भी सम्मिलित हैं ;

(चौदह) शैक्षणिक, प्राविधिक, प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर स्थायी पद या अस्थायी पद के आधार पर या संविदात्मक आधार पर नियुक्तियां करना ;

(पन्द्रह) विभिन्न क्रीड़ाओं और खेलों के लिये आचार्यपद, सहआचार्य पद, सहायक आचार्य पद, उपाचार्य पद, प्राध्यापक पद, विन्यासित आचार्य पद, मानद आचार्य पद, अनुवद्ध आचार्य पद, एमेरिट्स आचार्य पद संस्थित करना और क्रीड़ा विज्ञान के लिये कोई अन्य अध्यापन, शैक्षणिक या अनुसंधान सम्बन्धी पदों को संस्थित करना और उनके लिये अर्हताएं विहित करना ;

(सोलह) विश्वविद्यालय में निदेशकों, संकायाध्यक्षों, आचार्यों, सह आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्रधान कोचों, कोचों, प्रशिक्षकों, अनुवद्ध आचार्यों, या विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापकों और अनुसंधान कर्ताओं के रूप में व्यक्तियों को नियुक्त करना ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के मध्य अनुशासन विनयमित एवं प्रवर्तित करना और यथा विहित अनुशासनात्मक उपायों का उपबन्ध करना ;

(अठारह) ऐसे समस्त अन्य कार्य और बातें करना जैसा कि विश्वविद्यालय अपने समस्त या किसी उद्देश्य की प्राप्ति या उसके सम्वर्द्धन के लिये आवश्यक, अनुकूल या आनुषंगिक समझे;

(उन्नीस) विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय/संस्था में किसी सम्बद्ध पाठ्यक्रम में किसी छात्र को प्रवेश दिये जाने हेतु किसी छात्र को किसी ओलम्पिक क्रीड़ा के अन्तर्गत किसी जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता में कम से कम कोई पदक/पुरस्कार जीतना आवश्यक है ;

(बीस) इस अधिनियम की धारा 12 के अधीन विहित अर्हता के अनुसार किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के कुलपति के पद पर नियुक्त करना;

(इक्कीस) विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय वृत्तिक संगठनों या संकायों के साथ सम्पर्क या सदस्यता स्थापित करना ;

(बाइस) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्च ज्ञानार्जन वाली संस्था जिसमें देश से बाहर की संस्थाएं सम्मिलित हैं, के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रायोजनों के लिए, जैसा कि विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना, सहयोग करना या सहयुक्त होना ;

(तेइस) क्रीड़ाओं से सम्बन्धित समस्त मामलों में राज्य सरकार और राज्य/राष्ट्रीय क्रीड़ा परिसंघों के लिए प्राविधिक परामर्शदात्री निकाय के रूप में कार्य करना ;

(चौबीस) परिनियमावली द्वारा निर्धारित किये जाने वाली शर्तों के अध्यधीन भारत में या उसके बाहर किसी महाविद्यालय या संस्था के लिए उसके विशेषाधिकारों को ग्रहण करना ;

(पच्चीस) किसी महाविद्यालय या संस्था में अनुदेश प्रदान करने हेतु विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के अनुसार प्रवेश दिये गये व्यक्तियों को मान्यता प्रदान करना ;

(ख) शैक्षणिक, पाठ्यचर्या तथा अनुसंधान सम्बन्धी शक्तियां एवं कृत्य :-

(एक) एथलेटिक्स, वालीबाल, बास्केट बाल, फुटबाल, हैण्डबाल, हॉकी, कुश्ती तथा मुक्केबाजी पर केन्द्रित ओलम्पिक क्रीड़ाओं में से किसी एक क्रीड़ा में विशेषज्ञता सहित क्रीड़ा स्नातक कार्यक्रम (त्रिवर्षीय उपाधि पाठ्यक्रम) संचालित करना, जहां स्नातक उपाधि का मूल्यांकन, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में सहभागिता करने और पदक जीतने पर आधारित होगा ;

(दो) ऐसे खिलाडियों को प्रवेश देना, जो जिला स्तर पर अपनी क्रीड़ा प्रतिभा को सिद्ध किये हो और विश्वविद्यालय से जुड़ने के लिये तैयार हों, और खिलाडियों को प्रारम्भिक स्तर (उदाहरणार्थ 12 वर्ष या अग्रतर आयु) पर तैयार करना जिससे कि वे विश्वविद्यालय से अग्रवर्ती प्रक्रम में जुड़ सकें ;

(तीन) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा विज्ञान तथा क्रीड़ा प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित ज्ञान और विद्या की शाखाओं में अनुदेश, कोचिंग, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण का उपबंध करना ;

(चार) समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये वैज्ञानिक क्रीड़ा प्रशिक्षण प्रणाली, और क्रीड़ा विज्ञान में ऐसी शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान के मानक प्राप्त करने के उद्देश्य से क्रीड़ा विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में नयी पद्धतियों तथा प्रौद्योगिकियों में अभिनव प्रयोग संचालित करना ;

(पांच) पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या विहित करना और मुक्त, इलेक्ट्रानिक तथा दूरस्थ शिक्षा सहित शिक्षा प्रणाली तथा सिद्धान्त परिदान में सुनम्यता का उपबंध करना ;

(छः) अनुसंधान तथा अन्य कार्यों के ई-प्रकाशन, मुद्रण, प्रत्युत्पादन तथा प्रकाशन का उपबंध करना और प्रदर्शनियां, कार्यशालायें, सेमिनार, संगोष्ठियों, सम्मेलन तथा प्रतियोगिताएं उपबंधित करना ;

(सात) शारीरिक शिक्षा, क्रीड़ाविज्ञान, क्रीड़ा प्रौद्योगिकी तथा सम्बंधित क्षेत्रों में अनुसंधान और समस्त क्रीड़ाओं तथा खेलों के लिये उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण प्रायोजित करना तथा उपक्रमित करना ;

(आठ) विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पाठ्यक्रमों में विहित रीति से छात्रों को प्रवेश देना;

(नौ) क्रीड़ाओं तथा उनसे सम्बन्धित क्रियाकलापों के क्षेत्र में वृत्तिक मार्गदर्शन तथा प्लेसमेंट सेवाओं का उपबंध करना ;

(दस) वाह्य अध्ययन, प्रशिक्षण तथा विस्तारीकरण सेवाएं आयोजित करना तथा उपक्रमित करना ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय में प्रवेश के ऐसे मानक अवधारित करना जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षा की कोई अन्य पद्धति सम्मिलित हो ;

(बारह) विभिन्न राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु उच्च स्तरीय खिलाडियों को प्रशिक्षण, कोचिंग तथा अन्य सहायता का उपबंध करना ;

(तेरह) फिल्म, कैसेट्स, टेप्स, वीडियों कैसेट्स तथा अन्य साफ्टवेयर सहित अनुदेशात्मक तथा प्रशिक्षण सम्बन्धी सामग्रियां तैयार करने के लिये उपबंध करना ;

(चौदह) सेमेस्टर प्रणाली, सतत मूल्यांकन तथा पसन्द आधारित क्रेडिट प्रणाली हेतु उपबन्ध करना और क्रेडिट अंतरण तथा संयुक्त उपाधि कार्यक्रमों हेतु अन्य विश्वविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के साथ करार करना ;

(पन्द्रह) अध्यापकों का मूल्यांकन सहित विश्वविद्यालय के समस्त शैक्षणिक क्रियाकलापों में छात्रों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।

(ग) वित्त से सम्बन्धित शक्तियां एवं कृत्य :-

(एक) व्यय को विनियमित करना, वित्त व्यवस्था का प्रबन्ध करना और विश्वविद्यालय के लेखाओं का अनुरक्षण करना ;

(दो) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने के उद्देश्यों के अनुरूप अनुदान, आर्थिक सहायता, अभिदान, दान तथा उपहार प्राप्त करना और कोई अनुदान प्राप्त करने हेतु केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या अन्य प्राधिकरणों या निकायों के साथ कोई करार करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्रयोजनों तथा उसके उद्देश्यों हेतु चल तथा अचल सम्पत्तियों के अंतरण के द्वारा उपहार, दान, उपकृति या वसीयत स्वरूप उद्योगों, संघों, परिसंघों से या किसी अन्य स्रोत से निधियां प्राप्त करना ;

(चार) फीस तथा यथा विहित अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना तथा उन्हें प्राप्त करना ;

(पांच) सरकारी वचनपत्र तथा अन्य वचनपत्र, विनिमय कार्य, चेक या अन्य परक्राम्य लिखत आहरित करना एवं स्वीकार करना, उन्हें बनाना तथा पृष्ठांकित करना तथा बट्टे पर देना एवं उनका परक्रामण करना ;

(छः) बंधपत्रों, बंधकों, वचनपत्रों या विश्वविद्यालय की समस्त सम्पत्तियों तथा आस्तियों या किसी सम्पत्ति या आस्ति पर आधारित या अवलम्बित अन्य इकरारों या प्रतिभूतियों पर या किन्हीं प्रतिभूतियों के बिना और ऐसी निबंधन एवं शर्तों, जैसा कि वह उचित समझे, पर धन जुटाना एवं उधार लेना, और राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात उधार ली गयी धनराशि का प्रतिसंदाय करने हेतु धन जुटाने से आनुषंगिक समस्त व्ययों का भुगतान, विश्वविद्यालय की निधियों में से करना ;

(सात) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय की निधियों का विनिधान करना ;

(घ) प्रकीर्ण शक्तियां एवं कृत्य :-

(एक) क्रियाकलापों तथा वित्त व्यवस्था आदि से सम्बन्धित समस्त रिपोर्टों को किसी वेब पोर्टल पर सार्वजनिक रूप में अनुरक्षित करना ;

(दो) खेलो इण्डिया योजना या राष्ट्रीय क्रीड़ा प्रतिभा खोज तथा पहचान योजना के अधीन उपबंधित प्रकियाओं तथा मानकों को प्रभावी बनाना ;

(तीन) प्रत्यायन, राष्ट्रीय निर्धारण और प्रत्यायन परिषद या राष्ट्रीय स्तर के किसी अन्य प्रत्यायन अभिकरण से प्राप्त किया जायेगा ; और

(चार) प्रभावी प्रबंधन योजना सहित ई-शासन प्रारम्भ किया जायेगा।

प्रत्यायोजन की शक्ति

8-इस अधिनियम और तदधीन बनायी गयी विनियमावली के अध्यधीन विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी, इस शर्त के अध्यधीन कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का अंततः उत्तरदायित्व उस अधिकारी या प्राधिकारी में निहित रहेगा जिन्हें प्रत्यायोजित किया गया हो, अपनी शक्तियों को (विनियमावली बनाने की शक्ति को छोड़कर) आदेश द्वारा, अपने नियंत्रणाधीन किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकता है ;

राज्य सरकार की निरीक्षण और जांच करने की शक्ति

9-(1) राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा कि वह निदेश दे, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उससे सम्बद्ध किसी महाविद्यालय, संस्था या केन्द्र के भवनों क्रीड़ा प्रसुविधा सम्बन्धी अवसंरचना, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, संग्रहालय, कार्यशाला और उपस्करों का निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित अध्यापन एवं अन्य कार्यों और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाओं का भी निरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय या महाविद्यालयों के प्रशासन, शैक्षणिक क्रिया-कलापों और वित्त से संबंधित किसी मामले में भी समान रीति से जांच कराने की शक्ति होगी ;

(2) राज्य सरकार, उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय को अपने निरीक्षण कराने तथा कोई जांच कराने की अपने आशय की सूचना देगी और विश्वविद्यालय को उसमें अपना प्रतिनिधित्व करने का हक होगा ;

(3 राज्य सरकार, ऐसे निरीक्षण और जांच के परिणामों के संदर्भ में अपना अभिमत विश्वविद्यालय को संसूचित करेगी और उस मामले में कार्यवाही किये जाने के लिये विश्वविद्यालय को परामर्श देगी ;

(4) जहां विश्वविद्यालय द्वारा युक्तियुक्त समय के भीतर राज्य सरकार के समाधान पर कार्यवाही नहीं की जाती है, वहां राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को ऐसे निदेश दिये जाएंगे और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा।

अध्याय- तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी तथा प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

10-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलाधिपति ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) निदेशकगण ;

(चार) संकायाध्यक्ष ;

(पांच) प्रधान कोच ;

(छः) कुल सचिव ;

(सात) परीक्षा नियंत्रक ;

(आठ) पुस्तकालयाध्यक्ष ; और

(नौ) ऐसे अन्य अधिकारी, जिन्हें विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जाये।

कुलाधिपति

11-(1) राज्यपाल, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे। वह विश्वविद्यालय के पदेन प्रधान होंगे/होंगी और जब वह उपस्थित हों तो विश्वविद्यालय के किसी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेंगे/करेंगी ;

(2) कोई मानद उपाधि प्रदान किये जाने का प्रत्येक प्रस्ताव, कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ;

(3) कुलपति का यह कर्तव्य होगा कि वह विश्वविद्यालय के प्रशासन कार्य से सम्बन्धित ऐसी जानकारी या अभिलेख, जिन्हें कुलाधिपति मागें, प्रस्तुत करे ;

(4) कुलाधिपति को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो उन्हें परिनियमों द्वारा या तदधीन प्रदान की जायें।

कुलपति

12-(1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और उसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसे व्यक्तियों के मध्य से की जायेगी, जिनके नाम, उपधारा (2) के उपबन्ध के अनुसार उपधारा (3) के अधीन गठित समिति द्वारा उन्हें सौंपे गये हों ;

2(क) आवश्यक अर्हता :- कुलपति के पद पर नियुक्त व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होगा जिसका स्नातक होना आवश्यक है और जो न्यूनतम 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका/चुकी हो;

(ख) अधिमानी अर्हता :- वह ओलम्पिक खेलों या विश्वकप / विश्व चैम्पियनशिप में कोई पदक जीता/जीती हो; या

जो खेल प्रतियोगिताएं ओलम्पिक खेल में खेली जाती हो उन्हीं खेलों में एशियन गेम्स / कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता हो; या

ऐसा/ऐसी व्यक्ति हो, जो क्रीड़ा क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार विजेता या खेल रत्न पुरस्कार विजेता या पद्मश्री पुरस्कार विजेता अथवा ध्यानचन्द पुरस्कार विजेता हो।

(ग) यदि ऐसा व्यक्ति उपलब्ध न हो तो कुलपति ऐसा व्यक्ति होगा/होगी जो नामनिर्देशन के दिनांक को बासठ वर्ष की आयु प्राप्त न किया/की हो और जो :-

(एक) कोई प्रख्यात शिक्षाविद् हो; या

(दो) प्रख्यात शारीरिक शिक्षाविद तथा खिलाड़ी हो ; या

(तीन) प्रख्यात राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय सामयिक पत्रिकाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट अनुसंधान कार्य वाला अनुसंधानकर्ता हो और शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में डाक्टरेट उपाधि धारक हो ; और

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में तीन सदस्य होंगे :-

(क) एक सदस्य, प्रख्यात खिलाड़ी व्यक्तित्व वाला होगा जिसे कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा ;

(ख) एक सदस्य, राज्य के क्रीड़ा विभाग का प्रभारी सचिव होगा ;

(ग) एक सदस्य (जो विश्वविद्यालय, किसी संस्था, किसी संघटक महाविद्यालय, किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय या किसी हाल या छात्रावास से सम्बन्धित व्यक्ति न हो) उत्तर प्रदेश ओलम्पिक संघ से बोर्ड द्वारा निर्वाचित किया जायेगा :

परन्तु यह कि जहाँ बोर्ड, किसी व्यक्ति को खण्ड (ग) के अनुसार निर्वाचित करने में विफल हो, वहाँ कुलाधिपति खण्ड (क) के अधीन अपने द्वारा नामनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति के अतिरिक्त, बोर्ड के प्रतिनिधि के बदले में किसी एक व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करेंगे / करेगी।

(4) उपधारा (3) के अधीन इस प्रकार नियुक्त समिति, राज्य सरकार द्वारा यथा निर्दिष्ट समय के भीतर और रीति से तीन व्यक्तियों का चयन करेगी, जो उपधारा (2) में उल्लिखित अर्हताएं धारण करते हों और जिन्हें वह कुलपति के पद पर नियुक्त किये जाने के लिये उपयुक्त समझती हो, और इस प्रकार चयनित व्यक्तियों के नामों को, ऐसे अन्य विवरणों के साथ जैसा वह आवश्यक समझे, राज्य सरकार को संस्तुत करेगी :

(5) कुलपति तीन वर्षों की अवधि के लिये पद धारण करेगा और अग्रतर तीन वर्ष की अवधि हेतु पुन: नियुक्ति के लिये पात्र होगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति कुलपति का पद, पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात धारण नहीं करेगा / करेगी:

(6) कुलपति की परिलब्धियां तथा सेवा की अन्य निबन्धन एवं शर्तें ऐसी होगी जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जाय ;

(7) कुलपति, कुलाधिपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर से अपना पद त्याग कर सकता / सकती है और ऐसा त्यागपत्र, कुलाधिपति द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा ;

(8) जब कभी कुलपति पद की अस्थायी रिक्ति होती है और उसे इस धारा के उपबंधों के अनुसरण में सुगमतापूर्वक और शीघ्रता से भरा न जा सके तो कुलाधिपति विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, कुलपति के पद के चालू कर्तव्यों को सम्पादित करने के लिये निदेशित कर सकता / सकती है ;

(9) कोई व्यक्ति नियुक्त किये जाने या कुलपति बनाये जाने के लिये अनर्ह होगा :-

(एक) यदि वह संसद का, या किसी राज्य विधानमण्डल का, या किसी स्थानीय प्राधिकरण का सदस्य हो ; या

(दो) यदि वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो ; या

(तीन) यदि वह दिवालिया हो या किसी समय ऐसा निर्णीत किया गया हो या उसने अपने ऋणों के भुगतान को निलंबित रखा हो या उसने अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया हो; या

(चार) यदि वह अस्वस्थ मानसिकता का / की हो या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया हो / की गयी हो ; या

(पांच) यदि वह किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहराया गया हो / गयी हो, जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्ग्रस्त रही हो ।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य

13-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कुलपति को, विश्वविद्यालय द्वारा अपने अनुरक्षित भवनों, छात्रावासों, पुस्तकालयों, क्रीड़ा अवसंरचनात्मक सुविधाओं, उपस्करों, प्रणालियों, प्रक्रियाओं की, और अपने किसी संस्था या केन्द्र की और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या कराये गए परीक्षाओं, अध्यापन, अनुसंधान तथा अन्य कार्यों को, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसा उसके द्वारा निदेशित किया जाय, निरीक्षण कराने या पुनरीक्षण कराने की शक्ति होगी और विश्वविद्यालय के प्रशासन, शैक्षणिक क्रियाकलापों और वित्त से सम्बन्धित किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में समान रीति से जांच कराने की भी शक्ति होगी ;

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति –

(एक) विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक एवं शैक्षणिक अधिकारी होगा/होगी। वह विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी ;

(दो) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगा / करेगी ;

(तीन) विश्वविद्यालय में अनुदेश देने तथा अनुशासन को अनुरक्षित रखने के लिये उत्तरदायी होगा/होगी ; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा / करेगी जो उसे इस अधिनियम, या विनियमों द्वारा या उसके अधीन समनुदेशित किये जायं या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जाएं ;

(3) जहां कोई मामला आत्यायिक प्रकृति का हो जिसमें तुरन्त कार्यवाही की जानी अपेक्षित हो और उसके व्यवहरण हेतु इस अधिनियम के अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकरण या निकाय द्वारा उसे तत्काल व्यवहृत किया जाना संभव न हो तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकता है जैसा वह उचित समझे और उसके द्वारा की गई ऐसी कार्यवाही की सूचना तत्काल विश्वविद्यालय के उस प्राधिकरण या निकाय को दी जाएगी जिसके द्वारा सामान्य प्रक्रम में उस मामले को व्यवहृत किया गया हो :

परन्तु यह कि यदि ऐसे प्राधिकरण या निकाय का यह मत हो कि कुलपति द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये थी तो वह उस मामले को बोर्ड को संदर्भित कर सकता है जो कि कुलपति द्वारा कृत उस कार्यवाही की या तो संपुष्टि करेगा या उसे रद्द कर सकता है या उसे ऐसी रीति में संशोधित कर सकता है जैसा वह उचित समझे और तदुपरान्त, यथास्थिति, उस कार्यवाही का प्रवर्तन समाप्त माना जाएगा या ऐसे संशोधित रूप में प्रवृत्त माना जाएगा, तथापि यह कि ऐसा संशोधन या रद्दकरण कुलपति द्वारा पूर्व में की गई या आदेश द्वारा करायी गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा ;

(4) जहां उपधारा (3) के अधीन कुलपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियों में किसी व्यक्ति की नियुक्ति का मामला हो वहां ऐसी नियुक्ति को, इस अधिनियम और विनियमों के उपबंधों के अनुसरण में ऐसी नियुक्ति को अनुमोदित करने के लिये सशक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा कुलपति के आदेश करने के दिनांक से छः माह से अनधिक समय में संपुष्ट किया जाएगा, अन्यथा ऐसी नियुक्ति कुलपति के आदेश के दिनांक से छः माह की अवधि के अवसान पर निष्प्रभावी हो जाएगी।

निदेशक

14-(1) विश्वविद्यालय के निदेशकों की नियुक्ति, कुलपति द्वारा, बोर्ड के अनुमोदन से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर, जैसा कि विहित किया जाय, की जायेगी।

(2) निदेशकगण विश्वविद्यालय के शैक्षणिक, प्रशासनिक, वित्तीय एवं अन्य क्रिया-कलापों का प्रबन्ध करने में कुलपति की सहायता करेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा कि कुलपति द्वारा उन्हें विहित किया जाय या सौंपा जाय।

(3) निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोई प्रशिक्षक / अध्यापक/प्राध्यापक / आचार्य होगा या वह किसी महाविद्यालय / संस्था में विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु पात्र हो या ऐसा कोई प्रशिक्षक / अध्यापक / प्राध्यापक / आचार्य हो जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (ज्येष्ठ श्रेणी) / राष्ट्रीय खेलों में कम से कम कोई पदक जीता हो और अधिमानतः ओलम्पिक क्रीड़ा शाखा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो ।

संकायाध्यक्ष

15-(1) संकायाध्यक्षों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के संकायों में से कुलपति द्वारा सम्यक विधिक प्रकिया का अनुसरण करते हुए की जाएगी ;

(2) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अन्य क्रिया-कलापों का प्रबन्ध करने में संकायाध्यक्ष, कुलपति की और विश्वविद्यालय के निदेशक की सहायता करेंगे और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का सम्पादन करेंगे जैसा कि उन्हें कुलपति और निदेशक द्वारा विहित किया जाय या सौंपा जाय ;

(3) संकायाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय का कोई प्रशिक्षक / अध्यापक / प्राध्यापक / आचार्य होगा जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (ज्येष्ठ श्रेणी) / राष्ट्रीय खेलों में कम से कम कोई पदक जीता हो और अधिमानतः किसी ओलम्पिक क्रीड़ा शाखा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो।

प्रधान कोच

16-(1) प्रधान कोचों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के कोचिंग संकायों में से कुलपति द्वारा सम्यक विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए की जायेगी ;

(2) प्रधान कोच, कुलपति और विश्वविद्यालय के निदेशक की उच्च प्रदर्शन युक्त प्रशिक्षण हेतु विश्वविद्यालय केन्द्र के शैक्षणिक और अन्य प्रशिक्षण सम्बन्धी मामलों का प्रबन्ध करने में सहायता करेंगे और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कृत्यों का निष्पादन करेंगे जैसा कि विनियमावली द्वारा विहित किया जाय या उन्हें कुलपति तथा निदेशक द्वारा सौंपा जाय ;

(3) प्रधान कोच के रूप में नियुक्त किया जाने वाला व्यक्ति विश्वविद्यालय का प्रशिक्षक / अध्यापक / प्राध्यापक / आचार्य होगा या वह किसी महाविद्यालय / संस्था में विश्वविद्यालय के किसी संबद्ध पाठ्यक्रम में अध्यापन हेतु पात्र होगा या वह ऐसा प्रशिक्षक/अध्यापक/प्राध्यापक/आचार्य हो, जो राष्ट्रीय चैम्पियनशिप (ज्येष्ठ श्रेणी) / राष्ट्रीय खेलों में कम से कम कोई पदक जीता हो और अधिमानतः किसी ओलम्पिक क्रीड़ा शाखा में राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला हो।

कुलसचिव

17-(1)कुलसचिव की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों एवं निबन्धनों पर की जाएगी जैसी विहित की जाय ;

(2) कुलसचिव निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा, अर्थात् :-

(एक) वह विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और निधियों और विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की अभिरक्षा के लिये उत्तरदायी होगा ;

(दो) वह बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचनाएं और अभिलेख प्रस्तुत करेगा जो कि उसके कारबार के संचालन के लिये आवश्यक हों ;

(तीन) वह अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा ;

(चार) वह विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा/होगी और परीक्षाएं संचालित करायेगा/करायेगी और उसके लिये आवश्यक सभी अन्य प्रबन्ध करेगा/करेगी और उससे सम्बन्धित सभी प्रक्रियाओं के निष्पादन के लिये उत्तरदायी होगा/होगी ;

(पाँच) वह विश्वविद्यालय की ओर से सभी दस्तावेजों को अनुप्रमाणित और निष्पादित करेगा;

(छः) वह विश्वविद्यालय के द्वारा लाये गए या उसके विरूद्ध सभी वादों तथा अन्य विधिक कार्यवाहियों में अभिवचनों का सत्यापन करेगा और उन पर हस्ताक्षर करेगा और ऐसे वादों और कार्यवाहियों में सभी आदेशिकाएं कुलसचिव को जारी की जायेंगी और उस पर तामील की जाएंगी; और

(सात) वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसे अन्य कर्तव्यों का सम्पादन करेगा जो इस अधिनियम, विनियमावली द्वारा या तदधीन उसे सौंपी जायं या उसको बोर्ड या कुलपति द्वारा प्रत्यायोजित की जायं।

अन्य अधिकारी

18-विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति और शक्तियां वही होंगे जो समय-समय पर विहित किये जायें।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरण

19-विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात् :-

(एक) शासक बोर्ड ;

(दो) कार्य परिषद ;

(तीन) विद्या और क्रियाकलाप परिषद ;

(चार) वित्त समिति ; और

(पाँच) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जैसा कि विनियमावली द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के रूप में घोषित किये जायं।

शासक बोर्ड

20-(1) विश्वविद्यालय के शासक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(एक) कुलाधिपति, जो बोर्ड का अध्यक्ष होगा ;

(दो) कुलपति ;

(तीन) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला चक्रानुक्रम द्वारा विश्वविद्यालय का एक निदेशक ;

(चार) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट चक्रानुक्रम द्वारा एक प्रधान कोच ;

(पांच) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले चार व्यक्ति ;

(2) कुल सचिव, बोर्ड का सचिव होगा।

बोर्ड की शक्तियां और कृत्य

21-(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन, बोर्ड, विश्वविद्यालय के सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और कार्यकलापों पर नियंत्रण के लिये उत्तरदायी होगा और वह विश्वविद्यालय की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा, और उसे विश्वविद्यालय की विद्या और क्रियाकलाप परिषद्, वित्त समिति और अन्य समितियों या प्राधिकरणों के कृत्यों को पुनरीक्षित करने की शक्ति होगी;

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड की निम्नलिखित शक्तियां और कृत्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय के प्रशासन और कार्यसम्पादन के सम्बन्ध में नीति के प्रश्न पर विनिश्चय करना, और विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा करना, और विश्वविद्यालय की अभिवृद्धि और विकास के लिये उपाय सुझाना;

(दो) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों को संस्थित करना ;

(तीन) विनियम बनाना ;

(चार) प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु विश्वविद्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक बजट पर विचार करना और अनुमोदित करना एवं ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना ;

(पांच) विश्वविद्यालय की धनराशियों तथा निधियों का विनिधान करना और वित्त समिति की संस्तुतियों पर विनिश्चय करना ;

(छः) अध्ययनों, पुस्तकों, सामयिक पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों और अन्य साहित्य का समय-समय पर प्रकाशन या प्रकाशन का वित्तपोषण करना और उनका विक्रय करना या विक्रय की व्यवस्था करना जैसा वह उचित समझे ;

(सात) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन करना और समाप्त करना ;

(आठ) ऐसी समितियों को नियुक्त करना, जो इस अधिनियम के अधीन उसकी शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के सम्पादन के लिये आवश्यक हों ;

(नौ) विश्वविद्यालय के निदेशकों, संकायाध्यक्षों, कुलसचिव, प्रधान कोचों या किसी अन्य अधिकारी, कर्मचारी या प्राधिकारी या उसके द्वारा नियुक्त किसी समिति को अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन करना ; और

(दस) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जो इस अधिनियम या विनियमों द्वारा या तद्धीन उसे प्रदान किये जायं या उस पर आरोपित किये जायं, और ऐसी अन्य शक्तियां जो विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये हों।'

बोर्ड के सदस्यों की पदावधि

22-(1) इस धारा में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार) व (पांच) के अधीन नामनिर्दिष्ट बोर्ड के किसी सदस्य की पदावधि उनके नामनिर्देशन के दिनांक से तीन वर्ष होगी ;

(2) धारा 20 की उपधारा (1) के खण्ड (तीन), (चार) और (पांच) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, लिखित में अपने हस्ताक्षर से अध्यक्ष को सम्बोधित करके अपना पद त्याग कर सकता है और उसका त्यागपत्र, अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से प्रभावी होगा।

कार्य परिषद्

23-(1) कार्य परिषद, विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगी ;

(2) कार्य परिषद् का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां एवं कृत्य ऐसे होंगे जैसे परिनियमों में विहित किये जायें।

विद्या और क्रियाकलाप परिषद्

24-(1) विश्वविद्यालय के विद्या और क्रियाकलाप परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(एक) कुलपति, जो विद्या और क्रियाकलाप परिषद का अध्यक्ष होगा ;

(दो) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले दो शिक्षाविद् या वृत्तिक ;

(तीन) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले शारीरिक शिक्षा तथा क्रीड़ा-विज्ञान के क्षेत्र में दो शिक्षाविद् या वृत्तिक, जो ओलम्पिक अथवा विश्व चैम्पियनशिप में विशिष्ट उपाधि प्राप्त किये हों ;

(चार) विश्वविद्यालय के निदेशकगण ;

(पाँच) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष ;

(छः) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रधान कोच ; और

(सात) कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम के माध्यम से नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला विश्वविद्यालय के प्रत्येक संकाय का एक आचार्य ।

(2) कुलसचिव, विद्या और क्रियाकलाप परिषद का सचिव होगा;

(3) उपधारा (1) के खण्ड (दो), (तीन), (पांच), (छः) और (सात) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

विद्या और क्रियाकलाप परिषद की शक्तियां और कृत्य

25-इस अधिनियम और विनियमावली के उपबंधों के अध्यधीन विद्या और क्रियाकलाप परिषद्, निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों पर नियंत्रण रखना और विश्वविद्यालय में अनुदेश, शिक्षा, और मूल्यांकन के मानको को अनुरक्षित रखने तथा उन्हें विकसित करने के लिये उत्तरदायी होगा ;

(दो) सामान्य शैक्षणिक हितों के मामलों पर या तो स्वप्रेरण से या विश्वविद्यालय के संकाय या बोर्ड से किसी संदर्भ पर विचार करना और उस पर समुचित कार्यवाही करना ;

(तीन) छात्रों के मध्य अनुशासन सहित विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में, बोर्ड को ऐसे विनियमों की संस्तुति करना जो इस अधिनियम से संगत हों ; और

(चार) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना, जो विनियमों के द्वारा उसे प्रदत्त किये जायं या अधिरोपित किये जायं।

वित्त समिति

26-(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :-

(एक) कुलपति, जो उसका अध्यक्ष होगा ;

(दो) बोर्ड के दो सदस्य (जिनमें से एक बोर्ड का सरकारी नामनिर्देशिती होगा) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे ;

(तीन) निदेशक (वित्त) ;

(चार) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वित्त के क्षेत्र का एक विशेषज्ञ ;

(पाँच) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला चक्रानुक्रम से एक आचार्य ;

(छः) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला चक्रानुक्रम से एक प्रधान कोच ;

(2) कुल सचिव, समिति का सचिव होगा;

(3) खण्ड (दो), (चार), (पाँच) और (छः) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

वित्त समिति की शक्तियां और कृत्य

27-इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अध्यधीन, वित्त समिति, निम्निलखित शक्तियों का प्रयोग करेगी और निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :-

(एक) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखाओं और वार्षिक बजट प्राक्कलनों का परीक्षण करना और उस पर बोर्ड का परामर्श देना ;

(दो) विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति का समय-समय पर पुनरीक्षण करना ;

(तीन) विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण वित्तीय नीति के मामलों में बोर्ड को सस्तुतियां देना ;

(चार) निधियों में वृद्धि करने, प्राप्तियों और व्ययों सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को संस्तुतियां देना ;

(पांच) अधिशेष निधियों के विनिधान के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त उपबन्धित करना ;

(छः) ऐसे व्ययों, जिनके लिये बजट में कोई उपबन्ध न किया गया हो या जिनमें बजट में उपबन्धित धनराशि की अधिकता में व्यय को उपगत किये जाने की आवश्यकता सम्मिलित हो, सहित समस्त प्रस्तावों पर बोर्ड को संस्तुतियां देना ;

(सात) वेतनमानों के पुनरीक्षण, वेतनमानों के उच्चीकरण और ऐसे मदों, जो बजट में सम्मिलित न हों, से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों का, बोर्ड के समक्ष रखने से पूर्व परीक्षण करना ; और

(आठ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जो उसे विनियमों द्वारा प्रदत्त किये गए हों या अधिरोपित किये गए हों।

अध्याय-चार

सम्बद्धता

सम्बद्धता

28-(1) बोर्ड, राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से ऐसे किसी महाविद्यालय को ग्रहण कर सकता है, जो सम्बद्धता की यथाविहित शर्तों को पूरा करता हो :

परन्तु यह कि जब तक किसी महाविद्यालय द्वारा सम्बद्धता की समस्त विहित शर्तों को पूर्ण नहीं कर लिया जाता है तब तक ऐसे अध्ययन पाठयक्रम, जिसके लिए पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की गयी हो, के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को ऐसी सम्बद्धता के प्रारम्भ होने के दिनांक से एक वर्ष के पश्चात् प्रवेश नहीं देगा;

(2) विश्वविद्यालय से सम्बद्धता के लिये आवेदन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था को महाविद्यालय के आरम्भ होने के प्रस्तावित दिनांक से छः माह पूर्व, कुलसचिव को विहित प्रपत्र में ई-हस्ताक्षर सहित आनलाईन आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा ;

(3) सम्बद्धता के लिये आवेदन करने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था को ऐसी फीस और प्रतिभूति के साथ ऐसी रीति से ऐसे प्रपत्र में आनलाईन आवेदन करना होगा और ऐसे सन्नियमों तथा मानदण्डों को पूरा करना होगा जैसा कि विहित किया जाय ;

(4) महाविद्यालय/संस्था के पास शाखा से सम्बंधित विनियामक निकायों द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार अध्यापन संकाय होना चाहिए ;

(5) इसके अतिरिक्त महाविद्यालय/संस्था के पास इस अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ग) में यथा परिभाषित सहयुक्त-क्रियाकलाप वाले स्कूल/कालेजों के साथ पाठ्यक्रम की सम्पूर्ण अवधि के लिये एक औपचारिक करार होना चाहिये ;

(6) उपधारा (2) के अधीन किये गये आवेदनपत्र की प्राप्ति पर, बोर्ड, विद्या परिषद् के परामर्श से और महाविद्यालय या संस्था को अपनी स्थिति बताने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या महाविद्यालय, महाविद्यालय द्वारा उपबंधित किये जाने हेतु आशयित शिक्षा के प्रकार, पड़ोस में स्थित अन्य महाविद्यालयों द्वारा किये गये उसी प्रकार के शिक्षा के विद्यमान उपबंध और महाविद्यालय स्थापित किये जाने वाले स्थान को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता की पूर्ति करेगा, और अधिनियम तथा विनियमावली के उपबंधों का अनुपालन करेगा और अपना मत अभिलिखित करेगा कि क्या सम्बद्धता पूर्णतः या आंशिक रूप में प्रदान की जानी चाहिए अथवा अस्वीकृत कर दी जानी चाहिए, और वह महाविद्यालय या संस्था को अपने विनिर्णय से आनलाइन संसूचित करेगा। अल्प कमियां होने की स्थिति में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने से पूर्व एक अनुपालन समयावधि निर्धारित की जा सकती है। ऐसा कोई पाठ्यक्रम तब तक प्रारम्भ नहीं होगा जब तक कि समस्त शर्तें पूरी नहीं कर ली जायेंगी ;

(7) जहां सम्बद्धता या उसके किसी आंशिक भाग के लिए कोई आवेदनपत्र स्वीकृत किया जायेगा वहाँ बोर्ड के आदेश से ऐसे अनुदेश पाठ्यक्रम विनिर्दिष्ट होंगे जिनसे महाविद्यालय सम्बद्ध हो और जहां आवेदन या उसका कोई आंशिक भाग अस्वीकृत हो जायेगा वहां ऐसी अस्वीकृति के आधार अभिलिखित किये जायेंगे और महाविद्यालय या संस्था को 30 दिन के भीतर आनलाईन संसूचित किये जायेंगे ;

(8) उपधारा (6) के अधीन बोर्ड के विनिश्चय से असन्तुष्ट कोई महाविद्यालय या संस्था, ऐसे विनिश्चय या आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकती है और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा ;

(9) किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के लिए, उसी स्थानीय क्षेत्र में स्थित किसी अन्य सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के साथ या विश्वविद्यालय के साथ अध्यापन या अनुसंधान कार्य में सहयोग के लिए व्यवस्था करना विधिसम्मत होगा ;

(10) इस अधिनियम में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्धतंत्र, महाविद्यालय के क्रिया-कलापों का प्रबन्ध करने और उस पर नियंत्रण रखने के लिये स्वतंत्र होगा और उसके अनुरक्षण तथा रख-रखाव के लिए उत्तरदायी होगा और उसका प्राचार्य, अपने छात्रों के अनुशासन के लिए और अपने कर्मचारिवृंद के अधीक्षण और उन पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(11) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय विहित प्रपत्रों के आधार पर ऐसे स्वप्रमाणित रिपोर्ट, विवरणियों और अन्य विशिष्टियां आनलाईन प्रस्तुत करेगा जिनका निरीक्षण और सत्यापन कुलपति द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा याच्छिक आधार पर किया जा सकता है ;

(12) कार्य परिषद, प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण समय-समय पर दो वर्ष से अनधिक के अन्तरालों पर इस निमित प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों से करवा सकती है और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट कार्य परिषद को प्रस्तुत की जाएगी ;

(13) कार्य परिषद, इस प्रकार निरीक्षण किये गये किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को, पन्द्रह दिन के भीतर ऐसी कार्यवाही, जैसा उसे आवश्यक प्रतीत हो, करने के लिए निदेश दे सकती है;

(14) उपधारा (11) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने या सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल रहने वाले किसी महाविद्यालय की सम्बद्धता के विशेषाधिकार, महाविद्यालय के प्रबन्ध-तंत्र से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् और राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्य परिषद द्वारा प्रत्याहृत किये जा सकते हैं या उनमें कमी की जा सकती है ;

(15) उपधारा (1) और (12) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का प्रबन्ध-तंत्र, सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में विफल हो गया हो तो राज्य सरकार, प्रबन्ध-तंत्र और कुलपति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात् सम्बद्धता के विशेषाधिकारों को प्रत्याहृत कर सकती है या उनमें कमी कर सकती है ;

(16) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्तर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसा कोई महाविद्यालय, जिसे इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व, किसी विनिर्दिष्ट विषय में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए पहले से किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्धता दी जा चुकी हो, ऐसा अध्ययन पाठ्यक्रम जारी रखने हेतु हकदार होगा, जिसके लिए प्रवेश पहले ही दिये जा चुके हों, किन्तु वह उपधारा (1) के अधीन सम्बद्धता प्राप्त किये बिना ऐसे अध्ययन पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी छात्र को प्रवेश नहीं देगा।

सम्बद्धता का विस्तार

29-जहां कोई सम्बद्ध महाविद्यालय ऐसे अनुदेश पाठ्यक्रमों को जोड़ना चाहता हो, जिसके सम्बन्ध में उसे सम्बद्धता प्राप्त हो वहां धारा 28 के अधीन विहित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

महाविद्यालयों का निरीक्षण और रिपोर्ट

30-(1) प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां और अन्य सूचनाएं प्रस्तुत करनी होगी जैसा कि बोर्ड, विद्या और क्रियाकलाप परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे महाविद्यालय की दक्षता को आंकने के उद्देश्य से अपेक्षा करे ;

(2) महाविद्यालय, मानक निदर्शन-पत्र के प्रारूप के अनुसार वार्षिक स्व प्रमाणीकरण करेगा और उसे अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा ;

(3) बोर्ड, ऐसे प्रत्येक महाविद्यालय का समय-समय पर ऐसी निरीक्षण समिति द्वारा निरीक्षण करायेगा, जिसमें कुलपति होगा, जो अध्यक्ष होगा और ऐसे अन्य सदस्य होंगे जो बोर्ड द्वारा परिनियमावली के अनुसार नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(4) इस निमित्त बोर्ड के निर्देशों पर, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण करना और बोर्ड को उसकी रिपोर्ट देना, निरीक्षण समिति का कर्तव्य होगा ;

(5) बोर्ड, इस प्रकार निरीक्षण किये गये महाविद्यालय से, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, ऐसी कार्यवाही करने की अपेक्षा कर सकता है जैसा कि उसे आवश्यक प्रतीत हो।

सम्बद्धता का प्रत्याहरण

31-(1) धारा 28 के अधीन स्वीकृत सम्बद्धता के विशषाधिकार को प्रत्याहृत या उपान्तरित किया जा सकता है, यदि कोई महाविद्यालय इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी परिनियमावली के किसी उपबंध को क्रियान्वित करने में विफल रहता है या अपनी सम्बद्धता की किसी शर्त का अनुपालन करने में विफल रहता है या महाविद्यालय का संचालन ऐसी रीति से किया जाता है जो शिक्षा के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता हो ;

(2) ऐसे अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के प्रस्ताव का पहल केवल बोर्ड द्वारा किया जायेगा। बोर्ड का सदस्य, जो ऐसा प्रस्ताव लाना चाहता हो, इस सम्बन्ध में एक नोटिस देगा, और उसके लाये जाने के कारणों को लिखित रूप में उल्लिखित करेगा ;

(3) ऐसे प्रस्ताव को विचार करने के लिये ग्रहण करने से पूर्व, बोर्ड सम्बन्धित महाविद्यालय के प्राचार्य को, इस सूचना के साथ, कि ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर महाविद्यालय की ओर से लिखित रूप में प्रस्तुत किये गये किसी प्रत्यावेदन पर बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा, नोटिस की एक प्रति प्रेषित करेगा:

परन्तु यह कि इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि, यदि आवश्यक हो तो बोर्ड द्वास बढ़ायी जा सकती है ;

(4) प्रत्यावेदन की प्राप्ति पर या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाने पर, बोर्ड ऐसे प्रस्ताव की नोटिस, कथनों और प्रत्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात, और बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी सक्षम व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसा निरीक्षण कराने और ऐसी अग्रतर जांच, जो उसे आवश्यक प्रतीत हो, के पश्चात् और विद्या तथा क्रिया कलाप परिषद से परामर्श करने के पश्चात, एक संकल्प द्वारा उसमें अभिकथित कारणों पर, सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों का पूर्णत: या अंशत: प्रत्याहरण या उपांतरण करेगा और तत् सम्बन्ध में सम्बन्धित महाविद्यालय को संसूचित करेगा :

परन्तु यह कि जहां सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रत्याहरण या उपांतरण के सम्बन्ध में विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् के विचार, बोर्ड को स्वीकार्य न हों तो ऐसा संकल्प पारित करने से पूर्व वह मामले को अपनी टिप्पणी के साथ या उसके बिना, पुन: विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद को संदर्भित करेगा, और विद्या और क्रियाकलाप परिषद् उस मामले में पुन: अपने विचारों को बोर्ड को संसूचित करेगा।

सम्बद्धता के प्रत्याहरण के विरूद्ध अपील

32-कोई महाविद्यालय, जो धारा 31 के अधीन पारित सम्बद्धता द्वारा प्रदत्त अधिकारों के पूर्णत: या अंशत: प्रत्याहरण या उपांतरण के संकल्प से व्यथित हो, संकल्प संसूचित किये जाने के दिनांक से साठ दिनों के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है और ऐसी अपील पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

किसी सम्बद्ध महाविद्यालय हेतु अनुदान का रोका जाना या घटाया जाना

33-विद्या तथा क्रियाकलाप परिषद् की संस्तुति पर बोर्ड, किसी सम्बद्ध महाविद्यालय के, जो जांच समिति की रिपोर्ट पर या अन्यथा रूप में सम्बद्धता की शर्तों का अनुपालन करने में बार-बार व्यतिक्रम करता हुआ पाया जाता है, अनुदान को रोके जाने या घटाये जाने की संस्तुति, राज्य सरकार को कर सकता है।

स्नातकोत्तर अध्यापन

34-समस्त स्नातकोत्तर अनुदेश, अध्यापन और प्रशिक्षण, विश्वविद्यालय या सम्बद्ध महाविद्यालय द्वारा ऐसे विषयों में संचालित किये जाएंगे जो विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त हों।

अध्याय-पाँच

वित्त

विश्वविद्यालय की स्थायी विन्यास निधि

35-एक 'स्थायी विन्यास निधि' होगी जिसमें राज्य सरकार दस करोड़ रूपये का आरम्भिक अंशदान करेगी। विन्यास निधि को जुटाने की विधि और अधिशेष का विनिधान यथा विहित रूप से किया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को भुगतान

36-सरकार, विश्वविद्यालय को इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए समय-समय पर ऐसी धनराशि का भुगतान, ऐसी रीति से करेगी जैसा कि आवश्यक समझा जाय।

विश्वविद्यालय की निधि

37-(1) विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा, जिसे ' विश्वविद्यालय निधि ' कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा कोई अंशदान या अनुदान या ऋण ;

(दो) समस्त स्रोतों से, जिनमें सम्बद्धता फीस और प्रभारों से आय सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालय की आय ;

(तीन) विश्वविद्यालय द्वारा अनुदान, ऋण, उपहार, दान, उपकृतियों, वसीयतों या विन्यासों और अन्य अनुदानों, यदि कोई हो, के माध्यम से प्राप्त धनराशियॉ ;

(चार) विश्वविद्यालय के प्रायोजित पीठाचार्य पदों, अध्येतावृत्तियों या अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना के लिए, विश्वविद्यालय और उद्योग के मध्य किये गये समझौता-ज्ञापन के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार सहयोगी उद्योगों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियॉ ; तथा

(पाँच) किसी अन्य रीति से या किन्हीं अन्य स्रोतों से विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त धनराशियॉ ;

(2) विश्वविद्यालय की अधिशेष निधि, बोर्ड द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा की जायेगी अथवा वित्त समिति की संस्तुति पर बोर्ड द्वारा इसी रीति से या इस निमित्त समय-समय पर राज्य सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनिधानित की जायेगी ;

(3) विश्वविद्यालय की निधियों का प्रयोग, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करने और अपने कृत्यों का निर्वहन करने में उपगत व्ययों सहित विश्वविद्यालय के व्ययों के लिए किया जायेगा ;

लेखा, लेखा-परीक्षा और वार्षिक रिपोर्ट

38-(1) विश्वविद्यालय समुचित लेखाओं और अन्य सुसंगत अभिलेखों का अनुरक्षण करेगा और यथाविहित प्रपत्र में तथा रीति से एक ऐसा वार्षिक लेखा विवरण तैयार करेगा जिसमें आय तथा व्यय लेखा और तुलनपत्र सम्मिलित होंगे ;

(2) विश्वविद्यालय यथाविहित रूप में, अपने वित्तीय, लेखाकार्य और लेखापरीक्षा सम्बन्धी कृत्यों का निर्वहन करने में समुचित आंतरिक जांच पडताल, संतुलन एवं नियंत्रण प्रणाली अंगीकृत करेगा ;

(3) विश्वविद्यालय के लेखाओं की लेखापरीक्षा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 के उपबंधों के अधीन परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा द्वारा कराई जाएगी ;

(4) विशेष लेखा परीक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों, जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, द्वारा किया जायेगा ;

(5) उपधारा (3) के अधीन निर्दिष्ट लेखाओं की लेखापरीक्षा रिपोर्ट, बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी और बोर्ड उसके सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेश जारी कर सकता है जैसा कि वह उचित समझे, और विश्वविद्यालय को ऐसे अनुदेशों का अनुपालन करना होगा ;

(6) विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट विवरणों से युक्त प्रतिवर्ष पिछले वर्ष के अपने क्रियाकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे पुनरीक्षण और अनुमोदन के लिये, यथा विहित दिनांक को या उससे पूर्व वार्षिक रिपोर्ट के रूप में बोर्ड को प्रस्तुत करेगा ;

(7) वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रति और उस पर बोर्ड का संकल्प, राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जायेंगे।

पेंशन

39-समस्त ऐसे अधिकारीगण, अध्यापकगण और अन्य कर्मचारीगण, जो विश्वविद्यालय में स्थायी प्रकृति के नियोजन में हों, राज्य सरकार की नई पेंशन योजना के सदस्य होंगे।

अध्याय- छः

अनुपूरक उपबंध

रिक्तियों के कारण कार्यों तथा कार्यवाहियों का अविधिमान्य न किया जाना

40-बोर्ड या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या इस अधिनियम के अधीन या विनियमावली द्वारा गठित किसी समिति का कोई कार्य या कार्यवाहियां, विश्वविद्यालय के ऐसे बोर्ड, प्राधिकरण या समिति के गठन में मात्र कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान होने के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

विश्वविद्यालय द्वारा उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त किया जाना और प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाना

41-तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विश्वविद्यालय के पास बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित उपाधियां, डिप्लोमा प्रदत्त करने और प्रमाण-पत्र प्रदान करने तथा मानद उपाधियां और अन्य विशिष्ट उपाधियां एवं अभिधान (टाईटल) प्रदत्त करने की शक्तियां होंगी।

विवरिणी और सूचनाएं

42-विश्वविद्यालय, राज्य सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अन्य सांविधिक प्राधिकरणों को, अपनी संपत्तियों या क्रिया कलापों के सम्बन्ध में ऐसी रिपोर्ट, विवरणियां, विवरण और अन्य सूचनाएं समय-समय पर उनके द्वारा यथा अपेक्षित अवधि में प्रस्तुत करेगा और उन्हें अपनी वेबसाईट तथा अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा।

अधिकारियों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना

43-विश्वविद्यालय के प्रत्येक अधिकारी, अध्यापक और कर्मचारी, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45 सन् 1860) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनार्थ, ऐसा कोई व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के लिये या विश्वविद्यालय के विनिर्दिष्ट कार्य के लिये नियुक्त हो या जो विश्वविद्यालय निधि से कराये गए किसी कार्य के लिये भत्तों या फीस के माध्यम से कोई पारिश्रमिक प्राप्त करता हो, ऐसी नियुक्ति या कार्य से सम्बन्धित कर्तव्यों और कृत्यों का सम्पादन करते समय विश्वविद्यालय का अधिकारी या कर्मचारी समझा जायेगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारि वर्ग की सेवाओं से पदच्युति, हटाया जाना, अवनति या सेवा समाप्ति

44-(1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति, लिखित संविदा के अधीन की जायेगी, जिसे विश्वविद्यालय के पास रखा जायेगा और जिसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को उपलब्ध करायी जाएगी ;

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के मध्य संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर ऐसे माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसमें कार्य परिषद द्वारा नियुक्त एक सदस्य होगा, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य होगा और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक मध्यस्थ होगा ;

(3) अधिकरण का विनिश्चिय अन्तिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चिय किये गये मामलों में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा ;

परन्तु यह कि इस धारा की किसी बात से संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन उपलब्ध न्यायिक उपचारों का उपभोग करने से कोई कर्मचारी निवारित नहीं होगा ;

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक अनुरोध, माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 26 सन् 1996) के अर्थान्तर्गत इस धारा की शर्तों के आधार पर माध्यस्थम माना गया समझा जायेगा ;

(5) विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या कर्मचारी या अध्यापन सदस्य, अध्यापनेतर तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को ऐसी जांच, जिसमें उसे उसके विरुद्ध आरोपों को सूचित किया गया हो और उन आरोपों के सम्बन्ध में सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिया गया हो, के बिना पदच्युत या हटाया नहीं जायेगा या पंक्ति में अवनत नहीं किया जाएगा ;

(6) उपधारा (1) के अधीन पदच्युति, हटाये जाने या पंक्ति में अवनति किये जाने या सेवा समाप्ति के किसी आदेश के विरूद्ध अपील, ऐसे आदेश को संसूचित किये जाने के दिनांक से नब्बे दिनों के भीतर कुलपति को की जाएगी और ऐसी अपील में कुलपति का विनिश्चय अंतिम होगा।

राज्य सरकार की निदेश देने की शक्ति

45-राज्य सरकार के पास समय-समय पर ऐसे निदेश जारी करने की शक्तियां होंगी जैसा कि इस अधिनियम और तद्धीन बनाये गए विनियमों और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों का अनुपालन करने के लिये अपेक्षित हो और विश्वविद्यालय ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा।

परिनियमावली, कैसे बनायी जाय

46-(1) इस अधिनियम के अधीन स्थापित या निगमित विश्वविद्यालयों की प्रथम परिनियमावली, कार्यपरिषद द्वारा बनायी जायेगी और वह अनुमोदन हेतु राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

(2) कार्यपरिषद, समय-समय पर नयी या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी परिनियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु यह कि कार्य परिषद्, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन को प्रभावित करने वाली किसी परिनियमावली में संशोधन या निरसन तब तक नहीं करेगी जब तक कि ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों के सम्बन्ध में लिखित रूप में राय अभिव्यक्त करने का कोई अवसर न दे दिया जाय और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर कार्यपरिषद् द्वारा विचार किया जायेगा ;

(3) प्रत्येक नयी परिनियमावली या परिनियमावली में संशोधन या विद्यमान परिनियमावली में निरसन हेतु राज्य सरकार का अनुमोदन अपेक्षित होगा और जब तक इस प्रकार अनुमोदन न किया जाय तब तक वह अविधिमान्य होगा ;

(4) पूर्वगामी उपधारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के तत्काल पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिये उपधारा (1) में निर्दिष्ट नयी या अतिरिक्त परिनियमावली बना सकती है या परिनियमावली में संशोधन या निरसन कर सकती है :

परन्तु यह कि राज्य सरकार, उक्त तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति पर, ऐसे दिनांक से या उक्त अवधि की समाप्ति से एक वर्ष के भीतर ऐसी विस्तृत परिनियमावली बना सकती है जैसा कि वह आवश्यक समझे । ऐसी कोई विस्तृत परिनियमावली विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखी जायगी ;

(5) इस धारा में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, विश्वविद्यालय द्वारा विनिर्दिष्ट किये गये किसी मामले में परिनियमावली में उपबन्ध करने हेतु विश्वविद्यालय को निदेश दे सकती है और यदि कार्य परिषद् निदेश प्राप्त किये जाने के साठ दिन के भीतर ऐसा निदेश क्रियान्वित करने में असमर्थ हो तो राज्य सरकार उसके द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने की असमर्थता के लिये उपयुक्त परिनियमावली बना सकती है या उसमें संशोधन कर सकती है।

अध्यादेश बनाने की शक्ति

47-(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन बोर्ड के पास, उसमें निहित समस्त अन्य शक्तियों के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों के प्रशासन और प्रबन्धन का उपबन्ध करने के लिये अध्यादेश बनाने की शक्ति होगी ;

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या किसी मामले का उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :-

(एक) बोर्ड की प्रथम बैठक से भिन्न विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठको को आहूत करना, आयोजित करना एवं ऐसी बैठकों की गणपूर्ति और कारोबार का संचालन ;

(दो) कुलपति की ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य ;

(तीन) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, निकायों और अन्य समितियों का गठन, शक्तियां और कर्तव्य, ऐसे प्राधिकरणों की सदस्यता के लिये अर्हताएं और अनर्हताएं, सदस्यता की पदावधि, उसके सदस्य की नियुक्ति और हटाया जाना और उससे सम्बन्धित अन्य मामले ;

(चार) कारबार का संचालन करने, शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का निर्वहन करने में इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन या विनियमावली द्वारा गठित बोर्ड और किसी समिति या अन्य निकाय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(पांच) अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यचर्या को स्थापित करने में और छात्रों के प्रवेश के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मानदंड ;

(छः) विश्वविद्यालय में अनुशासन प्रवर्तित करने के लिये अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(सात) विश्वविद्यालय की संपत्तियों का प्रबन्धन ;

(आठ) उपाधियां, डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियां और अभिधान, जो विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या प्रदान किये जा सकते है, और ऐसी किन्हीं उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाण-पत्रों और अन्य विद्या सम्बन्धी विशिष्ट उपाधियों और अभिधानों तथा उनकी अपेक्षाओं का प्रत्याहरण या निरस्तीकरण ;

(नौ) परीक्षाओं का संचालन जिसमें परीक्षकों की नियुक्ति और पदावधि सम्मिलित है;

(दस) विश्वविद्यालय के निदेशकों, आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों, उपाचार्यों, प्राध्यापकों, प्रधान कोचों, कोचों, प्रशिक्षकों या समान शैक्षणिक पदनामों या पदों, अधिकारियों और कर्मचारियों के पदों का सृजन और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की उनकी अपेक्षित अर्हताओं सहित नियुक्ति ;

(ग्यारह) विश्वविद्यालय को, उसके द्वारा उपलब्ध कराये गये पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण, सुविधाओं और उसके द्वारा उपबन्धित सेवाओं के लिये, भुगतान की जाने वाली फीस और अन्य प्रभार ;

(बारह) अन्य संस्थाओं के साथ विश्वविद्यालय के सहयोजन के लिये निबन्धन और शर्तें ;

(तेरह) बजट अनुमान तैयार करना और लेखाओं का अनुरक्षण करना ;

(चौदह) विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदा या करारों के निष्पादन की रीति ;

(पन्द्रह) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों और अन्य कर्मचारिवृंद का वर्गीकरण और उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया ;

(सोलह) विश्वविद्यालय के निदेशकों, प्रधान कोचों, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों की सेवा की निबंधन एवं शर्तें, नियुक्ति की अवधि, वेतन, भत्ते, संविदाजन्य सेवाएं, अनुशासन नियम और अन्य सेवा शर्तें ;

(सत्रह) विश्वविद्यालय के अध्यापकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति को शासित करने वाली निबन्धन एवं शर्तें ;

(अट्ठारह) **विश्वविद्यालय** के निदेशकों, प्रधान कोचों, अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की शक्तियां और उनके कर्तव्य ;

(उन्नीस) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, वृत्तिकाओं, पदकों और पुरस्कारों को शासित करने वाली निबन्धन और शर्तें ;

(बीस) बोर्ड के आदेशों और विनिश्चयों का अधिप्रमाणन ;

(इक्कीस) छात्रों के लिये छात्रावासों, संकायों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिये आवासीय हालों और आवास और अतिथि गृह जिसमें अनुशासनिक नियंत्रण हो, से सम्बन्धित मामले ;

(बाईस) ऐसे समस्त मामले, जो इस अधिनियम द्वारा अध्यादेशों के माध्यम से विहित किये जाने हैं या विहित किये जा सकते हैं।

विनियमावली

48-**विश्वविद्यालय** के प्राधिकारी इस अधिनियम, परिनियमावली तथा अध्यादेशों के अनुरूप, अपने कारबार और ऐसी समितियों, यदि कोई हों, जो उनके द्वारा स्थापित की गयी हो और इस अधिनियम, परिनियमावली या अध्यादेशों द्वारा उपबंधित न हों, के कारबार के संचालन हेतु विनियमावली बना सकते है।

अध्याय- सात

अस्थायी उपबन्ध

प्रथम कुलपति की नियुक्ति

49-धारा- 12 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलपति की नियुक्ति, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र अनधिक एक वर्ष के लिए राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन एवं शर्तों पर, जैसा कि वह उचित समझे, की जायेगी।

प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति

50-धारा 17 में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रथम कुलसचिव की नियुक्ति, अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र अनधिक तीन वर्ष की अवधि के लिए, राज्य सरकार द्वारा ऐसी निबन्धन और शर्तों पर की जायेगी, जैसा कि राज्य सरकार उचित समझे।

कुलपति की अस्थाई शक्तियां

51-इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कुलपति, बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से तथा निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन, इस अधिनियम और विनियमावली के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के प्रयोजनार्थ **विश्वविद्यालय** के समस्त या किसी कृत्य का निर्वहन कर सकता है, और इस प्रयोजनार्थ वह ऐसी किसी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी कर्तव्य का निष्पादन, जिसका **विश्वविद्यालय** के किसी प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम और विनियमावली द्वारा या तद्धीन प्रयोग या निष्पादन किया जाना हो, तब तक कर सकता है जब तक इस अधिनियम तथा विनियमावली के उपबन्धों के अनुसार ऐसा प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं आ जाता है।

क्षतिपूर्ति

52-इस अधिनियम या तद्धीन बनायी गयी किसी विनियमावली के उपबन्धों के अनुसरण में सदभावनापूर्वक कृत या किये जाने हेतु आशयित किसी बात के सम्बन्ध में **विश्वविद्यालय**, कुलपति, अध्यक्ष, निदेशकों, प्राधिकारियों या अधिकारियों या कर्मचारियों या **विश्वविद्यालय** के किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं होंगी और उनसे किसी क्षति का दावा नहीं किया जायेगा।

कठिनाईयां दूर करने की राज्य सरकार की शक्ति

53-(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रवृत्त करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, सरकारी गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उपान्तरण, परिवर्द्धन या लोप जैसा कि वह आवश्यक या समीचीन समझे, के माध्यम से ऐसे उपबन्ध, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, कर सकती है जैसा कि कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ;

(2) इस धारा के अधीन कृत प्रत्येक आदेश, इसे किये जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-53 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपेन्द्र तिवारी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[05:15] राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

आयुष, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 धर्म सिंह सैनी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूँ कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय। माननीय अध्यक्ष जी, काफी समय से आयुर्वेद और आयुष को पूरी तरीके से प्रदेश और देश से लुप्त होता देखा जा रहा था। आज उसका महत्व इतना बढ़ गया कि आज हर व्यक्ति फिर दोबारा आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथिक पर आ रहा है और चूँकि उत्तर प्रदेश में 8 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज और 57 प्राइवेट क्षेत्र में आयुर्वेद महाविद्यालय हैं। इसी तरह दो यूनानी आयुर्वेद महाविद्यालय और 13 प्राइवेट क्षेत्र में यूनानी महाविद्यालय हैं। इसी तरह से होम्योपैथिक में 9 राजकीय और 02 प्राइवेट क्षेत्र में हैं। उनकी सम्बद्धता अलग-अलग विश्वविद्यालयों से है और वहाँ कोई भी विषय विशेषज्ञ नहीं है। इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी ने यह तय किया कि उत्तर प्रदेश को एक आयुष युनिवर्सिटी की आवश्यकता है। जहाँ एक सेलेबस हो, समय पर उनकी परीक्षायें हों। मा0 अध्यक्ष जी, बगैर शोध के चाहे इंगलिश पद्धति की चिकित्सा हो, चाहे भारतीय चिकित्सा पद्धति में, अगर हम प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य लाभ देना चाहते हैं तो बगैर शोध के हम आगे तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी जो आयुष विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, उसमें शोध होगा और शोध के बाद हम नई-नई औषधियाँ तैयार करके हम जनता को लाभ देने का काम करेंगे। इसलिए यह विश्वविद्यालय लाने का कार्य किया जा रहा है।

श्री संजय गर्ग-

मा0 अध्यक्ष जी, राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के

अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। मा0 अध्यक्ष जी, हमारे ही जनपद के हमारे सम्मानित मा0 मंत्री हैं। मेरे बड़े भाई हैं। आपके द्वारा हमें जो राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 दिया गया और मा0 मंत्री जी ने जो अपना सम्बोधन दिया वह सम्बोधन लगता है कि इससे पहले जब 2020 में राज्य आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु यह विधेयक लाया गया था तो उसकी इम्पॉर्टेंस पर उस समय चर्चा हुयी थी और उस समय भी हमने प्रवर समिति में रखने का प्रस्ताव किया था। वर्तमान में जो संशोधन लाया गया है वह केवल जो राज्य आयुष विश्वविद्यालय है, उसका नाम परिवर्तन करने के लिए है जिसका कोई प्रस्ताव अभी तक मा0 मंत्री जी अपने सम्बोधन में नहीं कहा है। वह शायद इस बात को भूल गये। हालांकि अब मैं नहीं कहना चाहूंगा कि मा0 नेता सदन इस बारे में उन्हें क्या कहेंगे। चूँकि गोरखपुर में इसकी स्थापना होनी है और उसका नाम महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर रखा जाना है। पहले तो नाम की राजनीति में नहीं पड़ना नहीं चाहिए था। क्योंकि नामकरण करना था तो पहले से ही सोच-समझकर 2020 में इसका नाम यह रख दिया जाता तो कोई परेशानी नहीं थी।

मान्यवर, जब हम आयुष विश्वविद्यालय की बात करते हैं और जिस तरफ आपने चर्चा की कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ विधा एवं योगा के अलग-अलग राजकीय और प्राइवेट विद्यालय, महाविद्यालय प्रदेश में उन सबको संचालित करने के लिए एक आयुष विश्वविद्यालय की जरूरत थी। वह नाम अपने आप में सभी विधाओं को समेकित करते हुए उचित नाम था। हम महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से हम उनकी उस आध्यात्मिक भक्ति का भी सम्मान करते हैं। परन्तु इस नाम के साथ एक बात जरुर कहना चाहता हूँ कि जब इस आयुष विश्वविद्यालय में भारतीय आयुर्वेद पर चर्चा होगी और उसके विद्वान बैठे हुए हैं लेकिन आयुर्वेद के जनक भगवान धनवन्तरी थे। हम आप सभी लोग गणेश चतुर्थी पर उनका दिवस मनाने का भी काम करते हैं। महर्षि चरक, चरक संहिता के रचयिता थे, उनका नाम भी सुझाया जा सकता था। इसी के साथ-साथ महर्षि पंतजलि योग के गुरु थे, उनके नाम पर भी चर्चा करने का काम किया जा सकता था। शल्य चिकित्सा के जनक महर्षि सुश्रुत के नाम पर भी इस विश्वविद्यालय का नाम रखा जा सकता था। हम होम्योपैथी को भी कंट्रोल कर रहे हैं और होम्योपैथ के जनक हनीमैन थे, उनको भी इसके अन्तर्गत समाहित करने का काम किया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा का पौराणिक ग्रन्थों और वेदों में जिक्र मिलता है और सही तौर पर पहला प्रयोग वर्ष 1815 में जॉन स्कील ने अमेरिका में प्राकृतिक चिकित्सक बेनेडिक्ट को यू0एस0ओ0 में नेचुरोपैथी का जनक मानते हैं। यूनानी हिकमत या यूनानी तिब को सबसे पहले दुनिया में लाने का काम दार्शनिक हिपोक्रेट्स ने किया था और सिंद्धा को महर्षि अगस्त ने समायोजित करने की कोशिश की और इन तमाम महानुभावों को छोड़कर हमने एक

नाम स्थानीय स्तर पर नेता सदन के अच्छा लगने की वजह से, उस सम्प्रदाय से ताल्लुक रखने की वजह से, वह उनकी दरियादिली को नहीं दिखाता है। मैं समझता हूँ कि आयुष विश्वविद्यालय का पहले जो नाम था राज्य आयुष विश्वविद्यालय इसमें सभी विधाएं समाहित थीं, सभी को बराबर का सम्मान था और और आपने वर्ष 2020 में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की और आप फरवरी, 2021 में नामकरण के बदलाव के लिए संशोधन प्रस्ताव लाए हैं, जब कोई दूसरा वाद आयेगा तो वह दूसरे नाम का सुझाव देने का काम करेगा। अगर नाम पर ही चर्चा होनी है तो बेहतर है कि प्रवर समिति को सौंप दें। आप अलग-अलग विधाओं को लेकर यह आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना कर रहे हैं। भविष्य में होम्योपैथी वाले कहने लगे कि इसमें बाबा गोरखनाथ का क्या योगदान है। कभी कोई यूनानी तिब वाला कहने लगे कि इसमें हम किस तरह से विश्वविद्यालय के नाम के साथ अपने आप को जोड़ने का काम कर पायें, तो बेहतर है कि प्रवर समिति के सदस्य आपस में गम्भीरता के साथ चिंतन कर लेंगे और समग्रता के साथ एक नाम सुझा लेंगे। अन्यथा जो नाम पहले वर्ष 2020 में राज्य आयुष विश्वविद्यालय किया गया था, मैं समझता हूँ कि वह सभी विधाओं को अपने आप में समाहित करता है और वह अपने आप में काफी है। इस बात के साथ मेरा आपसे आग्रह है कि मौजूदा इस संशोधन विधयेक को प्रवर समिति को सौंप दें जिसके नाम बाद में बता दिए जायेंगे और जब एक महीने बाद प्रतिवेदन आयेगा तो पूर्णतः के साथ हम इस विधयेक को सर्वसम्मति के साथ पारित करने का काम करेंगे।

डॉ0 धर्म सिंह सैनी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य मुझे अपना बड़ा भाई बता रहे हैं लेकिन हकीकत में यह मेरे बड़े भाई है। मैं सोच रहा था कि इतना लम्बा मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम विश्वविद्यालय स्थापित होने से पहले ही नाम बदल रहे हैं, इसका कारण भी बतायेंगे कि उसका क्या नाम रखा जायेगा। आप यह भी देखिये कि आपने सहारनपुर के मेडिकल कॉलेज का नाम बदल कर क्या उपलब्धि हासिल की थी। मैं सबसे पहले यह कहना चाहता हूँ कि मा0 गर्ग साहब आपको खुशी होनी चाहिए कि गोरखपुर से 24वें तीर्थकर महावीर का संबंध रहा है।

गोरखपुर में वन संपदा और औषधीय संपदा बहुत है, इसलिए जब वह स्थापित ही गोरखपुर में हो रही है तो हम एक ऐसी महानुभूति के नाम पर क्यों न वह नाम रखें जिससे कि कम-से-कम वह हमारी आस्था के प्रतीक भी रहे। अगर आप इस नाम को माननीय मुख्य मंत्री जी से जोड़ रहे है, तो यह मेरे ख्याल में आपकी भूल होगी। ये हमारे आस्था के प्रतीक है, इसलिए यह नाम हम स्थापित करने के बाद नहीं, स्थापित करने से पहले नाम परिवर्तित करके रख रहे है। इसलिए मेरा मा0 सदस्य गर्ग साहब से अनुरोध है कि भगवान महावीर जी को आप मानते हैं और नहीं मानते तो मैं सहारनपुर जाकर पूछ लूंगा कि मानते है कि नहीं

मानते है, वहां हमारी बात हो जाएगी। आप सहमति दें, आपका छोटा भाई हूं, आप सहमति देकर कहें कि अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं और इसे पारित होने दें। धन्यवाद।

श्री संजय गर्ग-

माननीय अध्यक्ष जी, बात कुछ ज्यादा नहीं है, कुछ तुलना की भी बात नहीं है। मेरा आशय केवल यह था कि आयुर्वेद, होम्योपैथ, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा इन सबके जनक थे, एक आदमी के मन में सवाल आ सकता है कि किसी जनक का नाम रख दिया गया होता। जो नाम इन्हें पसंद है, वह ये रख सकते हैं और ये नाम 2020 में भी रख सकते थे, हो सकता है कि प्रवर समिति भी इसी नाम का सुझाव दे दें क्योंकि प्रवर समिति में इन्हीं की मेजॉरिटी होगी, इसलिए मेरा आग्रह है कि इसे प्रवर समिति को सौंप देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष-

अब हम प्रश्न उपस्थित करते हैं।

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, प्रस्तावना व शीर्षक

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021

राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 9 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2020 का सामान्य संशोधन

2–राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2020 मे संक्षिप्त नाम, दीर्घ नाम, शीर्षकों सहित शब्द 'उत्तर प्रदेश राज्य आयुष विश्वविद्यालय', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द "महायोगी गुरू गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, गोरखपुर" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3–(1) राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2021 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 1 सन् 2021

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

डा0 धर्म सिंह सैनी–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि राज्य आयुष विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ)

[05:25] उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

गन्ना विकास एवं चीनी मिले मंत्री (श्री सुरेश कुमार)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाय।

माननीय अध्यक्ष जी, किसानों के हित में लगातार फैसले हों और गन्ना किसान बड़े परिश्रम के साथ अपना गन्ना लेकर चाहे तौल केंद्र पर जायें, वह घटतौली का शिकार न हो, उसी विषय को लेकर लगातार अच्छे विधेयक आये हैं। उसी मंशा से हम लोग ये लेकर आए हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा-22 में जो पहले प्रावधान था, उसमें अधिकतम 50 हजार रुपये का जुर्माना या 06 माह की जेल का ही प्राविधान प्रदेश में लागू किया जाता था। 2017-18 में घटतौली पाए जाने पर 1955 की धारा-3/7 का भी प्राविधान किया गया, जिससे घटतौली पर अंकुश हो और भ0द0सं0 1860 की सुसंगत धाराओं में कठोर प्राविधान भी लागू किया गया। इसके बाद विषय आया कि जो साफ्टवेयर कम्पनी है, जिनके द्वारा साफ्टवेयर दिया जाता है, उन पर भी लीगल मैटोलॉजी ऐक्ट

2009 के प्राविधानों को लागू करते हुए उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई का एक प्राविधान किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, चूंकि गन्ना घटतौली पाए जाने पर तौल लिपिक पर उसकी जमानत धनराशि से अधिकतम् 20 हजार रुपये व मिल का जो अध्यासी है, उस पर 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्राविधान है। चूंकि हमारी मंशा है कि घटतौली पर अंकुश हो और यह कोई पक्ष-विपक्ष का सवाल नहीं है, यह गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए जो अध्यासी है, हम लोगों ने अध्यासी की उस 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ा करके चुकि उसके पैसे को मिल मालिक जमा करता है, इसलिए उसकी जमानत राशि को 50 हजार रुपये से बढ़ा करके जो जुर्माने में तब्दील हो जायेगी, अगर बाद में भी कोई घटतौली पकड़ी जायेगी तो उस 50 हजार की राशि को बढ़ा करके 01 लाख करने का प्राविधान किया है। यह इसलिए किया है कि यह गन्ना किसानों के हित में है, कोई घटतौली की घटना न हो और मैं समझता हूँ कि यह कोई पक्ष-विपक्ष का सवाल नहीं है। हम सब लोग किसानों की बातें करते हैं, किसानों की चिन्ता करते हैं, किसानों पर लम्बे-लम्बे वक्तव्य देते हैं तो मैं समझता हूँ कि यह एक सार्वजनिक सहमति का विषय है और मुझे पूरा विश्वास है कि चूंकि यह सीधा गन्ना किसान के हित से जुड़ा हुआ विषय है तो निश्चित रूप से हमारे माननीय साथी भी पूरी तरह सहयोग करते हुए, सर्वसम्मति से इसे पास करायेंगे।

श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 50 हजार से बढ़ाकर 01 लाख कर दिया गया है। हम आपको धन्यवाद दे रहे है। लेकिन यह जुर्माना अभी कम है। 5 हजार से बढ़ाकर 50 हजार किया गया, उसके बाद भी घटतौली की घटनाएँ होती रहीं। हमारा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि 01 लाख की धनराशि बहुत कम है, इसे बढ़ाया जाए और सजा जो 06 माह की है, उसे भी और बढ़ाया जाए और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो, जो सेन्टर इन्चार्ज होते हैं, तौल लिपिक होते हैं, उनको फास्ट ट्रैक अदालतों में गुण-दोष के आधार पर दण्डित किया जाए। हम तो समझ रहे थे कि हमारे माननीय मंत्री जी गन्ना किसानों की समस्याओं के बारे में भी कुछ बतायेंगे। लेकिन 03 वर्ष में आपने गन्ने का मूल्य 01 पैसा नहीं बढ़ाया, जबकि खाद, बीज, बिजली, डीजल, पेट्रोल सभी के दाम बढ़ गए। आपने अपने घोषणा-पत्र में लिखा था कि 14 दिन में गन्ना मूल्य का भुगतान किया जाएगा और भुगतान नहीं होने पर ब्याज सहित भुगतान की बात कही थी। आपने वह वादा भी पूरा नहीं किया। इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आपसे अनुरोध है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दें और इसमें जो

धनराशि है, इसको बढ़ाया जाए, सजा का समय बढ़ाया जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका फैसला हो।

श्री सुरेश कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नरेन्द्र वर्मा जी बहुत ही अनुभवी हैं और गन्ना मंत्री रहे है और व्यक्तिगत तौर पर मैं इनका बहुत सम्मान भी करता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल था और उस माहौल को किस तरह से योगी सरकार ने और उसका मैं एक छोटा सा उदाहरण रखना चाहूंगा कि मात्र 04 सालों के कार्यकाल में 03 लाख 63 हजार फर्जी सट्टे जो गन्ना माफियाओं के उत्तर प्रदेश में चलते थे, उन्हें बन्द करने का काम योगी सरकार ने किया। हमने कठोर कार्रवाई की और चुकि यह विधेयक का विषय है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। हम लोगों ने देखा कि तौल लिपिक जो सेन्टर के ऊपर लगता है तो वहीं सेन्टर पर वह साँठ-गाँठ कर लेता था। हम लोगों ने व्यवस्था की कि हम ऑन लाइन उसकी पोस्टिंग करेंगे और उससे प्रभाव यह पड़ा कि एक तौल लिपिक एक सेन्टर पर पूरे सीजन में एक बार ही जा सकता है। ऑनलाइन पोस्टिंग हुई तो घटतौली पर जबर्दस्त तरीके से अंकुश लगाने का काम योगी सरकार ने किया। लगातार हम लोग 15 दिन की पोस्टिंग का रोटेशन लागू कर रहे हैं।

मैं सोच रहा था कि नरेंद्र जी उस ओर ध्यान आकृष्ट करेंगे और मैं नहीं जानना चाहता था, आपने कहा कि कोई और विषय होता तो चर्चा करता, लेकिन आपने चर्चा कर ली और मुझे अच्छा भी लगा कि जिन लोगों ने गन्ना किसानों का 22 सौ करोड़ रुपए का जो किसानों का ब्याज बैठता था, वह ब्याज मील मालिकों पर माफ कर दिया, वह आज कैसे बात कर रहे हैं। मैं इस बात को सोच रहा हूं कि कैसे यह समाजवादी पार्टी और किस अंदाज में आज गन्ना किसानों के हित की बात कर रही है। लगातार मीलों को बन्द करने वाले लोग, लगातार छः-छः साल का गन्ना भुगतान रोकने वाले लोग आज किसान हित में बात कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के समय में अर्थेटिक रूप से कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का भी पांच साल का गन्ना भुगतान बकाया योगी सरकार ने करने का काम किया है। हालांकि यह विषय नहीं था, मैं विधेयक पर रहना चाहता हूं और नरेंद्र जी मेरे मित्र भी हैं और इनकी आदत संजय गर्ग जैसी नहीं है जो जिद करेंगे। यह भी मैं जानता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि यह गन्ना किसानों के हित का विषय है, और आपका स्वभाव भी बहुत सौम्य है और यह किसान के हित का विषय है इसलिए हम सब मिलकर के किसान के इस हित के विषय को घटतौली पर अंकुश लगाने के लिए जो आदरणीय योगी जी की मंशा है, उत्तर प्रदेश की हर किसान की मंशा है, उस पर हम इस विधेयक को सर्वसम्मति से पास करेंगे, यह मैं अनुरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब तो हो गया वर्मा जी।

*** श्री नरेंद्र सिंह वर्मा-**

आपने जो रोटेशन सिस्टम लागू किया है, मैं उससे सहमत हूं और आपने बढ़िया काम किया है। हमारे दो-तीन सुझाव है, उसको वापस भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। विगत तीन वर्षों में गन्ने का मूल्य मा0 अध्यक्ष जी सरकार ने एक पैसा भी नहीं बढ़ाया है और भाजपा के चुनाव घोषणा-पत्र में है, संकल्प पत्र में 14 दिन में अगर भुगतान नहीं तो ब्याज हम करेंगे संकल्प में है यह ऑन रिकॉर्ड है। अभी मैं लखीमपुर गया था, मा0 मंत्री जी आप अंग्रेजी में पर्ची लिख रहे हैं, गन्ना किसान पढ़ ही नहीं पा रहा है। पर्चियां अंग्रेजी में जाने लगी है, न किसान उसमें नाम पढ़ पा रहा है और न ही गांव का नाम पढ़ पा रहा है, वह उस पर्ची का कुछ भी नहीं पढ़ पा रहा है। आप गन्ना का दाम नहीं बढ़ाए, आप ब्याज नहीं दिए, कम से कम वह पर्ची तो हिंदी में करवा दीजिए। मा0 अध्यक्ष जी, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप इस पर जुर्माना की धनराशि बढ़ाई जाए, सजग प्रावधान बढाया जाए और इस पर निर्णय के लिए फास्ट ट्रैक पर समयबद्ध किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं एक प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के भीतर प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शर्षिक

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1953 की धारा 22 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 22 में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 24 का संशोधन

3–मूल अधिनियम की धारा 24 में शब्द "पचास हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "एक लाख रुपये" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

4–(1) उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 2020

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गई समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री सुरेश कुमार-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

यह मद तो पहले ले लिया गया है।

(एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि मेरा अभिभाषण पर होना था)

श्री अध्यक्ष-

आप क्या पूछ रहे हैं ? आज कोई वक्तव्य नहीं आया है, नियम-51 में आज सरकार की तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आया है और आज नियम-51 बीच में ही हो गया था।

अब हम कल सुबह 11:00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 34 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 22 फरवरी, 2021 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

पी0एस0यू0पी0-एल0 16 विधान सभा (17)-06-05-2022-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।